**मध्‍य प्रदेश, वन विभाग**

सूचना पुस्तिका

(Set of Manuals)

**(भारत सरकार, विधि एवं न्‍याय मंत्रालय द्वारा जारी**

**''सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005'' की धारा 4(1)(बी) के अंतर्गत)**

**वर्ष 2022**

**अध्‍याय-1**

**प्रस्‍तावना**

**--------**

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4(1)बी के प्रावधानों की पूर्ति के लिये मध्यप्रदेश वन विभाग द्वारा इस सूचना पुस्तिका का प्रकाशन किया गया है। इस पुस्तिका के प्रकाशन में भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों विशेष ध्यान रखते हुए, इस प्रयोजन से निर्धारित स्वरूप में इस पुस्तिका का प्रकाशन किया जा रहा है। पुस्तिका के तैयार करने में मूल अवधारणा यह रही है कि भारत का कोई भी नागरिक जो मध्य प्रदेश वन विभाग की गतिविधियों की जानकारी की अपेक्षा रखता हो, उसे समस्त मूल सूचनाएं प्राप्त करने में यह सूचना पुस्तिका एक प्रभावी माध्यम बन सके, तथा विशेष जानकारी की आवश्यकता महसूस होने पर कोई भी व्यक्ति अधिनियम की धारा 6 के अंतर्गत ऐसी सूचना प्राप्त करने के लिये सुगमता से संबंधित लोक सूचना अधिकारी के समक्ष अनुरोध प्रस्तुत कर सके।

इस सूचना पुस्तिका के समस्त अध्याय सामान्यतः सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के कार्यान्वयन की दृष्टि से सूचना पुस्तिका तैयार करने के लिये भारत सरकार द्वारा निर्धारित स्वरूप के अनुसार रखे गये है। विभाग की क्रियाकलापों एवं विशिष्टताओं के अनुरूप विषयों में आवश्यकता अनुसार परिवर्तन किये गये हैं, ताकि यह पुस्तिका संदर्भ की दृष्टि से सुगम साबित हो सके।

**अतिरिक्त सूचना प्राप्त करने की विधि -**

सूचना पुस्तिका के संबंध में और विवरण प्राप्त करने हेतु प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख कार्यालय (समन्वय कक्ष) से सम्पर्क किया जा सकता है। इस पुस्तिका में सम्मिलित जानकारी के अतिरिक्त किसी अन्य सूचना की आवश्यकता होने पर विभाग मुख्यालय स्तर पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक कार्यालय में नामांकित लोक सूचना अधिकारी एवं मुख्य वन संरक्षक सिमन्वयक्र से सम्पर्क किया जा सकता है। क्षेत्रीय स्तर की विभिन्न जानकारियों हेतु प्रत्येक जिला/ उप संभाग स्तर पर नामांकित लोक सूचना अधिकारियों तथा सहायक लोक सूचना अधिकारियों से भी नियमानुसार सूचनाएं प्राप्त की जा सकेंगी।

इस प्रकार की अतिरिक्त सूचना प्राप्त करने हेतु प्रतिया मध्यप्रदेश शासन द्वारा अधिसूचित मध्यप्रदेप्र सूचना का अधिकार फीस तथा अपील नियम, 2005 के अनुसार होगी।

--------------

**अध्‍याय 2 (मैन्‍युअल - बी-i)**

अपने संगठन की विशिष्टियां, कृत्‍य एवं कर्तव्‍य

(Particulars of organization, functions and duties)

**--------**

**भूमिका -**

मध्यप्रदेश में वन विभाग का प्रशासन अगस्त 1860 में वास्तविक रूप से प्रारंभ हुआ तथा कर्नल जी.एफ. पियर्सन की प्रथम वन संरक्षक के रूप में नियुक्ति की गई। वर्ष 1862 में पड़त भूमि नियम बनाया गया, जिसके अंतर्गत सागौन, साल, शीशम व बीजा की कटाई पर प्रतिबंध लगाया गया। स्थापना दौरान वन विभाग को सड़कों का अभाव, प्राथमिक स्तर की विरल अधोसंरचना, भूमि अधिकारों की अनिश्चय स्थिति तथा संचार तंत्र के अभाव के कारण वनों के संरक्षण में अनेक बाधाओं का सामना करना पड़ा। वर्ष 1863 में ब्रैन्डिस ने कर्नल पियर्सन के साथ राज्य के वनों का निरीक्षण किया तथा वन नीति के निम्न बिन्दुओं का निर्धारण किया -

1. वन्य रिजर्व का सीमांकन,

2. वनों की अग्नि से सुरक्षा, एवं

3. वन राजस्व में वृद्धि के स्रोतों का पता लगाना

उक्त नीति के अंतर्गत होशंगाबाद मंडल के बोरी के वनों को वर्ष 1865 में देश का प्रथम रिजर्व घोषित किया गया। वन विभाग के अधीन लिये गये क्षेत्र को वैधानिक स्वरूप प्रदान करने के लिये भारतीय वन अधिनियम 1865 बनाया गया, जिसमें 1875 व 1878 में संशोधन किए गए। इस अधिनियम के अंतर्गत शासन के अधीन वनों को आरक्षित वन घोषित किया गया। इस समय शासन की घोषित नीति के अनुसार श्रेणी एक के रिजर्व को बढ़ाना, संरक्षित करना तथा उनमें सुधार लाना था। श्रेणी एक के रिजर्व के अतिरिक्त अन्य वनों को श्रेणी दो के रिजर्व के रूप में रखा गया, जिसका इस प्रकार प्रबंधन करना था कि जलाऊ, चारा व अन्य वनोपज की स्थानीय मांग की पूर्ति हो सके।

वर्ष 1865 में पातन के पूर्व वृक्षों की चिन्हांकन की व्यवस्था की गई तथा 1868 में प्रांत में सागौन वृक्षारोपण प्रारंभ किया गया । भारत सरकार द्वारा 1894 में प्रथम वन नीति की घोषणा की गई। इस नीति के अंतर्गत कार्य आयोजना तैयार कर वनों का सुव्यस्थित प्रबंधन करना था। उस समय तैयार की गई कार्य आयोजनाएं अत्यंत साधारण थीं, तथा उनमें पर्याप्त आंकड़ों का अभाव था। फिर भी इन कार्य आयोजनाओं ने भविष्य में विस्तृत कार्य आयोजना बनाने की आधारशीला रखी थी।

उत्तरोत्तर वर्षों में वन प्रबंधन के सिद्धांतों का विकास हुआ तथा भारत की स्वतंत्रता के पश्चात अक्टूबर 1947 में देश में पहली बार मध्यप्रदेश में एक वन नीति समिति का गठन किया गया। मध्यप्रदेश वन नीति समिति के प्रतिवेदन का प्रारूप मई 1952 में प्रकाशित राष्ट्रीय वन नीति के निर्माण में अत्यंत उपयोगी साबित हुआ। वर्ष 1965 में तेन्दूपत्ता व्यापार का राष्टीयकरण किया गया, जिसके अंतर्गत तेन्दूपत्ता व अन्य लघुवनोपजों के संग्रहण कार्य में आदिवासी एवं अन्य पिछड़े वर्गों की आय तथा जीवन स्तर में गुणात्मक सुधार लाने का मार्ग खुला। इसी तारतम्य में वर्ष 1971 में प्रमुख इमारती लकड़ी का, वर्ष 1973 में बांस व्यापार का, एवं वर्ष 1975 में साल बीज का राष्टीयकरण किया गया, जिससे वनों की सुरक्षा सुगम हुई एवं वन राजस्व में भी वृद्धि हुई।

प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध मध्यप्रदेश की वन सम्पदा जैव विविधता से परिपूर्ण है। प्रदेश की विशिष्ट भौगोलिक एवं सामाजिक-आर्थिक परिवेश के दृष्टिगत प्रदेश की अपनी वन नीति वर्ष 2005 में जारी की गई। इस नीति में इमारती एवं जला लकड़ी तथा बांस के अधिकाधिक उत्पादन के साथ जैव विविधता संरक्षण व लघु वनोपज का नाश-विहीन विदोहन तथा प्राप्त वनोपज का प्रसंकरण कर उसकी गुणवत्ता बढ़ाने तथा विपणन व्यवस्था का विकास करने के प्रावधान किये गये हैं । औषधीय प्रजातियों की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ती हुई मांग के दृष्टिगत इनका संरक्षण एवं संवर्द्धन नई वन नीति के तहत सुनिश्चित किया जायेगा। इस नीति में वन्य प्राणी संरक्षण के साथ ही प्राकृतिक धरोहर स्थलों का संरक्षण तथा ईको-टूरिज्म के विकास को भी समुचित महत्व दिया गया है। वन प्रबंध के साथ स्थानीय समुदायों की सहभागिता के दृष्टिगत संयुक्त वन प्रबंधन की अवधारणा लेते हुये प्रदेश की नई वन नीति में वनों के आदर्श प्रबंधन की आधारशिला रखी गई है, जिससे कि बढ़ती हुई जनसंख्या के परिप्रेक्ष्य में वनोपज की जरूरतें पूरी करने के साथ ही वनवासियों के जीविकोपार्जन के उपायों में वृद्धि तथा गांवों में कुटीर उद्योग के विकास का मार्ग प्रशस्त किया जा सके।

संक्षेप में, मध्यप्रदेश में वन विभाग का दायित्व राज्य वन नीति 2005 के अनुसार निम्न शब्दों में निरूपित किया गया है :-

"प्रदेश के पारिस्थितिकीय, आर्थिक, सामाजिक एवं तकनीकी संसाधनों का उपयोग करते हुये वनों के संरक्षण, संवर्धन एवं संवहनीय उपयोग के लिये युक्तियुक्त वैधानिक एवं संस्थागत ढांचे से वनों का प्रबंधन इस प्रकार किया जायेगा कि पर्यावरणीय सुरक्षा, पारिस्थितिकीय संतुलन एवं भू-जल संरक्षण के साथ-साथ वनाश्रित समुदायों की आवश्यकताओं की पूर्ति एवं वनों की उत्पादकता में वृद्धि की जा सके ताकि वन संसाधनों के विकास के साथ - साथ इन समुदायों को रोजगार उपलब्ध कराया जाकर उनका आर्थिक एवं सामाजिक विकास हो सके।"

**विभागीय संरचना -**

प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख मुख्यालय की विभिन्न शाखाओं के कार्यों पर नियंत्रण रखते हैं तथा दिशा-निर्देश देते हैं। प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख के कार्यालय के अंतर्गत प्रधान मुख्य वन संरक्षक, अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, मुख्य वन संरक्षक, वन संरक्षक तथा उप वन संरक्षक स्तर के अधिकारी विभिन्न शाखाओं के कार्यों का संपादन करते हैं।

**मुख्यालय स्तर पर कार्यरत शाखाएं -**

|  |  |
| --- | --- |
| * समन्‍वय | * वन भू-अभिलेख |
| * प्रशासन-एक | * कार्य आयोजना |
| * प्रशासन-दो | * वन्‍यप्राणी प्रबंधन |
| * विकास | * सतर्कता एवं शिकायत |
| * संरक्षण | * प्राजेक्‍ट |
| * उत्‍पादन | * भू-प्रबंध |
| * सूचना प्रौद्योगिकी | * मानव संसाधन विकास |
| * अनुसंधान विस्‍तार एवं लोक वानिकी | * संयुक्‍त वन प्रबंध |
| * वित्‍त एवं बजट | * नीति विश्‍लेषण |
| * सामुदायिक वन प्रबंध परियोजना | * कैम्‍पा |
| * निगरानी एवं मूल्‍यांकन | * ग्रीन इंडिया मिशन |

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक मुख्यालय में विभिन्न शाखाओं से संबंधित कार्य प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख के प्रशासकीय नियंत्रण में सम्पन्न करते हैं। भारत सरकार द्वारा मध्य प्रदेश संवर्ग में प्रधान मुख्य वन संरक्षक (जैव विविधता संरक्षण एवं मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक) का पद स्वीकृत किया गया है, जिनके नियंत्रण में मध्य प्रदेश के समस्त वन्यप्राणी संरक्षण क्षेत्र आते हैं। वे वन्यप्राणी प्रबंधन एवं संरक्षण से संबंधी समस्त तकनीकी विषयों को सीधे नियंत्रित करते हैं, साथ ही प्रदेश के विभिन्न वन्यप्राणी एवं क्षेत्रीय वनमण्डलों के अंतर्गत वन्यप्राणी प्रबंधन एवं संरक्षण से संबंधित विषयों को क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक के माध्यम से नियंत्रित करते हैं। इसी प्रकार भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय (कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग) की अधिसूचना क्रमांक 16016/ 03/ 2008-।-।। (A) दिनांक 26.08.2008 से प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कार्य आयोजना एवं वन भू अभिलेख) का पद स्वीकृत है, जिनके कार्यक्षेत्र में कार्य आयोजना के साथ-साथ वन भू-अभिलेख शाखा के कार्य आते हैं।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख वानिकी से संबद्ध विषयों हेतु शासन के तकनीकी सलाहकार होते हैं। विभाग से संबंधित मुद्दों को जिसमें राज्य शासन स्तर से कार्यवाही अपेक्षित होती है, उनके द्वारा शासन के संज्ञान में लाया जाता है। इसी प्रकार अखिल भारतीय सेवा एवं अधीनस्थ वन सेवा से संबंधित समस्त तकनीकी एवं प्रशासनिक मामले भी आवश्यकतानुसार शासन के संज्ञान में लाये जाते हैं। प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख कार्य आयोजना क्रियान्वयन, अग्नि सुरक्षा एवं वन वर्धनिक कार्यों जैसे तकनीकी विषयों, लिपिकीय एवं अधीनस्थ कार्यपालिक स्थापना से संबंधित विषयों पर विभाग प्रमुख के रूप में उन्हें प्रत्यायोजित अधिकारों तथा वित्तीय अधिकारों के विषय में अपनी स्वयं की अधिकारिता में स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं।

वानिकी विषयों के संबंध में राज्य शासन के प्रधान सलाहकार की भूमिका के साथ-साथ प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख की विभागीय कार्यों के प्रभावी नियंत्रण हेतु वन क्षेत्रों के निरीक्षण की महत्वपूर्ण भूमिका है।

**अधीनस्थ क्षेत्रीय कार्यालय -**

वन क्षेत्रों का वैज्ञानिक प्रबंधन और वन संसाधन का संरक्षण व संवर्द्धन क्षेत्रीय स्तर पर गठित प्रशासनिक इकाईयों के माध्यम से किया जाता है।

**क्षेत्रीय इकाईयों का विवरण**

|  |  |
| --- | --- |
| **इकाईयों का प्रकार** | **इकाई संख्‍या** |
| व़त्‍त | 16 |
| वनमंडल | 63 |
| उप वनमंडल | 135 |
| परिक्षेत्र | 473 |
| उप वन परिक्षेत | 1871 |
| परिसर | 8286 |

परिसर रक्षक अपने प्रभार के परिसर में समस्त वन वर्द्धनिक एवं विकास कार्यों का क्रियान्वयन तथा वन एवं वन्यप्राणियों की सुरक्षा सुनिश्चित करता है। परिक्षेत्र सहायक अपने उप वनपरिक्षेत्र के प्रभार अन्तर्गत परिसरों में समस्त वन वर्द्धनिक एवं विकास कार्यों के क्रियान्वयन का नियमित तकनीकी पर्यवेक्षण तथा वन एवं वन्यप्राणियों का संरक्षण सुनिश्चित करते हैं। वन परिक्षेत्र अधिकारी अपने परिक्षेत्र में कार्य आयोजना के प्रावधानों के अनुसार समस्त क्षेत्रीय वन वर्द्धनिक कार्यों का निष्पादन, वन एवं वन्यप्राणियों का संरक्षण तथा विभागीय क्षेत्रीय विकास कार्यों का संपादन करवाते हैं और इस हेतु किये गये व्यय का लेखा संधारित करते हैं। परिक्षेत्राधिकारी काष्ठगार अधिकारी के रूप में काष्ठागारों में वनोपज की सुरक्षा व्यवस्था एवं विक्रय हेतु प्रबंधन के लिये उत्तरदायी होते हैं।

उपवनमंडलाधिकारी एक या अधिक परिक्षेत्रों से निर्मित क्षेत्रीय इकाई (उपमंडल) के प्रभारी होते है। उपवनमंडलाधिकारी की वन अपराधों के प्रशमन एवं वन अपराध में प्रयुक्त वनोपज, उपकरण, वाहन इत्यादि के राजसात में वन अधिनियमों के अन्तर्गत प्रभावी भूमिका है। उपमंडलाधिकारी (क्षेत्रीय) को उनके उपवनमंडल क्षेत्राधीन वन राजस्व की वसूली हेतु तहसीलदार की शक्ति मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता के तहत दी गई है। कार्य आयोजना अन्तर्गत कूपों का चिन्हांकन, सीमाकंन एवं उपचार मानचित्रों का सत्यापन उपवनमंडलाधिकारी द्वारा किया जाता है।

वनमंडलाधिकारी वनमंडल अन्तर्गत वनों एवं वन्यप्राणियों के संरक्षण, संवर्द्धन, प्रबंधन एवं वित्तीय नियंत्रण हेतु भारसाधक अधिकारी हैं। उनके द्वारा वनमंडल में वनवर्धनिक रूप से उत्पादित काष्ठीय एवं अकाष्ठीय वनोपज का विपणन, निस्तार आपूर्ति, संयुक्त वन प्रबंधन समितियों एवं वनग्रामों का प्रबंधन किया जाता है।

वन वृत्तों के भारसाधक अधिकारी के रूप में मुख्य वन संरक्षक वन वृत्त के अंतर्गत समस्त वनमंडलों के क्रियाकलाप, जिसमें कार्य आयोजना का क्रियान्वयन भी शामिल है, पर आवश्यकता अनुसार दिशा-निर्देश देने के दायित्व का निर्वाहन करते हैं।

प्रदेश में वनों की उत्पादकता बढाने एवं वनक्षेत्रों के बाहर सामुदायिक एवं निजी भूमि पर वनीकरण हेतु प्रदेश के 11 कृषि जलवायु प्रक्षेत्रों में एक-एक सामाजिक वानिकी वृत्त स्थापित किये गये हैं। इसके अतिरिक्त प्रदेश में कार्य आयोजना के पुनरीक्षण कार्य हेतु 3 कार्य आयोजना (आंचलिक) तथा 16 कार्य आयोजना इकाईयों की स्थापना की गई है। कार्य आयोजना के प्रावधानों के अनुसार कूपों से वनोपज के विदोहन एवं विक्रय काष्ठागारों के माध्यम से विक्रय हेतु 11 उत्पादन वनमंडलों एव विक्रय इकाई की स्थापना की गई है।

**स्‍थापना -**

प्रशासन-1 शाखा वन विभाग की अत्यन्त महत्वपूर्ण शाखा है। यह शाखा प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख के सीधे नियंत्रण में कार्य करती है। साथ ही शासन के वरिष्ठतम कार्यालय से तथा प्रदेश के विभन्न विभागों से हमेशा सम्पर्क बना रहता है।

शाखा में भारतीय वन सेवा के संवर्ग प्रबंधन, पदोन्नतियां, पदस्थितियां/ स्थानांतरण एवं विभागीय जांच, आदि से संबंधित कार्य किये जाते है।

इसी प्रकार शाखा द्वारा राज्य वन सेवा संवर्ग एवं राज्य वन संबंद्ध सेवा का प्रबंधन, स्थाईकरण, राज्य वन सेवा से भारतीय वन सेवा में पदोन्नति, पदस्थिति/ स्थानांतरण, गोपनीय प्रतिवेदनों का संधारण, न्यायालयीन प्रकरण एवं विभागीय जांच से संबंधित समस्त कार्य किये जाते है।

इसके अतिरिक्त शाखा के पेंशन कक्ष द्वारा सेवानिवृत्त अधिकारियों के पेंशन प्रकरण तैयार करना तथा प्रदेश के समस्त सेवानिवृत्त अधिकारी/ कर्मचारियों के पेंशन से संबंधित प्रकरणों के निराकरण के लिए कार्यवाही की जाती है।

**प्रशासकीय संरचना -**

**(अ) भारतीय वन सेवा**

भारत सरकार, कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) की अधिसूचना क्रमांक 16016/02/2014 ए.आई.एस.-दो (क) दिनांक 02 जुलाई, 2015 द्वारा मध्यप्रदेश संवर्ग के भारतीय वन सेवा अधिकारियों का संवर्ग पुनरीक्षण किया गया है। पुनरीक्षित संवर्ग अनुसार म.प्र. के लिए भारतीय वन सेवा अधिकारियों की प्राधिकृत संख्या 296 है। मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ 3-26/2012/10-4 दिनांक 01.08.15 से संवर्ग पुनरीक्षण अनुसार नवीन संवर्ग पदो ंके विरूद्ध दो पद राज्य शासन द्वारा प्रधान मुख्य वन संरक्षक स्तर के स्वीकृत किये गये, जिनमें से एक पद विशेष प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा) एवं एक पद प्रधान मुख्य वनं सरक्षक (अनुसंधान एवं प्रशिक्षण) स्वीकृत किया गया है।

भारतीय वन सेवा के अधिकारी प्रमुख प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख के रूप में पदस्थ रहते हैं, जो विभाग प्रमुख के रूप में कार्य करते हैं। इनका कार्य वन बल को नियंत्रित करना एवं राज्य शासन को तकनीकी विषयों में सहयोग प्रदान करना है। वन विभाग के मुख्यालय में विभिन्न शाखाओं में प्रधान मुख्य वन संरक्षक/अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक पदस्थ रहते हैं जो विभाग के तकनीकी विषयों में कार्य सम्पादित करते हैं।

क्षेत्रीय पदस्थापना में सामान्यतः मुख्य वन संरक्षक स्तर के अधिकारी वन वृत्त में पदस्थ होते हैं इनका कार्य वन मण्डल कार्यालयों (क्षेत्रीय/उत्पादन) पर नियन्त्रण एवं मार्गदर्शन का होता है।

मुख्य वन संरक्षक स्तर के अधिकारी जो अनुसंधान विस्तार वृत्तों में पदस्थ हैं, उनके द्वारा वृत्त के अन्तर्गत आने वाली वन रोपणियों आदि के संचालक एवं प्रबंधन का कार्य करते हैं।

कार्य आयोजना इकाईयों में भारतीय वन सेवा अधिकारी की वरिष्ठता क्रम में पदस्थिति की जाती है तथा वन संरक्षक स्तर के अधिकारी पदस्थ रहतें हैं जो वनमण्डलों हेतु दस वर्षीय कार्य आयोजना तैयार करते हैं।

क्षेत्रीय वनमण्डलों में पदस्थ वनमण्डलाधिकारियों द्वारा वन क्षेत्रों की सुरक्षा तथा वन क्षेत्रों में विकास कार्यों के दायित्व का निर्वहन किया जाता है।

इसके अतिरिक्त भारतीय वन सेवा के अधिकारी भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, राज्य सरकार के विभिन्न विभागों, म.प्र. राज्य लघु वनोपज संघ, म.प्र. राज्य वन विकास निगम, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, ईको पर्यटन विकास बोर्ड, म.प्र. राज्य जैव विविधता बोर्ड, राज्य वन अनुसंधान संस्थान, जबलपुर एवं बाँस मिशन आदि संस्थानो में पदस्थ रहतें हैं।

**भारतीय वन सेवा (मध्य प्रदेश संवर्ग) की पदस्थिति**

|  |  |
| --- | --- |
| **पद** | **संख्‍या** |
| प्रधान मुख्‍य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख | 01 |
| प्रधान मुख्‍य वन संरक्षक | 04 |
| अपर प्रधान मुख्‍य वन संरक्षक | 25 |
| मुख्‍य वन संरक्षक | 51 |
| वन संरक्षक | 40 |
| उप वन संरक्षक | 59 |
| कुल वरिष्‍ठ पद - | 180 |
| केन्‍द्रीय प्रतिनियुक्ति रिजर्व | 36 |
| राज्‍य प्रतिनियुक्ति रिजर्व | 45 |
| प्रशिक्षण रिजर्व | 06 |
| लीव रिजर्व तथा कनिष्‍ठ पद रिजर्व (परिवीक्षाधीन) | 29 |
| अन्‍तर्राज्‍यीय प्रतिनियुक्ति | - |
| निलंबित | - |
| **कुल प्राधिकृत संख्‍या -** | **296** |

**(ब) राज्य वन सेवा**

राज्य वन सेवा के अधिकारी उप वनमण्डलाधिकारी/ सहायक वन संरक्षक के पदों पर कार्यरत हैं। ये अधिकारी क्षेत्रीय वनमण्डलों में उप वनमण्डल स्तर पर, टाइगर रिजर्व/ राष्ट्रीय उद्यानों/ अभ्यारण्यों में सहायक संचालक एवं उत्पादन एवं अनुसंधान विस्तर वृत्तों में सहायक वन सरंक्षक के रूप में कार्य करते हैं। ये अधिकारी वनमण्डलाधिकारी को क्षेत्रीय कार्य सम्पादन में सहयोग प्रदान करते हैं तथा क्षेत्र में प्रशासकीय नियन्त्रण बनाये रखते हैं।

**राज्य वन सेवा की पदस्थिति**

|  |  |
| --- | --- |
| **संवर्ग का नाम** | **स्‍वीकृत पदों की संख्‍या** |
| 'अ' - विभाग में कार्यरत | 359 |
| 'ब' - प्रतिनियुक्ति पर | 00 |
| **योग -** | **359** |

**(स) म.प्र. राज्य वन (राजपत्रित) संबद्ध सेवा -** इन अधिकारियों द्वारा निम्नानुसार कार्य किये जाते हैंः-

(अ) **लेखाधिकारी/ प्रशासकीय अधिकारी -** ये अधिकारी विभिन्न कार्यालयों में कार्यालय के नियन्त्रण एवं वित्तीय प्रबंधन में सहयोग करते हैं।

(ब) **विधिक सलाहकार -** विधिक सलाहकार की नियुक्ति प्रतिनियुक्ति से होती है। इनकी वन विभाग में प्रतिनियुक्ति विधि विभाग द्वारा की जाती है। इनका कार्य न्यायालयीन प्रकरणों में सहयोग प्रदाय करना होता है। वर्तमान में विधिक सलाहकार का पद रिक्त है।

(स) **अनुसंधान अधिकारी -** वन विभाग में अनुसंधान अधिकारी का एक पद कान्हा टाईगर रिजर्व मण्डला हेतु स्वीकृत है। ये अधिकारी कान्हा टाइगर रिजर्व मण्डला में पदस्थ हैं तथा यह वन्यप्राणी अनुसंधान का कार्य संपादित करते हैं।

(द) **प्रचार अधिकारी एवं सहायक संचालक प्रचार -** इन अधिकारियों का कार्य वन विभाग की गतिविधियों विभिन्न माध्यमों से व्यापक प्रचार-प्रसार करना तथा मीडिया से सतत संपर्क रखना है।

(इ) **संचालक बजट/ उप संचालक बजट/ वित्त अधिकारी -** ये अधिकारी म.प्र. राज्य वित्त सेवा से वन विभाग में पदस्थ किये जाते हैं। इनका कार्य वन विभाग में बजट नियंत्रण एवं बजट संबंधी, कार्यों में विभाग को सहयोग प्रदान करना होता है।

(फ) **तकनीकी अधिकारी/ प्रोग्रामर -** ये अधिकारी म.प्र. वन विभाग की सूचना प्रौद्योगिकी शाखा में सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी कार्य में सहयोग प्रदान करते हैं।

(ज) **सहायक शल्य चिकित्सक/ पशु चिकित्सक -** ये अधिकारी म.प्र. राज्य पशु चिकित्सा विभाग से वन विभाग में प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ किये जाते हैं। इनके द्वारा राष्ट्रीय उद्यानों में वन्यप्राणियों की देख-रेख एवं चिकित्सा का कार्य संपादित किया जाता है।

**राज्य वन (राजपत्रित) संबद्ध सेवा की पदस्थिति**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **क्रमांक** | **संवर्ग का नाम** | **स्‍वीकृत पद** |
| 1. | लेखाधिकारी/ प्रशासकीय अधिकारी | 20 |
| 2. | विधिक सलाहकार (प्रतिनियुक्ति कोटा) | 01 |
| 3. | अनुसंधान अधिकारी प्रोजेक्‍ट टाईगर कान्‍हा | 01 |
| 4. | प्रचार अधिकारी | 01 |
| 5. | संचालक, बजट (प्रतिनियुक्ति कोटा) | 01 |
| 6. | संचालक, बजट/ वित्‍त अधिकारी (प्रतिनियुक्ति कोटा) | 06 |
| 7. | तकनीकी अधिकारी/ प्रोग्रामर | 01 |
| 8. | सहायक संचालक, प्रचार | 01 |
| 9. | सहायक शल्‍य चिकित्‍सक (प्रतिनियुक्ति कोटा) | 02 |
| 10. | सहायक पशु चिकित्‍सक अधिकारी (प्रतिनियुक्ति कोटा) | 10 |
|  | **योग -** | **44** |

(झ) प्रशासन एक शाखा में कर्मचारियों एवं अधिनस्थ अधिकारियों को गुणवत्ता में सुधार एवं प्रशासन में कसावट हेतु समय-समय पर आंतरिक कार्यशाला का आयोजन किया जाता है, जिसके परिणाम सुखद प्राप्त हुये हैं।

**अधीनस्थ कार्यपालिक सेवाएं -**

वन विभाग के अधीनस्थ कार्यपालिक पदों के रूप में वनरक्षक, वनपाल, उपवनक्षेत्रपाल एवं वनक्षेत्रपाल के पद स्वीकृत हैं। वन विभाग की सबसे छोटी इकाई परिसर रक्षक के पद पर वनरक्षक कार्य करते हैं। इनका प्रशासकीय नियंत्रण परिक्षेत्र सहायक करते हैं जो वनपाल/ उप वनक्षेत्रपाल स्तर के कर्मचारी हैं। परिक्षेत्र सहायक वनपरिक्षेत्राधिकारी के अधीनस्थ कार्य करते हैं, जो वनक्षेत्रपाल स्तर के अधिकारी हैं। इन सभी का मुख्य कार्य अपने क्षेत्र के अन्तर्गत समस्त वनवर्धनिक एवं विकास कार्य का क्रियान्वयन तथा वन एवं वन्यप्राणी की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

**अधीनस्थ कार्यपालिक सेवाओं की पदस्थिति**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **क्र.** | **पद** | **स्‍वीकृत** |
| 1. | वन रक्षक | 14024 |
| 2. | वनपाल | 4194 |
| 3. | उप वन क्षेत्रपाल | 1258 |
| 4. | वन क्षेत्रपाल | 1194 |
|  | **योग -** | **20670** |

**लिपिकीय सेवाएं**

| **क्र.** | **पद** | **स्‍वीकृत** |
| --- | --- | --- |
| 1. | सहायक ग्रेड-3 | 1487 |
| 2. | सहायक ग्रेड-2 | 379 |
| 3. | लेखापाल | 244 |
| 4. | सहायक ग्रेड-1 | 192 |
| 5. | लेखा अधीक्षक | 75 |
| 6. | अधीक्षक | 35 |
| 7. | वरिष्‍ठ निज सहायक | 15 |
| 8. | निज सहायक | 45 |
| 9. | शीघ्र लेखक | 80 |
| 10. | स्‍टेनो टाइपिस्‍ट | 57 |
| 11. | मानचित्रकार | 203 |
|  | **योग -** | **2812** |

**चतुर्थ श्रेणी सेवाएं**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **क्र.** | **पद** | **स्‍वीकृत** |
| 1. | सुपरवाईजर | 20 |
| 2. | दफ्तरी | 195 |
| 3. | भृत्‍य/ अर्दली/ खलासी/ फर्रास | 950 |
|  | **योग -** | **1165** |

**विविध पदों का विवरण**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **क्र.** | **पद** | **स्‍वीकृत** |
| 1. | वाहन चालक | 613 |
| 2. | मुख्‍य महावत | 14 |
| 3. | महावत | 35 |
| 4. | सहायक महावत (चतुर्थ श्रेणी) | 49 |
|  | **योग -** | **711** |

**अनुकम्‍पा नियुक्ति**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **विवरण** | **वर्ष** | | | | |
| **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **01.04.22 से 31.10.22** |
| प्रकरण संख्‍या | 138 | 132 | 143 | 440 | 153 |
| निराकृत (नियुक्ति) | 76 | 53 | 51 | 310 | 90 |
| अमान्‍य प्रकरण | 08 | 00 | 00 | 00 | 03 |
| **लंबित प्रकरण** | | | | | |
| कलेक्‍टर स्‍तर पर | 13 | 73 | 19 | 03 | 03 |
| प्रक्रियाधीन (शासन/ मुख्‍यालय/ वृत्‍त/ व.मं.अ/ आवेदक) | 41 | 06 | 73 | 127 | 57 |
| **योग -** | **54** | **79** | **92** | **130** | **60** |

दिनांक 05.08.16 से अनुकंपा नियुक्ति हेतु मुख्य वन संरक्षक/ व.मं.अ. को जिले में रिक्त पद पर नियुक्ति के अधिकार दिये गये हैं।

दैनिक वेतन भोगी

वन विभाग में दैनिक वेतन भोगी श्रमिक कार्यरत है, जिनकी संख्या प्रदेश स्तर पर 6867 है। सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप दिनांक 07 अक्टूबर 2016 के अनुपालन में दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों में से 6704 को स्थाई कर्मी किया जाकर उनका वेतनमान निर्धारण किया गया है।

**--------**

**अध्‍याय 2 (मैन्‍युअल - बी-ii)**

अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियॉं और कर्तव्‍य

(The powers and duties of its officers and employee)

---------------

वन विभाग के अधिकारियों द्वारा कर्तव्य निर्वहन मं वन वित्तीय वित्तीय कोड तथा अन्य संगत नियमों एवं अनुदेशों का पालन करते हुये कर्तव्य निवकिया जाता है। इसके अतिरिक्त विभिन्न वन अधिनियमों तथा नियमों के अंतर्गत पृथक स्तर के लिये अधिकार एवं ष्षक्तियां निर्धारित है जिनका पालन किया जाता है। वन विभाग के अंतर्गत विभिन्न कार्यकलापों के लिये समय-सीमा की गई है जिसका कर्तव्य निर्वहन के समय क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा पालन करना होता है । इस प्रकार की कुछ सामान्य परिसीमाएं निम्न तालिकाओं में दर्शित है-

**मध्य प्रदेश लोक सेवाओं के प्रदाय की गारंटी अधिनियम की धारा 3 के तहत वन विभाग की सेवाएं -**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| सेवा क्रमांक | सेवाएं | पदाभिहित अधिकारी का पदनाम | सेवा प्रदाय करने की निश्चित समय-सीमा | प्रथम अपिलीय अधिकारी का पदनाम | प्रथम अपील के निराकरण की निश्चित समय-सीमा | द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 10-1 | वन्यप्राणियों से जनहानि हेतु राहत राशि का भुगतान। | परिक्षेत्राधिकारी | 3 कार्य दिवस | वंनमंडल अधिकारी संरक्षित क्षेत्र के उप संचालक सहायक संचालक | 15 दिवस | वन संरक्षक संरक्षित क्षेत्र के संचालक |
| 10-2 | वन्यप्राणियों से जन घायल हेतु राहत राशि का भुगतान। | परिक्षेत्राधिकारी | 7 कार्य दिवस | वंनमंडल अधिकारी संरक्षित क्षेत्र के उप संचालक सहायक संचालक | 15 दिवस | वन संरक्षक संरक्षित क्षेत्र के संचालक |
| 10-3 | वन्यप्राणियों से पषुहानि हेतु राहत राशि का भुगतान | परिक्षेत्राधिकारी | 30 कार्य दिवस | वंनमंडल अधिकारी संरक्षित क्षेत्र के उप संचालक सहायक संचालक | 30 दिवस | वन संरक्षक संरक्षित क्षेत्र के संचालक |
| 10-4 | **मालिक मकबूजा प्रकरण में भुगतान**  ‍1. डिपो में काष्‍ठ प्राप्‍त होने के उपरांत भुगतान के प्रकरण | वन मण्‍डलाधिकारी | 45 कार्य दिवस | वन संरक्षक | 30 दिवस | अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन) |
| 2. पृथक लॉट के विकल्‍प की दशा में विक्रय मूल्‍य की पूर्ण वसूली के प्रकरण | वन मण्‍डलाधिकारी | 30 कार्य दिवस | वन संरक्षक | 30 दिवस | अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन) |
| 10-5 | काष्‍ठ के परिवहन का अनुज्ञा पत्र प्रदान करना। | 1. शासकीय काष्ठागार हेतु-काष्ठगार अधिकारी/ परिक्षेत्रधिकारी | 3 कार्य दिवस | उप मण्‍डलाधिकारी | 15 कार्य दिवस | वन मण्‍डलाधिकारी |
|  |  | काष्ठा के पंजीकृत व्यापरी/विनिर्माता हेतु-परिक्षेत्रधिकारी | 10 कार्य दिवस | उप मण्‍डलाधिकारी | 15 कार्य दिवस | वन मण्‍डलाधिकारी |
|  |  | भूमि स्वामी से प्राप्त काठ हेतु - उप वन मंण्डलाघिकारी | 30 कार्य दिवस | वन मण्‍डलाधिकारी | 15 कार्य दिवस | वन संरक्षक |

**विभिन्‍न गतिविधियों के लिये निर्धारित समय-सीमा -**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| क्र. | कार्य विवरण | प्रभारी अधिकारी का स्‍तर | समय-सीमा | समय-सीमा में नहीं निपटाये जाने पर किसे शिकायत की जाय | शिकायत के निराकरण की समय-सीमा |
| सामान्‍य कार्य | | | | | |
|  | मजदूरी का भुगतान | वन क्षेत्रपाल | कोषालय से देयक पारित होने के एक सप्ताह में | वन मण्‍डलाधिकारी | 15 दिवस |
|  | परिवहन ठेकों की स्‍वीकृति | वन मण्‍डलाधिकारी | औपचारिकतायें पूर्ण करने के 15 दिन के भीतर | वन संरक्षक | 15 दिवस |
|  | परिवहन बिलों का भुगतान | वन मण्‍डलाधिकारी | एक माह में | वन संरक्षक | 15 दिवस |
|  | विक्रित वनोपज का स्‍वीकृति आदेश | वन मण्‍डलाधिकारी | राशि जमा करने के 15 दिवस | वन संरक्षक | 15 दिवस |
|  | असफल बोलीदार की सत्‍यंकर की राशि वापसी | सत्‍यंकर अधिकारी | नीलामी के 7 दिवस में | वन मण्‍डलाधिकारी | 15 दिवस |
|  | कार्योपरांत जमानत राशि की वापसी | वन मण्‍डलाधिकारी | अनुबंध अवधि से एक माह में | वन संरक्षक | 15 दिवस |
|  | खुली दरों पर परिवहन आवेदन का निराकरण | वन मण्‍डलाधिकारी | 15 दिवस | वन संरक्षक | 15 दिवस |
|  | वाहन मरम्‍मत का भुगतान | आहरण एवं संवितरण अधिकारी | 15 दिवस | वन संरक्षक | 15 दिवस |
|  | वाणिज्यक अनुसूची दर वनोपज तथा निस्तार दरों का निर्धारण | वन संरक्षक | मार्च के दर के आधार पर मई के अन्त तक दरे निर्धारित की जायेगी | मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन) सतपुड़ा भवन, भोपाल | 15 दिवस |
|  | क्रय की गई भण्डार सामग्री का भौतिक सत्यापन | क्रय करने वाले अधिकारी | 15 दिवस | वन संरक्षक | 15 दिवस |
|  | क्रय की गई भण्डार सामग्री का भुगतान | आहरण एवं संवितरण अधिकारी | भौतिक सत्‍यापन के 7 दिवस में | वन संरक्षक | 15 दिवस |
|  | विभिन्न वनोपज के परिवहन जारी अनुज्ञा पत्र जारी करना | सक्षम अधिकारी | एक दिवस | वन संरक्षक | 15 दिवस |
|  | राजस्‍व वापसी | भुगतानकर्ता अधिकारी | 15 दिवस में आदेश तथा 15 दिवस में भुगतान | वन संरक्षक | 15 दिवस |
|  | लघु वनोपज हेतु संग्रहण राशि का भुगतान | वन क्षेत्रपाल | एक सप्ताह में संग्रिहत में मात्र हेतु आगामी सप्ताह के अन्त | वन मण्‍डलाधिकारी | 15 दिवस |

**कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति/ मृत्यु होने पर देय स्वत्वों का निराकरण -**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | अवकाश नगदीकरण की स्‍वीकृति | कार्यालय प्रमुख | एक माह/ प्रमुख अध्यक्ष/ 15 दिवस |
|  | उपादान एवं पेंशन | कार्यालय प्रमुख | एक माह/ प्रमुख अध्यक्ष/ 15 दिवस |
|  | परिवार कल्‍याण निधि का भुगतान | कार्यालय प्रमुख | तीन माह/ प्रमुख अध्यक्ष/ 15 दिवस |
|  | सामान्‍य भविष्‍य निधि का भुगतान | कार्यालय प्रमुख | तीन माह/ प्रमुख अध्यक्ष/ 15 दिवस |
|  | परिवार अनुग्रह राशि एक्‍सग्रेसिया | कार्यालय प्रमुख | तीन माह/ प्रमुख अध्यक्ष/ 15 दिवस |
|  | अन्‍य भुगतान | कार्यालय प्रमुख | एक माह/ प्रमुख अध्यक्ष/ 15 दिवस |

-------------

**अध्‍याय 2 (मैन्‍युअल - बी-iii)**

विनिश्‍चय करने की प्रक्रिया में पालन की जाने वाली प्रक्रिया जिसमें पर्यवेक्षण और उत्‍तरदायित्‍व

के माध्‍यम सम्मिलित है।

(The procedure followed in the decisin making process, including channels

of supervision and accountability)

------------

वन विभाग के अंतर्गत विभिन्न कार्यकलापों के लिये प्रकिया निर्धारित है। सामन्य जन से संबंधित विभिन्न प्रचलित प्रावधानों का संक्षेप में विवरण निम्नानुसार है :-

**जंगली जानवरों द्वारा जनहानि अथवा पशुहानि -**

जंगली जानवरों द्वारा जनहानि की घटना होने पर निम्न व्यवस्था परिचलित हैः-

(क) पशुहानि के प्रकरणों में घटना के 48 घंटे के अंदर नजदीकी परिक्षेत्र कार्यालय में आवेदन प्रेषित किया जाना अनिर्वाय है। क्षतिपूर्ति का भुगतान राजस्व पुस्तक परिपत्र के प्रवाधान के अनुसार किया जाता है।

(ख) जनहानि के प्रकरणों में निकटतम पुलिस थाने में सूचना दर्ज करना अनिवार्य होता है।

राशि रूपये 1000 रूपये एक हजार मात्र तत्काल अग्रिम प्रदाय की व्यवस्था हैं तथा ऐसे प्रकरणों में क्षतिपूर्ति की राशि रूपये 150000 (एक लाख पचास हजार रूपये मात्र) स्वीकृति की जाती है।

(ग) जन घायल चिकित्सा अधिकारी के प्रमाण पत्र के साथ आवेदन परिक्षेत्र कार्यालय में प्रस्तुत किये जाने पर राशि रूपये 500 रूपये पांच सौ मात्र अग्रिम प्रदाय की जा सकती है एवं इलाज पर व्यय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर एक माह की अवधि में क्षतिपूर्ति भुगतान अधिकतम राशि रूपये 30000 (तीस हजार रूपये मात्र) तक के भुगतान का प्रावधन हैं।

(घ) स्थाई रूप से अपंग होने पर राशि रूपये 100000 (एक लाख रूपये मात्र) एवं इलाज पर हुआ वास्‍तवित व्यय स्वीकृति करने का प्रावधान हैं।

**आरा मशीनों का पंजीयन -**

* आरा मशीनों के पंजीकरण के संबंध में वैधानिक प्रावधान मध्यप्रदेश काष्ठ चिरान विनियमन अधिनियम, 1984 की धारा 4,6 तथा मध्यप्रदेश काष्ठ चिरान विनियमनक्र नियम, 1984 की धारा 34 में निहित हैं ।
* भारत के सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के प्रकाश में वर्तमान में किन्हीं भी नयी आरा मशीनों का पंजीकरण किये जाने पर रोक है ।

वर्तमान में वर्ष 1996 की स्थिति में चल रहीं आरा मशीनों के ही स्वामित्व परिवर्तन की अवस्था में अन्तरण की अनुमति दी जाती है । यह अनुमति निम्न शर्तों के अधीन रहती है :-

1. आरा मशीन के स्थानान्तरण एवं नामांतरण की अनुमति उस अनुज्ञप्ति अधिकारी र्विनमण्डलाधिकारीक्रव्दारा जारी की जावेगी जिसके क्षेत्र में आरा मशीन स्थित हो।
2. यदि आरा मशीन का स्थानान्तरण किसी अन्य वन मण्डल के लिये आवेदित हो तो अनुमति जारी करने से पूर्व उस वन मण्डलाधिकारी की सहमति अनिवार्य होगी जिनके क्षेत्र में आरा मशीन स्थापित किया जाना प्रस्तावित हो।
3. यह अनुमति निम्न शर्तो के अधीन दी जावेगी :
   * 1. विभिन्न प्रकार की मशीनों (बैंड सॉ, पीलिगं मशीन, स्लाइसर मशीन आदि) की संख्या मे वृध्दि / परिवर्तन की अनुमति नहीं दी जावेगी।
     2. प्रतिबंधित क्षेत्र में आरा मशीन स्थापित करने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
     3. आरा मशीन की क्षमता में वृध्दि की अनुमति नहीं दी जावेगी।
     4. अनुज्ञप्ति के दो फाड़ (Splitting) की अनुमति नहीं दी जावेगी।
     5. नामांतरण के प्रकरणों में भावी मालिक को आरा मशीन चालू करने से पूर्व वन विभाग अनुज्ञप्ति प्राप्त करना होगी।
     6. ऐसे व्यक्तियों के पक्ष में स्थानान्तरण नहीं किया जावेगा जिनके विरुध्द पूर्व में वन अपराध पंजीबध्द किये गये हों, या अन्य किसी कारण से उन्हें अयोग्य माना गया हो।
     7. ऐसी आरा मशीनों के स्थानान्तरण / नामान्तरण / नवीनीकरण के आवेदन पर विचार नहीं किया जावेगा जो मा. सर्वोच्च न्यायालय के 12-12-96 के आदेश के परिपालन में न्यायालय में प्रस्तुत सूची में शामिल नहीं हैं।

**वन अपराध प्रकरण (पी.ओ.आर.) एवं उनका संधारण -**

वन अपराध घटित होने की अवस्था में अपराधी के विरुध्द वन विभाग के व्दारा अपराध का संज्ञान लेने के लिये जो प्रतिवेदन सर्व प्रथम तैयार किया जाता है उसे पी ओ आर Preliminary Offence Report प्रिारंभिक अपराध प्रतिवेदनक्र कहते हैं। यह प्रतिवेदन अपराध प्रकरण का संज्ञान लेने वाले अधिकारी जो कि प्रायः वन रक्षक वनपाल व वन क्षेत्रपाल स्तर के होते हैं के व्दारा तैयार किया जाता है। इसमें वन अपराधी का नाम, किये गये अपराध का संक्षेप में विवरण, अपराधी से जप्तशुदा वनोपज, वाहन, औजार इत्यादि का विवरण दिया जाता है। इसके साथ मौका पंचनामा जप्तीनामा और अपराधी के व्दारा प्रकरण में चाहे जाने की अवस्था में वन विभाग कोदिये गये राजीनामा की प्रतियाँ भी संलग्न की जाती हैं।

वन वन अपराध का संज्ञान लेने के उपरान्त संज्ञान लेने वाले अधिकारी से वरिष्ठ स्तर के अधिकारी द्वारा प्रकरण की सूक्ष्म जांच की जाती है और अपराध सिध्दपाये जाने पर न्यायालय में दिया जाता है या फिर अपराधी की इच्छा पर व्दारा ही रायल्टी कम्पन्सेशन तथा वाहन इत्यादि मूल्य लेकर प्रकरण किया जाता है । कम्पाउन्ड करने की प्रक्रिया पूरी तरह अपराधी की इच्छा पर निर्भर रहती है और इसके लिये अपराधी के व्दारा वर्णित तीनों राशियों का भुगतान किया जाना अनिवार्य रहता है । न्यायालयीन प्रकरण में मान० न्यायालय व्दारा पारित आदेश ही विधिवत प्रक्रिया अनुसार मान्य होता है।

* अपराध को न्यायालय अथवा विभाग व्दारा कम्पाउन्ड किये जाने पर ही प्रकरण समाप्त हुआ मान्य किया जाता है।
* पी.ओ.आर. प्रकरण में राजीनामा मान्य किये जाने के लिये अविर्निदिष्ट वनोपज के लिये उप वनमण्डलाधिकारी स्तर के अथवा विधि प्रक्रिया की परीक्षा उत्तीर्ण वन परिक्षेत्रधिकारी एवं विर्निदिष्ट वनोपज के लिये संबंधित वन मण्डलाधिकारी अधिकृत रहते हैं।
* जॉच के समय अभिलेख प्रायः क्षेत्र के परिक्षेत्र सहायक के पास अथवा वन क्षेत्रधिकारी के कार्यालय में उपलब्ध रहते हैं। जॉच उपरान्त प्रकरण के अनुसंधान एवं आगे की कार्यवाही हेतु यह समस्त अभिलेख उप वनमण्डलाधिकारी अथवा वन मण्डलाधिकारी के कार्यालय में उपलब्ध रहते हैं।

**परिवहन अनुज्ञा पत्र -**

वनोपज के परिवहन के लिए सामान्यतः परिवहन अनुज्ञा पत्र की आवश्यकता रहती है। इसके संबंध में विस्तृत प्रावधान मध्य प्रदेश भारतीय अधिनियम 1927, मध्य प्रदेश विनिर्दिष्ट वनोपज व्यिापार विनियमन अधिनियम 1969, मध्य प्रदेश तेन्दूपत्ता अधिनियम 1964 और उनके अधीन बनाये गये विनियमन में किया गया है । म.प्र. अभिवहन वनोपज नियम 2000 की धारा 4 में संशोधन 16 मई 2005, 21 दिसम्बर 2006, 11 अप्रैल 2007 के अनुसार :

1. शासकीय वनोपज के पास वन विभाग के अधिकारियों व्दारा दिये जावेगें ।
2. निम्न प्रजातियों के लिये पास की आवश्यकता नहीं होगी।
3. नीलगिरी
4. खमेर
5. केजूरिना
6. सुबबूल
7. पॉपलर
8. इज़राइली बबूल
9. बबूल
10. विलायती बबूल । आयातित / शंकुधारी काष्ठ जो म.प्र. में नहीं पायी जाती है चीड़, केल, देवदार, एवं पाइन।
11. कुल्लू गोंद तथा लाख को छोड़कर हर्रा तथा अन्य समस्त प्रकार की गोंद, अविनिर्दिष्ठ लघु वनोपज परिवहन पास से मुक्त रहेंगे।
12. कटंग बांस से भिन्न बांस के पास खण्डवा, बैतूल, होशंगाबाद, हरदा, छिन्दवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, जबलपुर, कटनी, मण्डला, डिंडोरी, शहडोल, उमरिया, सीधी जिले में वनाधिकारी व्दारा जारी किये जावेंगे, शेष जिलों में ग्राम पंचायत पास जारी करेगी।
13. ग्राम पंचायत जिले के अन्दर परिवहन पास जारी करेगी। जिले के बाहर वनाधिकारी द्वारा पास जारी किये जावेगें।
14. लोक वानिकी के प्राप्त वनोपज के पास भी उपरोक्तानुसार जारी हो।
15. पास अभिलेख सहित आवेदन देने के 30 दिन में जारी किया जावेगा।

**धारा 5 के अनुसार - अभिवहन पास जारी करने के लिये फीस नियत की गई है, जो निम्‍नानुसार है :-**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **क्रमांक** | **वनोपज** | **शुल्‍क रूपये** | | |
| **प्रति ट्रक** | **प्रति ट्रेक्‍टर** | **प्रति बैलगाड़ी** |
| 1 | इमारती काष्‍ठ/ साल बीज | 100 | 50 | 10 |
| 2 | जलाऊ लकड़ी | 50 | 25 | 05 |
| 3 | अन्‍य लघु वनोपज | 25 | 10 | 02 |

**परिवहन अनुज्ञा पत्र प्रदाय -** परिवहन अनुज्ञा पत्र प्रदाय की व्‍यवस्‍था निम्‍नानुसार है -

1. आवेदन का प्रस्‍तुतीकरण।
2. वनोपज का सत्‍यापन वन मंडलाधिकारी या अधीनस्‍थ के द्वारा।
3. परिवहन अनुज्ञा पत्र का प्रदाय।

--------------

**अध्‍याय 2 (मैन्‍युअल बी-iv)**अपने कृत्‍यों के निर्वहन के लिये स्‍वयं द्वारा स्‍थापित मापमान

(The norms set by it for the discharge of its functions)

**--------------**

विभाग की प्राथमिकताएं वनों का वैज्ञानिक दृष्टि से प्रबंधन करना है ताकि जैव विविधता को बनाये रखते हुए वनों का संरक्षण व संवर्धन किया जा सके, नमी व भूमि का संरक्षण हो सके, स्थानीय जनता को उनकी आवश्यकता के वन उत्पाद यथासंभव प्राप्त हो सकें तथा वन आधारित उद्योगों को संवहनीय रूप से कच्चे माल की पूर्ति की जा सके एवं पंचायती राज संस्थाओं को सशक्त किया जा सके। उपरोक्त दायित्वों की पूर्ति हेतु विभाग की निम्न प्राथमिकताएं निर्धारित की गई है :-

1. वनों की सुरक्षा ।
2. वनों का विकास तथा बिगड़े वनों का सुधार करते हुए उत्पादकता बढ़ाना ।
3. जैव विविधता संरक्षण ।
4. वनेत्तर भूमि पर वृक्षारोपण को बढ़ावा देना ।
5. बिगड़ें वनों के सुधार हेतु पूंजी निवेश को बढ़ावा देना ।
6. वैज्ञानिक विधि से वनों का समयबद्ध विदोहन कर वनोपज को समय से बाजार में उपलब्ध कराने की व्यवस्था करना ।
7. समय पर निस्तार प्रदाय की व्यवस्था करना ।
8. भूमि स्वामी क्षेत्र पर उपलब्ध वनोपज के विदोहन एवं निवर्तन हेतु लाभकारी प्रणाली स्थापित करना।
9. वनोपज के निवर्तन से राजस्व अर्जन करना ।
10. उपरोक्त समस्त दायित्यों को पूर्ण करने हेतु वनों की सुरक्षा एवं प्रबंधन में जन भागीदारी सुनिश्चित करना।
11. सूचना प्रौद्योगिकी को लागू करना ।

वन अधिकारी संगत अधिनियमों, नियमों, अनुदेशों तथा मेनुअल के अनुसार कर्तव्यों का निर्वहन करते है। इन अधिनियमों, नियमों आदि के संबंध में इस सूचना पुस्तिका में अन्यत्र वर्णन किया गया है। विभाग के अंतर्गत दूर-दराज के क्षेत्र में विभागीय कार्य स्थानीय उपलब्ध मजदूरों द्वारा सम्पन्न कराये जाते है। मजदूरी के भुगतान में राज्य शासन श्रम विभाग द्वारा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित दरों के अनुसार पालन किया जाता है तथा स्थानीय आवश्यकतानुसार संबंधित क्षेत्रीय वन संरक्षक विभिन्न विभागीय कार्यो के लिये दरों का निर्धारण करते है। इन दरों की सूची संबंधित क्षेत्रीय वन संरक्षक एवं उनके अधीनस्थ कार्यरत वन मण्डलाधिकारी के कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।

--------------

**अध्‍याय 2 (मैन्‍युअल बी-v)**अपने द्वारा या अपने नियंत्रणाधीन धारित या अपने कर्मचारियों द्वारा अपने कृत्‍यों के निर्वहन के लिये प्रयोग किए गए नियम, विनियम

(The rules, regulations, instructions, manuals and records, held by it or under its control or used by its employees for discharging its functions)

**-------------------**

कृत्‍यों का निवार्हन निम्‍न‍लिखित नियमों, अभिनियमों एवं अनुदेशों और अभिलेखों के आधार पर किया जाता है :-

**अधिनियम -**

**1.** भारतीय वन अधिनियम, 19272. भारतीय वन म.प्र. संशोधन अधिनियम, 19653. भारतीय वन म.प्र. संशोधन अधिनियम, 19834. भारतीय वन म.प्र. संशोधन अधिनियम, 1989

5. म.प्र. वन उपज व्‍यापार विनियमन अधिनियम, 19696. म.प्र. वन उपज व्‍यापार विनियमन संशोधन अधिनियम, 19727. म.प्र. वन उपज व्‍यापार विनियमन संशोधन अधिनियम, 19838. म.प्र. वन उपज व्‍यापार विनियमन संशोधन अधिनियम, 19869. म.प्र. वन उपज व्‍यापार विनियमन संशोधन अधिनियम, 1990, 200610. म.प्र. वन भूमि शाश्‍वत पट्टा प्रति संहरण अधिनियम, 197311. म.प्र. कराधान अधिनियम, 198212. म.प्र. कराधान संशोधन अधिनियम, 198413. म.प्र. काष्‍ठ चिरान विनियमन अधिनियम, 198414. म.प्र. काष्‍ठ चिरान विनियमन संशोधन अधिनियम, 199615. म.प्र. वनउपज करारों का पुनरीक्षण संशोधन अधिनियम, 199616. वन संरक्षण अधिनियम, 198017. वन्‍य प्राणी संरक्षण अधिनियम, 197218. म.प्र. वृक्षों का परिरक्षण नागरीय क्षेत्र अधिनियम, 200119. म.प्र. लोक वानिकी अधिनियम, 200120. म.प्र. तेन्‍दूपत्‍ता अधिनियम, 196421. म.प्र. तेन्‍दूपत्‍ता अधिनियम, 1989

22. म.प्र. प्रदेश वनोपज व्‍यापार विनियमन अधिनियम, 196923. म.प्र. प्रदेश वनोपज व्‍यापार विनियमन अधिनियम, 198324. म.प्र. प्रदेश वनोपज व्‍यापार विनियमन अधिनियम, 198625. म.प्र. प्रदेश वनोपज व्‍यापार विनियमन अधिनियम, 199026. म.प्र. लोक सेवाओं के प्रदाय की गारंटी अधिनियम, 2010

**नियम -**

1. म.प्र. अभिवहन वनोपज नियम, 1961
2. म.प्र. अभिवहन वनोपज नियम, 1961 में म.प्र. शासन वन विभाग की अधिसूचना क्रमांक/ फ-30-40-95 एक्‍स-32 दिनांक 19.10.95 द्वारा किया गया संशोधन
3. म.प्र. वनोपज व्‍यापार विनियमन नियम, 1969
4. म.प्र. शासन वन विभाग की अधिसूचना मांक 18-1-96-दस-3 दिनांक 22 मार्च 1997 द्वारा म.प्र. वनोपज व्‍यापार विनिमयन नियम, 1969 में संशोधन
5. म.प्र. वन उपज व्‍यापार विनियमन परामर्शदात्री मंत्रणा समिति तथा मूल्‍य प्रकाशन नियम, 1969
6. म.प्र. वनोपज व्‍यापार विनिमयन काष्‍ठ नियम, 1973
7. म.प्र. काष्‍ठ चिरान विनियमन नियम, 1984
8. म्.प्र. काष्‍ठ चिरान विनियमन नियम, 2000
9. म.प्र. वन विकास उपकर नियम, 1982
10. म.प्र. संरक्षित वन नियम 1960, म.प्र. संरक्षित वन नियम, 2005
11. म.प्र. चराई नियम, 1986
12. म.प्र. शासन वन विभाग की अधिसूचना क्रमांक 3944-दस-3-88 दिनांक 03 सितम्‍बर 1988 द्वारा म.प्र.चराई नियम 1986
13. म.प्र. शासन वन विभाग की अधिसूचना क्रमांक 3944-दस-3-89 दिनांक 11 अगस्‍त 1989 द्वारा म.प्र.चराई नियम 1986 में संशोधन
14. म.प्र. शासन वन विभाग की अधिसूचना क्रमांक 18-3-90-दस-तीन दिनांक 09 जनवरी 1991 द्वारा म.प्र.चराई नियम 1986 में संशोधन
15. क्रमांक एफ 7-4-2001-दस-3, दिनांक 21 मई 2002 क्रमांक एफ 7-4-2001-दस-3, दिनांक 21 अगस्‍त 2009 संशोधन
16. द्वारा म.प्र. अभिवहन वनोपज नियम, 2000 में संशोधन
17. म.प्र. वन ग्राम नियम, 1977
18. म.प्र. वन ग्राम नियम, 1977 में म.प्र. शासन वन विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5/127/76/3/दस दिनांक 04.01.1980 द्वारा संशोधन
19. म.प्र. वन ग्राम नियम, 1977 में म.प्र. शासन वन विभाग की अधिसूचना क्रमांक 3081/3026/90/10-3 दिनांक 04.01.1980 द्वारा संशोधन ।
20. म.प्र. वन ग्राम नियम, 1977 में म.प्र. शासन वन विभाग की अधिसूचना क्रमांक 2008-दस-3-99 दिनांक 31.07.99 द्वारा संशोधन
21. म.प्र. वन्‍य प्राणी संव्‍यवहार तथा चमड़ा साफ करने की कला संशोधन नियम, 1973
22. म.प्र. वन्‍य प्राणी संरक्षण नियम, 1974
23. म.प्र. फारेस्‍ट फार्म आफ अपील नियम, 1988
24. म.प्र. वन भूमि शाश्‍वत पट्टा प्रति संहरण नियम, 1974
25. म.प्र. इमारती लकड़ी बिना स्‍वामी की र्बिहती हुई, अटकी हुई, डूबी हुई, किनारे लगी, बिना दावा की नियम, 1986
26. म.प्र. में अंगीकृत वन संविदा नियम, 1927 जो म.प्र. शासन की अधिसूचना क्रमांक 2388-दस-59 दिनांक 27.03.59 द्वारा बनाये गये ।
27. वन वित्‍तीय नियम एफ.एफ.आर.
28. कोषालय संहिता
29. भण्‍डार य नियम
30. म.प्र. वन सुरक्षा पुरूस्‍कार नियम, 2004
31. तेन्‍दू पत्‍ता व्‍यापार विनियमन नियमावली, 1966
32. तेन्‍दू पत्‍ता व्‍यापार विनियमन नियमावली, 2000
33. म.प्र. वनोपज व्‍यापार विनियमन नियम, 1969
34. म.प्र. वन उपज जैव विविधता का संरक्षण और पोष्‍णीय कटाई नियम, 2005
35. म.प्र. शासन वन विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 15/9/10-3/2001, दिनांक 28 मई, 2001 द्वारा म.प्र. अभिवहन वनोपज नियम, 2000 में संशोधित
36. क्रमांक एफ 30-7-99-दस-3 दिनांक 6 सितम्‍बर 2001 द्वारा म.प्र. अभिवहन वनोपज निय,म 2000 में संशोधन
37. क्रमांक एफ 28-1-2003-दस-3 दिनांक 24 जून 2003 द्वारा म.प्र. अभिवहन वनोपज नियम, 2000 में संशोधन
38. दिनांक 16 मई 2005 द्वारा म.प्र. अभिवहन वनोपज नियम, 2000 में संशोधन क्रमांक एफ 30-8-2002-दस-3, दिनांक 21 दिसम्‍बर 2006 द्वारा वनोपज नियम, 2000 में संशोधन 11 अप्रैल 2007 द्वारा संशोधन
39. क्रमांक एफ-30-7-99-दस-3, दिनांक 25 अप्रैल 2008 द्वारा म.प्र. अभिवहन वनोपज नियम, 2000 में संशोधन
40. म.प्र. काष्‍ठ चिरान विनियमन अधिनियम, 2004 में दिनांक 19 नवम्‍बर 1984 द्वारा संशोधन
41. क्रमांक 2289-दस-3-87, दिनांक 22 जून 1987 द्वारा काष्‍ठ चिरान विनियमन नियम, 1984 में संशोधन
42. क्रमांक एफ-18-2-86-दस-3, दिनांक 23 जून 1987 द्वारा काष्‍ठ चिरान विनियमन अधिनियम, 1984 में संशोधन
43. क्रमांक एफ-30-56-93-दस-3, दिनांक 23 फरवरी 1994 द्वारा काष्‍ठ चिरान विनियमन अधिनियम, 1984 में संशोधनक्रमांक एफ-30-24-91-दस-3, दिनांक 29 मार्च 1993 द्वारा काष्‍ठ चिरान विनियमन अधिनियम, 1984 में संशोधन
44. क्रमांक 30-8-2000-दस-3, दिनांक 22 सितम्‍बर 2005 द्वारा काष्‍ठ चिरान विनियमन नियम, 1984 में संशोधन
45. दिनांक 05 फरवरी 2009 द्वारा काष्‍ठ चिरान विनियमन नियम, 1984 में संशोधन
46. दिनांक 30 जून 2009 द्वारा काष्‍ठ चिरान विनियमन नियम, 1984 में संशोधन
47. क्रमांक एफ-30-4-2002, दिनांक 22 जुलाई 2009 द्वारा काष्‍ठ चिरान विनियमन अधिनिय,म 1984 में संशोधन
48. क्रमांक 2073-130-इक्‍कीस दिनांक 27 मार्च 2010 द्वारा भारतीय वन अधिनियम, 1927 को और हस्‍तांतरित कर भारतीय वन म.प्र. संशोधन अधिनियम, 2009 जारी किया।
49. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

------------

**अध्‍याय 2 (मैन्‍युअल बी-vi)**ऐसे दस्‍तावेजों के, जो उसके द्वारा धारित या उसके नियंत्रणाधीन है, प्रवर्गों का विवरण

(A statement of the categories of documents that are held by it or under its control)

-------------

मध्‍यप्रदेश वन विभाग द्वारा समय-समय पर वन सांख्‍यकी तथा वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन का प्रकाशन किया जाता है। ये अभिलेख विभाग के वेबसाईट पर उपलब्‍ध कराये जा रहे है।**राज्‍य वन नीति 2005 -**

वर्ष 2005 में नई राज्‍य वन नीति जारी की गई है, जिसके मुख्‍य अंश निम्‍नानुसार है :-

यह वन नीति राष्‍ट्रीय वन नीति 1988 के प्रावधानों के अनुरूप बनाई गई हैा इस न‍ीति में वनों, वन्‍य प्राणियों, पर्यावरण, जैवा विविधता एवं जल स्‍त्रोंतों के संरक्षण के साथ-साथ वन वासियों की आजीविका के महत्‍व दिया गया है। बढ़ती जनसंख्‍या के परिप्रेक्ष्‍य में वन उपज की आवश्‍यकता वन क्षेत्रों के बाहर उत्‍पाद बढ़ाकर किये जाने पर जोर दिया गया है। किसानों द्वारा अपनी निजी भूमि पर उगाए गए वृक्षों के विदोहन की प्रतिया सरल की जायेगी तथा ईको टूरिज्‍म को बढ।वा दिया जायेगा । संयुक्‍त वन प्रबंधन के माध्‍यम से स्‍थानीय समुदायों को सक्रिय भागीदारी दी जायेगी।

**मध्‍यप्रदेश लोक वानिकी अधिनियम 2001 -**

राज्‍य में मध्‍यप्रदेश लोक वायिनकी अधिनियम 12 अप्रैल, 2001 से लागू किया गया है, जिसमें राज्‍य के निजी और राजस्‍व व़ृक्ष आच्‍छादित क्षेत्रों के प्रबंधन हेतु लोकवानिकी योजना प्रारंभ की गयी है। प्रदेश में अधिक से अधिक क़षकों को लोकवानिकी का लाभ पहुचाने के लिये और योजना के क्रियान्‍वयन में प्रगति लाने के लिये सदन में म.प्र. लोकवानिकी संशोधन विधेयक, 2005 पारित किया गया है। इस संशोधन के तहत चार्टर्ड फारेस्‍टरों के उपबंधों का लोप किया गया है। अब कृषक, ग्रामसभा एवं पंचायत द्वारा स्‍वयं अथवा किसी व्‍यक्ति द्वारा लोकवानिकी प्रबंध योजना तैयार करवा सकता है।

**मध्‍यप्रदेश के वनमंडलों के प्रचलित कार्य आयोजनाओं एवं वर्किंग स्‍कीम की विभाग के पास उपलब्‍ध प्रतियों की जानकारी**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **अ.क्र.** | **वनमंडल का नाम** | **वर्किंग स्कीम** | | | **कार्य आयोजना** | | |
| **अवधि** | **लेखक** | **उपलब्‍ध प्रतियों का विवरण** | **अवधि** | **लेखक** | **उपलब्‍ध प्रतियों का विवरण** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | उत्‍तर बालाघाट | 1957-58 से 1966-67 | श्री आर.पी.श्रीवास्‍तव | समस्‍त | 1949-50 से 1964-65 | श्री एस.एस.बूट | समस्‍त प्रतियाँ |
| 1967-68 से 1976-77 | श्री एच.एल.अरोरा | समस्‍त | 1966-67 से 1981-82 | श्री एस.पी.मिश्रा | समस्‍त प्रतियाँ |
| 1968-69 से 1977-78 | श्री एस.डी.द्वेदी | समस्‍त | 1985-86 से 2000-01 | श्री आर.एन.मिश्रा | समस्‍त प्रतियाँ |
|  |  |  | 2003-04 से 2012-13 | श्री सी.एच.मुरलीकृष्‍ण | समस्‍त प्रतियाँ |
| 2 | दक्षिण बालाघाट | 1957-58 से 1966-67 | श्री आर.पी.श्रीवास्‍तव | समस्‍त | 1949-50 से 1964-65 | श्री एस.एस.बूट | समस्‍त प्रतियाँ |
| 1968-69 से 1977-78 | श्री एस.डी.द्वेदी | समस्‍त | 1972-73 से 1986-87 | श्री जे.के.चतुर्वैदी | समस्‍त प्रतियाँ |
|  |  |  | 1966-67 से 1981-82 | श्री एच.पी.मिश्रा | समस्‍त प्रतियाँ |
|  |  |  | 1994-95 से 2003-04 | श्री टी;आर;शर्मा | समस्‍त प्रतियाँ |
|  |  |  | 2008-09 से 2017-18 | डॉ.धर्मेन्‍द्र वर्मा | समस्‍त प्रतियाँ |
| 3 | दक्षिण बैतूल | 1961 से  1992-93 | श्री एस;एम;सक्‍सेना | भाग 3 | 2006-07 से 2015-16 | श्री ए.के.पाटिल | समस्‍त प्रतियाँ |
| 1969 से  1992-93 | श्री आर;पी;वर्मा | भाग 2 | 1993-94 से 2002-03 | श्री आर.पी.सिंह | भाग 3 |
|  |  |  | 1973-74 से 1988-89 | श्री आर.एस.मिश्रा | भाग 2 |
|  |  |  | 1970-93 | श्री वाई.के.साहू | भाग 2 |
| 4 | पश्चिम बैतूल | 1969-70 से 1978-79 | श्री आर.पी.वर्मा | भाग 2 | 1992-93 से 2001-02 | श्री रवि श्रीवास्‍तव | समस्‍त प्रतियाँ |
|  |  |  |  | 1995-96 से 2004-05 | श्री वाय.सत्‍यम | समस्‍त प्रतियाँ |
|  |  |  |  | 2006-07 से 2015-16 | श्री ए.एस.डबास | समस्‍त प्रतियाँ |
|  |  |  |  | 2002-03 से 2011-12 | श्री बी.के.मिश्रा | समस्‍त प्रतियाँ |
| 5 | उत्‍तर एवं पश्चिम बैतूल का गवसेन परिक्षेत्र |  |  |  | 2002-03 से 2016-17 | श्री बी.के.मिश्रा | समस्‍त प्रतियाँ |
| उत्‍तर एवं पश्चिम |  |  |  | 1970-71से 1984-85 | श्री वाय;के;साहू | समस्‍त प्रतियाँ |
| उत्‍तर एवं पश्चिम बैतूल का गवसेन परिक्षेत्र |  |  |  | 1992-93से 2001-02 | श्री रवि श्रीवास्‍तव | समस्‍त प्रतियाँ |
|  |  |  |  | 2012-13 से 2021-22 | श्री आर.डी.महला | समस्‍त प्रतियाँ |
| बैतूल | 1969-70 से 1978-79 | श्री आर.पी.वर्मा | समस्‍त | 1952-53 से 1966-67 | श्री एन.के.वर्मा | भाग 2 |
| 6 | भोपाल | 1962-63 से 1971-72 | श्री एस;आर;रावत | समस्‍त | 1999-2000 से 2008-09 | डॉ. रामप्रकाश | समस्‍त प्रतियाँ |
| 1973-74 से 1998-99 | श्री आर;एन;दुबे | समस्‍त | 1964-65 से 1978-79 | श्री एस.बी.गुप्‍ता | समस्‍त प्रतियाँ |
| पूर्व भोपाल | 1968-69 से 1977-78 | श्री सेनापति जोशी | भाग 2 | 2009-10 से 2018- 19 | श्री पी;के;सिंह | समस्‍त प्रतियाँ |
| 7 | विदिशा | 1960-61 से 1969-70 | श्री वी.बी.सहारिया | समस्‍त | 1997-98 से 2006-07 | श्री मनोज सपरा | समस्‍त प्रतियाँ |
|  |  |  | 2008-09 से 2017-18 | श्री एस.डी.पटेरिया | समस्‍त प्रतियाँ |
|  |  |  | 1997-78 से 1991-92 | श्री एम.एस.तोमर | समस्‍त प्रतियाँ |
| 8 | रायसेन |  |  |  | 2003-04 से 2017-18 | श्री बी.पी.गुप्‍ता | समस्‍त प्रतियाँ |
|  |  |  | 1983-84 से 1997-98 | श्री आर;के;वर्मा | समस्‍त प्रतियाँ |
|  |  |  | 2013-14 से 2022-23 | श्री भागवत सिंह | समस्‍त प्रतियाँ |
| 9 | सीहोर | 1962-63 से 1981-782 | श्री एस.आर.रावत | समस्‍त | 2006-07 से 2015-16 | श्रीमती हेमवती वर्मन | समस्‍त प्रतियाँ |
|  | 1964-65 से 1978-79 | श्री एस;बी;गुप्‍ता | समस्‍त प्रतियाँ |
|  | 1984-85 से 1993-94 | श्री एस;एन;सिंह | समस्‍त प्रतियॉं |
| 10 | औबेदुल्‍लागंज | 1969-78 | श्री सेनापति जोशी | समस्‍त | 2006-07 से 2015-16 | श्रीमती हेमवती वर्मन | समस्‍त प्रतियॉं |
| 2001-10 | श्री जे;जी ठाकुर  प्रि0यो0क्र0 | समस्‍त | 1983-84 से 1997-98 | श्री आर;के;वर्मा | समस्‍त प्रतियॉं |
| 2008-09 से 2017-18 | श्री निरंकार सिंह, श्री आर;के;दीक्षित  प्रि0यो0क्र0 | समस्‍त | 1984-85 से 1998-99 | श्री एस;पी;शर्मा | समस्‍त प्रतियॉं |
| 11 | राजगढ् | 1974 से 2005 | श्री आर;एन;दुबे | समस्‍त | 2010-19 | श्री व्‍ही.एस.होतगी  अनुमोदन अप्राप्‍त | समस्‍त प्रतियॉ |
| 12 | छतरपुर  छतरपुर, विजवर एवं लौंडी परिक्षेत्र क्र. | 1966-67 से 1975-76 | श्री आर.पी.वर्मा | भाग 2 |  |  |  |
|  |  |  | 2005-06 | श्री बी.एन.द्वेदी | समस्‍त प्रतियॉं |
|  |  |  | 2008-09 से 2017-18 | श्री अतुल कुमार श्रीवास्‍तव | समस्‍त प्रतियॉं |
|  |  |  | 1975-76 से 1989-90 | श्री बी.के.तिवारी | भाग 1 |
| 13 | टीकमगढ् |  |  |  | 1977-98 से 1991-92 | श्री एस;के;भाटिया | भाग 1 |
|  |  |  | 2003-04 से 2017-18 | श्री अजय शंकर | समस्‍त प्रतियॉं |
| 14 | दक्षिण पन्‍ना परि. मोहन्‍द्रा, शाहननग | 1967-68 से 1976-77 | श्री एस;आर;राव | समस्‍त | 1978-79 से 1992-93 | श्री एन.एस.भील | समस्‍त प्रतियॉं |
|  |  |  | 2002-03 से 2016-17 | श्री एस.एन.नाचने | समस्‍त प्रतियॉं |
| 15 | उत्‍तर पन्‍ना |  |  |  | 2005-06 से 2019-20 | श्री महेन्‍द्र यादुवेन्‍दु | समस्‍त प्रतियॉ |
|  |  |  | 1978-79 से 1992-93 | श्री एन.एस.भील | समस्‍त प्रतियॉ |
| 16 | पश्चिम छिन्‍दवाडा | 1972-73 | श्री एस्.एन.पाण्‍डे | भाग 2 | 1939-55 | श्री एच;एस;सोधी | समस्‍त प्रतियॉ |
|  |  |  | 1956-57 से 1970-71 | श्रीआर.एस.  ‍ि‍संघल | समस्‍त प्रतियॉ |
|  |  |  | 1977-78 से 1991-92 | श्री पी.एस.दवे | समस्‍त प्रतियॉ |
|  |  |  | 2006-07 से 2015-16 | श्री आर;के;गुप्‍ता | समस्‍त प्रतियॉं |
|  |  |  | 1995-96 से 2004-05 | श्री अनूप भल्‍ला | समस्‍त प्रतियॉं |
| 17 | पूर्व छिंदवाडा |  |  |  | 1939-55 | श्री एच.एस.सोधी | समस्‍त प्रतियॉं |
|  |  |  | 1956-57 से 1970-71 | श्री आर.एम.सिंघल | समस्‍त प्रतियांॅ |
|  |  |  | 1977-78 से 1991-92 | श्री पी.एस.दवे | समस्‍त प्रतियाँ |
|  |  |  | 1997-98 से 2007-08 | श्री सतीश त्‍यागी | समस्‍त प्रतियॉ |
|  |  |  | 2008-09 से 2017-18 | श्री सतीश सिलावट | समस्‍त प्रतियॉ |
| 18 | दक्षिण छिंदवाड़ा |  |  | - | 1939-55 | श्री एच;एस;सोधी | भाग 2 |
|  |  | - | 1956-57 से 1976-77 | श्री आर.एम.सिंघल | समस्‍त प्रतियॉ |
|  |  | - | 1977-78 से 1991-92 | श्री पी.एस.दवे | समस्‍त प्रतियॉ |
|  |  |  | 2000-01 से 2009-10 | श्री ओ.पी.खरे | समस्‍त प्रतियॉं |
|  |  |  | 2011-12 से 2020-21 | श्री शश्ेर सिंह | समस्‍त प्रतियॉं |
| 19 | ग्‍वालियर |  |  |  | 1975-76 से 1989-90 | श्री एस.आर.रावत | भाग 1 |
|  |  |  | 2005-06 से 2014-15 | श्री ए.बी.गुप्‍ता | समस्‍त प्रतियॉ |
|  |  |  | 1944-45 से 1954-55 | श्री ओ.पी.भार्गव | समस्‍त प्रतियॉ |
| 20 | दतिया |  |  |  | 1975-76 से 1989-90 | श्री एस.आर.रावत | समस्‍त प्रतियॉं |
|  |  |  | 2005-06 से 2014-15 | श्री ए.बी.गुप्‍ता | समस्‍त प्रतियां |
| 21 | भिण्‍ड |  |  |  | 1975-76 से 1989-90 | श्री एस.आर.रावत | समस्‍त प्रतियां |
|  |  |  | 2005-06 से 2014-15 | श्री ए.बी.गुप्‍ता | समस्‍त प्रतियॉ |
| 22 | मुरैना | 1973-74 से 1988-89 | श्री एस.बी.खेमरिया | समस्‍त | 1971-72 से 1985-86 | श्री के;के;आर;नायूड | समस्‍त प्रतियॉ |
|  |  |  | 2003-04 से 2012-13 | श्री एस.के.सिंह | समस्‍त प्रतियॉ |
|  |  |  | 2013-14 से 2022-23 | श्री विश्राम सारग शर्मा | समस्‍त प्रतियॉ |
| 23 | श्‍योपुर कलां | 1973-74 से 1988-89 | श्री एस.के.खेमरिया | समस्‍त | 1971-72 से 1985-86 | श्री के;के;आर;नायूड | समस्‍त प्रतियॉ |
|  |  |  | 1998-99 से 2007-08 | श्री प्रदीप पंत | समस्‍त प्रतियॉ |
|  |  |  | 2003-04 से 2012-13 | श्री एस.के.सिंह | समस्‍त प्रतियॉ |
|  |  |  | 2010-11 से 2022-23 | श्री पी.के.सिंह | समस्‍त प्रतियॉ |
| 24 | होंशगाबाद | 1962-63 | श्री तिवारी | समस्‍त | 2003-04 से 2013-14 | श्री गिरधर राव | समस्‍त प्रतियॉ |
| 1973 | श्री चौधरी | समस्‍त | 1948-63 | श्री एच्.डी.कुलकर्णी | भाग । |
|  |  |  | 1965-80 | श्री एल.आर. जंगले | समस्‍त प्रतियॉं |
|  |  |  | 1987-88 से 2001-02 | श्री ए.ए.अंसारी | समस्‍त प्रतियॉ |
|  |  |  | 2013-14 से 2022-23 | श्री एच.यू.खान | समस्‍त प्रतियॉ |
| 25 | हरदा | 1956-57 से 1965-66 | श्री व्‍ही.वी.साहू | समस्‍त | 1984-85 से 1995-96 | श्री आर.के.शुक्‍ला | समस्‍त प्रतियॉ |
|  |  | - | 2000-01 से 2009-10 | श्री ए.के.जैन | समस्‍त प्रतियॉ |
|  |  | - | 1967-68 से 1981-82 | श्री एस.एन.खरे | समस्‍त प्रतियॉ |
|  |  | - | 2000-01 से 2009-10 | श्री अभ्‍य कुमार जैन | समस्‍त प्रतियॉ |
|  |  | - | 1984-85 से 1993-94 | श्री आर.के. शुक्‍ला | समस्‍त प्रतियॉ |
|  |  |  | 1986-95 | श्री पी.बी. गंगोपाध्‍याय  अभ्‍यारण्‍यक | समस्‍त प्रतियॉ |
|  |  |  | 2011-11 से 2020-21 | श्री आर.आर.  ओशंडियार | समस्‍त प्रतियॉ |
| 26 | इंदौर |  |  |  | 1959-60 से 1973-74 | श्री पी.जी. देशमुख | समस्‍त प्रतियॉ |
|  |  |  | 1978-79 से 1992-93 | श्री व्‍ही.पी.शुक्‍ला | समस्‍त प्रतियॉ |
|  |  |  | 2005-06 से 2014-15 | श्री ए.के.श्रीवास्‍तव | समस्‍त प्रतियॉ |
| 27 | झाबुआ | 1963-64 से 1972-73 | श्री एस.एस.परिहार | समस्‍त | 1965-66 से 1980-81 | श्री के.के.वेकटरमन | समस्‍त जीर्ण्‍ अवस्‍था में |
|  |  |  | 1998-99 से 2007-08 | श्री आर.के.गुप्‍ता | समस्‍त जीर्ण्‍ अवस्‍था में |
|  |  |  | 2008-09 से 2017-18 | श्री राजेश कुमार | समस्‍त प्रतियॉ |
| 28 | धार | 1969-70 से 1978-79 | श्री सी.एल.सोनी | समस्‍त | 1989-90 से 2003-04 | श्री ए.ए.बौआज | समस्‍त प्रतियॉ |
|  |  |  | 1965-66 से 1980-81 | श्री व्‍ही.जी.वेकंटरमन | समस्‍त जीर्ण अवस्‍था में |
|  |  |  | 2005-06 से 2014-15 | श्री एस.एस.राजपूत | समस्‍त प्रतियॉ |
| 29 | जबलपुर |  |  | - | 1985-86 से 1994-95 | श्री बी.एन.प्रसाद | समस्‍त प्रतियॉ |
|  |  | - | 1968-69 से 1982-83 | श्री आर.जी.मेहता | समस्‍त प्रतियॉ |
|  |  | - | 1952-68 | श्री एफ.ए.लहरी | समस्‍त प्रतियॉ |
|  |  | - | 2005-15 | श्री आर.बी.सिन्‍हा | समस्‍त प्रतियॉ |
| 30 | कटनी |  |  | - | 1985-86 से 1994-95 | श्री बी.एन.प्रसाद | समस्‍त प्रतियॉ |
|  |  |  | 2005-15 | श्री आर.बी.सिन्‍हा | समस्‍त प्रतियॉ |
| 31 | पूर्व मंडला | 1968-69 से 1978-79 | श्री जे.पी.गुप्‍ता | समस्‍त | 1999-2000 से 2008-09 | श्री एम.के;सिन्‍हा | समस्‍त प्रतियॉ |
|  |  |  | 1948-49 से 1963-64 | श्री जे.सी.मेहता | समस्‍त प्रतियॉ |
|  |  |  | 1970-71 से 1990-91 | श्री एम.एस.सोलंकी | समस्‍त प्रतियॉ |
|  |  |  | 1964-79 | श्री बी.नाथ | समस्‍त प्रतियॉ |
|  |  |  | 1993-94 से 2002-03 | श्री के.एस.रेडडी | समस्‍त प्रतियॉ |
|  |  |  | 2006-16 | श्री अजीत के श्रीवास्‍तव | समस्‍त प्रतियॉ |
| 32 | प0 मण्‍डला | 1965-66 से 1974-75 | श्री एम.जे.ओक | समस्‍त | 1952-62 | श्री एफ.ए.लहरी | समस्‍त प्रतियॉ |
|  |  | 1969-70 से 1978-79 | श्री जे.पी.गुप्‍ता | समस्‍त | 1970-93 | श्री एम.एस. सोलंकी | समस्‍त प्रतियॉ |
|  |  |  |  |  | 1993-03 | श्री के.एस.रेडडी | समस्‍त प्रतियॉ |
|  |  |  |  |  | 2006-16 | श्री ए.के.श्रीवास्‍तव | समस्‍त प्रतियॉ |
| 33 | डिंडोरी |  |  | - | 1993-03 | श्री के.एस.रेडडी  पार्ट -1 | समस्‍त प्रतियॉ |
|  |  |  | 2003-04 से 2017-18 | श्री शरद तिवारी | समस्‍त प्रतियॉ |
|  |  |  | 1964-79 | श्री बी.नाथ | समस्‍त प्रतियॉ |
|  |  |  | 1982-83 से 1996-97 | श्री एच.व्‍ही. वाजपेयी | समस्‍त प्रतियॉ |
|  |  |  | 2013-14 से 2022-2023 | श्री मनोज अग्रवाल | समस्‍त प्रतियॉ |

------------------**अध्‍याय 2 (मैन्‍युअल - बी-vii)**

किसी व्‍यवस्‍था की विशिष्टियॉं, जो उसकी नीति की संरचना या उसके कार्यान्‍वयन के संबंध में जनता के सदस्‍यों से परामर्श के लिये या उनके द्वारा अभ्‍यावेदन के लिये विद्यमान है।

(The Perticulars of any arrangement that exists for consultation with, or representation by the members of the public in relation to the formulation of its policy or

implemetation there of)

------------

विभाग में नीति निर्धारण तथा कार्यान्वयन में विभिन्न स्तरों पर जनता की भागीदारी सुनिश्चित की जाती है तथा विभिन्न स्तरों पर जनप्रतिनिधियों से भी परामर्श का विकल्प लिया जाता हैं, जिससे की नीति निर्धारण जनता की अपेक्षा के अनुरूप रखा जा सके।

विभाग के अंतर्गत वन सीमा से पांच किलोमीटर के दायरे तक सीमित ग्रामों में रियायती दर पर बांस, बल्ली इत्यादि की आपूर्ति की व्यवस्था निस्तार के अंतर्गत की गई है। इसके अतिरिक्त ग्राम वन समितियों तथा वन सुरक्षा समितियों के माध्यम से संयुक्त वन प्रबंधन के अंतर्गत कार्य मों कायान्वयन जनता की भागीदारी के माध्यम से सम्पन्न किया जाता है।

लोकवानिकी प्रबंध योजना के अंतर्गत तहसील स्तरीय मूल्यांकन समिति

विभाग में लोकवानिकी प्रबंध योजना के अंतर्गत परिक्षेत्र स्तरीय मूल्यांकन समिति का गठन किया जाता है। इस व्यवस्था में प्रत्येक विकासखंड या उसके किसी ब्लॉक के प्रबंधन योजना केयान्वयन को क्षेत्रीय परिक्षेत्र अधिकारी की अध्यक्षता में सक्षम प्राधिकारी द्वारा गठित समिति द्वारा मानीटर किया जाता है । जिसमें एक गैर सरकारी व्यक्ति या संगठन, राजस्व विभाग और यथा स्थिति किसी ग्राम पंचायत या ग्राम सभा से प्रत्येक का एक प्रतिनिधि समाविष्ठ किया जाता है। समिति सक्षम प्राधिकारी को अपनी टीका-टिप्पणी तथा सिफारिशों की रिर्पोट देती है।

------------

**अध्‍याय 2 (मैन्‍युअल - बी-viii)**

ऐसे बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्‍य निकायों के, जिनमें दो या अधिक व्‍यक्ति हैं, जिनका उसके भागरूप में या इस बारे में सलाह देने के प्रयोजन के लिये गठन किया गया है और इस बारे में कि क्‍या उन बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्‍य निकायों की बैठकें जनता के लिए खुली होंगी या ऐसी बैठकों के कार्यवृत्‍त तक जनता की पहुंच होगी, विवरण

(a statement of the boards, councils, committees and other bodies consisting of two or more persons constituted as its part or for the purpose of its advice and as to whether meetings of those boards, councils, committees and other bodies are open to the public, or the minutes of such meetings are accessible for public)

-----------

प्रदेश में वानिकी से संबंधित निम्नलिखित संगठन एवं बोर्ड कार्यरत है :

1. मध्यप्रदेश राज्य वन विकास निगम

2. मध्यप्रदेश राज्य लघु वनोपज व्‍यापार एवं विकास सहकारी संघ

3. राज्य वन अनुसंधान संस्थान, जबलपुर

4. म.प्र. ईको पर्यटन विकास बोर्ड

5. म.प्र. राज्य बांस मिशन बोर्ड

6 म.प्र. राज्य जैव विविधता बोर्ड

------------

**अध्‍याय 2 (मैन्‍युअल - बी- ix)**

अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की निर्देशिका

(a directory of its officers and employees)

---------------

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **क्र** | **पदनाम** | **दुरभाष** |
|  | प्रधान मुख्‍य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख | 2674200 |
|  | प्रधान मुख्‍य वन संरक्षक (वन्‍यप्राणी) | 2674206 |
|  | प्रधान मुख्‍य वन संरक्षक (कार्य आयोजना) | 2674230 |
|  | प्रधान मुख्‍य वन संरक्षक (संरक्षण) | 2674212 |
|  | प्रधान मुख्‍य वन संरक्षक (मानव संसाधन विकास) | 2674232 |
|  | प्रधान मुख्‍य वन संरक्षक (अनुसंधान विस्‍तार एवं लोक वानिकी) | 2674222 |
|  | प्रधान मुख्‍य वन संरक्षक (प्रशासन-एक) | 2674214 |
|  | अपर प्रधान मुख्‍य वन संरक्षक (उत्‍पादन) | 2674354 |
|  | अपर प्रधान मुख्‍य वन संरक्षक (वित्‍त बजट) | 2674228 |
|  | अपर प्रधान मुख्‍य वन संरक्षक (कार्य आयोजना) | 2674232 |
|  | अपर प्रधान मुख्‍य वन संरक्षक स्‍थापना प्रबंधन (वन्‍यप्राणी) | 2674226 |
|  | अपर प्रधान मुख्‍य वन संरक्षक (प्रशासन दो) | 2674238 |
|  | अपर प्रधान मुख्‍य वन संरक्षक (विकास) | 2674216 |
|  | अपर प्रधान मुख्‍य वन संरक्षक (वन भू अभिलेख) | 2573906 |
|  | अपर प्रधान मुख्‍य वन संरक्षक (भू प्रबंध) | 2674234 |
|  | अपर मुख्‍य वन संरक्षक (संयुक्‍त वन प्रबंध) | 2763390 |
|  | अपर प्रधान मुख्‍य वन संरक्षक (संयुक्‍त वन प्रबंध) | 2674224 |
|  | अपर मुख्‍य वन संरक्षक (सतर्कता शिकायत) | 2575888 |
|  | अपर प्रधान मुख्‍य वन संरक्षक (समन्‍वय) | 2674240 |
|  | वन संरक्षक (वन्‍यप्राणी) | 2674218 |
|  | मुख्‍य वन संरक्षक (भू प्रबंध) | 2573906 |
|  | मुख्‍य वन संरक्षक (प्रशासन-दो) | 2674340 |
|  | मुख्‍य वन संरक्षक (उत्‍पादन) | 2762168 |
|  | मुख्‍य वन संरक्षक (मानव संसाधन विकास) | 2572028 |
|  | मुख्‍य वन संरक्षक (प्रशासन-एक) | 2674268 |
|  | मुख्‍य वन संरक्षक (विकास) | 2575888 |
|  | मुख्‍य वन संरक्षक (वित्‍त बजट) | 2674286 |
|  | मुख्‍य वन संरक्षक (सामुदायिक वन प्रबंधन) | 2552401 |
|  | मुख्‍य वन संरक्षक (सूचना प्रोघैागिकी) | 2674327 |
|  | मुख्‍य वन संरक्षक (भू प्रबंध) | 2524133 |
|  | उप वन संरक्षक समन्‍वय | 2674288 |
|  | उप वन संरक्षक (भू-अभिलेख) | 2524345 |
|  | आहरण एवं संवितरण अधिकारी, उप वन संरक्षक रोकड (समन्‍वय) | 2524155 |
|  | आहरण एवं संवितरण अधिकारी, उपवन संरक्षक रोकड (विकास) | 2524180 |
|  | आहरण एवं संवितरण अधिकारी, उपवन संरक्षक रोकड (उत्‍पादन) | 2524127 |
|  | आहरण एवं संवितरण अधिकारी, उपवन संरक्षक रोकड़  (अनुसंधान विस्‍तार एवं लोक वानिकी) | 2524384 |
|  | आहरण एवं संवितरण अधिकारी, उपवन संरक्षक रोकड़  (सामुदायिक वन प्रबंध परियोजना) | 2524366,  2674343 |
|  | आहरण एवं संवितरण अधिकारी,  उप वन संरक्षक रोकड़ (वन्‍यप्राणी) | 2674318 |
|  | सहायक वन संरक्षक (प्रशासन एक) | 2524115 |
|  | सहायक वन संरक्षक (प्रशासन दो) | 2524137 |
|  | सहायक वन संरक्षक (संरक्षण) | 2524205 |
|  | सहायक वन संरक्षक (भू प्रबंध) | 2524275 |
|  | सहायक वन संरक्षक (मानव संसाधन विकास) | 2524384 |
|  | सहायक वन संरक्षक (सूचना प्रौघोगिकी) | 2524307 |
|  | सहायक वन संरक्षक (सतर्कता शिकायत) | 2674264 |
|  | सहायक वन संरक्षक (कार्य आयेाजना) | 2674207 |
|  | मुख्‍य वन संरक्षक, बालाघाट | 07632-241201 |
|  | संलग्‍न अधिकारी वृत्‍त कार्यालय, बालाघाट | 07632-241201 |
|  | वन मण्‍डल अधिकारी, उत्‍तर बालाघाट | 07632-247044 |
|  | उप वन मण्‍डलाधिकारी, बैहर | 07636-2563502 |
|  | उप वन मण्‍डलाधिकारी उकवा | 07632-247044 |
|  | वन मण्‍डल अधिकारी, उत्‍तर बालाघाट (सामान्‍य) | 07632-248414 |
|  | उप वन मण्‍डलाधिकारी , दक्षिण बालाघाट सामान्‍य | 07632-248414 |
|  | वन मण्‍डल अधिकारी, लांजी | 07632-255102 |
|  | वन मण्‍डलाधिकारी , उत्‍तर उत्‍पादन | 07632-241518 |
|  | उप वन मण्‍डल अधिकारी, उत्‍तर उत्‍पादन बालाघाट | 07632-241518 |
|  | उप वन मण्‍डलाधिकारी , उत्‍पादन बैहर | 07632-241518 |
|  | वन मण्‍डल अधिकारी, दक्षिण उत्‍पादन बालाघाट | 07632-241516 |
|  | उप वन मण्‍डल अधिकारी, दक्षिण उत्‍पादन बालाघाट | 07632-241516 |
|  | उप वन मण्‍डल अधिकारी, दक्षिण बालाघाट उत्‍पादन लांजी | 07632-241516 |
|  | प्राचार्य, वन क्षेत्रपाल महाविघालय, बालाघाट | 07632-247988 |
|  | अनुदेशक, वन क्षेत्रपाल महाविघालय, बालाघाट | 07632-247988 |
|  | सहायक अनुदेशक, वन क्षेत्रपाल महाविघालय,बालाघाट | 07632-247988 |
|  | सहायक अनुदेशक, वन क्षेत्रपाल महाविघालय बालाघाट | 07632-247988 |
|  | मुख्‍य वन संरक्षक, बैतूल | 07141-234396 |
|  | संलग्‍न अधिकारी वृत्‍त कार्यालय बैतूल | 07141-234396 |
|  | वन मण्‍डलाधिकारी, उत्‍तर बैतूल, सामान्‍य | 07141-234204 |
|  | उप वन मण्‍डलाधिकारी, उत्‍तर बैतूल सामान्‍य | 07141-234204 |
|  | उप वन मण्‍डलाधिकारी, शाहपुर सामान्‍य |  |
|  | उप वन मण्‍डलाधिकारी, सारनी सामान्‍य |  |
|  | वन मण्‍डलाधिकारी, दक्षिण बैतूल सामान्‍य | 07141-234266 |
|  | उप वन मण्‍डलाधिकारी आमला, सामान्‍य | 07147-234266 |
|  | उप वन मण्‍डलाधिकारी, मुलताई सामान्‍य |  |
|  | उप वन मण्‍डलाधिकारी, भेंसदेही सामान्‍य |  |
|  | वन मण्‍डलाधिकारी पश्चिम बैतूल सामान्‍य | 07141-234708 |
|  | उप वन मण्‍डलाधिकारी, चिचोली सामान्य | 07145-234708 |
|  | उप वन मण्‍डलाधिकारी, तावडी सामान्‍य | 07142-234708 |
|  | उप वन मण्‍डलाधिकारी, बैतूल उत्‍पादन | 07141-234408 |
|  | उप वन मण्‍डलाधिकारी उत्‍पादन बैतूल | 07141-234408 |
|  | उप वन मण्‍डलाधिकारी, भौरा उत्‍पादन |  |
|  | उप वन मण्‍डलाधिकारी तावडी उत्‍पादन |  |
|  | उप वन मण्‍डलाधिकारी ताप्‍ती उत्‍पादन |  |
|  | संचालक, वन विद्यालय बैतूल | 07141-234386 |
|  | सहायक वन संरक्षक वन विद्यालय बैतूल | 07141-234386 |
|  | मुख्‍य वन संरक्षक अनुसंधान एवं विस्‍तार बैतूल | 07141-230475 |
|  | सहायक वन संरक्षक अनुसंधान एवं विस्‍तार बैतूल | 07141-230475 |
|  | सहायक वन संरक्षक अनुसंधान एवं विस्‍तार बैतूल | 07141-230475 |
|  | मुख्‍य वन संरक्षक भोपाल | 0755-2674296 |
|  | संलग्‍न अधिकारी वृत्‍त कार्यालय भोपाल | 0755-2674296 |
|  | वन मण्‍डल अधिकारी भोपाल वृत्‍त भोपाल | 0755-2674322 |
|  | उप वन मण्‍डल अधिकारी भोपाल वृत्‍त भोपाल | 0755-2674322 |
|  | उप वन मण्‍डल अधिकारी समन्‍वय भोपाल | 0755-2674322 |
|  | वन मण्‍डल अधिकारी सी‍होर | 07562-222767 |
|  | उप वन मण्‍डल अधिकारी सीहोर | 07562-22267 |
|  | उप वन मण्‍डल अधिकारी बुधनी | 07564-280803 |
|  | उप वन मण्‍डल अधिकारी सीहोर उत्‍पादन | 07562-222767 |
|  | उप वन मण्‍डल अधिकारी बुधनी उत्‍पादन | 07564-28-0803 |
|  | वन मण्डल अधिकारी, विदिशा | 07595-232967 |
|  | उप वनमण्डलाधिकारी सामान्य विदिशा | 07592-232967 |
|  | उप वन मण्‍डलाधिकारी सिंरोज सामान्‍य | 07591-252880 |
|  | उप वन मण्डल अधिकारी गंज बसोदा सामान्‍य |  |
|  | वन मण्डल अधिकारी (सामान्य), रायसेन | 07482-222027 |
|  | उप वन मण्डल अधिकारी, रायसेन | 074821-222027 |
|  | उपवन मण्डल अधिकारी, सिलवानी | 07484-240539 |
|  | वन मण्डल अधिकारी उत्पादन रायसेन | 07482-222110 |
|  | उप वन मण्डल अधिकारी उत्पादन रायसेन | 07482-222110 |
|  | उपवन मण्डल अधिकारी उत्पादन रायसेन | 07482-222110 |
|  | वन मण्डल अधिकारी ओबेदुल्लागंज | 07480-224062 |
|  | उप वन मण्डल अधिकारी ओबेदुल्लागंज | 07480-224062 |
|  | उप वनमण्डलाधिकारी, सुल्तानपुर, ओबेदुल्लागंज | 07480-243362 |
|  | अधीक्षक रातापानी अभ्यारण्य | 07480-224478 |
|  | अधीक्षक वाडी सिंघोरी अभ्यारण्य | 07486-263465 |
|  | वन मण्डल अधिकारी, राजगढ़ | 07372-255007 |
|  | उप वन मण्डल अधिकारी, राजगढ़ |  |
|  | मुख्य वन संरक्षक अनुसंधान एंव विस्तार भोपाल | 0755-2674316 |
|  | सहायक वन संरक्षक विस्तार भोपाल अनुसंधान एंव विस्‍तार भोपाल | 0755-2674316 |
|  | सहायक वन संरक्षक विस्तार भोपाल अनुसंधान एंव विस्‍तार भोपाल | 0755-2674316 |
|  | संचालक वन विहार राष्ट्रीय उद्यान भोपाल | 0755-2674278 |
|  | सहायक वन संरक्षक वन विहार | 0755-2674278 |
|  | अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक कार्य आयोजना (क्षेत्रीय) भोपाल | 0755-2421450 |
|  | वन संरक्षक कार्य आयोजना भोपाल | 0755-2674300 |
|  | मुख्य वन संरक्षक, छतरपुर | 07682-242107 |
|  | संलग्न अधिकारी वृत्त कार्यालय, छतरपुर | 07682-42107 |
|  | वन मण्डल अधिकारी, छतरपुर | 07682-245316 |
|  | उप वन मण्डल अधिकारी, छतरपुर |  |
|  | उप वन मण्डल अधिकारी, बिजावर |  |
|  | उप वन मण्डल अधिकारी वक्सवाहा |  |
|  | वन मण्डल अधिकारी उत्तर पन्ना | 07732-252029 |
|  | उप वन मण्डल अधिकारी उत्तर पन्ना |  |
|  | उप वन मण्डल अधिकारी विश्रामगंज |  |
|  | वन मण्डल अधिकारी दक्षिण पन्ना | 07732-250216 |
|  | उप वन मण्डल अधिकारी, कलदा |  |
|  | उप वन मण्डल अधिकारी, पवई |  |
|  | वन मण्डल अधिकारी, टीकमगढ़ | 07683-245315 |
|  | उप वन मण्डल अधिकारी, टीकमगढ |  |
|  | उप वन मण्डल अधिकारी, निवारी, टीकमगढ |  |
|  | क्षेत्र संचालक, राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना | 07732-252135 |
|  | उप संचालक, राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना | 07732-252135 |
|  | सहायक संचालक, राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना | 07732-252135 |
|  | सहायक संचालक, राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना | 07732-252135 |
|  | अधीक्षक केन घडियाल अभ्‍यारण खजुराहो |  |
|  | मुख्‍य वन संरक्षक, छिंदवाडा | 07162-245470 |
|  | संलग्‍न अधिकारी वृत्‍त कार्यालय छिंदवाडा | 07162-245470 |
|  | वन मण्‍डल अधिकारी, पूर्व सामान्‍य छिंदवाडा | 07162-243457 |
|  | उप वन मण्‍डल अधिकारी, सामान्‍य छिंदवाडा | 07162-243457 |
|  | उप वन मण्‍डल अधिकारी, अमरवारा सामान्‍य छिंदवाडा | 07167-222545 |
|  | वन मण्‍डल अधिकारी, पश्चिम सामान्‍य छिंदवाडा | 07162-243458 |
|  | उप वन मण्‍डल अधिकारी, परासिया | 07162-243458 |
|  | उप वन मण्‍डल अधिकारी, तामिया | 07149-272221 |
|  | वन मण्‍डल अधिकारी, दक्षिण सामान्‍य छिंदवाडा | 07162-243459 |
|  | उप वन मण्‍डल अधिकारी, सिलेवानी | 07162-243459 |
|  | उप वन मण्‍डल अधिकारी, सौंसर | 07165-220102 |
|  | वन मण्‍डल अधिकारी, पश्चिम उत्‍पादन छिंदवाडा | 7162-243460 |
|  | उप वन मण्‍डल अधिकारी, पश्‍चिम उत्‍पादन छिंदवाडा | 07162-243460 |
|  | उप वन मण्‍डल अधिकारी, उत्‍पादन अमरवाडा | 07167-223508 |
|  | उप वन मण्‍डल अधिकारी, उत्‍पादन तामिया |  |
|  | उप वन मण्‍डल अधिकारी, उत्‍पादन सौंसर |  |
|  | मुख्‍य वन संरक्षक कार्य आयोजना, छिंदवाडा | 07162-243562 |
|  | मुख्‍य वन संरक्षक ग्‍वालियर | 0751-2340050 |
|  | संलग्‍न अधिकारी, वृत्‍त कार्यालय ग्‍वालियर | 0751-2340050 |
|  | वन मण्‍डल अधिकारी, ग्‍वालियर | 0751-2341166 |
|  | उप वन मण्‍डल अधिकारी, ग्‍वालियर | 0751-2341166 |
|  | उप वन मण्‍डल अधिकारी, घाटीगांव |  |
|  | अधीक्षक, सोनचिडिया अभ्‍यारण, ग्‍वालियर | 0751-2341166 |
|  | वन मण्‍डल अधिकारी दतिया | 07522-237467 |
|  | उप वन मण्‍डल अधिकारी, दतिया |  |
|  | वन मण्‍डल अधिकारी, भिण्‍ड | 07534-233948 |
|  | उप वन मण्‍डल अधिकारी, भिण्‍ड | 7534-233948 |
|  | वन मण्‍डल अधिकारी, मुरैना | 07532-234742 |
|  | उप न मण्‍डल अधिकारी, मुरैना | 7532-234742 |
|  | उप वन मण्‍डल अधिकारी, सबलगढ | 7536-253660 |
|  | अधीक्षक, राष्‍टीय चंबल अभ्‍यारण मुरैना | 07532-240995 |
|  | अधीक्षक, राष्‍टीय चंबल अभ्‍यारण श्‍योपुर |  |
|  | अधीक्षक, राष्‍टीय चंबल अभ्‍यारण भिण्‍ड |  |
|  | वन मण्‍डल अधिकारी, श्योपुर | 07530-220002 |
|  | उप वन मण्‍डल अधिकारी, श्‍योपुर | 7530-220002 |
|  | उन वन मण्‍डल अधिकारी, विजयपुर | 7528-266256 |
|  | उप वन मण्‍डल अधिकारी, करहाल | 7530-262274 |
|  | वन संरक्षक लायन प्रोजेक्‍ट ग्‍वालियर | 0751-2235290 |
|  | वन मण्‍डल अधिकारी, कूनो श्‍योपुर (वन्‍यप्राणी) श्‍योपुरकला | 07530-220004 |
|  | उप वनमण्‍डल अधिकारी, कूपों, पोहरी | 7490-244340 |
|  | उप वनमण्‍डल अधिकारी कूनों, विजयपुर |  |
|  | मुख्‍य वन संरक्षक अनुसंधन एवं विस्‍तार ग्‍वालियर | 0751-2427962 |
|  | सहायक वन संरक्षक, अनु विस्‍तार | 0751-2427962 |
|  | सहायक वन संरक्षक अनु विस्‍तार ग्‍वालियर | 0751-2427962 |
|  | वनसंरक्षक कार्य आयोजना ग्‍वालियर | 0751-2232292 |
|  | मुख्‍य वनसंरक्षक, होशंगाबाद | 07574-252521 |
|  | सलग्‍न अधिकारी, वृत्‍त कार्यालय होशंगाबाद | 07574-252521 |
|  | वनमण्‍डल अधिकारी, होशंगाबाद | 07574-254178 |
|  | उप वनमण्‍डल अधिकारी होशंगाबाद |  |
|  | उप वनमण्‍डल अधिकारी, सोहागपुर |  |
|  | उप वनमण्‍डल अधिकारी, सिवनी मालवा |  |
|  | सहायक अनुदेशक वन विद्यालय |  |
|  | क्षे संचालक, सतपुडा राष्‍ट्रीय उद्यान मुख्‍यालय होशंगाबाद | 07574-254394 |
|  | उप संचालक, राष्‍ट्रीय उद्यान होशंगाबाद | 07574-254394 |
|  | सहायक क्षेत्र संचालक पचमढ़ी | 07578-285012 |
|  | अधीक्षक पंचमढ़ी अभ्‍यारण | 07578-252626 |
|  | अधीक्षक बोरी अभ्‍यारण, ईटारसी | 07572-230016 |
|  | उप मण्‍डल अधिकारी, बफर जोन, पिपरिया |  |
|  | वन मण्‍डल अधिकारी (सामान्‍य) हराद | 07577-222003 |
|  | उप वन मण्‍डल अधिकारी, उत्‍तर हराद | 07577-222003 |
|  | उप वन मण्‍डल अधिकारी, दक्षिण हराद | 07577-222003 |
|  | वन मण्‍डल अधिकारी उत्‍पादन हराद | 07577-222025 |
|  | उप वन मण्‍डल अधिकारी, उत्‍तर उत्‍पादन हरदा | 07577-222025 |
|  | उप वन मण्‍डल अधिकारी, दक्षिण उत्‍पादन हराद | 07577-222025 |
|  | मुख्‍य वन संरक्षक, इन्‍दौर | 0731-2491831 |
|  | संलग्‍न अधिकारी वृत्‍त कार्यालय, इंदौर | 0731-2491831 |
|  | वन मण्‍डल अधिकारी, इंदौर | 0731-2490239 |
|  | उप वन मण्‍डल अधिकारी, इंदौर | 0731-2490239 |
|  | उप वन मण्‍डल अधिकारी, रालामंडल | 0731-2490239 |
|  | उप वन मण्‍डल अधिकारी, महू | 07324-273619 |
|  | वन मण्‍डल अधिकारी, धार | 07292-222250 |
|  | उप वन मण्‍डल अधिकारी, धार | 07292-222250 |
|  | उप वन मण्‍डल अधिकारी, सरदारपुर | 07296-235797 |
|  | वन मण्‍डल अधिकारी, झाबुआ | 07392-243316 |
|  | उप वन मण्‍डल अधिकारी, झाबुआ | 07392-243316 |
|  | संचालक, वन विद्यालय, झाबुआ | 07392-244542 |
|  | अनुदेशक वन विद्यालय, झाबुआ | 07392-244542 |
|  | वन मण्‍लडल अधिकारी, अलीराजपुर | 07394-233530 |
|  | उप वन मण्‍डल अधिकारी, भाबरा | 07393-271055 |
|  | उप वन मण्‍डल अधिकारी, अलीराजपुर | 07394-234530 |
|  | मुख्‍य वन संरक्षक अनुसंधान एवं विस्‍तार, इन्‍दौर | 0731-2461292 |
|  | सहायक वन संरक्षक (अनुसंधान एवं विस्‍तार) इन्‍दौर | 0731-2461292 |
|  | सहायक वन संरक्षक अनु विस्‍तार, इन्‍दौर | 0731-2461292 |
|  | मुख्‍य वन संरक्षक अनुसंधान एवं विस्तार, झाबुआ | 07392-243837 |
|  | सहायक वन संरक्षक अनुसंधान एवं विस्‍तार, झाबुआ |  |
|  | वन संरक्षक (वन्‍यप्राणी) इन्‍दौर |  |
|  | अपर प्रधान मुख्‍य वन संरक्षक कार्य अयोजना (क्षेत्रिय) इन्‍दौर | 0731-2490613 |
|  | वन संरक्षक (कार्य अयोजना) इन्‍दौर | 0731-2491676 |
|  | मुख्‍य वन संरक्षक, जबलपुर | 0761-2624341 |
|  | संलग्‍न अधिकारी वृत्‍त कार्यालय, जबलपुर | 0761-26214341 |
|  | वन मण्‍डल अधिकारी, जबलपुर | 0761-2624195 |
|  | उप वन मण्‍डल अधिकारी, जबलपुर | 0761-2624195 |
|  | उप वन मण्‍डल अधिकारी, सिहोर |  |
|  | वन मण्‍डल अधिकारी, कटनी | 07622-227417 |
|  | उप वन मण्‍डल अधिकारी, पूर्व कटनी | 7622-227417 |
|  | उप वन मण्‍डल अधिकारी, पश्चिम कटनी | 7622-227417 |
|  | वन मण्‍डल अधिकारी, पश्चिम (सामान्‍य) मण्‍डला | 07642-251014 |
|  | उप वन मण्‍डल अधिकारी, महाराजपुर | 7642 |
|  | उप वन मण्‍डल अधिकारी, निवास | 7641 |
|  | वन मण्‍डल अधिकारी पूर्व (सामान्‍य) मण्‍डला | 252423 |
|  | उप वन मण्‍डल अधिकारी, जगमण्‍डल | 7642-252423 |
|  | उप वन मण्‍डल अधिकारी, बिछिया | 7642 |
|  | वन मण्‍डल अधिकारी (उत्‍पादन) मण्‍डला | 07642-252449 |
|  | उप वन मण्‍डल अधिकारी, (उत्‍पादन) महाराजपुर | 7642 |
|  | उप वन मण्‍डल अधिकारी, (उत्‍पादन) बि‍छिया | 7642 |
|  | उप वन मण्‍डल अधिकारी, उत्‍पादन बरेला | 7642 |
|  | उप वन मण्‍डल अधिकारी, निवास |  |
|  | वन मण्‍डल अधिकारी (सामान्‍य) डिंडोरी | 07644-234024 |
|  | उप वन मण्‍डल अधिकारी, सामान्‍य डिंडोरी | 7644-234400 |
|  | उप वन मण्‍डल अधिकारी, सामान्‍य गड़ासरई | 7644234400 |
|  | उप वन मण्‍डल अधिकारी, सामान्‍य शाहपुरा | 7640-230194 |
|  | वन मण्‍डल अधिकारी, उत्‍पादन डिंडोरी | 7644-234312 |
|  | उप वन मण्‍डल अधिकारी, उत्‍पादन गड़सराई |  |
|  | उप वन मण्‍डल अधिकारी, उत्‍पादन डिंडोरी |  |
|  | वन मण्‍ड अधिकारी (कोर्ट केश) जबलपुर | 0761-2629115 |
|  | सहायक वन संरक्षक कोर्ट केश जबलपुर | 0761-2629115 |
|  | क्षेत्र संचालक कान्‍हा टाईगर रिजर्व मण्‍डला | 7642-250760 |
|  | उप संचालक, कान्‍हा टाईगर रिजर्व मण्‍डला | 7642-250760 |
|  | उप संचालक, कान्‍हा टाईगर रिजर्व बफर मण्‍डला | 7642-250760 |
|  | सहायक संचालक सिझोरा | 7642\*-250760 |
|  | सहायक संचालक, मलाजखंड | 7642-250760 |
|  | सहायक संचालक, हालोन | 7642-250760 |
|  | सहायक संचालक फेन | 7642-250760 |
|  | अपर प्रधान मुख्‍य वन संरक्षक कार्य आयोजना (क्षेत्रिय) जबलपुर | 0761-2625166 |
|  | वन संरक्षक कार्य आयोजना जबलपुर | 0761-2624075 |
|  | वन संरक्षक कार्य आयोजना बालाघाट, मुख्‍यालय जबलपुर | 0761-2625166 |
|  | मुख्‍य वन संरक्षक अनुसंधान एवं विस्‍तार जबलपुर | 0761-2668554 |
|  | सहायक वन संरक्षक, अनुसंधान एवं विस्‍तार जबलपुर | 0761-2668554 |
|  | मुख्‍य वन संरक्षक, खंडवा | 0733-2224120 |
|  | संलग्‍न अधिकारी वृत्‍त कार्यालय खंडवा | 0733-2224120 |
|  | वन मण्‍डल अधिकारी (सामान्‍य) खंडवा | 0733-2223244 |
|  | उप वन मण्‍डल अधिकारी, सामान्‍य खंडवा | 0733-2223244 |
|  | उप वन मण्‍डल अधिकारी, सामान्‍य पुनासा |  |
|  | उप वन मण्‍डल अधिकारी, सामान्य पूर्व कालीभीत |  |
|  | उप वन मण्‍डल अधिकारी, सामान्‍य पश्चिम कालीभीत |  |
|  | वन मण्‍डल अधिकारी उत्‍पादन, खंडवा | 0733-2223221 |
|  | उप वन मण्‍डल अधिकारी, उत्‍पादन खंडवा |  |
|  | उप वन मण्‍डल अधिकारी, उत्‍पादन पूर्व कालीभीत |  |
|  | उप वन मण्‍डल अधिकारी, उत्‍पादन पुनासा |  |
|  | उप वन मण्‍डल अधिकारी, उत्‍पादन पश्चिम कालीभीत |  |
|  | वन मण्‍डल अधिकारी, बुरहानपुर | 07325-251280 |
|  | उप वन मण्‍डल अधिकारी, बुरहानपुर | 07325-251280 |
|  | उप वन मण्‍डल अधिकारी, नेपानगर |  |
|  | वन मण्‍डल अधिकारी, खरगोन | 07282-233982 |
|  | उप वन मण्‍डल अधिकारी, बिस्‍टार | 07282-233982 |
|  | उप वन मण्‍डल अधिकारी, भीकनगांव | 07288-201969 |
|  | वन मण्‍डल अधिकारी, बड़वाह | 07280-222154 |
|  | उप वन मण्‍डल अधिकारी, बड़वाह |  |
|  | उप वन मण्‍डल अधिकारी, मण्‍डलेश्‍वर |  |
|  | वन मण्‍डल अधिकारी, बड़वानी | 07290-222038 |
|  | उप वन मण्‍डल अधिकारी, बड़वानी |  |
|  | उप वन मण्‍डल अधिकारी, पाटी |  |
|  | वन मण्‍डल अधिकारी, सेंधवा | 07281-228409 |
|  | उप वन मण्‍डल अधिकारी, सेंधवा |  |
|  | उप वन मण्‍डल अधिकारी, बड़वानी |  |
|  | मुख्‍य वन संरक्षक अनुसंधान एवं विस्‍तार, खंडवा | 0733-2223265 |
|  | सहायक वन संरक्षक अनुसंधान एवं विस्‍तार, खंडवा | 0733-2223265 |
|  | सहायक अनुसंधान एवं विकास, खंडवा | 0733-2223265 |
|  | वन सरंक्षक कार्य आयोजना, खंडवा | 0733-2222705 |
|  | मुख्‍य वन संरक्षक, रीवा | 07662-242098 |
|  | वन मण्‍डल अधिकारी, रीवा | 07662-254335 |
|  | उप वन मण्‍डल अधिकारी, रीवा |  |
|  | उप वन मण्‍डल अधिकारी, मउगंज |  |
|  | अनुदेशक वन विद्यालय, गोविन्‍दगढ़ | 07662-261653 |
|  | वन मण्‍डल अधिकारी, सतना | 07672-223355 |
|  | उप वन मण्‍डल अधिकारी, सतना |  |
|  | उप वन मण्‍डल अधिकारी, चित्रकूट |  |
|  | उप वन मण्‍डल अधिकारी, मैहर |  |
|  | वन मण्‍डल अधिकारी, सिंगरोली | 07805-268606 |
|  | उप वन मण्‍डल अधिकारी, वैढ़न |  |
|  | उप वन मण्‍डल अधिकारी, देवसर |  |
|  | उप वन मण्‍डल अधिकारी, गोरवी |  |
|  | वन मण्‍डल अधिकारी, सीधी | 07822-252235 |
|  | उप वन मण्‍डल अधिकारी, सीधी |  |
|  | उप वन मण्‍डल अधिकारी, मझोली |  |
|  | उप वन मण्‍डल अधिकारी, उत्‍पादन सीधी |  |
|  | क्षेत्र संचालक राष्‍ट्रीय उद्यान संजय टाईगर रिर्जव सीधी | 07822-252409 |
|  | उप संचालक राष्‍ट्रीय उद्यान सीधी |  |
|  | सहायक क्षेत्र संचालक राष्‍ट्रीय उद्यान सीधी |  |
|  | अधीक्षक बगदरा |  |
|  | अधीक्षक सोन घडि़याल |  |
|  | अधीक्षक संजय दुबरी अभ्‍यारण |  |
|  | मुख्‍य वन संरक्षक अनुसंधान एवं विस्‍तार रीवा | 07662-256493 |
|  | सहायक वन संरक्ष्‍क अनुसंधान एवं विस्‍तार रीवा | 07662-256493 |
|  | वन संरक्षक कार्य आयोजना रीवा | 07662-253571 |
|  | मुख्‍य वन संरक्षक सागर | 07582-236262 |
|  | संलग्‍न अधिकारी वृत्‍त कार्याल्‍य सागर | 07582-236262 |
|  | वन मण्‍डल अधिकारी , उत्‍तर सागर | 07582-2363370 |
|  | उप वन मण्‍डल अधिकारी, उत्‍तर सागर | 7582-236337 |
|  | उप वन मण्‍डल अधिकारी, बंड़ा |  |
|  | वन मण्‍डल अधिकारी, दक्षिण सागर | 075682-236215 |
|  | उप वन मण्‍डल अधिकारी, दक्षिण सागर | 075682-236215 |
|  | उप वन मण्‍डल अधिकारी, देवरी |  |
|  | वन मण्‍डल अधिकारी दमोह | 07812-222541 |
|  | उप वन मण्‍डल अधिकारी, दमोह |  |
|  | उप वन मण्‍डल अधिकारी, तेन्‍दुखेड़ा |  |
|  | वन मण्‍डलाधिकारी (वन्‍यप्राणी) वन मण्‍डल नौरादेही | 07582-236867 |
|  | सहायक वन संरक्षक वन्‍यप्राणी रहली | 07585-256239 |
|  | सहायक वन संरक्षक वन्‍यप्राणी वरमान | 07793-275777 |
|  | मुख्‍य वन संरक्षक अनुसंधान एवं विस्‍तार सागर | 07582-236278 |
|  | सहायक वन संरक्षक अनुसंधान एवं विस्‍तार सागर | 07582-236278 |
|  | मुख्‍य वन संरक्षक सिवनी | 07692-220594 |
|  | संलग्‍न अधिकारी वृत्‍त कार्यालय सिवनी | 07692-220594 |
|  | वन मण्‍डल अधिकारी (सामन्य) दक्षिण सिवनी | 7692-220530 |
|  | उप वन मण्‍डल अधिकारी, सामान्‍य सिवनी |  |
|  | उप वन मण्‍डल अधिकारी, सामान्‍य रूखड़ |  |
|  | उप वन मण्‍डल अधिकारी, सामान्‍य केवलारी |  |
|  | वन मण्‍डल अधिकारी (सामान्‍य) उत्‍तर सिवनी | 07692-220556 |
|  | उप वन मण्‍डल अधिकारी, छपारा |  |
|  | उप वन मण्‍डल अधिकारी, लखनादौन |  |
|  | वन मण्‍डल अधिकारी उत्‍पादन दक्षिण सिवनी | 07692-220554 |
|  | उप वन मण्‍डल अधिकारी, उत्‍पादन सिवनी |  |
|  | उप वन मण्‍डल अधिकारी, उत्‍पादन रूखड़ |  |
|  | वन मण्‍डल अधिकारी उत्‍पादन उत्‍तर सिवनी | 07692-220554 |
|  | उप वन मण्‍डल अधिकारी, उत्‍पादन धुमा |  |
|  | उप वन मण्‍डल अधिकारी, उत्‍पादन छपारा |  |
|  | उप वन मण्‍डल अधिकारी, उत्‍पादन केवलारी |  |
|  | संचालक, वन विद्यालय लखनादौन | 07690-240601 |
|  | अनुदेशक वन विद्यालय लखनादौन | 07690-24061 |
|  | वन मण्‍डल अधिकारी, नरसिंहपुर | 07792-230624 |
|  | उप वन मण्‍डल अधिकारी, नरसिंहपुर |  |
|  | उप वन मण्‍डल अधिकारी, बरमान |  |
|  | उप वन मण्‍डल अधिकारी, गाडरवारा |  |
|  | उप वन मण्‍डल अधिकारी, गोटेगांव |  |
|  | क्षेत्र संचालक, पेंच राष्‍ट्रीय उद्यान, सिवनी | 07692-223794 |
|  | उप संचालक पेंच राष्‍ट्रीय उद्यान, सिवनी | 07692-223794 |
|  | सहायक वन संरक्षक पेंच राष्‍ट्रीय उद्यान सिवनी | 07692-223794 |
|  | सहायक वन संरक्षक पेंच अभ्‍यारण, सिवनी | 07692-223794 |
|  | सहायक वन संरक्षक पेंच राष्‍ट्रीय उद्यान छिंदवाड़ा | 07692-223794 |
|  | मुख्‍य वन संरक्षक अनुसंधान एवं विस्‍तार सिवनी | 07692-221395 |
|  | सहायक वन संरक्षक अनु एवं विस्‍तार सिवनी | 07692-221395 |
|  | सहायक वन संरक्षक अनु एवं विस्‍तार बालाघाट |  |
|  | सहायक वन संरक्षक अनु एवं विस्‍तार नरसिंहपुर |  |
|  | मुख्‍य वन संरक्षक, शहडोल | 07652-245361 |
|  | संलग्‍न अधिकारी शहडोल वृत्‍त्‍ कार्यालय शहडोल | 07652-245361 |
|  | वन मण्‍डलाधिकारी , उत्‍तर शहडोल | 07652-245167 |
|  | उप वन मण्‍डल अधिकारी, जयसिंहनगर |  |
|  | उप वन मण्‍डल अधिकारी, ब्‍योहारी |  |
|  | वन मण्‍डल अधिकारी, दक्षिण शहडोल | 07652-240304 |
|  | उप वन मण्‍डल अधिकारी, सोहागपुर |  |
|  | उप वन मण्‍डल अधिकारी, जैतपुर |  |
|  | संचालक, वन विद्यालय अमरकंटक | 07629-269342 |
|  | अनुदेशक, वन विद्यालय अमरकंटक | 07629-269342 |
|  | वन मण्‍डल अधिकारी, उमरिया | 07653-222217 |
|  | उप वन मण्‍डल अधिकारी, उमरिया |  |
|  | उप वन मण्‍डल अधिकारी, पाली |  |
|  | वन मण्‍डल अधिकारी अनूपपुर | 07659-222038 |
|  | उप वन मण्‍डल अधिकारी, अनूपपुर |  |
|  | उप वन मण्‍डल अधिकारी, राजेन्‍द्रग्राम |  |
|  | क्षेत्र संचालक बांधवगढ़ टाईगर रिजर्व उमरिया | 07653-222214 |
|  | उप संचालक बांधवगढ़ टाईगर रिजर्व उमरिया |  |
|  | सहायक वन संरक्षक बिफर उमरिया |  |
|  | सहायक संचालक ताला |  |
|  | अधीक्षक पनपथा अभ्‍यारण |  |
|  | सहायक वन संरक्षक, बफर जोन मानपुर |  |
|  | वन संरक्षक, कार्य आयोजना शहडोल | 07652-245189 |
|  | मुख्‍य वन संरक्षक, शिवपुरी | 07492-223392 |
|  | वन मण्‍डल अधिकारी शिवपुरी | 7492-221012 |
|  | उप वन मण्‍डल अधिकारी, शिवपुरी |  |
|  | उप वन मण्‍डल अधिकारी, करेरा |  |
|  | संचालक, वन विद्यालय शिवपुरी | 7492-22360 |
|  | अनुदेशक, वन विद्यालय शिवपुरी | 7492-22360 |
|  | वन मण्‍डल अधिकारी, गुना | 07542-259650 |
|  | उप वन मण्‍डल अधिकारी, गुना |  |
|  | उप वन मण्‍डल अधिकारी, बीनागंज |  |
|  | उप वन मण्‍डल अधिकारी, बमोरी |  |
|  | वन मण्‍डल अधिकारी, अशोकनगर | 07543-221120 |
|  | उप वन मण्‍डल अधिकारी, अशोक नगर |  |
|  | उप वन मण्‍डल अधिकारी, चंदेरी |  |
|  | वन संरक्षक कार्य आयोजना शिवुपरी | 07492-222570 |
|  | संचालक माधव राष्‍ट्रीय उद्यान शिवपुरी | 07492-223379 |
|  | सहायक संचालक शिवपुरी |  |
|  | अधीक्षक करेरा अभ्‍यारण |  |
|  | मुख्‍य वन संरक्षक, उज्‍जैन | 0734-2512101 |
|  | वन मण्‍डल अधिकारी, उज्‍जैन | 0734-2512104 |
|  | उप वन मण्‍डल अधिकारी, उज्‍जैन |  |
|  | वन मण्‍डल अधिकारी, रतलाम | 07412-270418 |
|  | उप वन मण्‍डल अधिकारी, रतलाम |  |
|  | वन मण्‍डल अधिकारी, मंदसौर | 07422-255519 |
|  | उप वन मण्‍डल अधिकारी, मंदसौर |  |
|  | अधीक्षक, गांधी सागर अभ्‍यारण | 07427-237102 |
|  | वन मण्‍डल अधिकारी, नीमच | 07423-226605 |
|  | उप वन मण्‍डल अधिकारी, नीमच |  |
|  | उप वन मण्‍डल अधिकारी, मनासा |  |
|  | वन मण्‍डल अधिकारी (सामान्‍य) देवास | 07272-253020 |
|  | उप वन मण्‍डल अधिकारी, देवास |  |
|  | उप वन मण्‍डल अधिकारी, बागली |  |
|  | उप वन मण्‍डल अधिकारी, कन्‍नोद |  |
|  | वन मण्‍डल अधिकारी, (उत्पादन) देवास | 07272-251264 |
|  | उप वन मण्‍डल अधिकारी, उत्‍पादन देवास |  |
|  | उप वन मण्‍डल अधिकारी, उत्‍पादन बागली |  |
|  | वन मण्‍डल अधिकारी, शाजापुर | 07364-227157 |
|  | उप वन मण्‍डल अधिकारी, शाजापुर |  |
|  | मुख्‍य वन संरक्षक अनुसंधान एवं विस्‍तार, रतलाम | 07412-235131 |
|  | सहायक वन संरक्षक अनुसंधान एवं विस्‍तार, रतलाम | 07412-235131 |
|  | मुख्‍य वन संरक्षक कार्य आयोजना, उज्‍जैन | 0734-2514370 |

------------

**अध्‍याय 2 (मैन्‍युअल - बी- x)**

अपने प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा मासिक पारिश्रमिक जिसके अन्तर्गत प्रतिकर की प्रणाली भी है, जो उसके विनियमों में यथा उपबंधित हो

(The monthly remuneration received by each of its officers and employees, including the system of compensation as provided in its regulations)

--------------

विभाग के अंतर्गत प्रदेश में भारतीय वन सेवा तथा राज्‍य वन सेवा के अधिकारियों की पदस्थिति के अतिरिक्‍त कार्यपालीक अमले के अंतर्गत वन क्षेत्रपाल, उप वन क्षेत्रपाल, वनपाल एवं वनरक्षक तथा लिपिकीय अमले के अंतर्गत विभिन्‍न स्‍तर के लिपिक वर्गीय कर्मचारी कार्यरत है, जिनके वेतनमान निम्‍नानुसार है :-

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **क्र.** | **अधिकारी /कर्मचारियों का पदनाम** | **लेवल** | **वेतनमान (रूपये)** |
|  | प्रधान मुख्‍य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख | L-17 | 225000 |
|  | प्रधान मुख्‍य वन संरक्षक | L-16 | 205400-224400 |
|  | अपर प्रधान मुख्‍य वन संरक्षक | L-15 | 182200-224100 |
|  | मुख्‍य वन संरक्षक | L-14 | 144200-218200 |
|  | वन संरक्षक | L-13 (A) | 131100-216600 |
|  | उप वन संरक्षक सिलेक्‍शन ग्रेड | L-13 | 118500-214100 |
|  | उप वन संरक्षक जूनियर एडमिनिस्‍टैटिव ग्रेड | L-12 | 78800-185900 |
|  | उप वन संरक्षक वरिष्‍ठ वेतनमान | L-11 | 67700-160000 |
|  | उप वन संरक्षक कनिष्‍ठ वेतनमान | L-10 | 56100-132000 |

**राज्‍य वन सेवा के अधिकारियों का वेतनमान -**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **क्र.** | **अधिकारी/ कर्मचारियों का पदनाम** | **लेवल** | **वेतनमान (रूपये)** |
|  | वरिष्‍ठ प्रवर श्रेणी | L-15 | 123100-215900 |
|  | प्रवर श्रेणी | L-14 | 79900-211700 |
|  | वरिष्‍ठ श्रेणी | L-13 | 67300-206900 |
|  | कनिष्‍ठ श्रणी | L-12 | 56100-177500 |

**अन्‍य कर्मचारियों का वेतनमान -**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **क्र.** | **अधिकारी/ कर्मचारियों का पदनाम** | **लेवल** | **वेतनमान (रूपये)** |
|  | वन क्षेत्रपाल | L-9 | 36200-114800 |
|  | कार्यालय अधीक्षक | L-9 | 36200-114800 |
|  | लेखा अधीक्षक | L-8 | 32800-103600 |
|  | मानचित्रकार (01.04.2006 के पूर्व नियुक्‍त) | L-8 | 32800-103600 |
|  | उप वन क्षेत्रपाल | L-7 | 28700-91300 |
|  | शीघ्र लेखक | L-7 | 28700-91300 |
|  | लेखापाल | L-7 | 28700-91300 |
|  | सहायक ग्रेड-1 | L-7 | 28700-91300 |
|  | मानचित्रकार (01.04.2006 के बाद नियुक्‍त) | L-6 | 25300-80500 |
|  | वनपाल | L-6 | 25300-80500 |
|  | सहायक ग्रेड-2 | L-6 | 25300-80500 |
|  | सहायक ग्रेड-3 | L-4 | 19500-62000 |
|  | वन रक्षक अप्रशिक्षित | L-4 | 19500-62000 |
|  | वन रक्षक प्रशिक्षित | L-4 | 19500-62000 |
|  | वाहन चालक | L-4 | 19500-62000 |
|  | दफतरी/ जमादार | L-2 | 16100-50900 |
|  | भृत्‍य/ खलासी | L-1 | 15500-49000 |

-------------

**अध्‍याय 2 (मैन्‍युअल - बी- xi)**

सभी योजनाओं, प्रस्तावित व्ययों और किए गए संवितरणों पर रिपोर्टों की विशिष्टियां उपदर्शित करते हुए अपने प्रत्येक अभिकरण को आवंटित बजट;

(The budget allocated to each of its agency, indicating the particulars of all plans, proposed expenditures and reports on disbursements made)

------------

वर्ष 2019-20 से 2021-22 की अवधि का आयोजना मद में आवंटन एवं व्यय का विवरण निम्नानुसार तालिकाओ मे दर्शित है।

**आयोजनेत्‍तर व्‍यय**

**(राशि करोड़ में)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **क्र.** | **मद** | **2019-20** | | **2020-21** | | **2021-22**  **(माह दिसम्‍बर 2021 तक)** | |
| **आवंटन** | **व्‍यय** | **आवंटन** | **व्‍यय** | **आवंटन** | **व्‍यय** |
| 1 | वेतन एवं भत्‍ते | 982.02 | 756.75 | 1052.55 | 697.23 | 1126.58 | 744.90 |
| 2 | मजदूरी | 681.35 | 404.63 | 730.55 | 486.19 | 812.43 | 503.21 |
| 3 | कार्यालय व्‍यय | 44.22 | 32.47 | 42.35 | 30.31 | 44.94 | 31.03 |
| 4 | अनुरक्षण कार्य | 5.47 | 2.96 | 1.67 | 1.29 | 2.11 | 1.52 |
| 5 | भवनों/ सड़कों का रखरखाव | 14.59 | 9.40 | 8.95 | 6.62 | 12.44 | 7.45 |
| 6 | ईमारती लकड़ी, बांस, खैर | 73.28 | 31.71 | 94.71 | 74.54 | 143.06 | 88.55 |
| 7 | अनुग्रह/ अनुदान | 5.14 | 3.58 | 3.20 | 2.24 | 33.60 | 23.32 |
| 8 | गोपनीय सेवा, क्षतिपूर्ति पुरस्‍कार | 11.62 | 11.04 | 11.56 | 11.04 | 14.20 | 11.21 |
| 9 | लाभांश | 41.61 | 24.03 | 10.40 | 10.40 | 12.00 | 9.60 |
| 10 | कर एवं रायल्‍टी | 0.76 | 0.03 | 0.23 | 0.20 | 0.22 | 0.01 |
| 11 | विज्ञापन, सामग्री पूर्तियां एवं अन्‍य | 791.67 | 292.38 | 642.51 | 324.73 | 641.86 | 213.68 |
|  | **योग -** | **2651.73** | **1568.98** | **2598.68** | **1644.79** | **2843.45** | **1634.48** |

**कर, करेत्‍तर, कुल राजस्‍व एवं वानिकी से आय**

**(राशि करोड़ में)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **क्रमांक** | **राजस्‍व एवं व्‍यय** | **वर्ष**  **2019-20** | **वर्ष**  **2020-21** | **वर्ष**  **2021-22**  **(माह नवम्‍बर 2021 तक)** |
| 1 | कर राजस्‍व | 144.62 | 126.04 | 73.06 |
| 2 | करेत्‍तर राजस्‍व | 892.21 | 1168.65 | 750.52 |
| 3 | योग (1+2) - | 1036.83 | 1294.69 | 823.58 |
| 4 | वानिकी से सकल राजस्‍व | 1036.83 | 1294.69 | 823.58 |

**बजट शीर्ष 0406 - वानिकी और वन्‍य जीवन मदवार राजस्‍व**

**(राशि करोड़ में)**

| **राजस्‍व बजट शीर्ष** | **2019-20** | | **2020-21** | | **2021-22**  **(माह नवम्बर 2021 तक)** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **बजट प्रावधान** | **प्राप्‍त आय** | **बजट प्रावधान** | **प्राप्‍त आय** | **बजट प्रावधान** | **प्राप्‍त आय** |
| (101) लकड़ी और अन्य वन उत्पाद की बिक्री |  |  |  |  |  |  |
| (0180) शासकीय अभिकरण द्वारा वन से हटाई गई इमारती लकड़ी तथा अन्य वन उपज | 87.30 | 7.18 | 8.23 | 14.20 | 17.38 | 14.28 |
| (0189) उपभोक्ता अथवा क्रेताओं द्वारा वन से हटाई गई इमारती लकड़ी | 80.74 | 9.06 | 16.47 | 4.41 | 8.87 | 5.12 |
| (102) सामाजिक और फार्म वानिकी से प्राप्तियां | 1.68 | 4.02 | 3.70 | 3.52 | 2.46 | 5.41 |
| (103) पर्यावरणीय वानिकी से प्राप्तियां |  |  |  | 0.02 | 0.00 | 0.01 |
| (201) तेन्दू पत्ते के व्यापार से प्राप्तियां | 0.24 | 0.07 | 0.08 | 0.05 | 0.15 | 0.06 |
| (202) छोटी वन उपज का राजकीय व्यापार | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.05 | 0.01 | 0.02 |
| (203) इमारती लकड़ी का राजकीय व्यापार | 990.75 | 662.38 | 723.79 | 401.82 | 895.46 | 481.61 |
| (204) बांस का राजकीय व्यापार | 38.48 | 14.97 | 20.58 | 10.31 | 22.07 | 22.94 |
| 205-साल बीज का राजकीय व्यापार | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |
| (206) खैर का राजकीय व्यापार | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.09 | 0.00 |
| (800) अन्य प्राप्तियां | 300.81 | 70.23 | 463.39 | 266.85 | 364.77 | 221.06 |
| 0045-वस्तुओं और सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क वेट कर |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 |
| 0236 वन विकास उपकर से प्राप्तिया | 0.00 | 8.21 | 0.00 | 0.70 | 0.00 | 0.01 |
| 8443- सिविल जमा राशि (जी.एस.टी) | 0.00 | 116.75 | 162.69 | 70.87 | 0.00 | 73.06 |
| **महायोग -** | **1500.00** | **892.92** | **1398.93** | **773.82** | **1311.26** | **823.58** |

&&&&&&&&&&

**अध्‍याय 2 (मैन्‍युअल - बी-xii)**

सहायिकी कार्यक्रमों के निष्‍पादन की रीति जिसमें आवंटित राशि और ऐसे कार्यक्रमों के फायदाग्राहियों के ब्‍यौरे सम्मिलित हैं।

(The manner of execution of subsidy programmes, including the amounts allocated and the details of beneficiaries of such programmes)

----------------------

* + 1. **ग्रामीणों को निस्तार सुविधाएं** - प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में शासकीय वनों से निस्तार सुविधाएं उपलब्ध करवाना।

**योजना का स्वरूप और कार्यक्षेत्र -**

* + 1. निस्तार नीति में रियायत की सुविधा वनों की सीमा से 5 किलोमीटर की परिधि के ग्रामों को होती है। इन ग्रामों को उपलब्धता के आधार पर वनोपज का प्रदाय वन समितियों के माध्यम से किया जाता है। जिन ग्रामों में वन समिति गठित नहीं हैं, वहां विभागीय निस्तार डिपो से वनोपज का प्रदाय किया जाता है।

(क) नगर निगम नगर पालिका एवं पंचायत क्षेत्र चाहे वे वन सीमा के पांच किलोमीटर की परिधि में या उनके बाहर स्थित हों, में वन विभाग वनोपज प्रदाय की कोई व्यवस्था नहीं करेगा। इन क्षेत्रों के निवासी स्थानीय बाजार से ही वनोपज प्राप्त करेंगे।

(ख) पांच किलोमीटर की परिधि के बाहर स्थित ग्रामों को निस्तार के अंतर्गत कोई रियायत प्राप्त नहीं होगी, परन्तु उपलब्धता के आधार पर पूर्ण बाजार मूल्य पर इन ग्रामों के ग्रामीणों को ग्राम पंचायत के माध्यम से वनोपज उपलब्ध कराई जा सकेगी।

(ग) वनों से स्वयं के उपयोग के लिये अथवा बिक्री के लिये सिरबोझ द्वारा उपलब्धता अनुसार गिरी, पड़ी, मरी, सूखी, जलाऊ लकड़ी ले जाने की सुविधा पूर्ववत् रहेगी।

* + 1. संयुक्त वन प्रबंधन के अंतर्गत गठित समिति के परिवारों को प्रति वर्ष उपलब्धतानुसार केवल विदोहन व्यय लेते हुए रॉयल्टी मुक्त निस्तार की पात्रता है, इसके तहत यदि किसी समिति के क्षेत्र में उत्पादन होता है, तो ही सदस्य को रॉयल्टी मुक्त निस्तार की पात्रता होगी। इसी प्रकार किसी क्षेत्र से उत्पादित वनोपज किसी अन्य समिति को दी जाती है तो उस पर रॉयल्टी देय होगी।

**दाह संस्कार की व्यवस्था -**

दाह संस्कार के लिए जलाऊ लकड़ी विश्राम घाटों पर प्रचलित बाजार दर का 80 प्रतिशत पर फुटकर विक्रेताओं को उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है।

**जलाऊ लकड़ी -**

(क) राज्य के समस्त आरक्षित एवं संरक्षित वनों से ग्रामीण गिरी-पड़ी, मरी, सूखी, जलाऊ लकड़ी स्वयं के उपयोग हेतु एवं बिक्री हेतु सिरबोझ से निःशुल्क ला सकते हैं।

(ख) उपलब्धता के आधार पर ग्रामीण अपने वास्तविक निस्तार के लिए निर्धारित दर पर जलाऊ चट्टे तक उपलब्धता के आधार पर दिये जा सकते हैं। एक ग्रामीण परिवार को वर्ष में अधिकतम दो चट्टे तक उपलब्धता के आधार पर दिये जा सकते हैं। उक्त चट्टों का परिवहन केवल बैलगाड़ी अथवा भैंसागाड़ी से किया जा सकेगा। कुछ ग्रामीणों को उपरोक्त चट्टे महँगे होने के कारण वन समिति सदस्यों को कूप से निस्तारी जलाऊ लकड़ी प्रदाय बैलगाड़ी अथवा ट्रैक्टर ट्रॉली से स्वयं चट्टा बनाकर लाने की सुविधा वर्ष 2007 से दी गई है। उपरोक्तानुसार प्राप्त किये जाने वाले चट्टों के लिए प्रति चट्टा मात्रा विदोहन मूल्य (आधा मानव दिवसस) वसूला जायेगा। ऐसे कूपों की सूची संबंधित वनमंडलाधिकारियों द्वारा प्रकाशित निस्तार पुस्तिका में दी जाती है।

(ग) कूपों के अलावा कुछ नाभिकीय जलाऊ डिपो भी स्थापित किये जावेंगे जहाँ के संलग्न ग्रामीण अपने वास्तविक निस्तार के लिए पंचायत के प्रमाण-पत्र पर अधिकतम दो चट्टे तक प्राप्त कर सकते हैं। इन चट्टों का केवल परिवहन बैलगाड़ी अथवा भैंसागाडी द्वारा किया जा सकेगा। ऐसे नाभिकीय डिपो से संलग्न ग्रामों की सूची संबंधित वनमंडलाधिकारियों द्वारा प्रकाशित निस्तार पुस्तिका में दी जाती है।

(घ) वनों से पांच किलोमीटर की परिधि के बाहर स्थित ग्रामों की ग्राम पंचायतें उनकी आवश्यकतानुसार बाजार दर पर निर्धारित डिपों से जलाऊ लकड़ी प्राप्त कर अपने ग्रामीणों को उपलब्ध करा सकती हैं। इन डिपो की सूची संबंधित वनमंडलाधिकारियों द्वारा प्रकाशित निस्तार पुस्तिका में दी जाती है।

**बल्‍ली -**

(क) वनों की सीमा से पांच किलोमीटर की परिधि में स्थित ग्रामों को निस्तार दर पर निर्धारित डिपो से बल्ली उपलब्ध कराई जायेगी। कृषि उपकरण योग्य लकड़ी में बल्ली शामिल रहेगी। एक परिवार को एक सीजन में उपलब्धता के आधार पर अधिकतम 10 बल्ली तक उपलब्ध कराई जावेगी। ऐसे निस्तार डिपो की सूची संबंधित वनमंडलाधिकारियों द्वारा प्रकाशित निस्तार पुस्तिका में दी जाती है।

(ख) वनों से पांच किलोमीटर की परिधि के बाहर स्थित ग्रामों के निवासी अपनी पंचायतों के माध्यम से केन्द्रीय डिपों से बल्लियां प्राप्त कर सकते हैं। बल्ली की बिक्री दर की सूची संबंधित वनमंडलों अधिकारियों द्वारा प्रकाशित निस्तार पुस्तिका में दी जाती हैं।

**बांस -**

(क) वनों से पांच किलोमीटर की परिधि में स्थित ग्रामीण क्षेत्र के निवासी प्रति वर्ष अधिकतम 250 नग बांस उपलब्धता के आधार पर निस्तार डिपो से प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे डिपों से संलग्न ग्रामों की सूची संबंधित वनमंडलाधिकारियों द्वारा प्रकाशित निस्तार पुस्तिका में दी जाती है।

(ख) प्रत्येक बंसोड़ परिवार को प्रति वर्ष उपलब्धता के आधार पर एक हजार 500 नग तक बांस प्रदाय किये जाने का प्रावधान है। ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में रहने वाले सभी बंसोड़ परिवारों को प्रदाय किये जाने वाले बांस पर रॉयल्टी माफ की गई है। इसी प्रकार बंसोड़ जाति के समान बुरड़, बंसोड़, बासोड़ी, बासफोर, बसोर एवं माँग जाति तथा उनकी उपजातियों के परिवारों को भी प्रदाय किये जाने वाले बांस पर रॉयल्टी माफ की गई है।

प्रगति - प्रदेश में निस्तार व्यवस्था के अंतर्गत ग्रामीणों को बांस, बल्ली तथा जलाऊ चट्टे प्रदाय किये जाते हैं। वर्ष 2022 में निस्तार के तहत 17 लाख सात हजार नग बांस, सात हजार नग बल्ली तथ 50 हजार जलाऊ चट्टे ग्रामीणों को उपलब्ध कराये गये हैं। निस्तार व्यवस्था के तहत ग्रामीणों/ बसोड़ों को छ: करोड़ 72 लाख रूपये की रियायत दी गई ।

**बांस मिशन -**

बांस एवं बांस शिल्पियों के हितों के संरक्षण के लिए “मध्य प्रदेश राज्य बांस मिशन (सोसायटी)'' तथा“मध्य प्रदेश बांस एवं बांस शिल्प विकास बोर्ड'' का गठन किया गया है। मध्यप्रदेश में बांस वनों का विकास जन आंदोलन के रूप में करने की कार्यवाही की जा रही है। बांस वनों के प्रबंधन में वन समितियों के सदस्यों को और अधिक जोड़ा जाकर बांस आधारित रोजगार का भी विस्तार किया जा रहा है। बांस आधारित विकास एवं उद्यमिता को संस्थागत रूप प्रदान करने के लिये प्रयास किये जा रहें हैं। इन प्रयासों में बांस शिल्पकारों एवं बांस उद्यमियों का विकास तथा बांस उत्पादों का प्रभावी विपणन सम्मिलित हैं।

**कृषि भूमि पर बांस पौध रोपण एवं बांस प्रसंस्करण हेतु राष्ट्रीय बांस मिशन योजना -**

कृषकों की आय दोगुनी करने से उद्देश्य से मध्यप्रदेश राज्य बांस मिशन द्वारा पिछले पांच वर्षों में कुल 15,007 हेक्टेयर कृषि भूमि पर बांस वृक्षारोपण करवाया गया है। कृषकों द्वारा बांस की खेती को बढ़ावा देने हेतु राष्ट्रीय बांस मिशन के अंतर्गत कृषक द्वारा बांस पौध रोपण हेतु रु 120 प्रति पौधे की दर से तीन वर्षों में अनुदान प्रदान किया जाता है।

**अनुदान का वितरण :-** योजना में कृषकों को बांस रोपण की कुल लागत एवं पहले तीन वर्षों का रखरखाव (रु. 240 प्रति पौधा) की 50% राशि अनुदान के रूप में तीन वर्षों तक 50:30:20 के अनुपात में वितरित की जाती है। अर्थात् अनुदान राशि रु. 120 प्रति पौधा का वितरण निम्नानुसार किया जावेगा :-

1. प्रथम वर्ष : (रु.60 प्रति पौधा) - प्रथम किश्त रु.36 प्रति पौधा रोपित पौधों के सत्यापन के आधार पर (रोपण उपरांत प्रदाय की जायेगी)

2. द्वितीय किश्त : रु. 24 प्रति पौधा रोपण के 4 माह बाद (जीवित पौधों के सत्यापन के आधार पर) द्वितीय वर्ष : रु.36 प्रति पौधा की दर से माह नवम्बर-दिसम्बर में कम से कम 80% जीवितता पर (मृत पौधा बदलाव सहित) अनुदान का वितरण किया जावे।

3. तृतीय वर्ष : रु 24 प्रति पौधा की दर से माह नवम्बर-दिसम्बर में 100% पौधों की जीवितता के आधार पर (मृत पौधा बदलाव सहित) अनुदान का वितरण किया जावेगा।

* कृषक द्वारा निर्धारित प्रारूप में वनमंडलाधिकारी कार्यालय को आवेदन करना होगा।
* वनमंडलाधिकारी राज्य बांस मिशन द्वारा आवंटित भौतिक/वित्तीय लक्ष्यों की सीमा में कृषकों का चयन करेंगे एवं पौध रोपण की अनुमति देंगे ।
* अनुमति प्रदान करने के मिशन की वेबसाइट Bamboo Grower के
* उपरांत वन परिक्षेत्र अधिकारी द्वारा राज्य बांस ebamboobazar.org पर कृषक का पंजीयन रूप में किया जावेगा।
* पंजीयन उपरांत वन परिक्षेत्र अधिकारी द्वारा ebamboobazar.org पर डिपार्टमेन्ट लॉग इन आई-डी एवं पासवर्ड से वेरिफिकेशन किया जावेगा।
* इसके पश्चात् कृषक द्वारा म.प्र. राज्य बांस मिशन द्वारा एक्रीडिटेड बांस रोपणियों अथवा सूचीबद्ध टिशु कल्चर प्रयोगशालाओं से पौधा क्रय कर रोपित किया जावेगा।
* पौध रोपण उपरांत वन मण्डल अधिकारी द्वारा सत्यापन कर उपरोक्त संदर्भित प्रक्रिया अनुसार अनुदान सीधे कृषकों को वितरित किया जावेगा।

वर्ष 2022-23 हेतु राष्‍ट्रीय बांस मिशन द्वारा प्रदेश की रूपये 667.21 लाख की योजना की स्‍वीकृति प्रदान की गई है। मिशन द्वारा कुल 42 बांस शिल्पियों को तथा 735 बांस कृषकों को कौशल उन्‍नयन प्रशिक्षण दिलाया गया है।

बांस मिशन योजना अंतर्गत प्रदेश में इस वर्ष 7909 हेक्टेयर कृषि क्षेत्र में बांस वृक्षारोपण कराया गया है, कुल 3841 हितग्राही लाभांवित हुए हैं। है। मनरेगा योजना के तहत स्व सहायता समूहों के माध्यम से इस वर्ष कुल 4511 हेक्टेयर वन क्षेत्र में बांस रोपण कराया गया है। यह कार्य स्‍वसहायता समूहों के माध्‍यम से कराया गया है।

--------------

**अध्‍याय 2 (मैन्‍युअल - बी-xiii)**

रियायतों, अनुज्ञापत्रों तथा प्राधिकारों के प्रतिकर्ताओं के संबंध में विवरण

(Partuculars of recipients of concessions, permits or authorization granted by it)

-----------

विभाग में वनों के नजदीक रहने वाले ग्रामवासियों को रियायती दर पर वनोपज उपलब्ध कराने हेतु राज्य में निस्तार नीति लागू की गई है। पूर्व में निस्तार सुविधा दूर-दूर तक उन क्षेत्र में भी दी जाती रही थी, जहां वन नहीं थे। नई नीति में निस्तार सुविधा की पात्रता वनों की सीमा से 5 कि.मी. की परिधि के अन्दर स्थित परिवारों को ही दी जा रही है। इसके साथ-साथ स्वयं के उपयोग के लिये अथवा बिी के लिये सिरबोझ द्वारा गिरी - पड़ी, मरी, सूखी जलाऊ लकड़ी लाने की सुविधा भी पूर्व अनुसार दी जा रही है। वर्तमान निस्तार व्यवस्था के अन्तर्गत राज्य में 1814 निस्तार डिपो संचालित किये जा रहे हैं। वर्ष 2021 में निस्तार के तहत 19 लाख 52 हजार नग बांस, 8 हजार 600 नग बल्ली तथा 43 हजार 789 जलाऊ चट्टे ग्रामीणों को उपलब्ध कराये गये हैं। निस्तार व्यवस्था के तहत ग्रामीणों/बसोड़ों को 9 करोड़ 02 लाख रूपये की रियायत दी गई।

बांस का उत्पादन सीमित जिलों में होता है एवं उसकी मांग पूरे राज्य में रहती है। बसोड़ों के अलावा अन्य कई जनजाति के व्यक्ति भी परंपरागत रूप से बांस की सामग्री बनाकर अपना जीवन-यापन करते हैं। इस प्रकार की मांग की पूर्ति का प्रयास प्रदेश में संचालित निस्तार एवं उपभोक्ता डिपो के माध्यम से किया जाता है। प्रदेश के 1814 निस्तार डिपो में वनोपज एकत्र कर वितरित की जाती है। बसोड़ों को रायल्टी मुक्त बांस उपलब्ध कराया जाता है।

----------

**अध्‍याय 2 (मैन्‍युअल - बी-xiv)**

किसी इलैक्‍ट्रानिक रूप में सूचना के संबंध में ब्‍यौरे, जो उसको उपलब्‍ध हों या उसके द्वारा धारित हों

(details in respect of the information, available to or held by it,

reduced in an electronic form)

------------

विभाग में विगत वर्षों में कम्‍प्‍यूटर के उपयोग को बढ़ावा दिया गया है तथा अधिकाधिक सूचनाएं इलेक्‍ट्रानिक फार्म में उपलब्‍ध कराई जा रही है। विभाग की वेबसाईट www.mpforest.gov.in पर अधिकांश दस्‍तावेजों एवं जनोपयोगी आवश्‍यक सूचनाओं को उलपब्‍ध कराया गया है।

------------

**अध्‍याय 2 (मैन्‍युअल - (1) बी-xv)**

सूचना अभिप्राप्‍त करने के लिए नागरिकों को उपलब्‍ध सुविधाओं का विशिष्‍टताएं, जिनमें किसी पुस्‍तकालय या वाचन कक्ष के, यदि लोक उपयोग के लिए अनुरक्षित है तो, कार्यकरण घंटे सम्मिलित है

(The particulars of facilities available to citizens for obtaining information, including the working hours of a library or reading room, if maintained for public use)

------------

विभाग की रियायती मूल्य पर स्थानीय ग्रामवासियों को वनोपज उपलब्ध कराने की निस्तार योजना का विवरण निस्तार पत्रिका द्वारा पंचायतों के माध्यम से उपलब्ध कराई जाती है। विभाग की योजनाओं तथा कार्य मों के संबंध में स्थानीय समाचार पत्र तथा अन्य संचार माध्यमों की सहायता से सामान्य जनता को अवगत कराने की व्यवस्था है। सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 लागू होने के साथ ही विभागीय गतिविधियों संबंधी सूचनाएं अधिनियम के प्रावधानों तथा मध्यप्रदेप्र सूचना का अधिकार फिीस तथा अपीलक्रनियम, 2005 के अनुसार उपलब्ध कराने के लिये विभाग में मुख्यालय तथा क्षेत्रीय स्तर पर व्यवस्था की गई है।

**वन विभाग द्वारा संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी**

1. **ग्रामीणों को निस्तार सुविधाएं** - प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में शासकीय वनों से निस्तार सुविधाएं उपलब्ध करवाना।

**योजना का स्वरूप और कार्यक्षेत्र -**

* + 1. निस्तार नीति में रियायत की सुविधा वनों की सीमा से 5 किलोमीटर की परिधि के ग्रामों को होती है। इन ग्रामों को उपलब्धता के आधार पर वनोपज का प्रदाय वन समितियों के माध्यम से किया जाता है। जिन ग्रामों में वन समिति गठित नहीं हैं, वहां विभागीय निस्तार डिपो से वनोपज का प्रदाय किया जाता है।

(क) नगर निगम नगर पालिका एवं पंचायत क्षेत्र चाहे वे वन सीमा के पांच किलोमीटर की परिधि में या उनके बाहर स्थित हों, में वन विभाग वनोपज प्रदाय की कोई व्यवस्था नहीं करेगा। इन क्षेत्रों के निवासी स्थानीय बाजार से ही वनोपज प्राप्त करेंगे।

(ख) पांच किलोमीटर की परिधि के बाहर स्थित ग्रामों को निस्तार के अंतर्गत कोई रियायत प्राप्त नहीं होगी, परन्तु उपलब्धता के आधार पर पूर्ण बाजार मूल्य पर इन ग्रामों के ग्रामीणों को ग्राम पंचायत के माध्यम से वनोपज उपलब्ध कराई जा सकेगी।

(ग) वनों से स्वयं के उपयोग के लिये अथवा बिक्री के लिये सिरबोझ द्वारा उपलब्धता अनुसार गिरी, पड़ी, मरी, सूखी, जलाऊ लकड़ी ले जाने की सुविधा पूर्ववत् रहेगी।

* + 1. संयुक्त वन प्रबंधन के अंतर्गत गठित समिति के परिवारों को प्रति वर्ष उपलब्धतानुसार केवल विदोहन व्यय लेते हुए रॉयल्टी मुक्त निस्तार की पात्रता है, इसके तहत यदि किसी समिति के क्षेत्र में उत्पादन होता है, तो ही सदस्य को रॉयल्टी मुक्त निस्तार की पात्रता होगी। इसी प्रकार किसी क्षेत्र से उत्पादित वनोपज किसी अन्य समिति को दी जाती है तो उस पर रॉयल्टी देय होगी।

**दाह संस्कार की व्यवस्था -**

दाह संस्कार के लिए जलाऊ लकड़ी विश्राम घाटों पर प्रचलित बाजार दर का 80 प्रतिशत पर फुटकर विक्रेताओं को उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है।

**जलाऊ लकड़ी -**

(क) राज्य के समस्त आरक्षित एवं संरक्षित वनों से ग्रामीण गिरी-पड़ी, मरी, सूखी, जलाऊ लकड़ी स्वयं के उपयोग हेतु एवं बिक्री हेतु सिरबोझ से निःशुल्क ला सकते हैं।

(ख) उपलब्धता के आधार पर ग्रामीण अपने वास्तविक निस्तार के लिए निर्धारित दर पर जलाऊ चट्टे तक उपलब्धता के आधार पर दिये जा सकते हैं। एक ग्रामीण परिवार को वर्ष में अधिकतम दो चट्टे तक उपलब्धता के आधार पर दिये जा सकते हैं। उक्त चट्टों का परिवहन केवल बैलगाड़ी अथवा भैंसागाड़ी से किया जा सकेगा। कुछ ग्रामीणों को उपरोक्त चट्टे महँगे होने के कारण वन समिति सदस्यों को कूप से निस्तारी जलाऊ लकड़ी प्रदाय बैलगाड़ी अथवा ट्रैक्टर ट्रॉली से स्वयं चट्टा बनाकर लाने की सुविधा वर्ष 2007 से दी गई है। उपरोक्तानुसार प्राप्त किये जाने वाले चट्टों के लिए प्रति चट्टा मात्रा विदोहन मूल्य (आधा मानव दिवसस) वसूला जायेगा। ऐसे कूपों की सूची संबंधित वनमंडलाधिकारियों द्वारा प्रकाशित निस्तार पुस्तिका में दी जाती है।

(ग) कूपों के अलावा कुछ नाभिकीय जलाऊ डिपो भी स्थापित किये जावेंगे जहाँ के संलग्न ग्रामीण अपने वास्तविक निस्तार के लिए पंचायत के प्रमाण-पत्र पर अधिकतम दो चट्टे तक प्राप्त कर सकते हैं। इन चट्टों का केवल परिवहन बैलगाड़ी अथवा भैंसागाडी द्वारा किया जा सकेगा। ऐसे नाभिकीय डिपो से संलग्न ग्रामों की सूची संबंधित वनमंडलाधिकारियों द्वारा प्रकाशित निस्तार पुस्तिका में दी जाती है।

(घ) वनों से पांच किलोमीटर की परिधि के बाहर स्थित ग्रामों की ग्राम पंचायतें उनकी आवश्यकतानुसार बाजार दर पर निर्धारित डिपों से जलाऊ लकड़ी प्राप्त कर अपने ग्रामीणों को उपलब्ध करा सकती हैं। इन डिपो की सूची संबंधित वनमंडलाधिकारियों द्वारा प्रकाशित निस्तार पुस्तिका में दी जाती है A

**बल्‍ली -**

(क) वनों की सीमा से पांच किलोमीटर की परिधि में स्थित ग्रामों को निस्तार दर पर निर्धारित डिपो से बल्ली उपलब्ध कराई जायेगी। कृषि उपकरण योग्य लकड़ी में बल्ली शामिल रहेगी। एक परिवार को एक सीजन में उपलब्धता के आधार पर अधिकतम 10 बल्ली तक उपलब्ध कराई जावेगी। ऐसे निस्तार डिपो की सूची संबंधित वनमंडलाधिकारियों द्वारा प्रकाशित निस्तार पुस्तिका में दी जाती है।

(ख) वनों से पांच किलोमीटर की परिधि के बाहर स्थित ग्रामों के निवासी अपनी पंचायतों के माध्यम से केन्द्रीय डिपों से बल्लियां प्राप्त कर सकते हैं। बल्ली की बिक्री दर की सूची संबंधित वनमंडलों अधिकारियों द्वारा प्रकाशित निस्तार पुस्तिका में दी जाती हैं।

**बांस -**

(क) वनों से पांच किलोमीटर की परिधि में स्थित ग्रामीण क्षेत्र के निवासी प्रति वर्ष अधिकतम 250 नग बांस उपलब्धता के आधार पर निस्तार डिपो से प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे डिपों से संलग्न ग्रामों की सूची संबंधित वनमंडलाधिकारियों द्वारा प्रकाशित निस्तार पुस्तिका में दी जाती है।

(ख) प्रत्येक बंसोड़ परिवार को प्रति वर्ष उपलब्धता के आधार पर एक हजार 500 नग तक बांस प्रदाय किये जाने का प्रावधान है। ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में रहने वाले सभी बंसोड़ परिवारों को प्रदाय किये जाने वाले बांस पर राॅयल्टी माफ की गई है। इसी प्रकार बंसोड़ जाति के समान बुरड़, बंसोड़, बासोड़ी, बासफोर, बसोर एवं माँग जाति तथा उनकी उपजातियों के परिवारों को भी प्रदाय किये जाने वाले बांस पर रॉयल्टी माफ की गई है।

**2. मालिक मकबूजा प्रकरण में भुगतान -**

**उद्देश्य :** स्वयं की भूमि (मालिक मकबूजा) से प्राप्त काष्ठ के मूल्य का भुगतान भूमि स्वामी को किया जाता है।

**पात्रता की शर्तें :** मालिक-मकबूजा प्रकरणों में भुगतान के लिए आवश्यक शर्तें निम्नानुसार हैं:-

1. आवेदक की काष्ठ शासकीय काष्ठागार में आमद हो चुकी हो।

2. पृथक लॉट बनाकर विक्रय के विकल्प की स्थिति में विक्रय मूल्य की पूर्ण वसूली हो चुकी हो।

वर्तमान में म.प्र. लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 के तहत मालिक मकबूजा प्रकरण में भुगतान की निर्धारित समयावधि निम्नानुसार है:-

1. शासकीय दर पर काष्ठ विक्रय का विकल्प चुने जाने की स्थिति में डिपो में काष्ठ प्राप्त होने की दिनांक से 45 कार्य दिवसस

2. पृथक लॉट बनाकर विक्रय का विकल्प चुने जाने की स्थिति में, विक्रय मूल्य की पूर्ण वसूली होने के दिनांक से 30 कार्य दिवसस।

संपर्क: मालिक मकबूजा प्रकरण में भुगतान प्राप्त करने के लिए आवश्यक दस्तावेजों सहित आवेदन वन मण्डल अधिकारी के कार्यालय में प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

**3. वन्यप्राणियों द्वारा जन हानि करने पर क्षतिपूर्ति -**

उद्देश्य: वन्य जीवों द्वारा जन हानि किये जाने पर मृत व्यक्ति के परिवार को राहत राशि उपलब्ध कराना।

वन्यप्राणी द्वारा जनहानि करने पर क्षतिपूर्ति की जानकारी मध्य प्रदेश शासन, वन विभाग के आदेश क्रमांक/एफ 15-13/2007/10-2, दिनांक 29 अप्रैल, 2016 के अनुसार निम्नानुसार है:-

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **क्र.** | **वन्‍यप्राणियों द्वारा की जाने वाली हानि** | **क्षतिपूर्ति राशि** |
| 1. | जनहानि (मृत्यु होने पर वैधानिक उत्तराधिकारी को) | रूपये 8,00,000 (रूपये आठ लाख) मात्र एवं व्यक्ति की मृत्यु यदि घायल किये जाने के पश्चात इलाज के दौरान हुई हो तो इलाज पर हुआ वास्तविक व्यय। |
| 2. | स्थायी अपंगता होने पर | रूपये 2,00,000 (रूपये दो लाख) मात्र एवं इलाज पर हुआ वास्तविक व्यय तथा अस्पताल में भर्ती होने की अवस्था में अतिरिक्त रूप में रूपये 500/- प्रतिदिन (अस्पताल में भर्ती रहने की अवधि हेतु) (अधिकतम सीमा रू. 50,000/- (रूपये पचास हजार) तक होगी) |
| 3. | घायल होने पर | घायल व्यक्ति के इलाज पर हुआ वास्तविक व्यय तथा अस्पताल में भर्ती होने की अवस्था में अतिरिक्त रूप में रूपये 500/- प्रतिदिन (अस्पताल में भर्ती रहने की अवधि हेतु) (अधिकतम सीमा रूपये 50,000/- (रूपये पचास हजार) तक होगी) |

विशेष: सादे आवेदन में घटना की लिखित जानकारी तत्काल समीपस्थ वन अधिकारी को देना अनिवार्य है।

**4. वन्यप्राणियों द्वारा निजी मवेशी/ पशुओं के मारे जाने पर सहायता -**

योजना का स्वरूप और कार्य क्षेत्र: वन्यप्राणी द्वारा पशु हानि करने पर राजस्व पुस्तक परिपत्र में वर्तमान में प्रचलित निम्न दरों के अनुसार भुगतान किया जाता हैं -

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **क्र.** | **पशुहानि के लिए** | **क्षतिपूर्ति राशि** |
| 1 | **दुधारू पशु**  (क) भैंस/गाय/ऊंट/याक/मिथुन आदि  (ख) भेड़/ बकरी | 30,000 (रुपये तीस हजार)  3,000 (रुपये तीन हजार) |
| 2 | **गैर दुधारू पशु**  (क) बैल/ भैंसा/ ऊंट /घोड़ा आदि  (ख) बछड़ा - (गाय/भैंस)/गधा/ पोनी/ खच्चर  (ग) बच्चा - घोड़ा/ ऊंट | 25,000 (रुपये पच्चीस हजार)  16,000 (रुपये सोलह हजार)  10,000 (रुपये दस हजार) |
| 3 | सुअर | 3,000 (रुपये तीन हजार) |
| 4 | बच्चा- सुअर, भेड़, बकरी, गधा | 250/- (रूपये दो सौ पचास) |

टीप - वन्यप्राणियों से पशु घायल के प्रकरणों में राजस्व पुस्तक परिपत्र की वर्तमान दरों की 50 प्रतिशत तक क्षतिपूर्ति राशि दी जाती है।

**योजना क्रियान्वयन की प्रक्रिया :** सहायता पाने के लिये यह आवश्यक है कि -

1. निजी पशु मारे जाने पर सूचना समीप के वन अधिकारी को घटना के 48 घंटे के अंदर दी गई हो।

2. मारे गये मवेशी/पशु को मारे गये स्थान से नहीं हटाया गया हो। वर्तमान में म.प्र. लोक सेवाओं के प्रदान की गांरटी अधिनियम, 2010 के तहत वन्य प्राणियों से पशु हानि हेतु राहत राशि के भुगतान की निर्धारित समयावधि आवेदन दिनांक से तीस कार्य दिवसस है।

संपर्क: प्रकरण की सूचना मालिक द्वारा निकटतम वन अधिकारी (परिक्षेत्राधिकारी) को दी जानी चाहिए।

**5. संयुक्त वन प्रबंधन**

**संयुक्त वन प्रबंध समितियों को लाभांश वितरण -**

मध्य प्रदेश वन विभाग के अंतर्गत वर्तमान में 15,608 संयुक्त वन प्रबंध समितियां गठित होकर कार्यरत है। इन समितियों के माध्यम से कुल 79,704 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र की सुरक्षा के कार्य कराये जा रहे हैं। प्रदेश के वनों में रहने वाले निवासियों को वनोपज का पहला अधिकार इन्ही समितियों का मानते हुए शासन द्वारा प्रत्येक वर्ष काष्ठ एवं बांस के लाभांश का वितरण किया जाता है। इसके अंतर्गत काष्ठ कूपों के विदोहन से प्राप्त होने वाली काष्ठ की बिक्री से प्राप्त राजस्व का 20 प्रतिशत राशि वन समितियों को देने का प्रावधान है। बांस के लाभ की शत-प्रतिशत राशि कटाई में संलग्न श्रमिकों को वितरण की व्यवस्था है।

**6. शहीद अमृता देवी विश्नोई पुरस्कार -**

राज्य शासन द्वारा वर्ष 2001 से प्रत्येक वर्ष वन एवं वन्य प्राणियों की रक्षा में किए गए विशिष्ट कार्यों हेतु शासकीय एवं अशासकीय सदस्यों को यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग के संशोधित आदेश द्वारा वर्ष 2006 से निम्न श्रेणियों में पुरस्कृत करने का प्रावधान है -

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **क्र.** | **पुरस्‍कार वर्ग** | **कार्य क्षेत्र** | **पुरस्‍कार** |
| 1 | संस्थागत - ग्राम पंचायत, संयुक्त वन प्रबंध के अंतर्गत गठित समितियां, आशासकीय स्वयंसेवी संस्थान | वन रक्षा एवं वन संवर्धन में उत्कृष्ट कार्य | एक लाख रुपये नकद तथा प्रशास्ति पत्र |
| 2 | व्यक्तिगत (अशासकीय) | वन रक्षा एवं वन संवर्धन में उत्कृष्ट कार्य | पचास हजार रुपये तथा प्रशस्ति-पत्र |
| 3 | व्यक्तिगत (अशासकीय) | वन्य प्राणियों की रक्षा में उल्लेखनीय कार्य (अदम्य साहस एवं सूझबूझ का प्रदर्शन) | पचास हजार रुपये तथा प्रशस्ति-पत्र |
| 4 | व्यक्तिगत (अशासकीय) | वन रक्षा एवं वन संवर्धन में उत्कृष्ट कार्य | पचास हजार रुपये तथा प्रशस्ति-पत्र |
| 5 | व्यक्तिगत (अशासकीय) | वन्य प्राणियों की रक्षा में उल्लेखनीय कार्य (अदम्य साहस एवं सूझबूझ का प्रदर्शन) | पचास हजार रुपये तथा प्रशस्ति-पत्र |

**7. बसामन मामा स्मृति वन एवं वन्यप्राणी संरक्षण पुरस्कार :**

मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग द्वारा मध्यप्रदेश एवं विंध्य क्षेत्र में वन एवं वन्य प्राणी संरक्षण के क्षेत्र में प्रदर्शित की गई शूरवीरता तथा निजी भूमि में वृक्षारोपण को प्रोत्साहित करने हेतु शासकीय अधिकारियों/ कर्मचारियों, अशासकीय व्यक्तियों/ संस्था/ समितियों को पुरस्कृत करने के लिये दो श्रेणियों में निम्नानुसार ‘‘बसामन मामा स्मृति पुरस्कार’’ वर्ष 2009 से संस्थापित किया गया है।

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **1. विन्ध्य क्षेत्र स्तरीय पुरस्कार (वन एवं वन्य प्राणी संरक्षण हेतु)** | | | |
| **पुरस्‍कार वर्ग** | | | **पुरस्‍कार** |
| **(क) शासकीय अधिकारियों/ कर्मचारियों हेतु**  1. प्रथम पुरस्कार  2. द्वितीय पुरस्कार  3. तृतीय पुरस्कार | | **(ख) अशासकीय व्यक्तियों हेतु**  1. प्रथम पुरस्कार  2. द्वितीय पुरस्कार  3. तृतीय पुरस्कार | दो लाख रुपये तथा प्रशस्ति-पत्र  एक लाख रुपये तथा प्रशस्ति-पत्र  पचास हजार रुपये तथा प्रशस्ति-पत्र |
| **2. राज्य स्तरीय वन संवर्धन पुरस्कार (निजी भूमि में वृक्षारोपण हेतु)** | | | |
| **पुरस्‍कार वर्ग** | | | **पुरस्‍कार** |
| **(क) राज्य के अंतर्गत पांच हेक्टेयर से अधिक**  1. प्रथम पुरस्कार  2. द्वितीय पुरस्कार  3. तृतीय पुरस्कार | **(ख ) राज्य के अंतर्गत पांच हेक्टेयर से कम**  1. प्रथम पुरस्कार  2. द्वितीय पुरस्कार  3. तृतीय पुरस्कार | | दो लाख रुपये तथा प्रशस्ति-पत्र  एक लाख रुपये तथा प्रशस्ति-पत्र  पचास हजार रुपये तथा प्रशस्ति-पत्र |

**8. लोक वानिकी के माध्यम से ग्रामीणों और पंचायतों की आय -**

**उद्देश्य -** निजी तथा राजस्व भूमि पर खड़े वनों तथा पड़ती भूमि की उत्पादकता बढ़ाकर भूमि स्वामियों और पंचायतों को नियमित आय सुनिश्चित करवाना।

पात्र हितग्राही -

1. निजी भूमि पर खड़े वनों/ वृक्ष आच्छादित क्षेत्रों, पड़ती भूमि का वैज्ञानिक प्रबंधन करने के इच्छुक भूमि स्वामी।
2. जिन पंचायतों के क्षेत्र में राजस्व विभाग के बड़े झाड़-छोटे झाड़ के जंगल/ पड़ती जमीन हो और उस पर वानिकी विकास करने के इच्छुक ग्राम पंचायतें।

**योजना क्रियान्वयन की प्रक्रिया -** योजना का क्रियान्वयन वन विभाग और राजस्व विभाग के सहयोग से किया जाता है। वन विभाग क्रियान्वयन में नोडल भूमिका निभाता है।

संपर्क - वन मंडलाधिकारी (क्षेत्रीय) से संपर्क किया जा सकता है।

**9. ग्रीन इंडिया मिशन -**

उद्देश्य - वनों का सुधार एवं पुनरूद्धार के साथ-साथ वन आश्रित स्थानीय समुदाय को वैकल्पिक एवं वन आधारित आजीविका के साधन उपलब्ध कराना एवं उनकी क्षमता विकास के साथ के अवसर उपलब्ध करवाना है।यह योजना मध्यप्रदेश के 20 वनमंडलों में संचालित है जो इस प्रकार है - सतना, उमरिया, दक्षिण बालाघाट, होशंगाबाद, दक्षिण सिवनी, उत्तर बैतूल, पश्चिम बैतूल, रायसेन, औबेदुल्लांगज, सीहोर,धार, झाबुआ, बडवानी, सेंधवा, बुरहानपुर, दक्षिण सागर, दक्षिण पन्ना, श्योपुर तथा शिवपुरी।

**पात्र हितग्राही :-** योजना का मूल उद्देश्य वृक्षारोपण है। वृक्षारोपण क्षेत्र के पास के ग्रामो के ग्रामीण युवाओ के कौशल उन्न्यन हेतु प्रशिक्षण आयोजित किये जाते है। प्रत्येक प्रशिक्षण हेतु पात्रता पृथक-पृथक होती है जो कि नेशनल स्कील क्वालीफिकेशन फ्रेमवर्क (NSQF) द्वारा निर्धारित पात्रता के अनुरूप होती है।

**योजना क्रियावंयन की प्रकिया -** उपचार क्षेत्र के आस पास के युवाओं के प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए परिक्षेत्र/ बीट स्तरीय वनकर्मियों द्वारा ग्रामवार प्रशिक्षण आवश्यकता मूल्यांकन (training Need Assessment) किया जाता है। जिसके उपरांत युवा हितग्राहियों की रूचि अनुसार विभिन्न विधाओं की सूची तैयार का वनमंडल स्तर पर प्रशिक्षण प्रदाताओं से प्रशिक्षण प्रस्ताव मंगवाए जाते हैं। चयनित प्रशिक्षण एजेंसी द्वारा परिक्षेत्र/ बीट स्तरीय वनकर्मियों के सहयोग से युवा प्रशिक्षुओं का चयन कर प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।

संपर्क :- योजना मे सम्मलित वन मंडलों के वनमंडलाधिकारी (क्षेत्रीय) से संपर्क किया जा सकता है।

**10. तेंदूपत्ता संग्राहकों को प्रोत्साहन पारिश्रमिक का भुगतान -**

प्रदेश में लघु वनोपज व्यवसाय से होने वाली संपूर्ण शुद्ध आय प्राथमिक सहकारी समितियों को उपलब्ध कराई जा रही है। इस शुद्ध आय का 75 प्रतिशत भाग संग्राहकों को, उनके द्वारा संग्रहित मात्रा के अनुपात में प्रोत्साहन पारिश्रमिक के रूप में नकद भुगतान करने का प्रावधान है।

पात्रता - समस्त तेंदूपत्ता संग्राहक।

सम्पर्क - संबधित लघु वनोपज समिति।

**एकलव्य शिक्षा विकास योजना -**

**योजना :** वनोपज संघ की कल्याणकारी योजनाओं की श्रृंखला में एक नई कड़ी के रूप में एकलव्य वनवासी शिक्षा विकास योजना प्रारंभ की जा रही है।

**उद्देश्य :** इस योजना को प्रारंभ करने का उद्देश्य वन क्षेत्रों में निवास करने वाले तेंदूपत्ता संग्राहकों के बच्चों की शिक्षा की ऐसी व्यवस्था करना है, जिससे तेंदूपत्ता संग्राहकों के होनहार बच्चे धनाभाव के कारण उच्च शिक्षा प्राप्त करने से वंचित नहीं रह जाएं।

**पात्र :** तेंदूपत्ता संग्राहकों, फड़ मुंशियों एवं वनोपज समितियों के प्रबंधकों के बच्चों को अच्छी शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु उत्कृष्ट शिक्षण संस्थानों में उनके प्रवेश करवाकर शिक्षा का व्यय वनोपज संघ द्वारा वहन किया जाए ताकि वनवासी परिवारों के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके।

**स्वरूप : योजना के मुख्य बिन्दु निम्नानुसार हैं:-**

1. इस योजना का लाभ प्रदेश के तेंदूपत्ता संग्राहाकों, फड़ मुंशियों एवं वनोपज समितियों एवं प्राथमिक वनोपज समितियों के प्रबंधकों के बच्चों को प्राप्त हो सकेगा। संग्राहक के लिए यह आवश्यक है कि इन पाँच वर्षों में कम से कम तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष उनके द्वारा न्यूनतम एक मानक बोरा तेंदूपत्ता का संग्रहण किया गया हो। फड़ मुंशी एवं समिति प्रबंधक द्वारा कम से कम तीन वर्षों में तेंदूपत्ता सीजन में कार्य किया गया हो।
2. इस योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने हेतु उन्हीं बच्चों के प्रकरणों पर विचार किया जायेगा, जिन्होंने पिछले शिक्षा सत्र में कम से कम 60 प्रतिशत अंक अथवा समकक्ष ग्रेड अर्जित किया हो।
3. इस योजना में कक्षा 9 से 12 तक एवं स्नातक स्तर की शिक्षा प्राप्त करने वाले बच्चों को प्रावीण्य सूची के आधार पर शामिल किया जायेगा।
4. इस योजना के अंतर्गत चयनित छात्र-छात्राओं को शिक्षण शुल्क, पाठ््îक्रम हेतु निर्धारित पुस्तकों के क्रय में होने वाला व्यय, छात्रावास में ठहरने एवं भोजन पर व्यय तथा वर्ष में एक बार अपने घर जाने एवं वापस शिक्षण स्थल तक आने हेतु निकटतम मार्ग से रेल में स्लीपर क्लास अथवा साधारण श्रेणी का बस किराये पर यात्रा व्यय मिलने की पात्रता होगी। छात्र-छात्राओं को मिलने वाली कुल सहायता की वार्षिक सीमा निम्नानुसार होगी।

1. कक्षा 9वीं एवं 10वीं के छात्रों को 12,000 रुपये।

2. कक्षा 11वीं एवं 12वीं के छात्रों को 15,000 रुपये

3. गैर तकनीकी स्नातक छात्रों को 20,000 रुपये।

4. व्यावसायिक कोर्स के छात्रों को 50,000 रुपये।

1. यदि चयनित छात्र-छात्राओं को केन्द्रीय/ राज्य शासन अथवा किसी भी अन्य संस्थान आदि से किसी अन्य योजना के अंतर्गत कोई छात्रवृत्ति अथवा सहायता प्राप्त हो रही है, तो वनोपज संघ द्वारा इस योजना के अंतर्गत दी जाने वाली सहायता में उसे प्राप्त हो रही राशि की सीमा तक कम की जा सकती है।
2. योजना के अंतर्गत चयनित छात्र छात्राओं को निरंतर न्यूनतम 60 प्रतिशत अथवा समकक्ष ग्रेड प्राप्त करना होगा। यदि किसी अप्रत्याशित परिस्थितिवश किसी चयनित छात्र-छात्रा का प्रदर्शन उससे नीचे जाता है तो उसके द्वारा आवेदन प्रस्तुत करने के उपरांत उसे अपने प्रदर्शन में सुधार लाने के लिये अधिकतम एक अवसर प्रदान किया जा सकेगा।
3. उपरोक्त पैरा छह के अध्यधीन रहते हुए इस योजना के अंतर्गत सहायता नवीं कक्षा या उसके बाद की कक्षाओं में अध्ययन हेतु तब तक दी जायेगी जब तक कि संबंधित छात्र-छात्रा का प्रदर्शन निर्धारित न्यूनतम स्तर से ऊपर का रहता है।
4. इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक वर्ष संघ के संचालक मंडल द्वारा दी जाने वाली आर्थिक सहायता के लिए बजट की राशि निर्धारित की जायेगी। इस स्वीकृत बजट राशि के अंतर्गत श्रेष्ठता क्रम में चयनित छात्र-छात्राओं को इस योजना का लाभ मिल सकेगा।
5. इस योजना के अंतर्गत किसी वर्ष के लिए उपलब्ध बजट की 50 प्रतिशत राशि कक्षा नवीं से बारहवीं तक की कक्षा के लिए तथा शेष 50 प्रतिशत राशि स्नातक स्तर की शिक्षा के लिए व्यय हेतु उपलब्ध हो सकेगी।
6. इस योजना के अंतर्गत प्रवीणता के आधार पर छात्र-छात्राओं के चयन हेतु सूची राज्य स्तर पर लघु वनोपज संघ द्वारा तैयार की जायेगी।

------------------

**अध्‍याय 2 (मैन्‍युअल- बी-xvi)**

लोक सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम और अन्य विशिष्टियाँ

(The names, designations and other particulars of the Public Information Officers)

------------

प्रधान मुख्य वन संरखक द्वारा आदेश क्र. सम/ व्यवस्था/ 259, दिनांक 21-09-2005 तथा मांक/ समन्वय/ व्यवस्था / 669, दिनांक 03-10-2011 से विभाग के लिये निम्नानुसार अधिकारियों का नामांकन किये गये हैं :-

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **क्र.** | **कार्यालय का नाम** | **सहायक लोक सूचना अधिकारी** | **लोक सूचना अधिकारी** | **अपीलीय अधिकारी** |
| 1 | प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख  मध्यप्रदेश, भोपाल | सहायक वन संरक्षक, संपदा अधिकारी कार्या. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (समन्वय) | मुख्य वन संरक्षक,  कार्या. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (समन्वय) | अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (समन्वय) |
| 2 | प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) मध्यप्रदेश भोपाल | सहायक वन संरक्षक (वन्य प्राणी) | मुख्य वन संरक्षक (प्रबंधन) | अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) |

**क्षेत्रीय स्‍तर पर निम्‍नानुसार अधिकारी नामांकित किये गये हैं :-**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **क्र.** | **कार्यालय का नाम** | **सहायक लोक सूचना अधिकारी** | **लोक सूचना अधिकारी** | **अपीलीय अधिकारी** |
| 1 | कार्यालय मुख्य वनसंरक्षक कार्य आयोजना, आंचलिक इन्दौर, जबलपुर भोपाल | - | मानचित्रकार वरिष्ठतम | मुख्य वन संरक्षक/ अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक कार्य आयोजना आंचलिक |
| 2 | क्षेत्र संचालक संचालक राष्ट्रीय उद्यान | सहायक संचालक वरिष्ठतम/ अभ्यारण्य अधीक्षक | उप संचालक वरिष्ठतम | क्षेत्र संचालक/ यंचालक राष्ट्रीय उद्यान |
| 3 | मुख्य वन संरक्षक / वन संरक्षक कार्य आयोजना ईकाई | वन क्षेत्रपाल वरिष्ठतम | मुख्य वन संरक्षक/ वन संरक्षक कार्य आयोजना | संबंधित अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक/ मुख्य वन संरक्षक कार्य आयोजना आंचलिक भोपाल इन्दौर / जबलपुर |
| 4 | मुख्य वन संरक्षक अनुसंधान / वविस्तार वृत्त | सहायक वन संरक्षक अनुसंधान एवं विस्तार वृत्त | मुख्य वन संरक्षक अनुसंधान एवं विस्तार वृत्त | अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक अनुसंधान एवं विस्तार म0प्र0 भोपाल |
| 5 | प्राचार्य, वन क्षेत्रपाल महावविद्यालय, बालाघाट | सहा0 अनुदेशक वरिष्ठतम | अनुदेशक वरिष्ठतम | प्राचार्य |
| 6 | संचालक वन विद्यालय | अनुदेशक वरिष्ठतम | संचालक | संबंधित मुख्य वन संरक्षक क्षेत्रीय |
| 7 | विक्रय अधिकारी मध्यप्रदेश शासन, नई दिल्ली | - | सहायक वन संरक्षक | विक्रय अधिकारी मध्य्रपदेश शासन नई दिल्ली |

**बालाघाट वृत्‍त -**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **क्र.** | **कार्यालय का नाम** | **सहायक लोक सूचना अधिकारी** | **लोक सूचना अधिकारी** | **अपीलीय अधिकारी** |
| 01 | मुख्य वन संरक्षक बालाघाट | अधीक्षक वृत्त | सं.व.सं. / संलग्नाधिकारी | मुख्य वन संरक्षक बालाघाट |
| **उत्तर समान्य वन मण्डल बालाघाट** | | | | |
| 01 | कार्या0 वनमण्डलाधिकारी उत्तर सामान्य वन मण्डल बालाघाट | मुख्य लिपिक वन मण्डल कार्यालय बालाघाट | उपवन मण्डलाधिाकारी बालाघाट | वन मण्डलाधिकारी उत्तर सामान्य वन मण्डल बालाघाट |
| 02 | कार्यालय उपवनमण्डलाधिकारी उकवा सामान्य | 1. परिक्षेत्र अधिकारी उत्तर लामता सामान्य 2. परिक्षेत्र अधिकारी दक्षिण लामता  3. परिक्षेत्र अधिकारी उत्तर उकवा सा.  4. परिक्षेत्र अधिकारी दक्षिण उकवा सा. | उपवन मण्डलाधिकारी उकवा सा. मुख्यालय बालाघाट | वनमण्डलाधिकारी उत्तर सामान्य वनमण्डल बालाघाट |
| 03 | कार्यालय उप वनमण्डलाधिकारी बैहर सामान्य | 1. परिक्षेत्र अधिकारी पूर्व बैहर सा.  2. परिक्षेत्र अधिकारी पश्चिम बैहर सा.  3. परिक्षेत्र अधिकारी बिरसा/ दमोह सा. | उपवन मण्डलाधिकारी बैहर सामान्य | वनमण्डलाधिकारी उत्तर सामान्य वनमण्डल बालाघाट |
| **दक्षिण सामान्य वन मण्डल बालाघाट** | | | | |
| 01 | कार्या0 वनमण्डलाधिकारी दक्षिण सामान्य वन मण्डल बालाघाट | मुख्य लिपिक वन मण्डल कार्यालय बालाघाट | उपवन मण्डलाधिाकारी बालाघाट | वन मण्डलाधिकारी दक्षिण सामान्य वन मण्डल बालाघाट |
| 02 | कार्यालय उपवनमण्डलाधिकारी बालाघाट सामान्य | 1. परिक्षेत्र अधिकारी बालाघाट सामान्य  2. परिक्षेत्र अधिकारी लौगुर सा.  3. परिक्षेत्र अधिकारी वारा सिवनी सा.  4. परिक्षेत्र अधिकारी कंटगी सा  05. परिक्षेत्र अधिकारी लालबर्रा सा.  06. परिक्षेत्र अधिकारी खैरलांजी सा | उपवन मण्डलाधिकारी बालाघाट | वन मण्डलाधिकारी दक्षिण सामान्य वन मण्डल बालाघाट |
| 03 | कार्यालय उप वनमण्डलाधिकारी लांजीसामान्य | 1. परिक्षेत्र अधिकारी पूर्व हटटा सा.  2. परिक्षेत्र अधिकारी किरनारपुर सा.  3. परिक्षेत्र अधिकारी पूर्व लांजी सा.  04. परिक्षेत्र अधिकारी प0 लांजी | उपवन मण्डलाधिकारी लांजी सामान्य | वन मण्डलाधिकारी दक्षिण सामान्य वन मण्डल बालाघाट |
| **उत्तर उत्पादन वनमंडल बालाघाट** | | | | |
| 1 | कार्यालय वनमण्डलाधिकारी उत्तर उत्पादन वनमण्डल बालाघाट | मुख्य लिपिक वनमण्डल कार्यालय | उप वनमण्डलाधिकारी लामता मुख्यालय बालाघाट | वनमण्डलाधिकारी उत्तर उत्पादन वनमण्डल बालाघाट |
| 2 | कार्यालय उपवनमण्डलाधिकारी लामता उत्पादन | पऱिक्षेत्र अधिकारी उत्तर लामता उत्पादन परिक्षेत्र अधिकारी नगरवाडा उत्पादन  परिक्षेत्र अधिकारी लामता डिपो | उप वनमण्डलाधिकारी लामता मुख्यालय बालाघाट | वनमण्डलाधिकारी उत्तर उत्पादन वनमण्डल बालाघाट |
| 3 | कार्यालय उप वनमण्डल अधिकारी बैहर उत्पादन | पऱिक्षेत्र अधिकारी पूर्व बैहर उत्पादन  परिक्षेत्र अधिकारी पश्चिम बैहर उत्पादन  परिक्षेत्र अधिकारी परसवाडा उत्पादन  डिपों अधिकारी बैहर काष्ठागार | उप वनमण्डलाधिकारी बैहर उत्पादन | वनमण्डलाधिकारी उत्तर उत्पादन वनमण्डल बालाघाट |
| 4 | कार्यालय उपवनमण्डलाधिकारी मलाजखंड उत्पादन | परिक्षेत्र अधिकारी बिरसा सालेटेकरी उत्पादन | उपवनमण्डलाधिकारी मलाजखण्ड उत्पादन | वनमण्डलाधिकारी उत्तर उत्पादन वनमण्डल बालाघाट |
| **दक्षिण उत्पादन वनमण्डल बालाघाट** | | | | |
| 1 | कार्यालय उप वनमण्डल अधिकारी किरनारपुर उत्पादन | - | उपवनमण्डल अधिकारी किरनारपुर उत्पादन | वनमण्डलाधिकारी दक्षिण उत्पादन वनमण्डल |
| 2 | कार्यालय उप वनमण्डल अधिकारी किरनारपुर उत्पादन | परिक्षेत्र अधिकारी हटटा उत्पादन  परिक्षेत्र अधिकारी किरनारपुर उत्पादन | उपवनमण्डलाधिकारी किरनारपुर उत्पादन | वनमण्डलाधिकारी दक्षिण उत्पादन वनमण्डल बालाघाट |
| 3 | कार्यालय उप वनमण्डलाधिकारी पूर्व लांजी उत्पादन | परिक्षेत्र अधिकारी कन्सुली उत्पादन  परिक्षेत्र अधिकारी सुलसुली उत्पादन  पऱिक्षेत्र अधिकारी बीजीगढ उत्पादन  डिपो अधिकारी बकरामुण्डी | उप वनमण्डलाधिकारी पूर्व लांजी उत्पादन | वनमण्डलाधिकारी दक्षिण उत्पादन वनमण्डल बालाघाट |
| 4 | कार्यालय उप वनमण्डलाधिकारी पश्चिम लांजी उत्पादन | परिक्षेत्र अधिकारी रिसेवाडा उत्पादन  परिक्षेत्र अधिकारी सीतापाल  उत्पादन  डिपो अधिकारी लांजी | उप वनमण्डलाधिकारी पश्चिम लांजी उत्पादन | वनमण्डलाधिकारी दक्षिण उत्पादन वनमण्डल बालाघाट |
| **पश्चिम उत्पादन वनमण्डल बालाघाट** | | | | |
| 1 | कार्यालय उपवनमण्डलाधिकारी बालाघाट उत्पादन | परिक्षेत्र अधिकारी बालाघाअ उत्पादन  परिक्षेत्र अधिकारी बंजारी उत्पादन  पऱिक्षेत्र अधिकारी लालबर्रा उत्पादन  डिपो अधिकारी वारासिवनी उत्पादन  परिक्षेत्र अधिकारी कटंगी उत्पादन  डिपो अधिकारी गर्रा उत्पादन  डिपो अधिकारी गर्रा काष्ठागार | कार्यालय उपनमण्डलाधिकारी बालाघाट उत्पादन | वनमण्डलाधिकारी पश्चिम उत्पादन वनमण्डल बालाघाट |

**बैतूल वृत्त -**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **क्र.** | **कार्यालय का नाम** | **सहायक लोक सूचना अधिकारी** | **लोक सूचना अधिकारी** | **अपीलीय अधिकारी** |
| 1 | मुख्य वन संरक्षक बैतूल वृत्त | अधीक्षक वृत्त | स.व.स./ संलग्नाधिकारी | मुख्य वन संरक्षक बैतूल वृत्त |
| 2 | वनमण्डलाधिकारी उत्तर सा0 बैतूल | मुख्य लिपिक वनमण्डल | स.व.सं. / संलग्नाधिकारी वनमण्डल | वनमण्डलाधिकारी उत्तर सा बैतूल |
| 3 | उप वनमण्डलाधिकारी सा0 बैतूल | - | उपवनमण्डलाधिकारी सा. बैतूल | वनमण्डलाधिकारी उत्तर सा. बैतूल |
| 4 | परिक्षत्र अधिकारी सा. बैतूल | - | परिक्षेत्र अधिकारी सा0 बैतूल | उपमण्डलाधिकारी सा बैतूल |
| 5. | उप वनमण्डउलाधिकारी सा. क्रशाहपुर | - | उपवनमण्डलाधिकारी सा. क्रहशाहपुर | वनमण्डलाधिकारी उत्तर सा. बैतूल |
| 6. | पऱिक्षेत्र अधिकारी सा. क्रशाहपुर | - | परिक्षेत्र अधिकारी सा0 क्रशाहपुर | उपमण्डलाधिकारी सा क्रशाहपुर |
| 7 | परिक्षेत्र अधिकारी सा. क्रभौंरा | - | परिक्षेत्र अधिकारी सा. क्रभौरा | उपमण्डलाधिकारी सा. क्रशाहपुर |
| 8. | उप वनमण्डलाधिकारी सा. सारणी | - | उप वनमण्डलाधिकारी सा सारणी | वनमण्डलाधिकारी उत्रर सा. बैतूल |
| 9 | परिक्षेत्र अधिकारी सा. सारणी | - | परिक्षेत्र अधिकारी सा. सारणी | उपमण्डलाधिकारी सा. सारणी |
| 10 | परिक्षेत्र अधिकारी सा. क्ररानीपुर | - | परिक्षेत्र अधिकारी सा. क्ररानीपुर | उपमण्डलाधिकारी सा. सारणी |
| 11 | वनमण्डलाधिकारी दक्षिण सा0 बैतूल | मुख्य लिपिक वनमण्डल | स.व.सं. / संलग्नाधिकारी वनमण्डल | वनमण्डलाधिकारी दक्षिण सा. बैतूल |
| 12 | उप वनमण्डलाधिकारी सा. आमला | - | उप वनमण्डलाधिकारी सा आमला | वनमण्डलाधिकारी दक्षिण सा. बैतूल |
| 13 | परिक्षेत्र अधिकारी सा. आमला | - | परिक्षेत्र अधिकारी सा. आमला | उपमण्डलाधिकारी सा. आमला |
| 14 | परिक्षेत्र अधिकारी सा. ताप्ती | - | परिक्षेत्र अधिकारी सा. ताप्ती | उपमण्डलाधिकारी सा. आमला |
| 15 | उप वनमण्डलाधिकारी सा. भैसदेही | - | उप वनमण्डलाधिकारी सा भैसदेही | वनमण्डलाधिकारी दक्षिण सा. बैतूल |
| 16 | परिक्षेत्र अधिकारी सा. सावलमेढा | - | परिक्षेत्र अधिकारी सा. सावलमेढा | उपमण्डलाधिकारी सा. भैसदेही |
| 17 | परिक्षेत्र अधिकारी सा. भैसदेही | - | परिक्षेत्र अधिकारी सा. भैसदेही | उपमण्डलाधिकारी सा. भैसदेही |
| 18 | उप वनमण्डलाधिकारी सा. मुलताई | - | उप वनमण्डलाधिकारी सा मुलताई | वनमण्डलाधिकारी दक्षिण सा. बैतूल |
| 19 | परिक्षेत्र अधिकारी सा. मुलताई | - | परिक्षेत्र अधिकारी सा. मुलताई | उपमण्डलाधिकारी सा. मुलताई |
| 20 | परिक्षेत्र अधिकारी सा. आठनेर मुख्यालय मोर्शी | - | परिक्षेत्र अधिकारी सा. आठनेर मुख्यालय मोर्शी | उपमण्डलाधिकारी सा. मुलताई |
| 21 | वनमण्डलाधिकारी पश्चिम सा. बैतूल | मुख्य लिपिक वनमण्डल | स.व.सं. / संलग्नाध्किारी वनमण्डल | वन मण्डलाधिकारी पश्चिम सा बैतूल |
| 22 | उप वनमण्डलाधिकारी सा. चिचोली | - | उप वनमण्डलाधिकारी सा चिचोली | वनमण्डलाधिकारी पश्चिम सा. बैतूल |
| 23 | परिक्षेत्र अधिकारी सा. चिचोली | - | परिक्षेत्र अधिकारी सा. चिचोली | उपमण्डलाधिकारी सा. चिचोली |
| 24 | परिक्षेत्र अधिकारी सा. सावलीगढ | - | परिक्षेत्र अधिकारी सा. सावलीगढ | उपमण्डलाधिकारी सा. चिचोली |
| 25 | परिक्षेत्र अधिकारी सा. गवासेन | - | परिक्षेत्र अधिकारी सा. गवासेन | उपमण्डलाधिकारी सा. चिचोली |
| 26 | उप वनमण्डलाधिकारी सा. तावडी | - | उप वनमण्डलाधिकारी सा तावडी | वनमण्डलाधिकारी पश्चिम सा. बैतूल |
| 27 | परिक्षेत्र अधिकारी सा. तावडी | - | परिक्षेत्र अधिकारी सा. तावडी | उपमण्डलाधिकारी सा. तावडी |
| 28 | परिक्षेत्र अधिकारी सा. मोहदा | - | परिक्षेत्र अधिकारी सा. मोहदा | उपमण्डलाधिकारी सा. चिचोली |
| 29 | वनमण्डलाधिकारी बैतूल उत्पादन | लेखा अधीक्षक/ मुख्य लिपिक | उपवन मण्डल अधिकारी बैतूल उत्पादन | वन मण्डलाधिकारी बैतूल उत्पादन |
| 30 | उप वनमण्डलाधिकारी उत्पादन ताप्ती | - | उप वनमण्डलाधिकारी उत्पादन ताप्ती | वनमण्डलाधिकारी बैतूल उत्पादन |
| 31 | परिक्षेत्र अधिकारी ताप्ती | - | परिक्षेत्र अधिकारी उत्पादन ताप्ती | उपमण्डलाधिकारी उत्पादन ताप्ती |
| 32 | परिक्षेत्र अधिकारी उत्पादन मुलताई | - | परिक्षेत्र अधिकारी उत्पादन मुलताई | उपमण्डलाधिकारी उत्पादन ताप्ती |
| 33 | परिक्षेत्र अधिकारी उत्पादन भैसदही | - | परिक्षेत्र अधिकारी उत्पादन भैसदही | उपमण्डलाधिकारी उत्पादन ताप्ती |
| 34 | उप वनमण्डलाधिकारी उत्पादन बैतूल | - | उप वनमण्डलाधिकारी उत्पादन बैतूल | वनमण्डलाधिकारी बैतूल उत्पादन |
| 35 | परिक्षेत्र अधिकारी उत्पादन बैतूल | - | परिक्षेत्र अधिकारी उत्पादन बेैतूल | उपमण्डलाधिकारी उत्पादन बैतूल |
| 36 | परिक्षेत्र अधिकारी उत्पादन शाहपुर | - | परिक्षेत्र अधिकारी उत्पादन शाहपुर | उपमण्डलाधिकारी उत्पादन बैतूल |
| 37 | काष्ठ भण्डार अधिकारी बैतूल |  | काष्ट भण्डार अधिकारी बैतूल | उप वन मण्डलाधिकारी उत्पा बैतूल |
| 38 | उप वनमण्डलाधिकारी उत्पादन कभौरा | - | उप वनमण्डलाधिकारी उत्पादन कभौरा | वनमण्डलाधिकारी बैतूल उत्पादन |
| 39 | परिक्षेत्र अधिकारी उत्पादन कभौरा | - | परिक्षेत्र अधिकारी उत्पादन कभौरा | उपमण्डलाधिकारी उत्पादन कभौरा |
| 40 | परिक्षेत्र अधिकारी उत्पादन गवासेन | - | परिक्षेत्र अधिकारी उत्पादन गवासेन | उपमण्डलाधिकारी उत्पादन कभौरा |
| 41 | काष्ठ भण्डार अधिकारी उत्पादन कभौरा |  | काष्ट भण्डार अधिकारी उत्पादन कभौरा | उप वन मण्डलाधिकारी उत्पादन कभौरा |
| 42 | उप वनमण्डलाधिकारी उत्पादन चिचोली | - | उप वनमण्डलाधिकारी उत्पादन चिचोली | वनमण्डलाधिकारी बैतूल उत्पादन |
| 43 | परिक्षेत्र अधिकारी उत्पादन चिचोली | - | परिक्षेत्र अधिकारी उत्पादन चिचोली | उपमण्डलाधिकारी उत्पादन चिचोली |
| 44 | परिक्षेत्र अधिकारी उत्पादन तावडी | - | परिक्षेत्र अधिकारी उत्पादन तावडी | उपमण्डलाधिकारी उत्पादन तावडी |
| 45 | संचालक वन विद्यालय | मुख्य लिपिक | वरिष्ठ अनुदेशक/ स.व.सं. वन विद्यालय बैतूल | संचालक वन विद्यालय बैतूल |

**भोपाल वृत्त -**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **क्र.** | **कार्यालय का नाम** | **सहायक लोक सूचना अधिकारी** | **लोक सूचना अधिकारी** | **अपीलीय अधिकारी** |
| 1 | मुख्य वन संरक्षक वन वृत्त भोपाल | लेखा अधिकारी/ अधीक्षक वन वृत्त भोपाल | संलग्नाधिकारी भोपाल वृत्त भोपाल | मुख्य वन संरक्षक वन वृत्त भोपाल |
| 2 | वन मण्डलाधिकारी सा. वनमण्डल भोपाल | मुख्य लिपिक वनमण्डल सा. भोपाल | सं.व.सं. संलग्नाधिकारी वनमण्डल भोपाल | वनमण्डलाधिकारीी सा. भोपाल |
| 3 | उप वनमण्डल समन्वय भोपाल | शिविर लिपिक उप वन मण्डल समन्वय भोपाल | उप वनमण्डलाधिकारी समन्वय भोपाल | वनमण्डलाधिकारी सा0 भोपाल |
| 4 | परिक्षेत्र अधिकारी उडनदस्ता  परिक्षेत्र अधिकारी भोपाल इकाई | परिक्षेत्र लिपिक उडनदस्ता  परिक्षेत्र लिपिक भोपाल इकाई | परिक्षेत्र अधिकारी उडनदस्ता  परिक्षेत्र अधिकारी भोपाल इकाई | उप व0म0अ0 समन्वय भोपाल  उप व0म0अ0 समन्वय भोपाल |
| 5 | उप वनमण्डलाधिकारी सा. वनमण्डल भोपाल | शिविर लिपिक उप वन मण्डल सा0 भोपाल | उप वनमण्डलाधिकारी सा0 भोपाल | वनमण्डलाधिकारी सा0 भोपाल |
| 6 | परिक्षेत्र अधिकारी समर्धा  परिक्षेत्र अधिकारी बैरसिया | परिक्षेत्र लिपिक समर्धा  परिक्षेत्र लिपिक बैरसिया | परिक्षेत्र अधिकारी समर्धा  परिक्षेत्र अधिकारी बैरसिया | उप व0म0अ0 सा0 भोपाल  उप व0म0अ0 सा0 भोपाल |
| 7- | वन मण्डलाधिकारी सा. वनमण्डल सीहोर | मुख्य लिपिक वनमण्डल सा. सीहोर | सं.व.सं. संलग्नाधिकारी वनमण्डल सीहोर | वनमण्डलाधिकारीी सा. सीहोर |
| 8 | उप वनमण्डल सा0 सीहोर | शिविर लिपिक उप वन मण्डल सीहोर | उप वनमण्डलाधिकारी सा0 सीहोर | वनमण्डलाधिकारी सा0 सीहोर |
| 9 | परिक्षेत्र अधिकारी सा0 सीहोर  परिक्षेत्र अधिकारी सा0 आष्टा  परिक्षेत्र अधिकारी सा0 इछावर  परिक्षेत्र अधिकारी सा0 विरपुर | परिक्षेत्र लिपिक सीहोर  परिक्षेत्र लिपिक आष्टा  परिक्षेत्र लिपिक इछावर  परिक्षेत्र लिपिक वीरपुर | परिक्षेत्र अधिकारी सीहोर  परिक्षेत्र अधिकारी आष्टा  परिक्षेत्र अधिकारी इछावर  परिक्षेत्र अधिकारी वीरपुर | mप व0म0अ0 सा0 सीहोर  उप व0म0अ0 सा0 सीहोर  उप व0म0अ0 सा0 सीहोर  उप व0म0अ0 सा0 सीहोर |
| 10 | उप वनमण्डल सा0 बुदनी | शिविर लिपिक उप वन मण्डल बुदनी | उप वनमण्डलाधिकारी सा0 बुदनी | वनमण्डलाधिकारी सा0 बुदनी |
| 11 | परिक्षेत्र अधिकारी सा0 बुदनी  परिक्षेत्र अधिकारी सा0 रेहटी  परिक्षेत्र अधिकारी सा0 लाडकुई | परिक्षेत्र लिपिक बुदनी  परिक्षेत्र लिपिक रेहटी  परिक्षेत्र लिपिक लाडकुई | परिक्षेत्र अधिकारी बुदनी  परिक्षेत्र अधिकारी रेहटी  परिक्षेत्र अधिकारी लाडकुई | उप व0म0अ0 सा0 बुदनी  उप व0म0अ0 सा0 बुदनी  उप व0म0अ0 सा0 बुदनी |
| 12 | वनमण्डलाधिकारी सा0 विदिशा | मुख्य लिपिक उप वन मण्डल विदिशा | संलग्नाधिकारी सा0 विदिशा | वनमण्डलाधिकारी सा0 विदिशा |
| 13 | उप वन मण्डलाधिकारी सा0 विदिशा | शिविर लिपिक उप वन मण्डल विदिशा | उप वनमण्डलाधिकारी सा0 विदिशा | वनमण्डलाधिकारी सा0 विदिशा |
| 14 | परिक्षेत्र अधिकारी सा0 विदिशा  परिक्षेत्र अधिकारी सा0 गयारसपुर | परिक्षेत्र लिपिक विदिशा  परिक्षेत्र लिपिक ग्यारसपुर | परिक्षेत्र लिपिक विदिशा  परिक्षेत्र लिपिक ग्यारसपुर | उप व0म0अ0 सा0 विदिशा  उप व0म0अ0 सा0 विदिशा |
| 15 | उप वन मण्डलाधिकारी सा0 गंजबासोदा | शिविर लिपिक उप वन मण्डल गंजबासोदा | उप वनमण्डलाधिकारी सा0 गंजबासोदा | वनमण्डलाधिकारी सा0 विदिशा |
| 16 | परिक्षेत्र अधिकारी सा0 गंजबासोदा  परिक्षेत्र अधिकारी सा0 शमशाबाद | परिक्षेत्र लिपिक गंजबासोदा परिक्षेत्र लिपिक शमशाबाद | परिक्षेत्र अधिकारी गंजबासोदा  परिक्षेत्र अधिकारी शमशाबाद | उप व0म0अ0 सा0 गंजबासोदा |
| 17 | उप वन मण्डलाधिकारी सा0 सिरांेज | शिविर लिपिक उप वन मण्डल सिरोंज | उप वनमण्डलाधिकारी सा0 सिरोंज | वनमण्डलाधिकारी सा0 विदिशा |
| 18 | परिक्षेत्र अधिकारी सा0 सिरांेज  परिक्षेत्र अधिकारी उत्तर लटेरी सा0  परिक्षेत्र अधिकारी दक्षिण लटेरी सा0 | परिक्षेत्र लिपिक सिरोंज परिक्षेत्र लिपिक उत्तर लटेरी  परिक्षेत्र लिपिक दक्षिण लटेरी | परिक्षेत्र अधिकारी सा0 सिरांेज  परिक्षेत्र अधिकारी उत्तर लटेरी सा0  परिक्षेत्र अधिकारी दक्षिण लटेरी सा0 | उप व0म0अ0 सा0 सिरांेज |
| 19 | वनमण्डलाधिकारी सा0 राजगढ | मुख्य लिपिक वन मण्डल सा0 राजगढ | उप वनमण्डलाधिकारी सा0 राजगढ | वनमण्डलाधिकारी सा0 राजगढ |
| 20 | उप वनमण्डलाधिकारी सा0 राजगढ | परिक्षेत्र लिपिक राजगढ | उप वनमण्डलाधिकारी सा0 राजगढ | वनमण्डलाधिकारी सा0 राजगढ |
| 21 | परिक्षेत्र अधिकारी सा0 राजगढ | परिक्षेत्र लिपिक राजगढ | परिक्षेत्र अधिकारी सा0 राजगढ | उपवनमण्डलाधिकारी सा0 राजगढ |
| 22 | अधीक्षक नरसिंहगढ अभ्यारण्य | शिविर लिपिक नरसिंहगढ अभ्यारण्य | अधीक्षक नरसिंहगढ अभ्यारण्य | वनमण्डलाधिकारी सा0 राजगढ |
| 23 | गेम रेंज नरसिंहगढ अभ्यारण्य | गेमरेंज लिपिक नरसिंहगढ अभयारण्य | गेम रेंज नरसिंहगढ अभ्यारण्य | अधीक्षक नरसिंहगढ अभ्यारण्य |
| 24 | वनमण्डलाधिकारी सा0 औबेदुल्लागंज | मुख्य लिपिक वन मण्डल सा0 औबेदुल्लागंज | उप वनमण्डलाधिकारी सा0 औबेदुल्लागंज | वनमण्डलाधिकारी सा0 औबेदुल्लागंज |
| 25 | उप वनमण्डलाधिकारी सा0 औबेदुल्लागंज | शिविर लिपिक उप वनमण्डल औबेदुल्लागंज | उप वनमण्डलाधिकारी सा0 औबेदुल्लागंज | वनमण्डलाधिकारी सा0 औबेदुल्लागंज |
| 26 | परिक्षेत्राधिकारी गौहरगंज  परिक्षेत्राधिकारी चिकलोद | परिक्षेत्र लिपिक गोहरगंज  परिक्षेत्र लिपिक चिकलोद | परिक्षेत्रधिकारी गौहरगंज  परिक्षेत्राधिकारी चिकलोद | वनमण्डलाधिकारी सा0 औबेदुल्लागंज |
| 27 | उपव0म0अ0 सा0 बाडी मुख्यालय सुल्तानपुर | शिविर लिपिक उपव0म0अ0 सा0 बाडी मुख्यालय सुल्तानपुर | उपव0म0अ0 सा0 बाडी मुख्यालय सुल्तानपुर | वनमण्डलाधिकारी सा0 औबेदुल्लागंज |
| 28 | परिक्षेत्राधिकारी सुल्तानपुर  परिक्षेत्राधिकारी चिलवाहा | परिक्षेत्र लिपिक सुल्तानपुर  परिक्षेत्र लिपिक चिलवाहा | परिक्षेत्रधिकारी सुल्तानपुर सा0  परिक्षेत्राधिकारी चिलवाहा सा0 | उपव0म0अ0 सा0 बाडी मुख्यालय सुल्तानपुर |
| 29 | अधीक्षक रातापानी अभ्यारण्य | शिविर लिपिक रातापानी अभ्यारण्य | अधीक्षक वन्यप्राणी अभ्यारण्य राातापानी | वनमण्डलाधिकारी सा0 औबेदुल्लागंज |
| 30 | परिक्षेत्राधिकारी बरखेडा परिक्षेत्राधिकारी दाहौद  परिक्षेत्राधिकारी देलाबाडी  परिक्षेत्राधिकारी बिनैका | परिक्षेत्र लिपिक बरखेडा  परिक्षेत्र लिपिक दाहौद  परिक्षेत्र लिपिक दैलाबाडी  परिक्षेत्र लिपिक बिनैका | परिक्षेत्रधिकारी बरखेडा  परिक्षेत्रधिकारी दाहैद  परिक्षेत्रधिकारी दैलाबाडी  परिक्षेत्रधिकारी बिनैका | अधीक्षक रातापानी अभ्यारण्य |
| 31 | अधीक्षक सिघैारी अभयारण्य | शिविर लिपिक सिंघौरी अभयारण्य | अधीक्षक सिघैारी अभयारण्य | वनमण्डलाधिकारी सा0 औबेदुल्लागंज |
| 32 | परिक्षेत्राधिकारी बाडी  परिक्षेत्राधिकारी बम्होरी | परिक्षेत्र लिपिक बाडी  परिक्षेत्र लिपिक बम्होरी | परिक्षेत्रधिकारी बम्होरी | अधीक्षक सिघैारी अभयारण्य |
| 33 | वनमण्डलाधिकारी सा. राससेन | मु.लि.व.म.सा0 रायसेन | उ0व0म0अ0 सा0 रायसेन | वनमण्डलाधिकारी सा. राससेन |
| 34 | उपव0म0अ0 सा0 रायसेन | शिविर लिपिक उपव0म0अ0 सा0 रायसेन | उपव0म0अ0 सा0 रायसेन | वनमण्डलाधिकारी सा0 रायसेन |
| 35 | परिक्षेत्र अधिकारी सा रायसेन  परिक्षेत्र अधिकारी सा गढी  परिक्षेत्र अधिकारी सा बेगमगंज | परिक्षेत्र लिपिक रायसेन  परिक्षेत्र लिपिक गढी  परिक्षे अधिकारी बेगमगंज | परिक्षेत्र अधिकारी सा रायसेन  परिक्षेत्र अधिकारी सा गढी  परिक्षेत्र अधिकारी सा बेगमगंज | उप वनमण्डलाधिकारी सा0 रायसेन |
| 36 | उपव0म0अ0 सा0 सिलवानी | शिविर लिपिक उपव0म0अ0 सा0 सिलवानी | उपव0म0अ0 सा0 सिलवानी | वनमण्डलाधिकारी सा0 रायसेन |
| 37 | परिक्षेत्राधिकारी पूर्व सिलवानी सा0  परिक्षेत्राधिकारी पश्चिम सिलवानी सा0  परिक्षेत्राधिकारी देवरी सा0  परिक्षेत्राधिकारी जैथारी सा0 | परिक्षेत्र लिपिक पूर्व सिलवानी सा0  परिक्षेत्र लिपिक पश्चिम सिलवानी सा0  परिक्षेत्र लिपिक देवरी सा0  परिक्षेत्र लिपिक जैथारी सा0 | परिक्षेत्राधिकारी पूर्व सिलवानी सा0  परिक्षेत्राधिकारी पश्चिम सिलवानी सा0  परिक्षेत्राधिकारी देवरी सा0  परिक्षेत्राधिकारी जैथारी सा0 | उप वनमण्डलाधिकारी सा0 सिलवानी |
| 38 | वन मण्डलाधिकारी उत्पादन रायसेन | मुख्य लिपिक वनमण्डल उत्पादन रायसेन | उपव0म0अ0 उत्पादन रायसेन | वनमण्डलाधिकारी उत्पादन रायसेन |
| 39 | उप वन0म0अ0 उत्पदान रायसेन | शिविर लिपिक उप वनमण्डल उत्पदन रायसेन | उपव0अ0 उत्पदन रायसेन | वनमण्डलाधिकारी उत्पादन रायसेन |
| 40 | परिक्षेत्राधिकारी उ0 रायसेन  परिक्षेत्राधिकारी उ0 गढी  काष्ठागार अधिकारी गैरतजगंज  परिक्षेत्राधिकारी उ0 गोहरगंज | परिक्षेत्र लिपिक उ0 रायसेन  परिक्षेत्र लिपिक उ0 गढी  डिपो लिपिक गेरतपुर  परिक्षेत्र लिपिक उत्पादन गोहरगंज | परिक्षेत्राधिकारी उ0 रायसेन  परिक्षेत्राधिकारी उ0 गढी  काष्ठागार अधिकारी गैरतजगंज  परिक्षेत्राधिकारी उ0 गोहरगंज | उपव0अ0 उत्पदन रायसेन |
| 41 | उपवनमण्डलाधिकारी उत्पादन सिलवानी | शिविर लिपिक उप वनमण्डल उत्पादन सिलवानी | उप वनमण्डलाधिकारी उत्पा सिलवानी | वनमण्डलाधिकारी उत्पादन सिलवानी |
| 42 | परिक्षेत्राधिकारी उत्तर सिलवानी  परिक्षेत्राधिकारी उत्तर जैथारी | परिक्षेत्र लिपिक उत्तर सिलवानी सा0  परिक्षेत्र लिपिक उत्तर जैथारी | परिक्षेत्राधिकारी उत्तर सिलवानी  परिक्षेत्राधिकारी उत्तर जैथारी | उपवनमण्डलाधिकाी उत्पदन सिलवानी |
| 43 | वनमण्डलाधिकारी उत्पादन सीहोर | मुख्य लिपिक उप वनमण्डल उत्पा0 सीाहोर | उपवनमण्डलाधिकारी उत्पा0 सीहोर | वनमण्डलाधिकारी उत्पा सीहोर |
| 44 | उपवनमण्डलाधिकारी उत्पादन सीहोर | शिविर लिपिक उप वन मण्डल उत्पादन सीहोर | उप वनमण्डलाधिकारी उत्पादन सीहोर | वन मण्डलाधिकारी उत्पादन सीहोर |
| 45 | काष्ठागार अधिकारी सीहोर  परिक्षेत्राधिकारी उत्पादन इछावर | डिपो लिपिक सीहोर  परिक्षेत्र लिपिक उत्पादन इछावर | काष्ठाागार अधिकारी सीहोर  परिक्षेत्राधिकारी इछावर | उपवनमण्डलाधिाकारी उत्पादन सीहोर |
| 46 | उप वनमण्डल उत्पा बुदनी | शिविर लिपिक उप वन मण्डल उत्पादन बुदनी | उप वनमण्डलाधिकारी उत्पादन बुदनी | वन मण्डलाधिकारी उत्पादन बुदनी |
| 47 | काष्ठागार अधिकारी बुदनी  परिक्षेत्राधिकारी उ. बुदनी  परिक्षेत्राधिकारी उ. लाडकुई  परिक्षेत्राधिकारी उ. रेहटी | काष्ठागर लिपिक बुदनी  परिक्षेत्र लिपिक उत्पा0 बुदनी  परिक्षेत्र लिपिक उत्पादन बुदनी  परिक्षेत्र लिपिक उत्पा. लाडकुई  परिक्षेत्र लिपिक उ. रेहटी | काष्ठागार अधिकारी बुदनी  परिक्षेत्राधिकारी उ. बुदनी  परिक्षेत्राधिकारी उ. लाडकुई  परिक्षेत्राधिकारी उ. रेहटी | उपवनमण्डलाधिाकारी उत्पादन बुदनी |

**छतरपुर वृत्‍त -**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **क्र.** | **कार्यालय का नाम** | **सहायक लोक सूचना अधिकारी** | **लोक सूचना अधिकारी** | **अपीलीय अधिकारी** |
| 1 | मुख्य वन संरक्षक वृतत छतरपुर | अधीक्षक वृत्त | सं0व0सं0 संलग्नाधिकारी | मुख्य वनं संरक्षक वृत्त छतरपुर |
| 2 | वनमण्डलाधिकारी सा0 छतरपुर | मुख्यलिपिक वनमण्डल | सं0व0सं0 संलग्नाधिकाारी वनमण्डल | वनमण्डलाधिकारी सा. छतरपुर |
| 3 | उप वनमण्डलाधिकारी सा0 छतरपुर | - | उप वनमण्डलाधिकारी वनमण्डल | वनमण्डलाधिकारी सा. छतरपुर |
| 4 | वन परिक्षेत्राधिकारी छतरपुर | - | वनपरिक्षेत्राधिकारी छतरपुर | वनमण्डलाधिकारी सा छतरपुर |
| 5 | वन परिक्षेत्राधिकारी लोडी | - | वनपरिक्षेत्राधिकारी लोडी | वनमण्डलाधिकारी सा छतरपुर |
| 6 | उप व0म0अ0 बिजावर | - | उप व0म0अ0 बिजावर | वनमण्डलाधिकारी सा छतरपुर |
| 7 | वन परिक्षेत्राधिकारी ििबजावर | - | वन परिक्षेत्राधिकारी बिजावर | वनमण्डलाधिकारी सा छतरपुर |
| 8 | वन परिक्षेत्राधिकारी किशनगढ | - | वन परिक्षेत्राधिकारी किशनगढ | वनमण्डलाधिकारी सा छतरपुर |
| 9 | वन परिक्षेत्राधिकारी ििबजावर उत्पादन | - | वन परिक्षेत्राधिकारी बिजावर उत्पादन | वनमण्डलाधिकारी सा छतरपुर |
| 10 | उप व0म0अ0 बक्सवाह | - | उप व0म0अ0 बक्सवाह | वनमण्डलाधिकारी सा छतरपुर |
| 11 | वन परिक्षेत्राधिकारी बडामलहरा | - | वन परिक्षेत्राधिकारी बडामलहरा | वनमण्डलाधिकारी सा छतरपुर |
| 12 | वन परिक्षेत्राधिकारी बक्सवाह | - | वन परिक्षेत्राधिकारी बक्सवाह | वनमण्डलाधिकारी सा छतरपुर |
| 13 | वन परिक्षेत्राधिकारी बडामलहरा उत्पादन | - | वन परिक्षेत्राधिकारी बडामलहरा उत्पादन | वनमण्डलाधिकारी सा छतरपुर |
| 14 | वन परिक्षेत्राधिकारी बक्सवाह उत्पादन | - | वन परिक्षेत्राधिकारी बक्सवाह उत्पादन | वनमण्डलाधिकारी सा छतरपुर |
| 15 | वनमण्डलाधिकारी सा0 टीकमगढ | मुख्यलिपिक वनमण्डल | उपवनमण्डलाधिकारी टीकमगढ | वन संरक्षक एवं पदेन वनमण्डलाधिकारी सा0 व0म0 टीकमगढ |
| 16 | उप व0म0अ0 सा0 टीकमगढ | - | उप व0म0अ0 टीकमगढ | वन संरक्षक एवं पदेन वनमण्डलाधिकारी सा0 व0म0 टीकमगढ |
| 17 | वन परिक्षेत्राधिकारी टीकमगढ | - | वन परिक्षेत्राधिकारी टीकमगढ | वन संरक्षक एवं पदेन वनमण्डलाधिकारी सा0 व0म0 टीकमगढ |
| 18 | वन परिक्षेत्राधिकारी जतारा | - | वन परिक्षेत्राधिकारी जतारा | वन संरक्षक एवं पदेन वनमण्डलाधिकारी सा0 व0म0 टीकमगढ |
| 19 | उपवन मण्डल अधिकारी निवाडी | - | उपवन मण्डल अधिकारी निवाडी | वन संरक्षक एवं पदेन वनमण्डलाधिकारी सा0 व0म0 टीकमगढ |
| 20 | वन परिक्षेत्राधिकारी निवाडी | - | वन परिक्षेत्राधिकारी निवाडी | वन संरक्षक एवं पदेन वनमण्डलाधिकारी सा0 व0म0 टीकमगढ |
| 21 | वन परिक्षेत्राधिकारी ओरछा | - | वन परिक्षेत्राधिकारी ओरछा | वन संरक्षक एवं पदेन वनमण्डलाधिकारी सा0 व0म0 टीकमगढ |
| 22 | गेंजरेंज ऑॅफीसर ओरछा | - | गेंजरेंज ऑॅफीसर ओरछा | वन संरक्षक एवं पदेन वनमण्डलाधिकारी सा0 व0म0 टीकमगढ |
| 23 | डिपो अधिकारी ओरछा | - | डिपो अधिकारी ओरछा | वन संरक्षक एवं पदेन वनमण्डलाधिकारी सा0 व0म0 टीकमगढ |
| 24 | वन मण्डलाधिकारी उत्तर पन्ना | मुख्य लिपिक वनमण्डल | उप वनमण्डलाधिकारी उत्तर पन्ना | वनमण्डलाधिकारी उत्तर पन्ना |
| 25 | उप वनमण्डलाधिकारी उत्तर पन्ना | - | उप वनमण्डलाधिकारी उत्तर पन्ना | वनमण्डलाधिकारी उत्तर पन्ना |
| 26 | वन परिक्षेत्राधिकारी पन्ना | - | वन परिक्षेत्राधिकारी पन्ना | वन मण्डलाधिकारी उत्तर पन्ना |
| 27 | वन परिक्षेत्राधिकारी देवेन्द्र नगर | - | वन परिक्षेत्राधिकारी देवेन्द्र नगर | वन मण्डलाधिकारी उत्तर पन्ना |
| 28 | वन विस्तार अधिकारी इकाई पन्ना | - | वन विस्तार अधिकारी इकाई पन्ना | वन मण्डलाधिकारी उत्तर पन्ना |
| 29 | उप वन मण्डलाधिकारी विश्रामगंज | - | उपमण्डलाधिाकारी विश्रामगंज | वनमण्डलाधिकारी उत्तर पन्ना |
| 30 | वन परिक्षेत्राधिकारी अजयगढ | - | वन परिक्षेत्राधिकारी अजयगढ | वनमण्डलाधिकारी उत्तर पन्ना |
| 31 | वन परिक्षेत्राधिकारी विश्रामगंज | - | वन परिक्षेत्राधिकारी विश्रामगंज | वनमण्डलाधिकारी उत्तर पन्ना |
| 32 | वन परिक्षेत्राधिकारी धरमपुर | - | वन परिक्षेत्राधिकारी धरमपुर | वनमण्डलाधिकारी उत्तर पन्ना |
| 33 | वनमण्डलाधिाकारी दक्षिण पन्ना | मुख्य लिपिक वनमण्डल | सं0व0सं0 संलग्नाधिकारी दक्षिण पन्ना | वनमण्डलाधिकारी दक्षिण पन्ना |
| 34 | उप वनमण्डलाधिकारी पवई | - | उप वनमण्डलाधिकारी पवई | वनमण्डलाधिकारी दक्षिण पन्ना |
| 35 | वन परिक्षेत्राधिकारी मोहन्द्रा | - | वन परिक्षेत्राधिकारी मोहन्द्रा | वनमण्डलाधिकारी दक्षिण पन्ना |
| 36 | वन परिक्षेत्राधिकारी पवई |  | वन परिक्षेत्राधिकारी पवई | वनमण्डलाधिकारी दक्षिण पन्ना |
| 37 | वन परिक्षेत्राधिकारी शाहनगर | - | वन परिक्षेत्राधिकारी शाहनगर | वनमण्डलाधिकारी दक्षिण पन्ना |
| 38 | वन परिक्षेत्राधिकारी रैपुरा | - | वन परिक्षेत्राधिकारी रैपुरा | वनमण्डलाधिकारी दक्षिण पन्ना |
| 39 | उप वनमण्डलाधिकारी अमानगंज | - | उप वनमण्डलाधिकारी अमानगंज | वनमण्डलाधिकारी दक्षिण पन्ना |
| 40 | वन परिक्षेत्राधिकारी अमानगंज | - | वन परिक्षेत्राधिकारी अमानगंज | वनमण्डलाधिकारी दक्षिण पन्ना |
| 41 | वन परिक्षेत्राधिकारी सलेहा | - | वन परिक्षेत्राधिकारी सलेहा | वनमण्डलाधिकारी दक्षिण पन्ना |
| 42 | वन परिक्षेत्राधिकारी कल्दा | - | वन परिक्षेत्राधिकारी कल्दा | वनमण्डलाधिकारी दक्षिण पन्ना |
| 43 | काष्ठागार अधिकारा पन्ना | - | काष्ठागार अधिकारी पन्ना | वनमण्डलाधिकारी दक्षिण पन्ना |

**छिंदवाड़ा वृत्त -**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **क्र.** | **कार्यालय का नाम** | **सहायक लोक सूचना अधिकारी** | **लोक सूचना अधिकारी** | **अपीलीय अधिकारी** |
| 1 | मुख्य वन संरक्षक छिन्दवाडा | अधीक्षक / सहायक अधीक्षक | सं0व0सं0 संलग्नाधिकारी | मुख्य वन संरक्षक वन वृत्त छिन्दवाडा |
| 2 | वन मण्डलाधिकारी पूर्व छिन्दावाडा वन मण्डल सामान्य | मुख्य लिपिक वनमण्डल | सं0व0सं0 संलग्नाधिकारी पूर्व छिन्दावाडा वन मण्डल सामान्य | वन मण्डलाधिकारी पूर्व छिन्दवाडा वनमण्डल |
| 3 | उप वन मण्डलाधिकारी छिन्दावाडा सामान्य | - | उप वन मण्डलाधिकारी छिन्दावाडा सामान्य | वन मण्डलाधिकारी पूर्व छिन्दवाडा वनमण्डल |
| 4 | उप वन मण्डलाधिकारी अमरवाडा सामान्य | - | उप वन मण्डलाधिकारी अमरवाडा सामान्य | वन मण्डलाधिकारी पूर्व छिन्दवाडा वनमण्डल |
| 5 | परिक्षेत्राधिकारी छिन्दवाडा सामान्य | - | परिक्षेत्राधिकारी छिन्दवाडा | उप वन मण्डलाधिकारी छिन्दवाडा |
| 6 | परिक्षेत्राधिकारी चौरई सामान्य | - | परिक्षेत्राधिकारी चौरई | उप वन मण्डलाधिकारी छिन्दवाडा |
| 7 | परिक्षेत्राधिकारी छिन्दी सामान्य | - | परिक्षेत्राधिकारी छिन्दी | उप वन मण्डलाधिकारी छिन्दवाडा |
| 8 | परिक्षेत्राधिकारी अमरवाडा सामान्य | - | परिक्षेत्राधिकारी अमरवाडा | उप वन मण्डलाधिकारी अमरवाडा |
| 9 | परिक्षेत्राधिकारी पूर्व हरई सामान्य | - | परिक्षेत्राधिकारी हरई | उप वन मण्डलाधिकारी अमरवाडा |
| 10 | परिक्षेत्राधिकारी पश्चिम हरई सामान्य | - | परिक्षेत्राधिकारी पश्चिम हरई | उप वन मण्डलाधिकारी अमरवाडा |
| 11 | परिक्षेत्राधिकारी पूर्व बटकाखापा सामान्य | - | परिक्षेत्राधिकारी बटकाखापा | उप वन मण्डलाधिकारी अमरवाडा |
| 12 | परिक्षेत्राधिकारी पश्चिम बटकाखापा सामान्य | - | परिक्षेत्राधिकारी पश्चिम बटकाखापा | उप वन मण्डलाधिकारी अमरवाडा |
| 13 | वन मण्डलाधिकारी पश्चिम छिन्दावाडा वन मण्डल सामान्य | मुख्य लिपिक वनमण्डल | सं0व0सं0 संलग्नाधिकारी पश्चिम छिन्दावाडा वन मण्डल | वन मण्डलाधिकारी पश्चिम छिन्दवाडा वनमण्डल सामान्य |
| 14 | उप वनमण्डलाधिकारी परासिया | - | उप वनमण्डलाधिकारी परासिया | वन मण्डलाधिकारी पश्चिम छिन्दवाडा वनमण्डल सामान्य |
| 15 | उप वनमण्डलाधिकारी तामिया साामान्य | - | उप वनमण्डलाधिकारी तामिया | वन मण्डलाधिकारी पश्चिम छिन्दवाडा वनमण्डल सामान्य |
| 16 | परिक्षेत्राधिकारी सांवरी साामान्य | - | उप वनमण्डलाधिकारी सांवरी | उप वनमण्डलाधिकारी परासिया |
| 17 | परिक्षेत्राधिकारी परासिया सामान्य | - | परिक्षेत्राधिकारी परासिया | उप वनमण्डलाधिकारी परासिया |
| 18 | परिक्षेत्राधिकारी जामई सामान्य | - | परिक्षेत्राधिकारी जामई | उप वनमण्डलाधिकारी परासिया |
| 19 | परिक्षेत्राधिकारी दमुआ सामान्य | - | परिक्षेत्राधिकारी दमुआ | उप वनमण्डलाधिकारी परासिया |
| 20 | परिक्षेत्राधिकारी तामिया सामान्य | - | परिक्षेत्राधिकारी तामिया | उप वनमण्डलाधिकारी तामिया |
| 21 | परिक्षेत्राधिकारी सांगाखेडा सामान्य | - | परिक्षेत्राधिकारी सांगाखेडा | उप वनमण्डलाधिकारी तामिया |
| 22 | परिक्षेत्राधिकारी देलाखारी सामान्य | - | परिक्षेत्राधिकारी देलाखारी | उप वनमण्डलाधिकारी तामिया |
| 23 | परिक्षेत्राधिकारी झिरपा सामान्य | - | परिक्षेत्राधिकारी झिरपा | उप वनमण्डलाधिकारी तामिया |
| 24 | वन मण्ध्डलाधिकारी दक्षिण छिन्दवाडा सामान्य | मुख्य लिपिक वनमण्डल | सं0व0सं0 संलग्नाधिकारी दक्षिण छिन्दावाडा वन मण्डल | वन मण्डलाधिकारी दक्षिण छिन्दवाडा वनमण्डल सामान्य |
| 25 | उप वनमण्डलाधिकारी सिल्लेवानी सामान्य | - | उप वनमण्डलाधिकारी सिल्लेवानी | वन मण्डलाधिकारी दक्षिण छिन्दवाडा वनमण्डल |
| 26 | उप वनमण्डलाधिकारी सौसर साामान्य | - | उप वनमण्डलाधिकारी सौसर | वन मण्डलाधिकारी दक्षिण छिन्दवाडा वनमण्डल |
| 27 | परिक्षेत्राधिकारी लावाघोघरी साामान्य | - | उप वनमण्डलाधिकारी लावाघोघरी | उप वनमण्डलाधिकारी सिल्लेवानी |
| 28 | परिक्षेत्राधिकारी सिल्लेवानी सामान्य | - | परिक्षेत्राधिकारी सिल्लेवानी | उप वनमण्डलाधिकारी सिल्लेवानी |
| 29 | परिक्षेत्राधिकारी बिछुआ सामान्य | - | परिक्षेत्राधिकारी बिछुआ | उप वनमण्डलाधिकारी सिल्लेवानी |
| 30 | परिक्षेत्राधिकारी सौंसर सामान्य | - | परिक्षेत्राधिकारी सौंसर | उप वनमण्डलाधिकारी सौंसर |
| 31 | परिक्षेत्राधिकारी अम्बाडा सामान्य | - | परिक्षेत्राधिकारी अम्बाडा | उप वनमण्डलाधिकारी सौंसर |
| 32 | परिक्षेत्राधिकारी कन्हा सामान्य | - | परिक्षेत्राधिकारी कन्हान | उप वनमण्डलाधिकारी सौंसर |
| 33 | परिक्षेत्राधिकारी पाण्ढुरणा सामान्य | - | परिक्षेत्राधिकारी पाण्ढुरणा | उप वनमण्डलाधिकारी सौंसर |
| 34 | वन मण्ध्डलाधिकारी पश्चिम छिन्दवाडा उत्पादान | मुख्य लिपिक वनमण्डल | उप वनमण्डलाधिकारी छिन्दावाडा उत्पादन | वन मण्डलाधिकारी पश्चिम छिन्दवाडा उत्पादन |
| 35 | उप वनमण्डलाधिकारी छिन्दवाडा उत्पादन | - | उप वनमण्डलाधिकारी छिन्दवाडा उत्पादन | वन मण्डलाधिकारी पश्चिम छिन्दवाडा उत्पादन |
| 36 | उप वनमण्डलाधिकारी तामिया उत्पादन | - | उप वनमण्डलाधिकारी तामिया उत्पादन | वन मण्डलाधिकारी पश्चिम छिन्दवाडा उत्पादन |
| 37 | उप वनमण्डलाधिकारी अमरवाडा उत्पादन | - | उप वनमण्डलाधिकारी अमरवाडा उत्पादन | वन मण्डलाधिकारी पश्चिम छिन्दवाडा उत्पादन |
| 38 | उप वनमण्डलाधिकारी सौंसर उत्पादन | - | उप वनमण्डलाधिकारी सौंसर उत्पादन | वन मण्डलाधिकारी पश्चिम छिन्दवाडा उत्पादन |
| 39 | परिक्षेत्राधिकारी छिन्दवाडा उत्पादन | - | परिक्षेत्राधिकारी छिन्दवाडा उत्पादन | उप वनमण्डलाधिकारी छिन्दवाडा उत्पादन |
| 40 | परिक्षेत्राधिकारी बिछुआ उत्पादन | - | परिक्षेत्राधिकारी बिछुआ उतपादन | उप वनमण्डलाधिकारी छिन्दवाडा उत्पादन |
| 41 | परिक्षेत्राधिकारी लावाघोघरी उत्पादन | - | परिक्षेत्राधिकारी लावाघोघरी | उप वनमण्डलाधिकारी तामिया उत्पादन |
| 42 | परिक्षेत्राधिकारी देलाखारी उत्पादन | - | परिक्षेत्राधिकारी देलाखारी उत्पादन | उप वनमण्डलाधिकारी तामिया उत्पादन |
| 43 | परिक्षेत्राधिकारी अमरवाडा उत्पादन | - | परिक्षेत्राधिकारी अमरवडा उत्पादन | उप वनमण्डलाधिकारी अमरवाडा उत्पादन |
| 44 | परिक्षेत्राधिकारी हरई उत्पादन | - | परिक्षेत्राधिकारी हरई उत्पादन | उप वनमण्डलाधिकारी अमरवाडा उत्पादन |
| 45 | परिक्षेत्राधिकारी बटकाखापा उत्पादन | - | परिक्षेत्राधिकारी बटकाखापा उत्पादन | उप वनमण्डलाधिकारी अमरवाडा उत्पादन |
| 46 | काष्ठकागार अधिकारी हरई स्वामी सलेया काष्ठागार | - | काष्ठागार अधिकारी हरई | उप वनमण्डलाधिकारी अमरवाडा उत्पादन |
| 47 | परिक्षेत्राधिकारीसौसर उत्पादन | - | परिक्षेत्राधिकारी सौसर उत्पादन | उप वनमण्डलाधिकारी सौंसर उत्पादन |
| 48 | परिक्षेत्राधिकारी कन्हान उत्पादन | - | परिक्षेत्राधिकारी कन्हान उत्पादन | उप वनमण्डलाधिकारी सौंसर उत्पादन |
| 49 | काष्ठकागार अधिकारी आमला खिटामा काष्ठागार | - | काष्ठागार अधिकारी आमला काष्ठागार | उप वनमण्डलाधिकारी सौंसर उत्पादन |

**ग्वालियर वृत्त -**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **क्र.** | **कार्यालय का नाम** | **सहायक लोक सूचना अधिकारी** | **लोक सूचना अधिकारी** | **अपीलीय अधिकारी** |
|  | वृत्त कार्यालय ग्वालियर | अधीक्षक वन वृत्त कार्यालय | संलग्नाधिकारी वृत्त कार्यालय | वन संरक्षक ग्वालियर |
|  | वनमण्ड़ल ग्वालियर | मुख्य लिपिक ग्वलियर | वनमण्ड़लाधिकारी ग्वालियर | वन संरक्षक ग्वालियर |
|  | वनमण्ड़ल मुरैना | मुख्य लिपिक मुरैना | वनमण्ड़लाधिकारी मुरैना | वन संरक्षक ग्वालियर |
|  | वनमण्ड़ल भिण्ड़ | मुख्य लिपिक भिण्ड़ | वनमण्ड़लाधिकारी भिण्ड़ | वन संरक्षक ग्वालियर |
|  | वनमण्ड़ल दतिया | मुख्य लिपिक दतिया | वनमण्ड़लाधिकारी दतिया | वन संरक्षक ग्वालियर |
|  | वनमण्ड़ल श्योपुर | मुख्य लिपिक श्योपुर | वनमण्ड़लाधिकारी श्योपुर | वन संरक्षक ग्वालियर |
|  | वनमण्ड़ल कूनो पालपुर | मुख्य लिपिक कूनो श्योपुर | वनमण्ड़लाधिकारी कूनो श्योपुर | वन संरक्षक ग्वालियर |
|  | उपवनमण्ड़लाधिकारी ग्वालियर | लिपिक उपवनमण्ड़लाधिकारी ग्वालियर | उपवनमण्ड़लाधिकारी ग्वालियर | वनमण्ड़लाधिकारी ग्वालियर |
|  | उपवनमण्ड़लाधिकारी घाटीगॉंव | उपवनमण्ड़लाधिकारी घाटीगॉंव | उपवनमण्ड़लाधिकारी घाटीगॉंव | वनमण्ड़लाधिकारी ग्वालियर |
|  | अधीक्षक सोनचिड़िया  अभ्यारण्य घाटीगॉंव | लेखापाल सोनचिड़िया अभ्यारण्य घाटीगॉंव | अधीक्षक सोनचिड़िया अभ्यारण्य घाटीगॉंव | वनमण्ड़लाधिकारी ग्वालियर |
|  | उपवनमण्ड़लाधिकारी मुरैना | लिपिक उपवनमण्ड़लाधिकारी मुरैना | उपवनमण्ड़लाधिकारी मुरैना | वनमण्ड़लाधिकारी मुरैना |
|  | उपवनमण्ड़लाधिकारी सबलगढ़ | लिपिक उपवनमण्ड़लाधिकारी सबलगढ़ | उपवनमण्ड़लाधिकारी सबलगढ़ | वनमण्ड़लाधिकारी मुरैना |
|  | अधीक्षक रा.च.अ.देवरी | लेखापाल रा.च.अ. देवरी | अधीक्षक रा.च.अ.देवरी | वनमण्ड़लाधिकारी मुरैना |
|  | उपवनमण्ड़लाधिकारी भिण्ड़ | लिपिक उपवनमण्ड़लाधिकारी भिण्ड़ | उपवनमण्ड़लाधिकारी भिण्ड़ | वनमण्ड़लाधिकारी भिण्ड़ |
|  | उपवनमण्ड़लाधिकारी दतिया | लिपिक उपवनमण्ड़लाधिकारी दतिया | उपवनमण्ड़लाधिकारी दतिया | वनमण्ड़लाधिकारी दतिया |
|  | उपवनमण्ड़लाधिकारी श्योपुर | लिपिक उपवनमण्ड़लाधिकारी श्योपुर | उपवनमण्ड़लाधिकारी श्योपुर | वनमण्ड़लाधिकारी श्योपुर |
|  | उपवनमण्ड़लाधिकारी कराहल | लिपिक उपवनमण्ड़लाधिकारी कराहल | उपवनमण्ड़लाधिकारी कराहल | वनमण्ड़लाधिकारी श्योपुर |
|  | उपवनमण्ड़लाधिकारी विजयपुर | लिपिक उपवनमण्ड़लाधिकारी विजयपुर | उपवनमण्ड़लाधिकारी विजयपुर | वनमण्ड़लाधिकारी श्योपुर |
|  | उपवनमण्ड़लाधिकारी कूनो पोहरी | लिपिक उपवनमण्ड़लाधिकारी कूनो पोहरी | उपवनमण्ड़लाधिकारी कूनो पोहरी | वनमण्ड़लाधिकारी कूनो श्योपुर |
|  | उपवनमण्ड़लाधिकारी विजयपुर कूनो पालपुर | लिपिक उपवनमण्ड़लाधिकारी विजयपुर कूनो पालपुर | उपवनमण्ड़लाधिकारी विजयपुर कूनो पालपुर | वनमण्ड़लाधिकारी कूनो श्योपुर |
|  | वन परिक्षेत्र अधिकारी ग्वालियर | - | परिक्षेत्र अधिकारी ग्वालियर | उपवनमण्डलाधिकारी ग्वालियर |
|  | वन परिक्षेत्र अधिकारी बेहट | - | परिक्षेत्र अधिकारी बेहट | उपवनमण्डलाधिकारी ग्वालियर |
|  | वन परिक्षेत्र अधिकारी घाटीगांव उत्तर | - | परिक्षेत्र अधिकारी घाटीगांव उत्तर | उपवनमण्डलाधिकारी घाटीगांव |
|  | वन परिक्षेत्र अधिकारी घाटीगांव दक्षिण | - | परिक्षेत्र अधिकारी घाटीगांव दक्षिण | उपवनमण्डलाधिकारी घाटीगांव |
|  | गेम रेंज घाटीगांव | - | परिक्षेत्र अधिकारी गेम रेंज घाटीगांव | अधीक्षक सोन चिड़िया अभ्यारण्य घाटीगांव |
|  | गेम रेंज तिघरा | - | परिक्षेत्र अधिकारी गेम रेंज तिघरा | अधीक्षक सोन चिड़िया अभ्यारण्य घाटीगांव |
|  | वन परिक्षेत्र अधिकारी मुरैना | - | परिक्षेत्र अधिकारी मुरैना | उपवनमण्डलाधिकारी मुरैना |
|  | वन परिक्षेत्र अधिकारी जौरा | - | परिक्षेत्र अधिकारी जौरा | उपवनमण्डलाधिकारी मुरैना |
|  | वन परिक्षेत्र अधिकारी सबलगढ़ | - | परिक्षेत्र अधिकारी सबलगढ़ | उपवनमण्डलाधिकारी सबलगढ़ |
|  | वन परिक्षेत्र अधिकारी पहाड़गढ | - | परिक्षेत्र अधिकारी पहाड़गढ | उपवनमण्डलाधिकारी सबलगढ़ |
|  | गेम रेंज देवरी | - | परिक्षेत्र अधिकारी गेम रेंज देवरी | अधीक्षक राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य देवरी |
|  | गेम रेंज मुरैना | - | परिक्षेत्र अधिकारी गेम रेंज मुरैना | अधीक्षक राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य देवरी |
|  | गेम रेंज सबलगढ़ | - | परिक्षेत्र अधिकारी गेम रेंज सबलगढ़ | अधीक्षक राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य श्योपुर |
|  | गेम रेंज श्योपुर | - | परिक्षेत्र अधिकारी गेम रेंज श्योपुर | अधीक्षक राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य श्योपुर |
|  | गेम रेंज वीरपुर | - | परिक्षेत्र अधिकारी गेम रेंज वीरपुर | अधीक्षक राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य श्योपुर |
|  | गेम रेंज भिण्ड | - | परिक्षेत्र अधिकारी गेम रेंज भिण्ड | अधीक्षक राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य भिण्ड |
|  | गेम रेंज अम्बाह | - | परिक्षेत्र अधिकारी गेम रेंज अम्बाह | अधीक्षक राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य भिण्ड |
|  | वन परिक्षेत्र अधिकारी श्योपुर | - | परिक्षेत्र अधिकारी श्योपुर | उपवनमण्डलाधिकारी श्योपुर |
|  | वन परिक्षेत्र अधिकारी बुढेरा | - | परिक्षेत्र अधिकारी बुढेरा | उपवनमण्डलाधिकारी श्योपुर |
|  | वन परिक्षेत्र अधिकारी खाड़ी | - | परिक्षेत्र अधिकारी खाड़ी | उपवनमण्डलाधिकारी श्योपुर |
|  | वन परिक्षेत्र अधिकारी कराहल | - | परिक्षेत्र अधिकारी कराहल | उपवनमण्डलाधिकारी कराहल |
|  | वन परिक्षेत्र अधिकारी बडौदा | - | परिक्षेत्र अधिकारी बडौदा | उपवनमण्डलाधिकारी कराहल |
|  | वन परिक्षेत्र अधिकारी विजयपुर पूर्व | - | परिक्षेत्र अधिकारी विजयपुर पूर्व | उपवनमण्डलाधिकारी विजयपुर |
|  | वन परिक्षेत्र अधिकारी विजयपुर पश्चिम | - | परिक्षेत्र अधिकारी विजयपुर पश्चिम | उपवनमण्डलाधिकारी विजयपुर |
|  | वन परिक्षेत्र अधिकारी वीरपुर | - | परिक्षेत्र अधिकारी वीरपुर | उपवनमण्डलाधिकारी विजयपुर |
|  | वन परिक्षेत्र अधिकारी दतिया | - | परिक्षेत्र अधिकारी दतिया | उपवनमण्डलाधिकारी दतिया |
|  | वन परिक्षेत्र अधिकारी सेवढ़ा | - | परिक्षेत्र अधिकारी सेवढ़ा | उपवनमण्डलाधिकारी दतिया |
|  | वन परिक्षेत्र अधिकारी गोराघाट | - | परिक्षेत्र अधिकारी गोराघाट | उपवनमण्डलाधिकारी दतिया |
|  | वन परिक्षेत्र अधिकारी भिण्ड | - | परिक्षेत्र अधिकारी भिण्ड | उपवनमण्डलाधिकारी भिण्ड |
|  | वन परिक्षेत्र अधिकारी अटेर | - | परिक्षेत्र अधिकारी अटेर | उपवनमण्डलाधिकारी भिण्ड |

**होशंगाबाद वृत्त -**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **क्र.** | **कार्यालय का नाम** | **सहायक लोक सूचना अधिकारी** | **लोक सूचना अधिकारी** | **अपीलीय अधिकारी** |
|  | मुख्य वनसंरक्षक एवं पदेन वनसंरक्षक, होशंगाबाद | कार्यालय अधीक्षक, वृत्त कार्यालय, होशंगाबाद | संलग्न अधिकारी (सहायक वनसंरक्षक) | मुख्य वनसंरक्षक एवं पदेन वनसंरक्षक, होशंगाबाद |
|  | वनमंडलाधिकारी सामान्य, होशंगाबाद | उपवनमंडलाधिकारी सामान्य होशंगाबाद | वनमंडलाधिकारी सामान्य, होशंगाबाद | मुख्य वनसंरक्षक एवं पदेन वनसंरक्षक, होशंगाबाद |
|  | वनमंडलाधिकारी सामान्य, हरदा | उपवनमंडलाधिकारी सामान्य, उत्तर, हरदा | वनमंडलाधिकारी सामान्य, हरदा | मुख्य वनसंरक्षक एवं पदेन वनसंरक्षक, होशंगाबाद |
|  | वनमंडलाधिकारी उत्पादन, हरदा | उपवनमंडलाधिकारी  उत्पादन, दक्षिण,हरदा | वनमंडलाधिकारी उत्पादन, हरदा | मुख्य वनसंरक्षक एवं पदेन वनसंरक्षक, होशंगाबाद |
|  | वनमंडलाधिकारी सामाजिक वानिकी होशंगाबाद | प्रभारी मुख्य लिपिक, वनमंडल कार्यालय, सामाजिक वानिकी वनमंडल | वनमंडलाधिकारी सामाजिक वानिकी होशंगाबाद | मुख्य वनसंरक्षक एवं पदेन वनसंरक्षक, होशंगाबाद |
|  | उपवनमंडलाधिकारी सामान्य होशंगाबाद | - | उपवनमंडलाधिकारी सामान्य होशंगाबाद | वनमंडलाधिकारी सामान्य होशंगाबाद |
|  | उपवनमंडलाधिकारी सामान्य सोहागपुर | - | उपवनमंडलाधिकारी सामान्य सोहागपुर |
|  | उपवनमंडलाधिकारी सामान्य पिपरिया | - | उपवनमंडलाधिकारी सामान्य पिपरिया |
|  | उपवनमंडलाधिकारी सामान्य सिवनीमालवा | - | उपवनमंडलाधिकारी सामान्य सिवनीमालवा |
|  | परिक्षेत्र अधिकारी सा. सुखतवा | - | परिक्षेत्र अधिकारी सा. सुखतवा | वनमंडलाधिकारी सामान्य होशंगाबाद |
|  | परि. अधिकारी सा. इटारसी | - | परि. अधिकारी सा. इटारसी |
|  | परि.अधिकारी उत्पा. इटारसी | - | परि.अधिकारी उत्पा. इटारसी |
|  | परि.अधिकारी सा. होशंगाबाद | - | परि.अधिकारी सा. होशंगाबाद |
|  | परि. अधिकारी सा. बागडा | - | परि. अधिकारी सा. बागडा |
|  | परि. अधिकारी सा. सोहागपुर | - | परि. अधिकारी सा. सोहागपुर |
|  | परि. अधिकारी उत्पा. सोहागपुर | - | परि. अधिकारी उत्पा. सोहागपुर |
|  | परि. अधिकारी सा. पिपरिया | - | परि. अधिकारी सा. पिपरिया |
|  | परि. अधिकारी सा. बनखेडी | - | परि. अधिकारी सा. बनखेडी |
|  | परि. अधिकारी सा. सिवनी मालवा | - | परि. अधिकारी सा. सिवनी मालवा |
|  | परि. अधिकारी सा. बानापुरा | - | परि. अधिकारी सा. बानापुरा |
|  | परि. अधिकारी उत्पा. सिवनी | - | परि. अधिकारी उत्पा. सिवनी |
|  | काष्ठभंडार अधिकारी, ताकू | - | काष्ठभंडार अधिकारी, ताकू |
|  | काष्ठभंडार अधिकारी, सोहागपुर | - | काष्ठभंडार अधिकारी, सोहागपुर |
|  | उपवनमंडलाधिकारी सामान्य उत्तर हरदा | - | उपवनमंडलाधिकारी सामान्य उत्तर हरदा | वनमंडलाधिकारी सामान्य हरदा |
|  | उपवनमंडलाधिकारी(सा)दक्षिण हरदा | - | उपवनमंडलाधिकारी(सा) दक्षिण हरदा |
|  | परि. अधिकारी सा. रहटगॉव | - | परि. अधिकारी सा. रहटगॉव | वनमंडलाधिकारी सामान्य हरदा |
|  | परि. अधिकारी सा. टेमागॉव | - | परि. अधिकारी सा. टेमागॉव |
|  | परि.अधिकारी. सा. मगरधा | - | परि.अधिकारी. सा. मगरधा |
|  | परि.अधिकारी सा. बोरपानी | - | परि.अधिकारी सा. बोरपानी |
|  | परि.अधिकारी सा. मकडाई | - | परि.अधिकारी सा. मकडाई |
|  | परि. अधिकारी सा. हंडिया |  | परि. अधिकारी सा. हंडिया |  |
|  | डिपो अधिकारी सा. हरदा |  | डिपो अधिकारी सा.हरदा |
|  | उप वन मंडलाधिकारी उत्‍पादन उत्‍तर हरदा |  | उप वनमंडलाधिकारी उत्‍पादन उत्‍तर हरदा | वनमंडलाधिकारी  उत्‍पादन हरदा |
|  | उप वन मंडलाधिकारी उत्‍पादन दक्षिण हरदा |  | उप वन मंडलाधिकारी उत्‍पादन दक्षिण हरदा |
|  | परि. अधिकारी उत्‍पा. रहटगॉव |  | परि. अधिकारी उत्‍पा. रहटगॉव | वनमंडलाधिकारी  उत्‍पादन हरदा |
|  | परि. अधिकारी उत्‍पा टेमागॉव |  | परि. अधिकारी उत्‍पा टेमागॉव |
|  | परि. अधिकारी उत्‍पा मगरधा |  | परि. अधिकारी उत्‍पा मगरधा |
|  | परि. अधिकारी उत्‍पा; बोरपानी |  | परि. अधिकारी उत्‍पा; बोरपानी |
|  | परि. अधिकारी उत्‍पा. मकडाई |  | परि. अधिकारी उत्‍पा. मकडाई |
|  | परि. अधिकारी उत्‍पा. हंडिया |  | परि. अधिकारी उत्‍पा. हंडिया |
|  | काष्‍ठभंडार अधिकारी, टिमरनी |  | काष्‍ठभंडार अधिकारी, टिमरनी |
|  | काष्‍ठभंडार अधिकारी, खिडकिया |  | काष्‍ठभंडार अधिकारी, खिडकिया |

**इंदौर वृत्‍त -**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **क्र** | **कार्यालय का नाम** | **सहायक लोक सूचना अधकारी का नाम** | **लोक सूचना अधिकारी** | **अपीलीय अधिकारी** |
| 1. | मुख्‍य वन संरक्षक व़त्‍त कार्यालय इन्‍दौर | अधीक्षक व़त्‍त कार्यालय | स.व.स. एवं संलग्‍न अधिकारी वृत्‍त कार्यालय | मुख्‍य वन संरक्षक वृत्‍त इन्‍दौर |
| 2. | वन मंडलाधिकारी सामान्‍य इंदौर | मुख्‍य लिपिक व.म. इंदौर | स.व.स. एवं संलग्‍न अधिकारी वनमंडल इंदौर | वन मंडलाधिकारी सा. इंदौर |
| 3. | उप व.म.अ. सामान्‍य इन्‍दौर | उप व;म; कार्यालय लिपिक इन्‍दौर | उप व.म.अ. सामान्‍य इन्‍दौर | वन मंडलाधिकारी सा. इंदौर |
| 4. | उप व.म.अ. सामान्‍य महू | उप व;म; कार्यालय लिपिक महू | उप व.म.अ. सामान्‍य महू | वन मंडलाधिकारी सा. इंदौर |
| 5. | अधीक्षक, अभ्‍यारण्‍य रालामंडल इंदौर | अभ्‍यारण्‍य लिपिक रालामंडल इंदौर | अधीक्षक, अभ्‍यारण्‍य रालामंडल इंदौर | वन मंडलाधिकारी सा. इंदौर |
| 6. | काष्‍ठागार अधिकारी रालामंडल इंदौर | काष्‍ठागार लिपिक रालामंडल इंदौर | काष्‍ठागार अधिकारी रालामंडल इंदौर | वन मंडलाधिकारी सा. इंदौर |
| 7. | परिक्षेत्र अधिकारी इंदौरपरिक्षेत्र अधिकारी, चोरल  परिक्षेत्र अधिकारी, महू  परिक्षेत्र अधिकारी, मानपुर | परि.लिपिक इंदौर  परि.लिपिक,चोरल  परि.लिपिक, महू  परि.लिपिक,मानपुर | वनपरिक्षेत्र अधिकारी इंदौर  वनपरिक्षेत्र अधिकारी, चोरल  वनपरिक्षेत्र अधिकारी,महू  वनपरिक्षेत्र अधिकारी,मानपुर | उप व.म.अ. सा.इंदौर  उप व.म.अ. सा.इंदौर  उप व.म.अ. महूउप व.म.अ. महू |
| 8. | वन मंडलाधिकारी सामान्‍य धार | मुख्‍य लिपिक वनमंडल धार | उप वनमंडलाधिकारी धार | वन मंडलाधिकारी सा­­. धार |
| 9. | उप वन मंडलाधिकारी सामान्‍य धार | उप वन मंडल कार्यालय लिपिक धार | उप व.म.अ. सामान्‍य धार | वन मण्‍डलाधिकारी  सा. धार |
| 10. | उप वन मंडलाधिकारी सरदारपुर | उप वन मंडल कार्यालय लिपिक सरदारपुर | उप व.म.अ. सामान्‍य सरदारपुर | वन मण्‍डलाधिकारी सा. धार |
| 11. | परिक्षेत्र अधिकारी धार  परिक्षेत्र अधिकारी माण्‍डव  परिक्षेत्र अधिकारी धामनोद  परिक्षेत्रअधिकारी सरदारपुर  परिक्षेत्र अधिकारी टाण्‍डा  परिक्षेत्र अधिकारी बाग  परिक्षेत्र अधिकारी कुक्षी | परि.लिपिक धार  परि.लिपिक माण्‍डव  परि.लिपिक धामनोद  परि.लिपिक सरदारपुर  परि.लिपिक टांडापरि.लिपिक बागपरि.लिपिक कुक्षी | वनपरिक्षेत्र अधिकारी धार  वनपरिक्षेत्र अधिकारी माण्‍डव  वनपरिक्षेत्र अधिकारी धमनोदवनपरिक्षेत्र अधिकारी सरदारपुर  वनपरिक्षेत्र अधिकारी टाण्‍डावनपरिक्षेत्र अधिकारी बागवनपरिक्षेत्र अधिकारी कुक्षी | उप व.म.अ. धारउप व.म.अ. धार  उप व.म.अ. धार  उप व.म.अ. सरदारपुर  उप व.म.अ. सरदारपुर  उप व.म.अ. सरदारपुर  उप व.म.अ. सरदारपुर |
| 12. | वन मंडलाधिकारी सा. झाबुआ | मुख्‍य लिपिक व.म. झाबुआ | स्‍.व्‍.स्‍. एव सल्‍गनाधिकारी  वनमंडल झाबुआ | व.म.अ. सा. झाबुआ |
| 13. | उ.व.म.अ. झाबुआ | उप व.म.कार्यालय लिपिक झाबुआ | उ.व.म.अ. झाबुआ | व.म.अ. सा. झाबुआ |
| 14 | परिक्षेत्र अधिकारी झाबुआ  परिक्षेत्र अधिकारी थांदला  परिक्षेत्र अधिकारी पेटलावद | परि.लिपिक,झाबुआ  परि.लिपिक,थांदलापरि.लिपिक,पेटलावद | वनपरिक्षेत्र अधिकारी झाबुआ  वनपरिक्षेत्र अधिकारी थांदला  वनपरिक्षेत्र अधिकारी पेटलावद | उ.व.म.अ. झाबुआ  उप व.म.अ. झाबुबा  उप व.म.अ. झाबुआ |
| 15 | वन मण्‍डलाधिकारी सा. अलिराजपुर | मुख्‍य लिपिक व.म. | उप व.म.अ. अलिराजपुर | व.म.अ. सा.अलिराजपुर |
| 16 | उप व.म.अ. अलिराजपुर | उप व.म. कार्यालय लिपिक अलिराजपुर | उप व.म.अ. अलिराजपुर | व.म.अ. सा.अलिराजपुर |
| 17 | उप व.म.अ. भाभरा | उप व.म.कार्यालय लिपिक भाभरा | उप व.म.अ. भाभरा | उप व.म.अ. अलिराजपुर |
| 18 | परिक्षेत्रअधिकारी अलिराजपुर  परिक्षेत्र अधिकारी उमराली  परिक्षेत्र अधिकारी मथवाडा  परिक्षेत्र अधिकारी जोबट  परिक्षेत्र अधिकारी भाभरा  परिक्षेत्र अधिकारी कट्ठीवाडा | परि. लिपिक अलिराजपुर  परि. लिपिक उमराली  परि. लिपिक मथवाडा  परि. लिपिक जोबट  परि. लिपिक भाभरा  परि. लिपिक कट्टीवाडा | वनपरिक्षेत्र अधिकारी अलिराजपुर  वनपरिक्षेत्र अधिकारी उमराली  वनपरिक्षेत्र अधिकारी मथवाडा  वनपरिक्षेत्र अधिकारी जोबट  वनपरिक्षेत्र अधिकारी भाभरा  वनपरिक्षेत्र अधिकारी कट्ठीवाडा | उप व.म.अ. अलिराजपुर  उप व.म.अ. अलिराजपुर  उप व.म.अ. अलिराजपुर  उप व.म.अ. भाभरा  उप व.म.अ. भाभरा  उप व.म.अ. भाभरा |

**जबलपुर वृत्‍त -**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **क्र** | **कार्यालय का नाम** | **सहायक लोक सूचना अधकारी का नाम** | **लोक सूचना अधिकारी** | **अपीलीय अधिकारी** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | मुख्‍य वन संरक्षक मध्‍य व़त्‍त जबलपुर | अधीक्षक वृत्‍त | स0व0सं0 संलग्‍न अधिकारी | मुख्‍य वन संरक्षक मध्‍य व़त्‍त जबलपुर |
| 2 | वन मंडल अधिकारी सामान्‍य जबलपुर | मुख्‍य लिपिक वनमंडल | स0व0सं0 संलग्‍न अधिकारी वन मंडल | वन मंडल अधिकारी सा0 जबलपुर |
| 3 | उप वन मंडल अधिकारी सामान्‍य जबलपुर | - | उप वन मंडल अधिकारी सामान्‍य जबलपुर | वन मंडल अधिकारी सा0 जबलपुर |
| 4 | उप वन मंडल अधिकारी सामान्‍य सिहोरा | - | उप वन मंडल अधिकारी सामान्‍य सिहोरा | वन मंडल अधिकारी सा0 जबलपुर |
| 5 | 1 परिक्षत्र अधिकारी जबलपुर  2 परिक्षेत्र अधिकारी बरगी  3 परिक्षेत्र अधिकारी पाटन  4 परिक्षेत्र अधिकारी शहपुरा |  | 1 जबलुपर  2 परिक्षेत्र अधिकारी बरगी  3 परिक्षेत्र अधिकारी पाटन  4 परिक्षेत्र अधिकारी शहपुरा | सामान्य जबलपुर |
| 6 | 1 परिक्षेत्र अधिकारी कुण्डम  2 परिक्षेत्र अधिकारी सिहोरा  3 परिक्षेत्र अधिकारी पनागर |  | 1 परिक्षेत्र अधिकारी कुण्डम  2 परिक्षेत्र अधिकारी सिहोरा  3 परिक्षेत्र अधिकारी पनागर | उप वनमण्डल अधिकारी सामान्य सिहोरा |
| 7 | वन मण्डल अधिकारी कटनी समान्य | मुख्य लिपिक वनमण्डल | स0व0सं0 संलग्नाधिकारी | वन मण्डल अधिकारी सामान्य कटनी |
| 8 | उप वन मण्डल अधिकारी सामान्य पूर्व कटनी | - | उप वन मण्डल अधिकारी सामान्य पूर्व कटनी | वन मण्डल अधिकारी सामान्य कटनी |
| 9 | उप वन मण्डल अधिकारी सामान्य पश्चिम कटनी | - | उप वन मण्डल अधिकारी सामान्य पश्चिम कटनी | वन मण्डल अधिकारी सामान्य कटनी |
| 10 | 1 परिक्षेत्र अधिकारी कटनी  2 परिक्षेत्र अधिकारी विजयराघवगढ  3 पऱिक्षेत्र अधिकारी बडवारा | - | 1 परिक्षेत्र अधिकारी कटनी  2 परिक्षेत्र अधिकारी विजयराघवगढ  3 पऱिक्षेत्र अधिकारी बडवारा | उप वन मण्डल अधिकारी सामान्य पूर्व कटनी |
| 11 | 1 परिक्षेत्र अधिकारी बहोरीबंद  2 परिक्षेत्र अधिकारी रीठी  3 पऱिक्षेत्र अधिकारी ढीमरखेडा | - | 1 परिक्षेत्र अधिकारी बहोरीबंद  2 परिक्षेत्र अधिकारी रीठी  3 पऱिक्षेत्र अधिकारी ढीमरखेडा | उप वन मण्डल अधिकारी पश्चिम सामान्यकटनी |
| 12 | वन मण्डल अधिकारी पश्चिम सामान्य मण्डला | मुख्य लिपिक वनमण्डल | स0व0सं0 संलग्नाधिकारी पश्चिम मण्डला | वन मण्डलाधिकारी सा0 पश्चिम मण्डला |
| 13 | उप वन मण्डल अधिकारी सामान्य महाराजपुर | - | उप वन मण्डल अधिकारी सामान्य महाराजपुर | वन मण्डलाधिकारी सा0 पश्चिम मण्डला |
| 14 | उप वन मण्डल अधिकारी सामान्य निवास | - | उप वन मण्डल अधिकारी सामान्य निवास | वन मण्डलाधिकारी सा0 पश्चिम मण्डला |
| 15 | 1 परिक्षेत्र अधिकारी महराजपुर  2 परिक्षेत्र अधिकारी मण्डला  3 पऱिक्षेत्र अधिकारी बम्हनी  4 परिक्षेत्र अधिकारी टिकरिया | - | 1 परिक्षेत्र अधिकारी महराजपुर  2 परिक्षेत्र अधिकारी मण्डला  3 पऱिक्षेत्र अधिकारी बम्हनी  4 परिक्षेत्र अधिकारी टिकरिया | उप वन मण्डल अधिकारी सामान्य महाराजपुर |
| 16 | 1 परिक्षेत्र अधिकारी निवास  2 परिक्षेत्र अधिकारी बरेला  3 पऱिक्षेत्र अधिकारी बीजाडांडी  4 परिक्षेत्र अधिकारी कालपी | - | 1 परिक्षेत्र अधिकारी निवास  2 परिक्षेत्र अधिकारी बरेला  3 पऱिक्षेत्र अधिकारी बीजाडांडी  4 परिक्षेत्र अधिकारी कालपी | उप वन मण्डल अधिकारी सामान्य निवास |
|  | वन मंडल अधिकारी सामान्‍य पूर्व मंडला | मुख्‍य लिपिक वनमंडल | स0व0सं0 संलग्‍नाधिकारी मंडला | वन मंडल अधिकारी पूर्व सा0 मंडला |
|  | उप वन मंडल अधिकारी जगमंडल | - | उप वन मंडल अधिकारी जगमंडल सामान्‍य | वन मंडल अधिकारी पूर्व सा0 मंडला |
|  | उप वन मंडल सामान्‍य अधिकारी बिछिया | - | उप वन मंडल सामान्‍य अधिकारी सामान्‍य बिछिया | वन मंडल अधिकारी पूर्व सा0 मंडला |
|  | 1.परिक्षेत्र अधिकारी जगमंडल  2. परिक्षेत्र अधिकारी मोहगांव  3. परिक्षेत्र अधिकारी घुघरी | - | 1. परिक्षेत्र अधिकारी जगमंडल  2. परिक्षेत्र अधिकारी मोहगांव  3. परिक्षेत्र अधिकारी घुघरी | उप वन मंडल अधिकारी सामान्‍य जगमंडल |
|  | 1.परिक्षेत्र अधिकारी बिछिया  2. परिक्षेत्र अधिकारी मो‍तीनाला  3. परिक्षेत्र अधिकारी मबई | - | 1. परिक्षेत्र अधिकारी बिछिया  2. परिक्षेत्र अधिकारी मो‍तीनाला  3. परिक्षेत्र अधिकारी मबई | उप वन मंडल सामान्‍य अधिकारी बिछिया |
|  | वन मंडल सामान्‍य अधिकारी डिंडौरी | मुख्‍य लिपिक वनमंडल | सं.व.स. संलग्‍नाधिकारी डिंडौरी | व0म0अ0 सामान्‍य डिंडौरी |
|  | उप वन मंडल अधिकारी सामान्‍य गाडासरई | - | उप वन मंडल अधिकारी सामान्‍य गाडासरई | व0म0अ0 सामान्‍य डिंडौरी |
|  | उप वन मंडल अधिकारी सामान्‍य डिंडौरी | - | उप वन मंडल अधिकारी सामान्‍य डिंडौरी | व0म0अ0 सामान्‍य डिंडौरी |
|  | उप वन मंडल अधिकारी सामान्‍य शहपुरा | - | उप वन मंडल अधिकारी सामान्‍य शहपुरा | व0म0अ0 सामान्‍य डिंडौरी |
|  | 1. परिक्षेत्र अधिकारी पूर्व कंजरिया  2. परिक्षेत्र अधिकारी पश्चिमकंजरिया  3. परिक्षेत्र अधिकारी बजाग  4. दक्षिण समनापुर | - | 1. परिक्षेत्र अधिकारी पूर्व कंजरिया  2. परिक्षेत्र अधिकारी पश्चिमकंजरिया  3. परिक्षेत्र अधिकारी बजाग  4. दक्षिण समनापुर | उप वन मंडल सामान्‍य अधिकारी गाडासरई |
|  | 1. परिक्षेत्र अधिकारी डिंडौरी  2. परिक्षेत्र अधिकारी उत्‍तर समनापुर  3. परिक्षेत्र अधिकारी अमरपुर | - | 1. परिक्षेत्र अधिकारी डिंडौरी  2. परिक्षेत्र अधिकारी उत्‍तर समनापुर  3. परिक्षेत्र अधिकारी अमरपुर | उप वन मंडल सामान्‍यडिंडौरी |
|  | 1. परिक्षेत्र अधिकारी शाहपुर  2. परिक्षेत्र अधिकारी शहपुरा  3. परिक्षेत्र अधिकारी मेंहदवानी | - | 1. परिक्षेत्र अधिकारी शाहपुर  2. परिक्षेत्र अधिकारी शहपुरा  3. परिक्षेत्र अधिकारी मेंहदवानी | उप वन मंडल सामान्‍यअधिकारी शहपुरा |
|  | वन मंडल अधिकारी उत्‍पादन मंडला | मुख्‍य लिपिक वनमंडल | वन मंडल अधिकारी उत्‍पादन महाराजपुर | वन मंडल अधिकारी उत्‍पादन मंडला |
|  | वन मंडल उत्‍पादन अधिकारी महाराजपुर | - | वन मंडल अधिकारी उत्‍पादन महाराजपुर | वन मंडल अधिकारी उत्‍पादन मंडला |
|  | उप वन मंडल अधिकारी उत्‍पादन बिछिया | - | वन मंडल अधिकारी उत्‍पादन बिछिया | वन मंडल अधिकारी उत्‍पादन मंडला |
|  | उप वन मंडल अधिकारी उत्‍पा0 बरेला | - | उप वन मंडल अधिकारी उत्‍पादन बरेला | वन मंडल अधिकारी उत्‍पादन मंडला |
|  | 1. परिक्षेत्र अधिकारी मंडला  2. परिक्षेत्र अधिकारी महाराजपुर  3. परिक्षेत्र अधिकारी मोहगांव  4. परिक्षेत्र अधिकारी रसैयादोना डिपो | - | 1.परिक्षेत्र अधिकारी मंडला  2. परिक्षेत्र अधिकारी महाराजपुर  3. परिक्षेत्र अधिकारी मोहगांव  4. परिक्षेत्र अधिकारी रसैयादोना डिपो | उप वन मंडल उत्‍पादन अधिकारी महाराजपुर |
|  | 1. परिक्षेत्र अधिकारी अंजनिया  2. परिक्षेत्र अधिकारी मवई  3. परिक्षेत्र अधिकारी मोतीनाला  4. परिक्षेत्र अधिकारी सिझौरा डिपो | - | 1.परिक्षेत्र अधिकारी अंजनिया  2. परिक्षेत्र अधिकारी मवई  3. परिक्षेत्र अधिकारी मोतीनाला  4. परिक्षेत्र अधिकारी सिझौरा डिपो | उप वन मंडल अधिकारी उत्‍पादन बिछिया |
|  | 1.परिक्षेत्र अधिकारी कालपी  2. परिक्षेत्र अधिकारी बरेला  3. परिक्षेत्र अधिकारी कालपी डिपो | - | 1.परिक्षेत्र अधिकारी कालपी  2. परिक्षेत्र अधिकारी बरेला  3. परिक्षेत्र अधिकारी कालपी डिपो | उप वन मंडल अधिकारी उत्‍पादन बरेला |
|  | वन मंडल अधिकारी उत्‍पादन डिंडौरी | मुख्‍य लिपिक वनमंडल | उप वन मंडल अधिकारी उत्‍पादन डिंडौरी | वन मंडल अधिकारी उत्‍पादन डिंडौरी |
|  | उप वन मंडल अधिकारी उत्‍पादन डिंडौरी | - | उप वन मंडल अधिकारी उत्‍पादन डिंडौरी | वन मंडल अधिकारी उत्‍पादन डिंडौरी |
|  | उप वन मंडल अधिकारी उत्‍पादन गाडासरई | - | उप वन मंडल अधिकारी उत्‍पादन गाडासरई | वन मंडल अधिकारी उत्‍पादन डिंडौरी |
|  | 1.परिक्षेत्र अधिकारी डिंडौरी  2. प0 अधिकारी समनापुर पश्चिम | - | 1. परिक्षेत्र अधिकारी डिंडौरी  2.अधिकारी समनापुर पश्चिम | उप वन मंडल अधिकारी उत्‍पादन डिंडौरी |
|  | 1.परिक्षेत्र अधिकारी कंरजिया पूर्व  2. परिक्षेत्र अधिकारी प0 कंरजिया  3. परिक्षेत्र अधिकारी बजाग  4.प0 अधिकारी गाढासरई डिपो  5.परिक्षेत्र अधिकारी कंरजिया डिपों | - | 1. परिक्षेत्र अधिकारी कंरजिया पूर्व  2. परिक्षेत्र अधिकारी प0 कंरजिया  3. परिक्षेत्र अधिकारी बजाग  4.अधिकारी गाढासरई डिपो  5.परिक्षेत्र अधिकारी कंरजिया डिपों | उप वन मंडल अधिकारी उत्‍पादन गाडासरई |

**खंडवा वृत्‍त -**

| **क्र0** | **कार्यालय का नाम** | **सहायक लोक सूचना अधिकारी** | **लोक सूचना अधिकारी** | **अपीलीय अधिकारी** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | वनवृत्‍त खंडवा | अधीक्षक वन वृत्‍त | सहायक वन संरक्षक/ संलग्‍नाधिकारी | मुख्‍य वन संरक्षक खंडवा वृत्‍त खंडवा |
|  | वनमंडल सा0 खंडवा | संलग्‍न अधिकारी/ मुख्‍य लिपिक वनमंडल | वनसंरक्षक / वनमंडलाधिकारी सामान्‍य वनमंडल खंडवा | मुख्‍य वन संरक्षक खंडवा वृत्‍त खंडवा |
|  | उप वनमंडल सा0 खंडवा | लिपिक उप वनमंडल | उप वनमंडलाधिकारी सामान्‍य खंडवा | वन संरक्षक / वनमंडलाधिकारी सामान्‍य खंडवा |
|  | उप वनमंडल सा0 पुनासा | लिपिकउप वनमंडल | उप वनमंडलाधिकारीसा0 पुनासा | वनसंरक्षक / वनमंडलाधिकारी सामान्‍य खंडवा |
|  | उप वनमंडल सा0 हरसूद | लिपिक उप वनमंडल | उप वनमंडलाधिाकारी सा0 हरसूद | वनसंरक्षक / वनमंडलाधिकारी सामान्‍य खंडवा |
|  | उप वनमंडल सा0 पूर्व कालीभीत | लिपिक उप वनमंडल | उप वनमंडलाधिाकारी सा0पूर्व कालीभीत | वनसंरक्षक / वनमंडलाधिकारी सामान्‍य खंडवा |
|  | उप वनमंडल सा0 पश्चिम कालीभीत | लिपिक उप वनमंडल | उप वनमंडलाधिाकारी सा0 पश्चिम कालीभीत | वनसंरक्षक / वनमंडलाधिकारी सामान्‍य खंडवा |
|  | परिक्षेत्र सा0 खंडवा | लिपिकपरिक्षेत्र | वन परिक्षेत्राधिकारी सा0 खंडवा | उप वनमंडलाधिकारी सामान्‍य खंडवा |
|  | परिक्षेत्र सा0 सिंगाजी | लिपिक परिक्षेत्र | वन परिक्षेत्राधिकारी सा0 सिंगाजी | उप वनमंडलाधिकारी सामान्‍य खंडवा |
|  | परिक्षेत्र सा0 पुनासा | लिपिक परिक्षेत्र | वन परिक्षेत्राधिकारी सा0 पुनासा | उप वनमंडलाधिकारी सामान्‍य पुनासा |
|  | परिक्षेत्र सा0 मूंदी | लिपिक परिक्षेत्र | वन परिक्षेत्राधिकारी सा0 मूंदी | उप वनमंडलाधिकारी सामान्‍य पुनासा |
|  | परिक्षेत्र सा0 बलडी | लिपिक परिक्षेत्र | वन परिक्षेत्राधिकारी सा0 बलडी | उप वनमंडलाधिकारी सामान्‍य हरसूद |
|  | परिक्षेत्र सा0 चांदगढ | लिपिक परिक्षेत्र | वन परिक्षेत्राधिकारी सा0 चांदगढ | उप वनमंडलाधिकारी सामान्‍य हरसूद |
|  | परिक्षेत्र सा0 अमूल्‍ला | लिपिक परिक्षेत्र | वन परिक्षेत्राधिकारी सा0 अमूल्‍ला | उप वनमंडलाधिकारी सामान्‍य पश्चिम कालीभीत |
|  | परिक्षेत्र सा0 पिपलोद | लिपिक परिक्षेत्र | वन परिक्षेत्राधिकारी सा0 पिपलोद | वनमंडलाधिकारी सामान्‍य पश्चिम कालीभीत |
|  | परिक्षेत्र सा0 पश्चिम काली‍भीत | लिपिक परिक्षेत्र | वन परिक्षेत्राधिकारी सा0 पश्चिम काली‍भीत | उप वनमंडलाधिकारी सामान्‍य पश्चिम कालीभीत |
|  | परिक्षेत्र सा0 पूर्व काली‍भीत | लिपिक परिक्षेत्र | वन परिक्षेत्राधिकारी सा0 पूर्व काली‍भीत | उप वनमंडलाधिकारी सामान्‍य पश्चिम कालीभीत |
|  | परिक्षेत्र सा0 आवलिया | लिपिक परिक्षेत्र | वन परिक्षेत्राधिकारी सा0 आवलिया | उप वनमंडलाधिकारी सामान्‍य पश्चिम कालीभीत |
|  | वनमंडल सा0 बुरहानपुर | संलग्‍नाधिकारी / मुख्‍य लिपिक | वनमंडलाधिकारी बुरहानपुर | मुख्‍य वनसंरक्षक खंडवा वृत्‍त खंडवा |
|  | उप वनमंडल बुरहानपुर | लिपिकउप वनमंडल | उप वनमंडलाधिकारी बुरहानपुर | वनमंडलाधिकारीबुरहानपुर |
|  | उप वनमंडल नेपानगर | लिपिकउप वनमंडल | उप वनमंडलाधिकारीनेपानगर | वनमंडलाधिकारी बुरहानपुर |
|  | वन परिक्षेत्रबुरहानपुर | लिपिकपरिक्षेत्र | वन परिक्षेत्राधिकारीबुरहानपुर | उप वनमंडलाधिकारी बुरहानपुर |
|  | वन परिक्षेत्र खकनार | लिपिक परिक्षेत्र | वन परिक्षेत्राधिकारीखकनार | उप वनमंडलाधिकारी बुरहानपुर |
|  | वन परिक्षेत्र नेपानगर | लिपिक परिक्षेत्र | वन परिक्षेत्राधिकारीनेपानगर | उप वनमंडलाधिकारीनेपानगर |
|  | वन परिक्षेत्र असीर | लिपिक परिक्षेत्र | वन परिक्षेत्राधिकारीअसीर | उप वनमंडलाधिकारीनेपानगर |
|  | वनमंडल सा0 खरगौन | संलग्‍नाधिकारी / मुख्‍य लिपिक | वन परिक्षेत्राधिकारीखरगौन | मुख्‍य वन संरक्षक खंडवा वृत्‍त खंडवा |
|  | उप वनमंडल बिस्‍टान मु. खरगौन | लिपिकउप वनमंडल | उप वनमंडलाधिकारी बिस्‍टान | वनमंडलाधिकारी खरगौन |
|  | उप वनमंडल भीकनगांव | लिपिक उप वनमंडल | उप वनमंडलाधिकारी भीकनगांव | वनमंडलाधिकारी खरगौन |
|  | वन परिक्षेत्र खरगौन | लिपिकपरिक्षेत्र | वन परिक्षेत्राधिकारीखरगौन | उप वनमंडलाधिकारी बिस्‍टान खरगौन |
|  | वन परिक्षेत्र बिस्‍टान | लिपिक परिक्षेत्र | वन परिक्षेत्राधिकारी बिस्‍टान | उप वनमंडलाधिकारी बिस्‍टान खरगौन |
|  | वन परिक्षेत्र सिरवेल | लिपिक परिक्षेत्र | वन परिक्षेत्राधिकारीसिरवेल | उप वनमंडलाधिकारी बिस्‍टान खरगौन |
|  | वन परिक्षेत्र कसरावाद | लिपिक परिक्षेत्र | वन परिक्षेत्राधिकारीकसरावाद | उप वनमंडलाधिकारी बिस्‍टान खरगौन |
|  | वन परिक्षेत्र बरूड | लिपिक परिक्षेत्र | वन परिक्षेत्राधिकारीबरूड | उप वनमंडलाधिकारी बिस्‍टान खरगौन |
|  | वन परिक्षेत्र भीकनगांव | लिपिक परिक्षेत्र | वन परिक्षेत्राधिकारीभीकनगांव | उप वनमंडलाधिकारी भीकनगांव |
|  | वन परिक्षेत्र चिरिया | लिपिक परिक्षेत्र | वन परिक्षेत्राधिकारीचिरिया | उप वनमंडलाधिकारी भीकनगांव |
|  | वन परिक्षेत्र तितरानिया | लिपिक परिक्षेत्र | वन परिक्षेत्राधिकारीतितरानिया | उप वनमंडलाधिकारी भीकनगांव |
|  | वनमंडल सा0 | संलग्‍नाधिकारी / मुख्‍य लिपिक | वनमंडलाधिकारी बडवाह | मुख्‍य वनसंरक्षक खंडवा वृत्‍त खंडवा |
|  | उप वनमंडल बडवाह | लिपिक उप वनमंडल | उप वनमंडलाधिकारी बडवाह | वन मंडलाधिकारी बडवाह |
|  | वन परिक्षेत्र बडवाह | लिपिक परिक्षेत्र | वन परिक्षेत्राधिकारी बडवाह | उप वनमंडलाधिकारी बडवाह |
|  | वन परिक्षेत्र मंडलेश्‍वर | लिपिक परिक्षेत्र | वन परिक्षेत्राधिकारी मंडलेश्‍वर | उप वनमंडलाधिकारी बडवाह |
|  | वन परिक्षेत्र | लिपिक परिक्षेत्र | वन परिक्षेत्राधिकारी पाडल्‍या | उप वनमंडलाधिकारी बडवाह |
|  | वन परिक्षेत्र सनावद | लिपिक परिक्षेत्र | वन परिक्षेत्राधिकारी सनावद | उप वनमंडलाधिकारी बडवाह |
|  | वन परिक्षेत्र बलवाडा | लिपिक परिक्षेत्र | वन परिक्षेत्राधिकारी बलवाडा | उप वनमंडलाधिकारी बडवाह |
|  | वन परिक्षेत्र काटकूट | लिपिक परिक्षेत्र | वन परिक्षेत्राधिकारी काटकूट | उप वनमंडलाधिकारी बडवाह |
|  | वन परिक्षेत्र काकडदा | लिपिक परिक्षेत्र | वन परिक्षेत्राधिकारीकाकडदा | उप वनमंडलाधिकारी बडवाह |
|  | वनमंडल सा0 बडवानी | संलग्‍नाधिकारी / मुख्‍य लिपिक | वन वनमंडलाधिकारी बडवानी | मुख्‍य वनसंरक्षक खंडवा वृत्‍त खंडवा |
|  | उप वनमंडलबडवानी | लिपिक उप वनमंडल | उप वन वनमंडलाधिकारी बडवानी | वनमंडलाधिकारीबडवानी |
|  | वन परिक्षेत्र बडवानी | लिपिक परिक्षेत्र | वन परिक्षेत्राधिकारी बडवानी | उप वनमंडलाधिकारी बडवानी |
|  | वन परिक्षेत्र पाटी | लिपिक परिक्षेत्र | वन परिक्षेत्राधिकारी पाटी | उप वनमंडलाधिकारी बडवानी |
|  | वन परिक्षेत्र बोकराटा | लिपिक परिक्षेत्र | वन परिक्षेत्राधिकारी बोकराटा | उप वनमंडलाधिकारी बडवानी |
|  | वन परिक्षेत्र राजपुर | लिपिक परिक्षेत्र | वन परिक्षेत्राधिकारीराजपुर | उप वनमंडलाधिकारी बडवानी |
|  | वनमंडल सा0सेंधवा | संलग्‍नाधिकारी / मुख्‍य लिपिक | वनमंडलाधिकारीसेंधवा | मुख्‍य वनसंरक्षक खंडवा वृत्‍त खंडवा |
|  | उप वनमंडल सेंधवा | लिपिक उप वनमंडल | उप वनमंडलाधिकारीसेंधवा | वनमंडलाधिकारी सेंधवा |
|  | उप वनमंडल बलवाडी | लिपिक उप वनमंडल | उप वनमंडलाधिकारी बलवाडी | वनमंडलाधिकारी सेंधवा |
|  | वन परिक्षेत्र सेंधवा | लिपिक परिक्षेत्र | वन परिक्षेत्राधिकारी सेंधवा | वनमंडलाधिकारी सेंधवा |
|  | वन परिक्षेत्र धनौरा | लिपिक परिक्षेत्र | वन परिक्षेत्राधिकारी धनौरा | वनमंडलाधिकारी सेंधवा |
|  | वन परिक्षेत्र पानसेमल | लिपिक परिक्षेत्र | वन परिक्षेत्राधिकारी पानसेमल | वनमंडलाधिकारी सेंधवा |
|  | वन परिक्षेत्र वरला | लिपिक परिक्षेत्र | वन परिक्षेत्राधिकारी वरला | वनमंडलाधिकारी बलवाडी |
|  | वन परिक्षेत्र धवली | लिपिक परिक्षेत्र | वन परिक्षेत्राधिकारी धवली | वनमंडलाधिकारी बलवाडी |
|  | वनमंडल उत्‍पादन खंडवा | उपवनमंडलाधिकारी / मुख्‍य लिपिक | वनमंडलाधिकारीउत्‍पादन खंडवा | मुख्‍य वनसंरक्षक खंडवा वृत्‍त खंडवा |
|  | उप वनमंडल उत्‍पादन खंडवा | लिपिक उपवनमंडल उत्‍पादन | उप वनमंडलाधिकारी उत्‍पादन खंडवा | वनमंडलाधिकारीउत्‍पादन खंडवा |
|  | उप वनमंडल उत्‍पादन पुनासा | लिपिक उपवनमंडल उत्‍पादन | उप वनमंडलाधिकारी उत्‍पादन पुनासा | वनमंडलाधिकारी उत्‍पादन खंडवा |
|  | उप वनमंडल उत्‍पादन पश्चिम कालीभीत | लिपिक उपवनमंडल उत्‍पादन | उप वनमंडलाधिकारी उत्‍पादन पश्चिम कालीभीत | वनमंडलाधिकारी उत्‍पादन खंडवा |
|  | उप वनमंडल उत्‍पादन पूर्व कालीभीत | लिपिक उपवनमंडल उत्‍पादन | उप वन मंडलाधिकारी उत्‍पादन पूर्व कालीभीत | वनमंडलाधिकारी उत्‍पादन खंडवा |
|  | वन परिक्षेत्रउत्‍पादन खंडवा | लिपिक परिक्षेत्र | वन परिक्षेत्राधिकारी उत्‍पादन खंडवा | वनमंडलाधिकारी उत्‍पादन खंडवा |
|  | काष्‍ठ भंडार उत्‍पादन खंडवा | लिपिक काष्‍ठ भंडार | काष्‍ठ भंडार अधिकारी खंडवा | वनमंडलाधिकारी उत्‍पादन खंडवा |
|  | वन परिक्षेत्र उत्‍पा. बुरहानपुर | लिपिक परिक्षेत्र | वन परिक्षेत्राधिकारी उत्‍पादन बुरहानपुर | वनमंडलाधिकारी उत्‍पादन खंडवा |
|  | वन परिक्षेत्र उत्‍पा. नेपानगर | लिपिक परिक्षेत्र | वन परिक्षेत्राधिकारी उत्‍पादन नेपानगर | वनमंडलाधिकारी उत्‍पादन खंडवा |
|  | वन परिक्षेत्र उत्‍पा. चांदगढ | लिपिक परिक्षेत्र | वन परिक्षेत्राधिकारी उत्‍पादन चांदगढ | वनमंडलाधिकारी उत्‍पादन पुनासा |
|  | काष्‍ठ भंडार उत्‍पादन सनावद | लिपिक काष्‍ठ भंडार | काष्‍ठ भंडार अधिकारी सनावद | उप वनमंडलाधिकारी उत्‍पादन पुनासा |
|  | काष्‍ठ भंडार उत्‍पा. नर्मदानगर | लिपिक काष्‍ठ भंडार | काष्‍ठ भंडार अधिकारी नर्मदानगर | उप वनमंडलाधिकारी उत्‍पादन पुनासा |
|  | वन परिक्षेत्र उत्‍पादन इकाई बडवाह | लिपिक परिक्षेत्र | वन परिक्षेत्राधिकारी उत्‍पादन बडवाह | उप वनमंडलाधिकारी उत्‍पादन पुनासा |
|  | काष्‍ठ भंडार उत्‍पादन आशापुर | लिपिक काष्‍ठ भंडार | काष्‍ठ भंडार अधिकारी आशापुर | उप वनमंडलाधिकारीउत्‍पादन पूर्व कालीभीत |
|  | वन परिक्षेत्र उत्‍पा.पश्चिम कालीभीत | लिपिक परिक्षेत्र | वन परिक्षेत्राधिकारी उत्‍पादन पश्चिम कालीभीत | उप वनमंडलाधिकारीउत्‍पादन पश्चिम कालीभीत |
|  | वन परिक्षेत्र उत्‍पा.पिपलोद अमूल्‍ला | लिपिक परिक्षेत्र | वन परिक्षेत्राधिकारी उत्‍पादन पिपलोद | उप वनमंडलाधिकारीउत्‍पादन पश्चिम कालीभीत |
|  | वन परिक्षेत्र उत्‍पा.पूर्व कालीभीत | लिपिक परिक्षेत्र | वन परिक्षेत्राधिकारी उत्‍पादन पूर्व कालीभीत | उप वनमंडलाधिकारीउत्‍पादन पूर्व कालीभीत |
|  | वन परिक्षेत्र उत्‍पादन आवलिया | लिपिक परिक्षेत्र | वन परिक्षेत्राधिकारी उत्‍पादन आवलिया | उप वनमंडलाधिकारीउत्‍पादन पूर्व कालीभीत |
|  | परिक्षेत्र गुडी | परिक्षेत्रलिपिक | वन परिक्षेत्राधिकारीगुडी | उप वनमंडलाधिकारीसामान्‍य खंडवा |
|  | परिक्षेत्र पूर्व कालीभीत ... | परिक्षेत्र लिपिक | वन परिक्षेत्राधिकारीकालीभीत ... | उप वनमंडलाधिकारीसामान्‍य खंडवा |
|  | परिक्षेत्र आवलिया ... | परिक्षेत्र लिपिक | वन परिक्षेत्राधिकारीआवलिया ... | उप वनमंडलाधिकारीपूर्व कालीभीत .... |
|  | परिक्षेत्र सिंगाजी ...... | परिक्षेत्र लिपिक | वन परिक्षेत्राधिकारीसिंगाजी ...... | उप वनमंडलाधिकारी पूर्व कालीभीत .... |
|  | परिक्षेत्र बलडी ...... | परिक्षेत्र लिपिक | वन परिक्षेत्राधिकारीबलडी ...... | उप वनमंडलाधिकारी पूर्व कालीभीत .... |
|  | परिक्षेत्र मूंदी | परिक्षेत्र लिपिक | वन परिक्षेत्राधिकारीमूंदी | उप वनमंडलाधिकारी पूर्व कालीभीत .... |
|  | परिक्षेत्र चांदगढ नर्मदानगर | परिक्षेत्र लिपिक | वन परिक्षेत्राधिकारीचांदगढ नर्मदानगर | उप वनमंडलाधिकारीसामान्‍य पुनासा |
|  | परिक्षेत्र पश्चिम कालीभीत ....... | परिक्षेत्र लिपिक | वन परिक्षेत्राधिकारीपश्चिम कालीभीत ....... | उप वनमंडलाधिकारी सामान्‍य पुनासा |
|  | परिक्षेत्र खालवा | परिक्षेत्र लिपिक | वन परिक्षेत्राधिकारीखालवा | उप वनमंडलाधिकारीपश्चिम कालीभीत खंडवा |
|  | उप वनमंडल पाटी बडवानी | उप वनमंडल लिपिक | उपवनमंडलाधिकारी पाटी बडवानी | उप वनमंडलाधिकारीपाटी बडवानी |
|  | परिक्षेत्र पाटी | परिक्षेत्र लिपिक | वन परिक्षेत्राधिकारीपाटी | उप वनमंडलाधिकारी पाटी बडवानी |
|  | परिक्षेत्र बोरकाटा | परिक्षेत्र लिपिक | वन परिक्षेत्राधिकारीबोरकाटा | उप वनमंडलाधिकारी पाटी बडवानी |
|  | उप वनमंडल मंडलेश्‍वर | उप वनमंडललिपिक | उपवनमंडलाधिकारीमंडलेश्‍वर | उप वनमंडलाधिकारीपाटी मंडलेश्‍वर |
|  | परिक्षेत्र मंडलेश्‍वर | परिक्षेत्र लिपिक | वन परिक्षेत्राधिकारीमंडलेश्‍वर | उप वनमंडलाधिकारी पाटी मंडलेश्‍वर |
|  | परिक्षेत्र पाडल्‍या | परिक्षेत्र लिपिक | वन परिक्षेत्राधिकारीपाडल्‍या | उप वनमंडलाधिकारी पाटी मंडलेश्‍वर |
|  | परिक्षेत्र काकडदा | परिक्षेत्र लिपिक | वन परिक्षेत्राधिकारीकाकडदा | उप वनमंडलाधिकारी पाटी मंडलेश्‍वर |
|  | परिक्षेत्र बलवाडा | परिक्षेत्र लिपिक | वन परिक्षेत्राधिकारीबलवाडा | उप वनमंडलाधिकारी पाटी मंडलेश्‍वर |

**रीवा वृत्‍त -**

| **क्र0** | **कार्यालय का नाम** | **सहायक लोक सूचना अधिकारी** | **लोक सूचना अधिकारी** | **अपीलीय अधिकारी** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | वन वृत्‍त कार्यालय रीवा | अधीक्षक वृत्‍त्‍ कार्यालय रीवा | संलग्‍नाधिकारी रीवा वृत्‍त रीवा | मुख्‍य वन संरक्षक रीवा वृत्‍त रीवा |
|  | अनुसंधान विस्‍तार वृत्‍त्‍ रीवा | सहायक वन संरक्षक अनुसंधान विस्‍तारवृत्‍त्‍ा रीवा | मुख्‍य वन संरक्षक अनुसंधान विस्‍तार वृत्‍त्‍ा रीवा | अपर प्रधान मुख्‍य वन संरक्षक अनु0वि0 एवं लोक वानिकी भोपाल |
|  | क्षेत्र संचालक संजय टाइगर रिजर्व सीधी | - | सहायक संचालक सीधी | उप संचालक सीधी |
|  | अधीक्षक संजय दुबरी अभ्‍यारण्‍य सीधी | - | अधीक्षक संजय दुबरी अभ्‍यारण्‍य सीधी | उप संचालक सीधी |
|  | अधीक्षक बगरदा अभ्‍यारण्‍य सीधी | - | अधीक्षक बगरदा अभ्‍यारण्‍य सीधी | उप संचालक सीधी |
|  | अधीक्षक सोन घडियाल अभ्‍यारण्‍यसीधी | - | अधीक्षक सोन घडियाल अभ्‍यारण्‍य सीधी | उप संचालक सीधी |
|  | परिक्षेत्र अधिकारी मोहन | - | परिक्षेत्र अधिकारी मोहन | सहायक संचालक सीधी |
|  | परिक्षेत्रअधिकारी पोडी | - | परिक्षेत्र अधिकारी पोडी | सहायक संचालक सीधी |
|  | परिक्षेत्रअधिकारी दुबरी | - | परिक्षेत्र अधिकारी दुबरी | अधीक्षक संजय दुबरी अभ्‍यारण्‍य सीधी |
|  | परिक्षेत्रअधिकारी बस्‍तुआ | - | परिक्षेत्र अधिकारी बस्‍तुआ | अधीक्षक संजय दुबरी अभ्‍यारण्‍य सीधी |
|  | परिक्षेत्रअधिकारी बगरदा | - | परिक्षेत्र अधिकारी बगरदा | अधीक्षक बगरदा अभ्‍यारण्‍य सीधी |
|  | परिक्षेत्रअधिकारी सोनघडियाल | - | परिक्षेत्र अधिकारी सोनघडियाल | अधीक्षक संजय दुबरी अभ्‍यारण्‍य सीधी |
|  | कार्य आयोजना रीवा | वनक्षेत्रपाल | वन संरक्षक कार्य आयोजना रीवा | मुख्‍य वन संरक्षक रीवा वृत्‍त |
|  | वनमंडल कार्यालय रीवा | सहायक वन संरक्षक, उप वनमंडलाधिकारी रीवा | वनमंडलाधिकारी रीवा | मुख्‍य वन संरक्षक रीवा वृत्‍त |
|  | उप वनमंडल कार्यालय रीवा | - | वनमंडलाधिकारी रीवा | वनमंडलाधिकारी रीवा |
|  | उप वनमंडल कार्यालय मउगंज | - | वनमंडलाधिकारी मउगंज | वनमंडलाधिकारी रीवा |
|  | परिक्षेत्र कार्यालय रीवा | परिक्षेत्रसहायक रीवा | परिक्षेत्र अधिकारी रीवा | उप वनमंडलाधिकारी रीवा |
|  | परिक्षेत्र कार्यालय सेमरिया | परिक्षेत्र सहायक सेमरिया | परिक्षेत्र अधिकारी सेमरिया | उप वनमंडलाधिकारी रीवा |
|  | परिक्षेत्र कार्यालय सिरमोर | परिक्षेत्र सहायक सिरमोर | परिक्षेत्र अधिकारी सिरमोर | उप वनमंडलाधिकारी रीवा |
|  | परिक्षेत्र कार्यालय अतरैला | परिक्षेत्र सहायक अतरैला | परिक्षेत्र अधिकारी अतरैला | उप वनमंडलाधिकारी रीवा |
|  | परिक्षेत्र कार्यालय डभौरा | परिक्षेत्र सहायक डभौरा | परिक्षेत्र अधिकारी डभौरा | उप वनमंडलाधिकारी रीवा |
|  | परिक्षेत्र कार्यालय मउगंज | परिक्षेत्र सहायक मउगंज | परिक्षेत्र अधिकारी मउगंज | उप वनमंडलाधिकारी मउगंज |
|  | परिक्षेत्र कार्यालय हनुमना | परिक्षेत्र सहायक हनुमना | परिक्षेत्र अधिकारी हनुमना | उप वनमंडलाधिकारी मउगंज |
|  | परिक्षेत्र कार्यालय चाकघाट | परिक्षेत्र सहायक चाकघाट | परिक्षेत्र अधिकारी चाकघाट | उप वनमंडलाधिकारी मउगंज |
|  | वनमंडल कार्यालय सतना | उप वनमंडलाधिकारी सतना | वनमंडलाधिकारी सतना | मुख्‍य वन संरक्षक रीवा वृत्‍त |
|  | उप वनमंडल कार्यालय सतना | - | उप वनमंडलाधिकारी सतना | वनमंडलाधिकारी सतना |
|  | उप वनमंडल कार्यालय मैहर | - | उप वनमंडलाधिकारी मैहर | वनमंडलाधिकारी सतना |
|  | उप वनमंडल कार्यालय चित्रकूट | - | उप वनमंडलाधिकारी चित्रकूट | वनमंडलाधिकारी सतना |
|  | परिक्षेत्र कार्यालय सतना | परिक्षेत्र सहायक सज्‍जनपुर | उप वनमंडलाधिकारी सतना | उप वनमंडलाधिकारी सतना |
|  | परिक्षेत्र कार्यालय नागौद | परिक्षेत्र सहायक नागौद | परिक्षेत्र अधिकारी नागौद | उप वनमंडलाधिकारी सतना |
|  | परिक्षेत्र कार्यालय उचेहरा | परिक्षेत्र सहायक उचेहरा | परिक्षेत्र अधिकारी उचेहरा | उप वनमंडलाधिकारी सतना |
|  | परिक्षेत्र कार्यालय सिंहपुर | परिक्षेत्र सहायक सिंहपुर | परिक्षेत्र अधिकारी सिंहपुर | उप वनमंडलाधिकारी सतना |
|  | परिक्षेत्र कार्यालय मुकुंदपुर | परिक्षेत्र सहायक मुकुंदपुर | परिक्षेत्र अधिकारीमुकुंदपुर | उप वनमंडलाधिकारी मैहर |
|  | परिक्षेत्र कार्यालय मैहर | परिक्षेत्र सहायक मैहर | परिक्षेत्र अधिकारी मैहर | उप वनमंडलाधिकारी मैहर |
|  | परिक्षेत्र कार्यालय अमरपाटन | परिक्षेत्र सहायक अमरपाटन | परिक्षेत्र अधिकारी अमरपाटन | उप वनमंडलाधिकारी मैहर |
|  | परिक्षेत्र कार्यालय मझगंवा | परिक्षेत्र सहायक मझगंवा | परिक्षेत्र अधिकारी मझगंवा | उप वनमंडलाधिकारीचित्रकूट |
|  | परिक्षेत्र कार्यालय वरौधा | परिक्षेत्र सहायक वरौधा | परिक्षेत्र अधिकारी वरौधा | उप वनमंडलाधिकारी चित्रकूट |
|  | परिक्षेत्र कार्यालय चित्रकूट | परिक्षेत्र सहायक चित्रकूट | परिक्षेत्र अधिकारी चित्रकूट | उप वनमंडलाधिकारी चित्रकूट |
|  | वनमंडल कार्यालय सीधी | उप वनमंडलाधिकारी सीधी | वनमंडलाधिकारी सीधी | मु.व.सं. रीवा वृत्‍त रीवा |
|  | उप वनमंडल कार्यालय सीधी | - | उप वनमंडलाधिकारी सीधी | वनमंडलाधिकारी सीधी |
|  | उप वनमंडल कार्यालय मझौली | - | उप वनमंडलाधिकारीमझौली | वनमंडलाधिकारी सीधी |
|  | उप वनमंडल कार्यालय उत्‍पा0 सीधी | - | उप वनमंडलाधिकारीउत्‍पा0 सीधी | वनमंडलाधिकारी सीधी |
|  | परिक्षेत्र कार्यालय सीधी | परिक्षेत्र सहायकसीधी | परिक्षेत्र अधिकारीसीधी | उप वनमंडलाधिकारी सीधी |
|  | परिक्षेत्र कार्यालय चुरहट | परिक्षेत्र सहायक चुरहट | परिक्षेत्र अधिकारी चुरहट | उप वनमंडलाधिकारी सीधी |
|  | परिक्षेत्र कार्यालय बहरी | परिक्षेत्र सहायक बहरी | परिक्षेत्र अधिकारी बहरी | उप वनमंडलाधिकारी सीधी |
|  | परिक्षेत्र कार्यालय मोहन | परिक्षेत्र सहायक मोहन | परिक्षेत्र अधिकारीमोहन | उप वनमंडलाधिकारी मझौली |
|  | परिक्षेत्र कार्यालय मझौली | परिक्षेत्र सहायक मझौली | परिक्षेत्र अधिकारी मझौली | उप वनमंडलाधिकारी मझौली |
|  | परिक्षेत्र कार्यालय मडवास | परिक्षेत्र सहायक मडवास | परिक्षेत्र अधिकारी मडवास | उप वनमंडलाधिकारी मझौली |
|  | परिक्षेत्र कार्यालय उत्‍पा0 मोहन | - | परिक्षेत्र अधिकारी उत्‍पा0 मोहन | उप वनमंडलाधिकारी उत्‍पा0 सीधी |
|  | परिक्षेत्र कार्यालयउत्‍पा0 मझौली | - | परिक्षेत्र अधिकारी उत्‍पा0 मझौली | उप वनमंडलाधिकारी उत्‍पा0 सीधी |
|  | परिक्षेत्र कार्यालयउत्‍पा0मडवास | - | परिक्षेत्र अधिकारी उत्‍पा0 मडवास | उप वनमंडलाधिकारी उत्‍पा0 सीधी |
|  | वनमंडल कार्यालय सिंगरौली | मुख्‍य लिपिक वनमंडल कार्यालय सिंगरौली | वनमंडलाधिकारीसिंगरौली | मुख्‍य वन संरक्षक रीवा वृत्‍त रीवा |
|  | उप वनमंडल अधिकारी बैढन | - | उप वनमंडलाधिकारी बैढन | वनमंडलाधिकारी सिंगरौली |
|  | उप वनमंडल अधिकारी देवसर | - | उप वनमंडलाधिकारी देवसर | वनमंडलाधिकारी सिंगरौली |
|  | उप वनमंडल अधिकारी गोरबी | - | उप वनमंडलाधिकारी गोरबी | वनमंडलाधिकारी सिंगरौली |
|  | परिक्षेत्र कार्यालय बैढन | परिक्षेत्र सहायक बैढन | परिक्षेत्र अधिकारीबैढन | उप वनमंडलाधिकारीबैढन |
|  | परिक्षेत्र कार्यालय माडा | परिक्षेत्र सहायक माडा | परिक्षेत्र अधिकारी माडा | उप वनमंडलाधिकारी बैढन |
|  | परिक्षेत्र कार्यालय पूर्व सरई | परिक्षेत्र सहायक पूर्व सरई | परिक्षेत्र अधिकारी पूर्व सरई | उप वनमंडलाधिकारी बैढन |
|  | परिक्षेत्र कार्यालय चितरंगी | परिक्षेत्र सहायक चितरंगी | परिक्षेत्र अधिकारी चितरंगी | उप वनमंडलाधिकारी गोरबी |
|  | परिक्षेत्र कार्यालय गोरबी | परिक्षेत्र सहायक गोरबी | परिक्षेत्र अधिकारी गोरबी | उप वनमंडलाधिकारी गोरबी |
|  | परिक्षेत्र कार्यालय बरगंवा | परिक्षेत्र सहायक बरगंवा | परिक्षेत्र अधिकारी बरगंवा | उप वनमंडलाधिकारी गोरबी |
|  | परिक्षेत्र कार्यालय जियावन | परिक्षेत्र सहायक जियावन | परिक्षेत्र अधिकारीजियावन | उप वनमंडलाधिकारीदेवसर |
|  | परिक्षेत्र कार्यालय कर्थुआ | परिक्षेत्र सहायक कर्थुआ | परिक्षेत्र अधिकारी कर्थुआ | उप वनमंडलाधिकारी देवसर |
|  | परिक्षेत्र कार्यालय पश्चिम सरई | परिक्षेत्र सहायक पश्चिम सरई | परिक्षेत्र अधिकारी पश्चिम सरई | उप वनमंडलाधिकारी देवसर |

**सागर वृत्‍त -**

| **क्र0** | **कार्यालय का नाम** | **सहायक लोक सूचना अधिकारी** | **लोक सूचना अधिकारी** | **अपीलीय अधिकारी** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | मुख्‍य वन संरक्षक वन वृत्‍त सागर | अधीक्षक | स.वं.स. संलग्‍न अधिकारी | मुख्‍य वन संरक्षक, सागर वृत्‍त |
|  | वन मंडलाधिकारी दक्षिण सागर | मुख्‍य लिपिक वन मंडल | स.वं.स. संलग्‍न अधिकारी | वन मंडलाधिकारी दक्षिण सागर |
|  | उप वन मंडलाधिकारी दक्षिण सागर | - | उप वन मंडलाधिकारी दक्षिण सागर | वन मंडलाधिकारी दक्षिण सागर |
|  | 1. परिक्षेत्र अधिकारी सागर  2. परिक्षेत्र अधिकारी राहतगढ  3. परिक्षेत्र अधिकारी गढाकोटा  4. परिक्षेत्र अधिकारी ढाना | - | परिक्षेत्र अधिकारीसागर  परिक्षेत्र अधिकारी राहतगढ  परिक्षेत्र अधिकारी गढाकोटा  परिक्षेत्र अधिकारी ढाना | उप वन मंडलाधिकारी दक्षिण सागर |
|  | उप वन मंडलाधिकारी देवरी | - | उप वन मंडलाधिकारी देवरी | वन मंडलाधिकारी दक्षिण सागर |
|  | 1. परिक्षेत्र अधिकारीदेवरी  2. परिक्षेत्र अधिकारी केसली  3. परिक्षेत्र अधिकारी गौरझामर | - | परिक्षेत्र अधिकारीदेवरी  परिक्षेत्र अधिकारी केसली  परिक्षेत्र अधिकारी गौरझामर | उप वन मंडलाधिकारी देवरी |
|  | वन मंडलाधिकारी उत्‍तर सागर | मुख्‍य लिपिक वन मंडल | उप वन मंडलाधिकारी उत्‍तर सागर | वन मंडलाधिकारी उत्‍तर सागर |
|  | उप वन मंडलाधिकारी उत्‍तर सागर | - | उप वन मंडलाधिकारी उत्‍तर सागर | वन मंडलाधिकारी उत्‍तर सागर |
|  | 1. परिक्षेत्र अधिकारी खुरई  2. परिक्षेत्र अधिकारी बांदरी | - | परिक्षेत्र अधिकारी खुरई  परिक्षेत्र अधिकारी बांदरी | उप वन मंडलाधिकारी उत्‍तर सागर |
|  | उप वन मंडलाधिकारी बण्‍डा | - | उप वन मंडलाधिकारी बण्‍डा | वन मंडलाधिकारीबण्‍डा |
|  | 1. परिक्षेत्र अधिकारी बण्‍डा  2. परिक्षेत्र अधिकारी शाहगढ | - | परिक्षेत्र अधिकारी बण्‍डा  परिक्षेत्र अधिकारी शाहगढ | उप वन मंडलाधिकारी बण्‍डा |
|  | वन मंडलाधिकारी नौरादेही वि0प्रा0 सागर | मुख्‍य लिपिक वन मंडल | वन मंडलाधिकारी नौरादेही वि0प्रा0 सागर | मुख्‍य वन संरक्षक वन वृत्‍त सागर |
|  | उप वन मंडलाधिकारी रहली वि0 प्रा0 क्र0 | - | उप वन मंडलाधिकारी रहली वि0 प्रा0 क्र0 | वन मंडलाधिकारी नौरादेही वि0 प्रा0 क्र0 सागर |
|  | 1. परिक्षेत्र अधिकारी मोहली  2. परिक्षेत्र अधिकारी सिंगपुर  3. परिक्षेत्र अधिकारी झापन | - | परिक्षेत्र अधिकारी, मोहली  परिक्षेत्र अधिकारी, सिंगपुर  परिक्षेत्र अधिकारी, झापन | वन मंडलाधिकारी नौरादेही वि0 प्रा0 क्र0 |
|  | उप वन मंडलाधिकारी बरमान | - | उप वन मंडलाधिकारी, बरमान | वन मंडलाधिकारीनौरादेही वि0 प्रा0 क्र0 |
|  | 1. परिक्षेत्र अधिकारी नौरादेही  2. परिक्षेत्र अधिकारी सर्रा  3. परिक्षेत्र अधिकारी डोंगरगांव | - | परिक्षेत्र अधिकारी, नौरादेही  परिक्षेत्र अधिकारी, सर्रा  परिक्षेत्र अधिकारी, डोंगरगांव | उप वन मंडलाधिकारी बरमान |
|  | वन मंडलाधिकारी दमोह | मुख्‍य लिपिक वन मंडल | स.वं.स. संलग्‍नाधिकारी | वन मंडलाधिकारी दमोह |
|  | उप वन मंडलाधिकारी दमोह | - | उप वन मंडलाधिकारी दमोह | वन मंडलाधिकारी दमोह |
|  | 1. परिक्षेत्र अधिकारी दमोह  2. परिक्षेत्र अधिकारी हटा  3. परिक्षेत्र अधिकारी सगौनी  4.परिक्षेत्र अधिकारी सिंग्रामपुर  5.परिक्षेत्र अधिकारी सिंगौरगढ | - | परिक्षेत्र अधिकारी, दमोह  परिक्षेत्र अधिकारी, हटा  परिक्षेत्र अधिकारी, सगौनी  परिक्षेत्र अधिकारी, सिंग्रामपुर  परिक्षेत्र अधिकारी, सिंगौरगढ | उप वन मंडलाधिकारी दमोह |
|  | उप वन मंडलाधिकारीतेंदुखेडा | - | उप वन मंडलाधिकारी, तेंदुखेडा | वन मंडलाधिकारी दमोह |
|  | 1. परिक्षेत्र अधिकारी तेंदुखेडा  2. परिक्षेत्र अधिकारी तेजगढ  3. परिक्षेत्र अधिकारी झलौन  4. परिक्षेत्र अधिकारी तारादेही | - | परिक्षेत्र अधिकारी, तेंदुखेडा  परिक्षेत्र अधिकारी, तेजगढ  परिक्षेत्र अधिकारी, झलौन  परिक्षेत्र अधिकारी, तारादेही | उप वन मंडलाधिकारी तेंदुखेडा |

**सिवनी वृत्‍त -**

| **क्र0** | **कार्यालय का नाम** | **सहायक लोक सूचना अधिकारी** | **लोक सूचना अधिकारी** | **अपीलीय अधिकारी** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | मुख्‍य वन संरक्षक वन वृत्‍त सिवनी | अधीक्षक वृत्‍त कार्यालय | संलग्‍नाधिकारी वृत्‍त्‍ कार्यालय | मुख्‍य वन संरक्षक, सिवनी |
|  | वनमंडलाधिकारी उत्‍तर सिवनी व.मं. | मुख्‍य लिपिक वन मंडल कार्यालय | संलग्‍नाधिकारी वनमंडल कार्यालय | वनमंडलाधिकारी उत्‍तर सिवनी र्सि.क्रव.मं. |
|  | उप वनमंडलाधिकारी छपारा उप . वनमंडल | - | उप वनमंडलाधिकारी छपारा उप वनमंडल |
|  | उप वनमंडलाधिकारी लखनादौन उप वनमंडल | - | उप वनमंडलाधिकारी लखनादौन उप. वनमंडल |
|  | परिक्षेत्र अधिकारी छपारा परिक्षेत्र | - | परिक्षेत्र अधिकारी छपारा | उप वनमंडलाधिकारीछपारा उप परिक्षेत्र |
|  | परिक्षेत्र अधिकारी कहानी परिक्षेत्र | - | परिक्षेत्र अधिकारी कहानी |
|  | परिक्षेत्र अधिकारी लखनादौन परिक्षेत्र | - | परिक्षेत्र अधिकारी लखनादौन | उप वनमंडलाधिकारी छपारा परिक्षेत्र |
|  | परिक्षेत्र अधिकारी धूमा परिक्षेत्र | - | परिक्षेत्र अधिकारी धूमा | उप वनमंडलाधिकारी लखनादौन र्सि.क्र उप वन मंडल |
|  | परिक्षेत्र अधिकारी घंसौर परिक्षेत्र | - | परिक्षेत्र अधिकारी घंसौर |
|  | परिक्षेत्र अधिकारी शिकारा परिक्षेत्र | - | परिक्षेत्र अधिकारी शिकारा |
|  | वनमंडलाधिकारी दक्षिण सिवनी (सा.) व.मं. | मुख्य लिपिक वनमंडल कार्यालय | उप वनमंडलाधिकारी सिवनी (सा.) उप वनमंडल | वनमंडलाधिकारी दक्षिण सिवनी (सा.) व.मं. |
|  | उप वनमंडलाधिकारी सिवनी (सा.) उप वनमंडल | - | उप वनमंडलाधिकारी सिवनी (सा.) उप वनमंडल |
|  | उप वनमंडलाधिकारी रूखड  (सा.) उप वनमंडल | - | उप वनमंडलाधिकारी रूखड  (सा.) उप वनमंडल |
|  | उप वनमंडलाधिकारी केवलारी  (सा.) उप वनमंडल | - | उप वनमंडलाधिकारी केवलारी (सा.) उप वनमंडल |
|  | परिक्षेत्र अधिकारी सिवनी (सा.)  परिक्षेत्र | - | परिक्षेत्र अधिकारी सिवनी (सा.) परिक्षेत्र | उप वनमंडलाधिकारी सिवनी  (सा.) उप वनमंडल |
|  | परिक्षेत्र अधिकारी अरी (सा.)  परिक्षेत्र | - | परिक्षेत्र अधिकारी अरी (सा.) परिक्षेत्र |
|  | परिक्षेत्र अधिकारी आमागढ (सा.)  परिक्षेत्र | - | परिक्षेत्र अधिकारी आमागढ (सा.) परिक्षेत्र |
|  | परिक्षेत्र अधिकारी बरघाट (सा.)  परिक्षेत्र | - | परिक्षेत्र अधिकारी बरघाट (सा.) परिक्षेत्र |
|  | परिक्षेत्र अधिकारी रूखड (सा.)  परिक्षेत्र | - | परिक्षेत्र अधिकारी रूखड (सा.) परिक्षेत्र | उप वनमंडलाधिकारी रूखड  (सा.) उप वनमंडल |
|  | परिक्षेत्र अधिकारी कुरई (सा.)  परिक्षेत्र | - | परिक्षेत्र अधिकारी कुरई (सा.) परिक्षेत्र |
|  | परिक्षेत्र अधिकारी पूर्व खवासा  (सा.) परिक्षेत्र | - | परिक्षेत्र अधिकारी पूर्व खवासा (सा.) परिक्षेत्र |
|  | परिक्षेत्र अधिकारी पश्चिम  खवासा (सा.) परिक्षेत्र | - | परिक्षेत्र अधिकारी पश्चिम  खवासा (सा.) परिक्षेत्र |
|  | परिक्षेत्र अधिकारी बण्डोल (सा.)  परिक्षेत्र | - | परिक्षेत्र अधिकारी बण्डोल (सा.) परिक्षेत्र | उप वनमंडलाधिकारी केवलारी  (सा.) उप वनमंडल |
|  | परिक्षेत्र अधिकारी उगली (सा.)  परिक्षेत्र | - | परिक्षेत्र अधिकारी उगली (सा.) परिक्षेत्र |
|  | परिक्षेत्र अधिकारी कान्हीवाडा  (सा.) परिक्षेत्र | - | परिक्षेत्र अधिकारी कान्हीवाडा (सा.) परिक्षेत्र |
|  | परिक्षेत्र अधिकारी केवलारी (सा.) परिक्षेत्र | - | परिक्षेत्र अधिकारी केवलारी (सा.) परिक्षेत्र |
|  | वनमंडलाधिकारी उत्तर सिवनी  (उत्पा.) व.मं. | मुख्य लिपिक वनमंडल कार्यालय | वनमंडलाधिकारी उत्तर सिवनी (उत्पा.) व.मं. | वनमंडलाधिकारी उत्तर सिवनी  (उत्पा.) व.मं. |
|  | उप वनमंडलाधिकारी धूमा  (उत्पा.) उप वनमंडल | - | उप वनमंडलाधिकारी धूमा  (उत्पा.) उप वनमंडल |
|  | उप वनमंडलाधिकारी केवलारी  (उत्पा.) उप वनमंडल | - | उप वनमंडलाधिकारी केवलारी (उत्पा.) उप व.मं. |
|  | परिक्षेत्र अधिकारी लखनादौन  (उत्पा.) परिक्षेत्र | - | परिक्षेत्र अधिकारी लखनादौन (उत्पा.) परिक्षेत्र | उप वनमंडलाधिकारी छपारा  (उत्पा.) उप वनमंडल |
|  | परिक्षेत्र अधिकारी घंसौर (उत्पा.)  परिक्षेत्र | - | परिक्षेत्र अधिकारी घंसौर (उत्पा.) परिक्षेत्र | उप वनमंडलाधिकारी धूमा (उत्पा.) उप वनमंडल |
|  | काष्ठागार अधिकारी धूमा  काष्ठागार | - | काष्ठागार अधिकारी धूमा  काष्ठागार |
|  | परिक्षेत्र अधिकारी केवलारी (उत्पा.) परिक्षेत्र | - | परिक्षेत्र अधिकारी केवलारी (उत्पा.) परिक्षेत्र | उप वनमंडलाधिकारी केवलारी (उत्पा.) उप वनमंडल |
|  | वनमंडलाधिकारी दक्षिण सिवनी (उत्पा.) वनमंडल | मुख्य लिपिक वनमंडल कार्यालय | उप वनमंडलाधिकारी दक्षिण सिवनी (उत्पा.) वनमंडल | वनमंडलाधिकारी दक्षिण (उत्पा.) उप वनमंडल |
|  | उप वनमंडलाधिकारी सिवनी (उत्पा.) उप वनमंडल | - | उप वनमंडलाधिकारी सिवनी (उत्पा.) उप वनमंडल |
|  | उप वनमंडलाधिकारी रूखड (उत्पा.) उप वनमंडल | - | उप वनमंडलाधिकारी रूखड (उत्पा.) उप वनमंडल |
|  | उप वनमंडलाधिकारी खवासा (उत्पा.) उप वनमंडल | - | उप वनमंडलाधिकारी खवासा (उत्पा.) उप वनमंडल |
|  | परिक्षेत्र अधिकारी अरी (उत्पा.) परिक्षेत्र | - | परिक्षेत्र अधिकारी अरी (उत्पा.) परिक्षेत्र | उप वनमंडलाधिकारी सिवनी (उत्पा.) वनमंडल |
|  | काष्ठागार अधिकारी सिवनी काष्ठागार | - | काष्ठागार अधिकारी सिवनी काष्ठागार |
|  | परिक्षेत्र अधिकारी कुरई (उत्पा.) परिक्षेत्र | - | परिक्षेत्र अधिकारी कुरई (उत्पा.) परिक्षेत्र | उप वनमंडलाधिकारी रूखड (उत्पा.) वनमंडल |
|  | परिक्षेत्र अधिकारी रूखड (उत्पा.) परिक्षेत्र | - | परिक्षेत्र अधिकारी रूखड (उत्पा.) परिक्षेत्र |
|  | परिक्षेत्र अधिकारी रमपुरी (उत्पा.) परिक्षेत्र | - | परिक्षेत्र अधिकारी रमपुरी (उत्पा.) परिक्षेत्र | उप वनमंडलाधिकारी खवासा (उत्पा.) वनमंडल |
|  | वन संरक्षक एवं पदेन वनमंडलाधिकारी नरसिंहपुर वनमंडल | मुख्य लिपिक वनमंडल कार्यालय | संलग्‍न अधिकारी वनमंडल कार्यालय | वन संरक्षक एवं पदेन वनमंडलाधिकारी नरसिंहपुर वनमंडल |
|  | उप वनमंडलाधिकारी नरसिंहपुर उप वनमंडल | - | उप वनमंडलाधिकारी नरसिंहपुर उप वनमंडल |
|  | उप वनमंडलाधिकारी गोटेगांव उप वनमंडल | - | उप वनमंडलाधिकारी गोटेगांव उप वनमंडल |
|  | उप वनमंडलाधिकारी गाडरवाडा उप वनमंडल | - | उप वनमंडलाधिकारी गाडरवाडा उप वनमंडल |
|  | उप वनमंडलाधिकारी बरमान उप वनमंडल | - | उप वनमंडलाधिकारी बरमान उप वनमंडल |
|  | परिक्षेत्र अधिकारी नरसिंहपुर (सा.) परिक्षेत्र | - | परिक्षेत्र अधिकारी नरसिंहपुर (सा.) परिक्षेत्र | उप वनमंडलाधिकारी नरसिंहपुर (सा.) उप वनमंडल |
|  | परिक्षेत्र अधिकारी नरसिंहपुर (उत्पा.) परिक्षेत्र | - | परिक्षेत्र अधिकारी नरसिंहपुर (उत्पा.) परिक्षेत्र | उप वनमंडलाधिकारी नरसिंहपुर (सा.) उप वनमंडल |
|  | परिक्षेत्र अधिकारी गोटेगांव परिक्षेत्र | - | परिक्षेत्र अधिकारी गोटेगांव परिक्षेत्र | उप वनमंडलाधिकारी गोटेगांव उप वनमंडल |
|  | परिक्षेत्र अधिकारी करेली परिक्षेत्र | - | परिक्षेत्र अधिकारी करेली परिक्षेत्र | उप वनमंडलाधिकारी गाडरवारा उप वनमंडल |
|  | परिक्षेत्र अधिकारी गाडरवारा (सा.) परिक्षेत्र | - | परिक्षेत्र अधिकारी गाडरवारा (सा.) परिक्षेत्र | उप वनमंडलाधिकारी गाडरवारा उप वनमंडल |
|  | परिक्षेत्र अधिकारी गाडरवाडा (उत्पा.) परिक्षेत्र | - | परिक्षेत्र अधिकारी गाडरवाडा (उत्पा.) परिक्षेत्र | उप वनमंडलाधिकारी गाडरवारा उप वनमंडल |
|  | परिक्षेत्र अधिकारी रमान परिक्षेत्र | - | परिक्षेत्र अधिकारी बरमान परिक्षेत्र | उप वनमंडलाधिकारी बरमान उप वनमंडल |

**शहडोल वृत्त -**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **क्र.** | **कार्यालय का नाम** | **सहायक लोक सूचना अधिकारी** | **लोक सूचना अधिकारी** | **अपीलीय अधिकारी** |
|  | मुख्य वनसंरक्षक शहडोल | अधीक्षक | संलग्नाधिकारी | मुख्य वनसंरक्षक, शहडोल |
|  | वनमण्डलाधिकारी उत्तर शहडोल | मुख्यलिपिक | संलग्नाधिकारी | वनमण्डलाधिकारी उत्तर शहडोल |
|  | उपवनमण्डलाधिकारी जैसिंहनगर | 1.परिक्षेत्रधिकारी जैसिंहनगर 2.परि.क्षेत्रधिकारी अमझोर | उपवनमण्डलाधिकारी जैसिंहनगर । | वनमण्डलाधिकारी. उत्तर शहडोल व.मं. |
|  | उपवनमण्डलाधिकारी व्यौहारी | 1.परिक्षेत्रधिकारी पूर्व व्यौहारी 2..परिक्षेत्रधिकारी पश्चिम व्यौहारी  3.परिक्षेत्रधिकारी गोदावल 4.काष्ठागार अधिकारी व्यौहारी । | उपवनमण्डलाधिकारी व्यौहारी । | वनमण्डलाधिकारी. उत्तर शहडोल व.मं. |
|  | 1.वनपरिक्षेत्रधिकारी जैसिंहनगर परिक्षेत्र। 2..वनपरिक्षेत्रधिकारी अमझोर परिक्षेत्र । | 1.परिक्षेत्र लिपिक जैसिंहनगर 2.परिक्षेत्र लिपिक अमझोर | उपवनमण्डलाधिकारी जैसिंहनगर । | वनमण्डलाधिकारी. उत्तर शहडोल व.मं. |
|  | 1.वनपरिक्षेत्रधिकारी पूर्व व्यौहारी परिक्षेत्र। 2..वनपरिक्षेत्रधिकारी पश्चिम व्यौहारी परिक्षेत्र 3.वनपरिक्षेत्रधिकारी गोदावल परिक्षेत्र । 4.काष्ठागार व्यौहारी। | 1.परिक्षेत्र लिपिक पूर्व व्यौहारी 2.परिक्षेत्र लिपिक पश्चिम व्यौहारी  3.परिक्षेत्र लिपिक गोदावल 4.काष्ठागार लिपिक | उपवनमण्डलाधिकारी व्यौहारी । | वनमण्डलाधिकारी. उत्तर शहडोल व.मं. |
|  | वन मण्डलाधिकारी दक्षिण शहडोल | मुख्यलिपिक | संलग्नाधिकारी | वनमण्डलाधिकारी. दक्षिण शहडोल व.मं. |
|  | उप वनमण्डलाधिकारी सोहागपुर | 1.परिक्षेत्रधिकारी गोहपारू 2..परिक्षेत्रधिकारी खन्नौधी 3.परिक्षेत्रधिकारी शहडोल  4. काष्ठागार नरसरहा । | उपवनमण्डलाधिकारी सोहागपुर । | वनमण्डलाधिकारी. दक्षिण शहडोल व.मं. |
|  | उप वनमण्डलाधिकारी जैतपुर | 1.परिक्षेत्रधिकारी बुढ़ार 2.परिक्षेत्रधिकारी केशवाही 3.परिक्षेत्रधिकारी जैतपुर | उपवनमण्डलाधिकारी जैतपुर । | वनमण्डलाधिकारी दक्षिण शहडोल व.मं. |
|  | 1. वनपरिक्षेत्रधिकारी गोहपारू परिक्षेत्र।  2..वनपरिक्षेत्रधिकारी खन्नौधी परिक्षेत्र ।  3.वनपरिक्षेत्रधिकारी शहडोल परिक्षेत्र।  4. काष्ठागार नरसरहा | 1.परिक्षेत्र लिपिक गोहपारू 2.परिक्षेत्र लिपिक खन्नौधी 3.परिक्षेत्र लिपिक शहडोल  4. काष्ठागार लिपिक | उपवनमण्डलाधिकारी सोहागपुर। | वनमण्डलाधिकारी दक्षिण शहडोल व.मं. |
|  | 1.वनपरिक्षेत्रधिकारी बुढ़ार परिक्षेत्र। 2..वनपरिक्षेत्रधिकारी केशवाही परिक्षेत्र  3.वनपरिक्षेत्रधिकारी जैतपुर परिक्षेत्र | 1. परिक्षेत्र लिपिक बुढ़ार 2.परिक्षेत्रलिपिक केशवाही 3.परिक्षेत्र लिपिक जैतपुर | उपवनमण्डलाधिकारी जैतपुर। | वनमण्डलाधिकारी. दक्षिण शहडोल व.मं. |
|  | वनसंरक्षक पदेन व.मं.अ.उमरिया | मुख्यलिपिक | संलग्नाधिकारी | वनसंरक्षक पदेन व.मं.अ.उमरिया |
|  | उपवनमण्डलाधिकारी उमरिया | 1.परिक्षेत्रधिकारी उमरिया  2.परिक्षेत्रधिकारी नौरोजाबाद 3.परिक्षेत्रधिकारी चॅदिया 4.काष्ठागार उमरिया । | उपवनमण्डलाधिकारी  उमरिया। | वनसंरक्षक पदेन व.मं.अ. उमरिया |
|  | उपवनमण्डलाधिकारी पाली | 1.परिक्षेत्रधिकारी घुनघुटी 2.परिक्षेत्रधिकारी पाली | उपवनमण्डलाधिकारी पाली । | वनसंरक्षक पदेन व.मं.अ.उमरिया |
|  | उपवनमण्डलाधिकारी मानपुर | 1.परिक्षेत्रधिकारी मानपुर 2.परिक्षेत्रधिकारी पनपथा 3.परिक्षेत्रधिकारी धमोखर | उपवनमण्डलाधिकारी मानपुर | वनसंरक्षक पदेन व.मं.अ.उमरिया । |
|  | 1.परिक्षेत्रधिकारी उमरिया 2.परिक्षेत्रधिकारी नौैरोजाबाद 3.परिक्षेत्रधिकारी चॅदिया 4.काष्ठागार उमरिया । | 1.परिक्षेत्र लिपिक उमरिया 2.परिक्षेत्र लिपिक नौरोजाबाद 3.परिक्षेत्र लिपिक चॅदिया 4.काष्ठागार लिपिक | उपवनमण्डलाधिकारी उमरिया । | वनसंरक्षक पदेन व.मं.अ.उमरिया । |
|  | 1.परिक्षेत्रधिकारी घुनघुटी 2.परिक्षेत्रधिकारी पाली | 1..परिक्षेत्र लिपिक घुनघुटी 2.परिक्षेत्र लिपिक पाली | उपवनमण्डलाधिकारी पाली । | वनसंरक्षक पदेन व.मं.अ.उमरिया । |
|  | 1.परिक्षेत्रधिकारी मानपुर 2.परिक्षेत्रधिकारी पनपथा 3.परिक्षेत्रधिकारी धमोखर | 1.परिक्षेत्र लिपिक मानपुर 2.परिक्षेत्र लिपिक पनपथा 3.परिक्षेत्र लिपिक धमोखर | उपवनमण्डलाधिकारी मानपुर | वनसंरक्षक पदेन व.मं.अ.उमरिया । |
|  | वनमण्डलाधिकारी अनूपपुर वनमण्डल | मुख्य लिपिक | संलग्नाधिकारी | वनमण्डलाधिकारी अनूपपुर वनमण्डल |
|  | उपवनमण्डलाधिकारी अनूपपुर | 1.परिक्षेत्रधिकारी अनूपपुर 2. परिक्षेत्रधिकारी कोतमा 3.परिक्षेत्रधिकारी बिजुरी | उपवनमण्डलाधिकारी अनूपपुर | वनमण्डलाधिकारी अनूपपुर वनमण्डल |
|  | उपवनमण्डलाधिकारी राजेन्द्रग्राम | 1.परिक्षेत्रधिकारी अमरकंटक 2.परिक्षेत्रधिकारी अहिरगवॉ 3.परिक्षेत्रधिकारी जैतहरी | उपवनमण्डलाधिकारी राजेन्द्रग्राम | वनमण्डलाधिकारी अनूपपुर वनमण्डल |
|  | 1.परिक्षेत्रधिकारी अनूपपुर 2.परिक्षेत्रधिकारी कोतमा 3.परिक्षेत्रधिकारी बिजुरी | 1.परिक्षेत्र लिपिक अनूपपुर 2.परिक्षेत्र लिपिक कोतमा 3.परिक्षेत्र लिपिक बिजुरी | उपवनमण्डलाधिकारी अनूपपुर | वनमण्डलाधिकारी अनूपपुर वनमण्डल |
|  | 1.परिक्षेत्रधिकारी अमरकंटक 2.परिक्षेत्रधिकारी अहिरगवॉ 3.परिक्षेत्रधिकारी जैतहरी | 1.परिक्षेत्र लिपिक अमरकण्टक 2.परिक्षेत्र लिपिक अहिरगवॉ 3.परिक्षेत्र लिपिक जैतहरी | उपवनमण्डलाधिकारी राजेन्द्रग्राम | वनमण्डलाधिकारी अनूपपुर वनमण्डल |

**शिवपुरी वृत्त -**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **क्र.** | **कार्यालय का नाम** | **सहायक लोक सूचना अधिकारी** | **लोक सूचना अधिकारी** | **अपीलीय अधिकारी** |
|  | मुख्य वन संरक्षक एवं पदेन वनसंरक्षक | अधीक्षक वृत्त | सहायक वन संरक्षक संलग्नाधिकारी | मुख्य वन संरक्षक एवं पदेन वनसंरक्षक |
|  | वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल शिवपुरी | मुख्यलिपिक वनमण्डल शिवपुरी | सहायक वन संरक्षक संलग्नाधिकारी | वन संरक्षक एवं पदेन वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल शिवपुरी |
|  | उप वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल शिवपुरी | - | उप वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल शिवपुरी | वन संरक्षक एवं पदेन वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल शिवपुरी |
|  | उप वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल करैरा | - | उप वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल करैरा | वन संरक्षक एवं पदेन वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल शिवपुरी |
|  | वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल गुना | मुख्य लिपिक वनमण्डल गुना | सहायक वन संरक्षक संलग्नाधिकारी | वन संरक्षक एवं पदेन वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल गुना |
|  | उप वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल गुना | - | उप वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल गुना | वन संरक्षक एवं पदेन वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल गुना |
|  | उप वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल बमोरी | - | उप वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल बमोरी | वन संरक्षक एवं पदेन वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल गुना |
|  | उप वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल बीनागंज | - | उप वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल बीनागंज | वन संरक्षक एवं पदेन वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल गुना |
|  | वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल अशोकनगर | मुख्यलिपिक वनमण्डल शिवपुरी | सहायक वन संरक्षक संलग्‍नाधिकारी | वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल अशोकनगर |
|  | उप वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल अशोकनगर | - | उप वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल अशोकनगर | वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल अशोकनगर |
|  | उप वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल चन्देरी | - | उप वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल चन्देरी | वन संरक्षक एवं पदेन वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल शिवपुरी |
|  | उप वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल शिवपुरी | 1- परिक्षेत्र अधिकारी शिवपुरी 2- परिक्षेत्र अधिकारी सतनवाड़ा 3- परिक्षेत्र अधिकारी पोहरी | उप वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल शिवपुरी | वन संरक्षक एवं पदेन वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल शिवपुरी |
|  | उप वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल करैरा | 1- परिक्षेत्र अधिकारी करैरा 2- परिक्षेत्र अधिकारी कोलारस  3- परिक्षेत्र अधिकारी बदरवास  4- परिक्षेत्र अधिकारी पिछोर | उप वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल करैरा | वन संरक्षक एवं पदेन वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल शिवपुरी |
|  | उप वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल गुना | 1- परिक्षेत्र अधिकारी गुना (उत्तर) 2-परिक्षेत्र अधिकारी गुना (दक्षिण) | उप वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल गुना | वन संरक्षक एवं पदेन वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल गुना |
|  | उप वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल बमोरी | 1- परिक्षेत्र अधिकारी बमोरी 2- परिक्षेत्र अधिकारी फतेहगढ़ | उप वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल बमोरी | वन संरक्षक एवं पदेन वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल गुना |
|  | उप वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल बीनागंज | 1- परिक्षेत्र अधिकारी बीनागंज 2- परिक्षेत्र अधिकारी आरोन 3- परिक्षेत्र अधिकारी राघौगढ़ 4-परिक्षेत्र अधिकारी मधुसूदनगढ़ | उप वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल बीनागंज | वन संरक्षक एवं पदेन वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल गुना |
|  | उप वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल अशोकनगर | परिक्षेत्र अधिकारी अशोकनगर | उप वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल अशोकनगर | वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल अशोकनगर |
|  | उप वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल चन्देरी | 1- परिक्षेत्र अधिकारी चन्देरी 2- परिक्षेत्र अधिकारी मुंगावली | उप वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल चन्देरी | वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल अशोकनगर |

**उज्जैन वृत्त -**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **क्र.** | **कार्यालय का नाम** | **सहायक लोक सूचना अधिकारी** | **लोक सूचना अधिकारी** | **अपीलीय अधिकारी** |
|  | मुख्य वन संरक्षक, उज्जैन वृत्त उज्जैन | अधीक्षक वृत्त | स.व.सं. संलग्नाधिकारी वृत्त कार्यालय उज्जैन | मुख्य वन संरक्षक, उज्जैन वृत्त उज्जैन |
|  | वनमण्डलाधिकारी सामान्य उज्जैन | मुख्य लिपिक वनमण्डल | स0व0स0 संलग्नाधिकारी वनमण्डल उज्जैन | वनमण्डलाधिकारी सामान्य उज्जैन |
|  | उप वनमण्डलाधिकारी सामान्य उज्जैन | उप वन मण्डल कार्यालय लिपिक | उप वनमण्डलाधिकारी सामान्य वन मण्डल उज्जैन | वनमण्डलाधिकारी सामान्य वन मण्डल उज्जैन |
|  | 1. वन परिक्षेत्रधिकारी उज्जैन  2. वन परिक्षेत्रधिकारी तराना | परि0लिपिक उज्जैन परि0लिपिक तराना | 1. वन परिक्षेत्रधिकारी उज्जैन  2. वन परिक्षेत्रधिकारी तराना | उप वनमण्डलाधिकारी सामान्य उज्जैन उप वनमण्डलाधिकारी सामान्य उज्जैन |
|  | वनमण्डलाधिकारी सामान्य शाजापुर | मुख्य लिपिक वनमण्डल शाजापुर | उप वनमण्डलाधिकारी सामान्य शाजापुर | वनमण्डलाधिकारी सामान्य शाजापुर |
|  | उप वनमण्डलाधिकारी सामान्य शाजापुर | उप वन मण्डल कार्यालय लिपिक | उप वनमण्डलाधिकारी सामान्य शाजापुर | वनमण्डलाधिकारी सामान्य शाजापुर |
|  | 1.वन परिक्षेत्रधिकारी शाजापुर  2.वन परिक्षेत्रधिकारी शुजालपुर 3. वन परिक्षेत्रधिकारी आगर  4. वन परिक्षेत्रधिकारी सुसनेर | परि0लिपिक शाजापुर परि0लिपिक शुजालपुर परि0लिपिक आगर परि0लिपिक सुसनेर | 1.वन परिक्षेत्रधिकारी शाजापुर  2.वन परिक्षेत्रधिकारी शुजालपुर  3. वन परिक्षेत्रधिकारी आगर  4. वन परिक्षेत्रधिकारी सुसनेर | उप वनमण्डलाधिकारी सामान्य शाजापुर उप वनमण्डलाधिकारी सामान्य शाजापुर उप वनमण्डलाधिकारी सामान्य शाजापुर उप वनमण्डलाधिकारी सामान्य शाजापुर |
|  | वनमण्डलाधिकारी सामान्य रतलाम | मुख्य लिपिक वनमण्डल | उप वनमण्डलाधिकारी सामान्य रतलाम | वनमण्डलाधिकारी सामान्य रतलाम |
|  | उप वनमण्डलाधिकारी सामान्य रतलाम | उप व0म0कार्यालय लिपिक रतलाम | उप वनमण्डलाधिकारी सामान्य रतलाम | वनमण्डलाधिकारी सामान्य रतलाम |
|  | 1.वन परिक्षेत्रधिकारी रतलाम  2.वन परिक्षेत्रधिकारी बाजना  3.वन परिक्षेत्रधिकारी शिवगढ़  4.वन परिक्षेत्रधिकारी सैलाना | परि0लिपिक रतलाम परि0लिपिक बाजना परि0लिपिक शिवगढ परि0लिपिक सैलाना | 1.वन परिक्षेत्रधिकारी रतलाम  2.वन परिक्षेत्रधिकारी बाजना  3.वन परिक्षेत्रधिकारी शिवगढ़  4.वन परिक्षेत्रधिकारी सैलाना | उप वनमण्डलाधिकारी सामान्य रतलाम उप वनमण्डलाधिकारी सामान्य रतलाम उप वनमण्डलाधिकारी सामान्य रतलाम उप वनमण्डलाधिकारी सामान्य रतलाम |
|  | वनमण्डलाधिकारी सामान्य मन्दसौर | मुख्य लिपिक वनमण्डल | उप वनमण्डलाधिकारी सामान्य गरोठ | वनमण्डलाधिकारी सामान्य मन्दसौर |
|  | उप वनमण्डलाधिकारी सामान्य गरोठ | उप व0म0कार्यालय लिपिक गरोठ | उप वनमण्डलाधिकारी सामान्य गरोठ | वनमण्डलाधिकारी सामान्य मन्दसौर |
|  | अधीक्षक गांधी सागर अभ्यारण्य | कार्यालय अधीक्षक गांधीसागर अभ्य0लिपिक | अधीक्षक गांधी सागर अभ्यारण्य | वनमण्डलाधिकारी सामान्य मन्दसौर |
|  | 1. वन परिक्षेत्रधिकारी मन्दसौर  2.गेम रेंजर गांधी सागर  3.वन परिक्षेत्रधिकारी भानुपरा  4.वन परिक्षेत्रधिकारी गरोठ | परि0लिपिक मंदसौर परि0लिपिक गांधीसागर परि0लिपिक भानपुरा परि0लिपिक गरोठ | 1. वन परिक्षेत्रधिकारी मन्दसौर  2.गेम रेंजर गांधी सागर  3.वन परिक्षेत्रधिकारी भानुपरा  4.वन परिक्षेत्रधिकारी गरोठ | उप वनमण्डलाधिकारी सामान्य गरोठ अधीक्षक गांधी सागर अभ्यारण्य उप वनमण्डलाधिकारी सामान्य गरोठ उप वनमण्डलाधिकारी सामान्य गरोठ |
|  | वनमण्डलाधिकारी सामान्य नीमच | मुख्य लिपिक वनमण्डल | स0व0स0 संलग्नाधिकारी | वनमण्डलाधिकारी सामान्य नीमच |
|  | उप वनमण्डलाधिकारी सामान्य मनासा | उप व0म0कार्यालय लिपिक मनासा | उप वनमण्डलाधिकारी सामान्य मनासा | वनमण्डलाधिकारी सामान्य नीमच |
|  | 1. वन परिक्षेत्रधिकारी मनासा 2.वन परिक्षेत्रधिकारी रामपुरा | परि0लिपिक मनासा परि0लिपिक रामपुरा | 1. वन परिक्षेत्रधिकारी मनासा  2.वन परिक्षेत्रधिकारी रामपुरा | उप वनमण्डलाधिकारी मनासा उप वनमण्डलाधिकारी मनासा |
|  | उप वनमण्डलाधिकारी सामान्य नीमच | उप व0म0कार्यालय लिपिक नीमच | उप वनमण्डलाधिकारी सामान्य नीमच | वनमण्डलाधिकारी सामान्य नीमच |
|  | 1. वन परिक्षेत्रधिकारी नीमच  2.वन परिक्षेत्रधिकारी रतनगढ़  3.वन परिक्षेत्रधिकारी जावद | परि0लिपिक नीमच परि0लिपिक रतनगढ़ परि0लिपिक जावद | 1. वन परिक्षेत्रधिकारी नीमच  2.वन परिक्षेत्रधिकारी रतनगढ़  3.वन परिक्षेत्रधिकारी जावद | उप वनमण्डलाधिकारी नीमच उप वनमण्डलाधिकारी नीमच उप वनमण्डलाधिकारी नीमच |
|  | वनमण्डलाधिकारी सामान्य देवास | मुख्य लिपिक वनमण्डल | स0व0स0 संलग्नाधिकारी | वनमण्डलाधिकारी सामान्य देवास |
|  | उप वनमण्डलाधिकारी सामान्य देवास | उप व0म0कार्यालय लिपिक देवास | उप वनमण्डलाधिकारी सामान्य देवास | वनमण्डलाधिकारी सामान्य देवास |
|  | 1.वन परिक्षेत्रधिकारी पानीगांव 2.वन परिक्षेत्रधिकारी देवास | परि0लिपिक पानीगांव परि0लिपिक देवास | 1.वन परिक्षेत्रधिकारी पानीगांव  2.वन परिक्षेत्रधिकारी देवास | उप वनमण्डलाधिकारी देवास उप वनमण्डलाधिकारी देवास |
|  | उप वनमण्डलाधिकारी सामान्य कन्नौद | उप व0म0कार्यालय लिपिक कन्नौद | उप वनमण्डलाधिकारी सामान्य कन्नौद | वनमण्डलाधिकारी वनमण्डल देवास |
|  | 1.वन परिक्षेत्रधिकारी कन्नौद 2.वन परिक्षेत्रधिकारी कांटाफोड़ 3.वन परिक्षेत्रधिकारी सतवास | परि0लिपिक कन्नौद परि0लिपिक कॉटाफोड परि0लिपिक सतवास | 1.वन परिक्षेत्रधिकारी कन्नौद  2.वन परिक्षेत्रधिकारी कांटाफोड़  3.वन परिक्षेत्रधिकारी सतवास | उप वनमण्डलाधिकारी सामान्य कन्नौद उप वनमण्डलाधिकारी सामान्य कन्नौद उप वनमण्डलाधिकारी सामान्य कन्नौद |
|  | उप वनमण्डलाधिकारी सामान्य बागली | उप व0म0कार्यालय लिपिक बागली | उप वनमण्डलाधिकारी सामान्य बागली | वनमण्डलाधिकारी सामान्य देवास |
|  | 1.वन परिक्षेत्रधिकारी बागली 2.वन परिक्षेत्रधिकारी उदयनगर 3.वन परिक्षेत्रधिकारी पुंजापुरा | परि0लिपिक बागली परि0लिपिक उदयनगर परि0लिपिक पुंजापुरा | 1.वन परिक्षेत्रधिकारी बागली  2.वन परिक्षेत्रधिकारी उदयनगर  3.वन परिक्षेत्रधिकारी पुंजापुरा | उप वनमण्डलाधिकारी सामान्य बागली उप वनमण्डलाधिकारी सामान्य बागली उप वनमण्डलाधिकारी सामान्य बागली |
|  | अभ्यारण्य खिवनी | अभ्यारण्य लिपिक खिवनी | गेम रेंजर खिवनी | अधीक्षक खिवनी अभ्यारण्य |
|  | वनमण्डलाधिकारी उत्पादन देवास | मुख्य लिपिक वनमण्डल | उप वनमण्डलाधिकारी उत्पादन देवास | वनमण्डलाधिकारी उत्पादन देवास |
|  | उप वनमण्डलाधिकारी उत्पादन देवास | उप व0म0कार्यालय लिपिक उत्पा0 देवास | उप वनमण्डलाधिकारी उत्पादन देवास | वनमण्डलाधिकारी उत्पादन देवास |
|  | 1.वन परिक्षेत्रधिकारी (उत्पा) बिजवाड़  2.वन परिक्षेत्रधिकारी (उत्पा) कांटाफोड़  3.वन परिक्षेत्रधिकारी (उत्पा) कन्नौद 4.डिपो प्रभारी चन्द्रकेशर | परि0लिपिक (उत्पा) बिजवाड़ परि0लिपिक (उत्पा) कांटाफोड़ परि0लिपिक (उत्पा) कन्नौद परि0लिपिक (उत्पा) चन्द्रकेशर | 1.वन परिक्षेत्रधिकारी (उत्पा) बिजवाड़  2.वन परिक्षेत्रधिकारी (उत्पा) कांटाफोड़  3.वन परिक्षेत्रधिकारी (उत्पा) कन्नौद  4.डिपो प्रभारी चन्द्रकेशर | उप वनमण्डलाधिकारी उत्पादन देवास उप वनमण्डलाधिकारी उत्पादन देवास उप वनमण्डलाधिकारी उत्पादन देवास उप वनमण्डलाधिकारी उत्पादन देवास |
|  | उप वनमण्डलाधिकारी उत्पादन बागली | उप व0म0कार्यालय लिपिक उत्पा0 बागली | उप वनमण्डलाधिकारी उत्पादन बागली | वनमण्डलाधिकारी उत्पादन देवास |
|  | 1. वन परिक्षेत्रधिकारी (उत्पा) पीपरी  2. वन परिक्षेत्रधिकारी (उत्पा) सतवास  3. वन परिक्षेत्रधिकारी (उत्पा) पुंजापुरा  4. वन परिक्षेत्रधिकारी (उत्पा) बागली  5. वन परिक्षेत्रधिकारी (उत्पा) उदयनगर | परि0लिपिक (उत्पा) पीपरी परि0लिपिक (उत्पा) सतवास परि0लिपिक (उत्पा) पुंजापुरा परि0लिपिक (उत्पा) बागली परि0लिपिक (उत्पा) उदयनगर | 1. वन परिक्षेत्रधिकारी (उत्पा) पीपरी  2. वन परिक्षेत्रधिकारी (उत्पा) सतवास  3. वन परिक्षेत्रधिकारी (उत्पा) पुंजापुरा  4. वन परिक्षेत्रधिकारी (उत्पा) बागली  5. वन परिक्षेत्रधिकारी (उत्पा) उदयनगर | उप वनमण्डलाधिकारी बागली उप वनमण्डलाधिकारी बागली उप वनमण्डलाधिकारी बागली उप वनमण्डलाधिकारी बागली उप वनमण्डलाधिकारी बागली |

------------

**अध्‍याय 2 (मैन्‍युअल- बी-xvii)**

ऐसी अन्‍य सूचना, जो विहित की जाए

(such other information as may be prescribed)

------------

संयुक्त वन प्रबंधन

राष्ट्रीय वन नीति के अनुसरण में वनों के संरक्षण एवं विकास हेतु जन सहयोग प्राप्त करने के लिए वनों एवं उनके आसपास निवास करने वाले समुदायों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए मध्य प्रदेश शासन द्वारा संयुक्त वन प्रबंधन हेतु संकल्प दिनांक 22 अक्टूबर, 2001 राजपत्र में अधिसूचित किया गया है] जिसमें तीन प्रकार की संयुक्त वन प्रबंधन समितियों के गठन का प्रावधान है :-

(1) वन सुरक्षा समिति: सघन वन क्षेत्र में वनखंड सीमा की 5 किलोमीटर दूरी तक स्थित ग्रामों में गठित की जाने वाली संयुक्त वन प्रबंधन समिति को ‘‘वन सुरक्षा समिति‘‘ कहा जाता है। वन सुरक्षा समिति सघन वन क्षेत्रों में अवैध कटाई चराई एवं अग्नि से क्षेत्र की सुरक्षा करती है तथा इसकी एवज में उन्हें आवंटित क्षेत्र से समस्त लघु वनोपज] रॉयल्‍टी मुक्त निस्तार एवं काष्ठ विदोहन से हुए शुद्ध लाभ का 20 प्रतिशत लाभांश प्राप्त होता है।

(2) ग्राम वन समिति:बिगडे़ वनक्षेत्रों में वनखण्ड की सीमा से पॉंच किलोमीटर दूरी तक स्थित ग्रामों में गठित की जाने वाली समिति को ‘‘ग्राम वन समिति‘‘ कहा जाता है। ग्राम वन समिति के सहयोग से पुनस्र्थापित होने पर आवंटित वन क्षेत्र से प्राप्त होने वाली समस्त लघु वनोपज एवं काष्ठ अनुपातिक विदोहन व्यय घटाकर ग्राम वन समिति को प्रदाय करने का प्रावधान है।

(3) ईको विकास समिति: जैव विविधता के संरक्षण हेतु गठित राष्ट्रीय उद्यान तथा अभयारण्य बफर क्षेत्रों की सीमा से 5 किलोमीटर की परिधि में स्थित ग्रामों में ‘‘ईको विकास समिति‘‘ गठित करने का प्रावधान है। इन समितियों के सामाजिक आर्थिक उत्थान का कार्य ईको विकास कार्यक्र के तहत किया जाता है।

संकल्प के अनुसार ग्रामसभा स्तर पर वन प्रबंधन से जुडने के लिए मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज्य अधिनियम 1993 की धारा-6 के अन्तर्गत तथा मध्यप्रदेश ग्राम सभा (सम्मिलन की प्रक्रिया) नियम 2001 में दर्शाई गई प्रक्रिया के अनुसार ग्राम सभा की बैठक आयोजित करके, वनक्षेत्र की स्थिति के अनुसार संयुक्त वन प्रबंधन समिति का 5 वर्ष की अवधि के लिए गठन किया जाता है। अध्यक्ष पद के एक तिहाई पद महिलाओं हेतु आरक्षित किये गये हैं। साथ ही अध्यक्ष/ उपाध्यक्ष में से एक पद पर महिला का होना अनिवार्य किया गया है। अधिसूचित जाति, जनजाति व पिछड़ा वर्ग के सदस्यों का प्रतिनिधित्व यथासंभव, ग्रामसभा में इनकी जनसंख्या के अनुपात में होगा तथा कार्यकारिणी में न्यूनतक 33 प्रतिशत महिलाएं होंगी। प्रदेश में वन समितियों की कुल संख्या 15608 है, जिनके द्वारा 79705 वर्ग कि.मी. वनक्षेत्रों का प्रबंधन किया जा रहा है, जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

**समितियों एवं कार्यों का विवरण**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **समिति का प्रकार** | **समितियों की संख्‍या** | **प्रबंधित क्षेत्र** |
| ग्राम वन समिति | 9784 | 37799 वर्ग किमी |
| वन सुरक्षा समिति | 4773 | 36377 वर्ग किमी |
| ईको विकास समिति | 1051 | 5529 वर्ग किमी |
| **योग -** | **15608** | **79705** वर्ग किमी |

1. संयुक्त वन प्रबंधन समितियों का सशक्तिकरण -

* ग्राम वन नियम, 2015 - आरक्षित वनों के प्रबंधन में अच्छा कार्य करने वाली वन समितियों को सशक्त करने के लिये म.प्र. राजपत्र में 4 जून, 2015 को ग्राम वन नियम का प्रकाशन किया गया।
* संरक्षित वन प्रबंधन नियम, 2015 - संरक्षित वनों के प्रबंधन में अच्छा कार्य करने वाली वन समितियों को सशक्त करने के लिए म.प्र. राजपत्र 04 जून, 2015 को म.प्र. संरक्षित वन नियम का प्रकाशन किया गया है। उक्त नियम के अन्तर्गत 108 समितियों को आवंटित 24467.021 हेक्टेयर संरक्षित वनों को संबंधित कलेक्टर द्वारा ग्राम वन समितियों से संबद्ध करने हेतु अधिसूचना जारी की जा चुकी है।

2. काष्ठ एवं बांस विदोहन का लाभांश वितरण -

* काष्ठ का लाभांश - जिला स्तर पर काष्ठ विदोहन से हुए शुद्ध लाभ का 20 प्रतिशत संयुक्त वन प्रबंधन समितियों को प्रदाय किया जाता है।
* बांस का लाभांश - प्रदेश में बांस कटाई में संलग्न श्रमिकों को बांस विदोहन से प्राप्त शुद्ध लाभ की राशि का शत-प्रतिशत वितरण किया जाता है।

विगत पांच वर्षो में लाभांश का वितरण का जिसका विवरण निम्नानुसार है :-

**(राशि रूपये करोड़ में)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **वर्ष** | **काष्‍ठ** | **बांस** | **कुल** |
| 2016-17 | 35.94 | 3.28 | 39.22 |
| 2017-18 | 52.58 | 0.51 | 53.09 |
| 2018-19 | 19.18 | 0 | 19.18 |
| 2019-20 | 22.56 | 11.39 | 33.95 |
| 2020-21 | 10.37 | 00.03 | 10.40 |

सूक्ष्म प्रबंध योजना के माध्यम से समितियों का सशक्तिकरण :-

वर्ष 2020-21 में आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश के अंतर्गत 500 ग्राम वन समितियों की सूक्ष्म प्रबंध योजनाएं स्वीकृत करने का लक्ष्य रखा गया था, जिसके विरुद्ध 546 ग्राम वन समितियों की सूक्ष्म प्रबंध योजनाओं को स्वीकृति प्रदान कर समितियों के माध्यम से उपचार संपन्न कराया गया है। संकल्प के प्रावधानों के अनुसार सफाई एवं विरलन से प्राप्त समस्त वनोपज वन समिति को प्रदान की गयी है। इस रणनीति को लागू करने से समाज के सबसे गरीब एवं कमजोर वर्ग के लोगों को लाभ पहुंचेगा। वनों के आसपास रहने वाले समुदाय एवं विशेषकर आदिवसासी समुदाय में सर्वाधिक परिवार गरीबी में जीवन व्यतीत करते है उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए वनों के प्रबंधन से अतिरिक्त आय प्राप्त होगी। प्रदेश के अन्तर्गत 553 सूक्ष्म प्रबंध योजनाऐं स्वीकृति की गई है, जिससे 2783 घ.मी. काष्ठ, 6670 नो.टन बांस,4241 जलाऊ चटटे तथा 241 टन घास का उत्पादन हुआ है। प्राप्त वनोपज का अनुमानित मूल्य 7.31 करोड़ है।

ग्रीन इंडिया मिशन -

प्रदेश में ग्रीन इंडिया मिशन के तहत उपरोक्त अध्ययनों के आधार पर 8 एल -1 लैंडस्कैप की पहचान की गई है, जिसमें जलवायु परिवर्तन को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करने वाले 20 वनमण्डलों में 127 एल-2 लेवल लैण्डस्केप (मिलीवाटरशेड) के 745 एल-3 लेवल लैण्डस्केप (माइक्रो वाटरशेडों) शामिल है।

वित्तीय व्यवस्था -

भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा गठित छंजपवदंस म्गमबनजपअम ब्वनदबपस चैथी बैठक दिनांक 03.01.2018 में मध्यप्रदेश द्वारा प्रस्तुत दीर्घकालीन परियोजना (पांच वर्षीय पर्सपक्टीव प्लान) रूपये 3157.36 करोड़ 3,40,700 हे. की स्वीकृति दी जा चुकी है। इसी के साथ परियोजना के क्रियान्वयन हेतु वर्ष 2017-18 के लिए ए.पी.ओ. रूपये 396.7258 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई। योजना केन्द्र प्रवर्तित योजना के रूप में (60:40 के अनुपात) में क्रियांवित किया जाना निर्धारित है।

जी.आई.एस (भौगोलिक सूचना प्रणाली) -

ग्रीन इंडिया मिशन एवं ईएसआईपी परियोजना अन्तर्गत चिन्हित वनमंडलों में उपचारित वनक्षेत्रों की ऑनलाईन निगरानी हेतु जीआईएम लैन्डस्केप पोर्टल तैयार किया गया है जिसके अन्तर्गत 20 वनमंडलों के वनक्षेत्रों का डिजिटल डेटा (वनमंडल, रेंज, बीट एवं कम्पार्टमेंट बाऊंड्री) एवं एल-2, एल-3 लेवल लैन्डस्केप बाऊंडी (मिली वाटरशेड, माईक्रोवाटरशेड) विभागीय जीआईएस पोर्टल पर पब्लिश किया गया है। जीआईएम लैन्डस्केप पोर्टल पर ग्रीन इंडिया मिशन अन्तर्गत उपचारित किये जाने वाले समस्त वनक्षेत्रों (वृक्षारोपण) कीKML फाईल तैयार कर पोर्टल पर अपलोड कर दी गई। मिशन अन्तर्गत उपचारित (वृक्षारोपण) क्षेत्र में प्रत्येक वर्ष का पुनरूत्पादन डेटा भी विभाग के ऑनलाईन पोर्टल पर अपलोड किया गया है जिसे विभाग की वेबसाइट https://mpforest.gov.in पर ग्रीन इंडिया मिशन के पेज पर देखा जा सकता है। वर्ष 2021 का पुनरूत्पादन डेटा संकलन का कार्य माह अक्टूबर से प्रारंभ किया गया है। पुनरूत्पादन डेटा उपलब्ध होने पर पोर्टल पर अपलोड किया जायेगा।

निगरानी एवं मूल्यांकन -

**निगरानी एवं मूल्यांकन शाखा प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, मध्यप्रदेश के अधीन कार्य करती है। मध्यप्रदेश वन विभाग द्वारा राज्य में किये गए वृक्षारोपण कार्यों के प्रभावी अनुश्रवण करने हेतु विभाग की सूचना एवं प्रौद्योगिकी शाखा द्वारा वृक्षारोपण निगरानी प्रणाली का विकास किया गया है। वर्तमान में निगरानी एवं मूल्यांकन शाखा द्वारा वृक्षारोपण निगरानी प्रणाली के माध्यम से संपूर्ण राज्य में मध्यप्रदेश वन विभान द्वारा किये गये वृक्षारोपण कार्यों का अनुश्रवण एवं मूल्यांकन मुख्यालय स्तर से किया जा रहा है।**

अनुसंधान विस्तार एवं लोकवानिकी -

**मध्यप्रदेश के वनों की उत्पादकता बढ़ाने एवं वन क्षेत्रों के बाहर सामुदायिक एवं निजी भूमि पर वनीकरण कार्य किया जाकर वनोपज की आवश्यकता की पूर्ति हेतु प्रत्येक कृषि जलवायु प्रक्षेत्र में क्रमशः बैतूल, भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, झाबुआ, खंडवा, रतलाम, रीवा, सागर एवं सिवनी में सामाजिक वानिकी वन वृत्त स्थापित हैं। सा.वा. वन वृत्त के अंतर्गत संचालित 171 रोपणियों में मानक गुणवत्ता के वानिकी/औषधीय/लघु वनोपज/ संकटापन्न/ विलुप्तप्राय एवं आवश्यकतानुसार क्लोनल/ ग्राफ्टेड/ फलदार पौधे तैयार कर विभागीय वृक्षारोपण एवं अन्य शासकीय/ अशासकीय विभागों, संस्थाओं एवं जनसामान्य को रोपण हेतु प्रदाय किया जाते है।**

पौधा तैयारी एवं निवर्तन -

**अनुसंधान एवं विस्तार रोपणियों में वर्ष 2022 के रोपण हेतु विभिन्न प्रजातियों के 484.10 लाख पौधे रोपणियों में उपलब्ध है। साथ ही 60 लाख पौधों की तैयारी प्रगति पर है। वर्षा ऋतु 2021 में माह सितंबर तक 395.90 लाख पौधों एवं 6.90 लाख सागौन रूटशूट का निवर्तन रोपणियों से किया गया है। वर्ष 2021 में पौधों के विक्रय से राशि रू. 544.73 लाख का राजस्व प्राप्त हुआ है। प्रदेश के वनों में जैव विविधता बनाये रखने के लिये सा.वा. रोपणियों में दुर्लभ एवं विलुप्त प्रजातियों के लगभग 60 लाख पौधे तैयार किये गये जिसमें हल्दू, सलई, धामन, तिनसा, शीशम आदि प्रजातियां प्रमुख है। आजादी के 75 वें वर्ष पर अमृत महोत्सव आयोजन के अंतर्गत वृक्षारोपण अभियान-1 के अंतर्गत अद्यतन स्थिति में प्रदेश में 179 स्थलों पर 7117 पौधों का रोपण किया जा चुका है। सा.वा. वन वृत्त, इंदौर में एक टिश्यू कल्चर प्रयोगशाला संचालित। जहाॅं उत्तम गुणवत्ता के बास एवं संकटापन्न प्रजातियों को टिश्यू कल्चर विधि से विकसित किया जा रहा है। सागौन पर भी प्रयोग प्रारंभ किया गया है। वर्ष 2021-22 में 25000 पौधो की तैयारी का कार्य प्रगति पर।**

**विस्तार वानिकी योजना अंतर्गत वर्षा ऋतु 2021 में क्षेत्रीय वनमंडलों के माध्यम से विभिन्न जिलों में गैर वन क्षेत्रों में विभिन्न प्रजातियों के 7.34 लाख पौधों का रोपण किया गया है। प्रदेश में विभिन्न सुरक्षा बलों के माध्यम से भी 3.06 लाख पौधों का रोपण योजना अंतर्गत किया गया है। ‘‘म0प्र0 वनांचल संदेश‘‘ नाम से विभागीय गतिविधियों, उल्लेखनीय सफलताओं के संबंध में जनसामान्य को अवगत कराने हेतु एक त्रैमासिक पत्रिका का प्रकाशन किया जा रहा है जिसके 17 संस्करण जारी हो चुके हैं। प्रमुख स्थलों पर रोपणी को ईको-टूरिज्म स्‍पॉट के रूप में विकसित कर पर्यटको को आकर्षित करते हुए पर्यावरण एवं वृक्षारोपण हेतु जन सामान्य में जागरूकता पैदा करने का प्रयास किया जा रहा है। लोकवानिकी योजना अंतर्गत वर्ष 2002 से अब तक प्रदेश में लगभग 3020 प्रबंध योजनाएं क्रियान्वित की गई।**

भू-प्रबंध -

**भारत सरकार ने वर्ष 1980 मे वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 लागू किया जिसके अंतर्गत यह प्रावधानित है कि कोई राज्य शासन अथवा वन अधिकारी भारत सरकार के पूर्व अनुमोदन के पश्चात् ही वन भूमि के गैर वानिकी उपयोग हेतु आदेश दे सकेंगे। इस अधिनियम की धारा-2 के अंतर्गत निम्न प्रावधान हैंः-**

**‘‘किसी राज्य में तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, कोई राज्य सरकार या अन्य प्राधिकारी यह निदेश करने वाला कोई आदेश, केन्द्रीय सरकार के पूर्ण अनुमोदन के बिना नहीं देगा :-**

(1) कि कोई आरक्षित वन उस राज्य में तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में ‘‘आरक्षित वन’’ पद के अर्थ में या उसका कोई प्रभाग आरक्षित नहीं रह जाएगा:

(2) कि किसी वन भूमि या उसके किसी प्रभाग को किसी वनेत्तर प्रयोजन के लिए उपयोग में लाया जाए:

(3) कोई वन भूमि या उसका कोई प्रभाग पट्टे पर या अन्यथा किसी प्राइवेट व्यक्ति या किसी प्राधिकरण, निगम, अभिकरण या आय संगठन को, जो सरकार के स्वामित्व, प्रबन्ध, नियंत्रण के अधीन नहीं है, समनुदेशित किया जाए

(4) किसी वन भूमि या उसके किसी भाग से, पुर्नवनरोपण के लिए उसका उपयोग करने के प्रयोजन के लिए, उन वन वृक्षों को, जो उस भूमि या प्रभाग में प्राकृतिक रूप से उग आए हैं, काटकर साफ किया जा सकता है।’’

किसी भी आवेदक **संस्थान** द्वारा वन भूमि का गैर वानिकी उपयोग प्रस्तावित होने पर वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत निर्धारित प्रारूप में निश्चित अभिलेखों के साथ ऑनलाईन आवेदन प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है जो कि क्षेत्रीय अधिकारियों के परीक्षण एवं राज्य सरकार के अनुमोदन उपरान्त भारत सरकार को भेजा जाता है। भारत सरकार द्वारा प्रकरण में कुछ शर्तों के साथ सैद्धांतिक अनुमति दी जाती है। आवेदक तथा क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा शर्तों की पूर्ति उपरान्त भारत सरकार से वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा-2 के अंतर्गत वन भूमि के गैर वानिकी उपयोग हेतु औपचारिक अनुमोदन प्राप्त किया जाता है। भारत सरकार के औपचारिक अनुमोदन उपरान्त राज्य शासन द्वारा वन भूमि के गैर वानिकी उपयोग हेतु स्वीकृति जारी की जाती है।

भारत सरकार द्वारा अधिसूचना दिनांक 10.10.2014 से वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 में संशोधन करते हुए दिनांक 01.11.2014 से समस्त रेखीय (सड़क, नहर, विद्युत लाईन एवं रेलवे लाईन) के प्रकरणों की स्वीकृति तथा शेष प्रकरणों मे (उत्खनन, जल, विद्युत परियोजनायें तथा अतिक्रमण के प्रकरणों को छोड़कर) 40 हेक्टेयर तक वन भूमि व्यपवर्तन की स्वीकृति के अधिकार भोपाल स्थित भारत सरकार के क्षेत्रीय कार्यालय के अंतर्गत गठित क्षेत्रीय साधिकार समिति को सौंपे गये हैं।

विगत वर्षों में प्रशासनिक तत्परता एवं प्रक्रिया के सरलीकरण के कारण, वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत प्रस्तावित प्रकरणों की स्वीकृति में लगने वाले समय में काफी सुधार हुआ है। विशेष रूप से प्रकरणों की ऑनलाईन स्वीकृति प्रक्रिया लागू करने से तथा प्रक्रिया के सरलीकरण के कारण प्रकरणों का निराकरण अधिक शीघ्रता से हो रहा है।

वन संरक्षण अधिनियम, 1980 प्रभावशील होने के बाद दिनांक 25.10.1980 से माह दिसम्बर 2021 तक कुल 1237 प्रकरणों में कुल 286800.5837 हेक्टेयर वन भूमि प्रत्यावर्तित की गई है।

वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 में राज्य शासन/ वनाधिकारियों को प्रदत्त अधिकार -

**वन क्षेत्रों में गैर वानिकी कार्य करने की अनुमति जारी करने के सम्बन्ध में राज्य शासन/ क्षेत्रीय वनमण्डलाधिकारियों को निम्नानुसार अधिकार भारत सरकार से प्रत्यायोजित किये गये हैं:-**

**(क) भारत सरकार द्वारा दिनांक 28.03.2019 से जारी मार्गदर्शिका के अध्याय 4 में वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अंतर्गत शैक्षणिक संस्था, अस्पाताल, पेयजल सुविधा, लघु सिचाई, विद्युत उपकेन्द्र, मार्ग निर्माण, मार्ग चैड़ीकरण, पुलिस स्टेशन आदि के कार्यों में 01 हेक्टेयर तक वन भूमि व्यपवर्तन की स्वीकृति के अधिकार राज्य शासन को प्रदत्त किये हैं।**

**(ख) भारत सरकार द्वारा दिनांक 28.03.2019 से जारी मार्गदर्शिका के अध्याय 4 में वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अंतर्गत वामपंथी चरमपंथी जिलों क्रमशः बालाघाट एवं मण्डला के लिये शैक्षणिक संस्था, अस्पाताल, पेयजल सुविधा, लघु सिचाई, विद्युत उपकेन्द्र, मार्ग निर्माण, मार्ग चैड़ीकरण, पुलिस स्टेशन आदि के लिये 05 हेक्टेयर तक वन भूमि के वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अंतर्गत प्रकरणों में राज्य शासन को अधिकार प्रदत्त किये हैं।**

**(ग) भारत सरकार द्वारा वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अंतर्गत विद्यालय, औषधालय, आंगनबाड़ी, उचित कीमत की दूकानें, विद्युत और दूरसंचार लाईनें, टंकियां और अन्य लघु जलाशय, पेयजल की आपूर्ति और जल पाईप लाईनें, जल या वर्षा जल संचयन संरचनाएं, लघु सिंचाई नहरें, अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोत, कौशल उन्नयन या व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र, सड़कें एवं सामुदायिक केन्द्र कार्यों में 01 हेक्टेयर तक वन भूमि जिसमें 75 वृक्ष प्रति हेक्टेयर होने के स्थिति में व्यपवर्तन की स्वीकृति संबंधित क्ष्ेात्रीय वनमण्डलाधिकारी को प्रदत्त किये है:-**

**म.प्र. शासन वन विभाग के ज्ञापन दिनांक 17.05.2005 द्वारा वनमण्डलाधिकारी को वनक्षेत्रों के गुजर रहे 25.10.1980 के पूर्व के कच्चे मार्गो के उन्नयन हेतु सशर्त अनुमति जारी करने के लिये अधिकृत किया गया है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत जारी भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 19.09.2006 के परिपेक्ष्य में उक्त योजनांतर्गत सड़कों के उन्नयन हेतु अलग से पर्यावरणीय स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है।**

कैम्पा -

वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत विभिन्न विकास कार्यों के लिये वन भूमि व्यपवर्तन के प्रकरण स्वीकृत किये जाते हैं। वन भूमि व्यपवर्तन के प्रकरणों में स्वीकृति जारी करते समय भारत सरकार द्वारा विभिन्न शर्तें अधिरोपित की जाती हैं। इन शर्तों के अनुरूप आवेदक संस्थान से प्रतिपूरक रोपण, आवाह क्षेत्र उपचार, वन्यप्राणी प्रबंधन तथा निवल वर्तमान मूल्य (एन.पी.व्ही.) आदि की राशि जमा कराई जाती है। इन शर्तों का मुख्य उद्देश्य वन भूमि के व्यपवर्तन से होने वाली क्षति की पूर्ति करना है।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने रिट याचिका (सिविल) 2002/95 टी.एन. गोदावर्मन तिरूमलपाद बनाम भारत संघ और अन्य मे तारीख 30 अक्टूबर 2002 के अपने आदेश मे यह मत व्यक्त किया कि प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि का सृजन किया जाये। वर्ष 2006 मे माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के तारतम्य मे एक तदर्थ प्राधिकरण का गठन किया गया तथा वर्ष 2009 मे मार्गदर्शक सिद्धांत बनाये गये। प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि का प्रबंधन मार्गदर्शक सिद्धांत के अनुसार 2017-18 तक किया जाता रहा है।

इस क्रम मे प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि के प्रबंधन हेतु दिनांक 03.08.2016 को प्रतिकरात्मक वन रोपण निधि अधिनियम, 2016 तथा दिनांक 10.08.2018 को प्रतिकरात्मक वन रोपण निधि नियम, 2018 भारत सरकार के राजपत्र में अधिसूचित किया गया। प्रतिकरात्मक वन रोपण निधि अधिनियम 2016 (2018 का 38) की धारा 10 की उपधारा (1) के तहत 30 सितम्बर 2018 को मध्यप्रदेश राज्य प्रतिकरात्मक वन रोपण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण के नाम से राज्य प्राधिकरण का गठन किया है। मध्यप्रदेश शासन ने 17 अक्टूबर 2018 को मध्यप्रदेश के लोक लेखा के ब्याज अर्जित करने वाले खण्ड के अंतर्गत मुख्य शीर्ष ‘‘8121 साधारण एवं अन्य आरक्षित निधियां’’ के नीचे एक विशिष्ट लघु शीर्ष 129-मध्यप्रदेश प्रतिकरात्मक वन रोपण निधि का गठन किया है।

प्रतिकरात्मक वन रोपण निधि अधिनियम, 2016 मे निहित प्रावधानों के अनुसार राज्य प्राधिकरण के निधि के प्रबंधन और योजना बनाये जाने हेतु त्रिस्तरीय समितियों के गठन के निर्देश हैं।

* माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में - शासी निकाय।
* मुख्य सचिव मध्यप्रदेश शासन की अध्यक्षता में - राज्य स्तरीय संचालन समिति।
* प्रधान मुख्य वन संरक्षक मध्यप्रदेश की अध्यक्षता में - राज्य कार्यकारिणी समिति।

मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक/ एफ 19-42/ 2018/ 1/ 4, दिनांक 26.10.2018 से राज्य स्तरीय संचालन समिति (Steering Committee) तथा आदेश क्रमांक एफ-3-22/ 2018/ 10-2, दिनांक 25.10.2018 द्वारा कार्यकारिणी समिति (Executive Committee) का गठन किया गया है। मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक/ एफ 19-52/ 2018/ 1/ 4, दिनांक 15.01.2019 से शासी निकाय (Governing Body) का गठन किया गया है।

उक्त समितियों के गठन के पश्चात् अभी तक शासी निकाय की एक, संचालन समिति की पांच तथा कार्यकारिणी समिति की छः बैठक आयोजित की गई हैं।

प्रतिकरात्मक वन रोपण निधि नियम 2018 में राज्य प्राधिकरण के निधि (कैम्पा निधि) के एन.पी.व्ही. तथा ब्याज की राशि के उपयोग के संबंध में मुख्य बिंदु निम्नानुसार हैंः -

* एन.पी.व्ही. की 80 प्रतिशत राशि वन एवं वन्यप्राणी प्रबंधन पर व्यय।
* एन.पी.व्ही. की 20 प्रतिशत राशि वन और वन्यजीव संबंधी अद्योसंरचना को सुदृढ़ करने, क्षमता निर्माण आदि पर व्यय।
* वन विभाग के केवल वन रेंज अधिकारियों तक के अधिकारी के आवास एवं कार्यालयीन भवनों का निर्माण।
* वाहन क्रय, चिड़िया घर एवं वन्यजीव सफारी की स्थापना/ उन्नयन पर प्रतिबंध।
* ब्याज की 60 प्रतिशत तक की राशि से क्षतिपूर्ति रोपण/ दाण्डिक प्रतिपूर्ति वनीकरण/ वन्यजीव प्रबंधन के मूल्य वृद्धि, वन एवं वन्यप्राणी प्रबंधन से संबंधित कार्य का संपादन।
* ब्याज की 40 प्रतिशत तक की राशि से राज्य प्राधिकरण के गैर अनावर्ती और आवर्ती व्यय।

प्रत्येक वर्ष प्रस्तावित क्षतिपूर्ति रोपण, वन्यप्राणी प्रबंधन तथा एन.पी.व्ही. से संबंधित विभिन्न प्रस्तावित कार्यों को सम्मिलित करते हुये वार्षिक कार्य आयोजना (ए.पी.ओ.) तैयार किया जाता है। इस ए.पी.ओ. को राज्य कार्यकारिणी समिति द्वारा परीक्षण कर राज्य स्तरीय संचालन समिति को अनुमोदन हेतु प्रेषित किया जाता है। राज्य स्तरीय संचालन समिति द्वारा इस ए.पी.ओ. के आवश्यक परीक्षण पश्चात अनुमोदन एवं अनुशंसा सहित भारत सरकार को प्रतिकरात्मक वन रोपण निधि नियम 2018 के प्रावधानो के अनुसार अनुमोदन हेतु लेख किया जाता है। भारत सरकार द्वारा प्रतिकरात्मक वन रोपण निधि नियम 2018 के नियम अनुसार ए.पी.ओ. का अनुमोदन किया जाता है।

सूचना प्रौद्योगिकी -

**सूचना प्रौद्योगिकी तकनीको का उपयोग विभागीय कार्यों में गतिशीलता लाने हेतु किया जा रहा है जिसका विवरण निम्नानुसार है :-**

1. जी.आई.एस. (भौगोलिक सूचना प्रणाली)-सूचना प्रौद्योगिकी शाखा में जी.आई.एस. तकनीक का प्रयोग वन क्षेत्रों के नक्शों के निर्माण एवं संधारण के लिये किया जाता है। वन खण्डों के मानचित्रों का डिजिटाईजेशन वनखण्डों के मूल मानचित्रों एवं राजस्व विभाग के खसरेवार उपलब्ध जी.आई.एस. डेटा का उपयोग कर नक्शे तैयार किये गये हैं। 63 वनमण्डल में से 33 के परिष्कृत मानचित्र तैयार किये गये हैं एवं कार्य आयोजना में समायोजन किया जा चुका है एवं 30 वनमण्डलों के वनक्षेत्रों के मानचित्रों का सुधार कार्य प्रगति पर है जिसे शीघ्र पूर्ण किया जायेगा।

विभाग द्वारा मानचित्रों की गुणवत्ता एवं पारदर्शिता के लिये जी.आई.एस. पोर्टल का उपयोग किया जा रहा है एवं समस्त मानचित्र वेब मैप के माध्यम से वनमंडलों एवं कार्य आयोजना इकाईयों ऑनलाईन प्रदान किया जा रहा है। मैप आई.टी. के माध्यम से अन्य शासकीय संस्थाओं को भी डेटा प्रदाय किया जा रहा है।

1. नक्शो की गुणवत्ता सुधार के लिये मोबाईल जी.आई.एस. का भी उपयोग किया जा रहा है, इसके अंतर्गत 2 मोबाईल ऐप विभाग द्वारा संचालित हैं Survey 123 ,oa Collector for ArcGIS ये दोनों एप विभागीय पोर्टल से संचालित होती हैं एवं डेटा रियल टाईम में पोर्टल पर उपलब्ध हो जाता है जो वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा पोर्टल पर ऑनलाईन देखा जा सकता है।
2. विभिन्न संरक्षित क्षेत्रों तथा वन मंडलों के थ्री डी मानचित्र वनों के भीतर विभिन्न वानिकी गतिविधियों के लिए क्षेत्र चयन हेतु आई टी शाखा द्वारा डिजिटल एलीवेशन माडल की आधुनिक तकनीक के उपयोग से विभिन्न संरक्षित क्षेत्रों तथा वन मंडलों के थ्री.डी. मानचित्रों/ decision support system का निर्माण कर [http:// intranet.mpforest.gov.in/ Publicdomain/ atlas/ index.html](http://intranet.mpforest.gov.in/Publicdomain/atlas/index.html) पर उपलब्ध कराया गया है।
3. विभाग के उपयोगी एप्लीकेशन -

मध्यप्रदेश राज्य वन सेवा एवं वनक्षेत्रपाल स्तर के अधिकारियों के गोपनीय प्रतिवेदन ऑनलाईन लिखने के सॉफ्टवेयर स्पैरो (SPARROW) के एप्लीकेशन, वन विभाग में ई.-टेण्डरिंग एवं सामग्री का इलेक्‍ट्रानिक क्रय के एप्लीकेशन के साथ-साथ निम्नांकित प्रणालियां विकसित की गई है-

**सिम्प्लीफायर near real time fire monitoring system -**

सूचना प्रौद्योगिकी शाखा द्वारा नासा के सैटेलाईट से प्राप्त near real time fire डेटा को मानचित्र में अंकित करने की प्रणाली विकसित की गई है, जो सिम्प्लीफायर के नाम से उपलब्ध कराई गई है।

इसके उपयोग से वन तथा राजस्व क्षेत्रों में लगी अग्नि के बारे में त्वरित जानकारी प्राप्त होती है जो वन अग्नि प्रंबधन हेतु उपयोगी है। जानकारी को राज्य, वृत्त, वन मंडल, रेंज, बीट, तथा कम्पार्टमेंट के लेवल पर देखा जा सकता है।

फारेस्ट फायर अलर्ट सिस्टम 3.0 -

भारतीय वन सर्वेक्षण के पोर्टल फारेस्ट फायर अलर्ट सिस्टम 3ण्0 की सहायता से वनक्षेत्रों में लगी आग को सेटेलाईट के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर रजिस्ट्रड मोबाईल नम्बर पर एसएमएस के माध्यम से सूचना दी जाती है जिससे कि संबंधित क्षेत्र में वन अमले द्वारा पहुंचकर अग्नि नियंत्रण कर वनों की रक्षा की जाती है।

कान्ट्रेक्टर पंजीयन प्रणाली -

वन विभाग के विभिन्न काष्ठागारों में काष्ठ की नीलामी प्रक्रिया को कम्प्यूटर के माध्यम से संचालित करने हेतु इस प्रणाली के माध्यम से विभिन्न प्रदेशों एवं मध्यप्रदेश के समस्त विनिर्माता/ व्यापारी/ उपभोक्ता/ फुटकर विक्रेता द्वारा ऑनलाईन पंजीयन एवं किया जाता है। क्रेताओं के द्वारा पंजीयन राशि के आनलाइन भुगतान के लिए सूचना प्रौद्योगिकी शाखा द्वारा ट्रेजरी के पेमेन्ट गेटवे का इन्ट्रीगेशन का कार्य किया गया। पंजीयन के समय उपलब्ध कराये गये आवश्यक दस्तावेजों एवं भुगतान का परीक्षण वनमण्डलाधिकारी द्वारा किया जाकर क्रेताओं को प्रमाण पत्र ऑनलाईन जारी किया जाता है जिसे क्रेता इस प्रणाली में लागइन कर डाउनलोड कर सकते हैं।

डिपो पंजीयन प्रबंधन प्रणाली -

इस एप्लीकेशन की सहायता से डिपो द्वारा आॅन-लाईन काष्ठ के डिपो रेट की प्रविष्टि, नीलाम दिनांक की प्रविष्टि, काष्ठ का मापन, ग्रेडिंग, स्टेक निर्माण, लाट निर्माण इत्यादि कार्यों को किया जाता है।

राष्ट्रीय परिवहन अनुज्ञा-पत्र प्रणाली -

NTPS पोर्टल का निर्माण पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भातर सरकार के द्वारा किया गया है। यह एक वर्क फ्लो पर आधारित एप्लीकेशन है जिसे डेस्कटाप एवं मोबाईल संस्करण उपयोग के लिए उपलब्ध है। इन दोनों प्रकार के सस्करणों की सहायता से आवेदक निजी भूमि पर उगाई जा रही प्रजातियों के लिए Transit Permit (TP) या No Objection Certificate (NOC) के लिए आवेदन कर सकता है। Transit Permit (TP) का भुगतान वेब पोर्टल या मोबाईल एप्लीकेशन के माध्यम से किया जा सकता है। दिनांक 12 अक्टूबर 2020 से 22 अक्टूबर 2020 तक सभी 16 वृत्तों के विभिन्न वनमण्डलों को सूचना प्रौद्योगिकी शाखा द्वारा प्रशिक्षण दिया जा चुका है, तथा दिनांक 01ण्08ण्2021 से पूरे प्रदेश में उक्त प्रणाली का सफल क्रियान्वयन सुनिश्चित किया गया है।

**अन्य प्रणालियां निम्नानुसार है :-**

1. फारेस्ट आफेंस मैनेजमेंट सिस्टम (FOMS)
2. वन अपराधी डेटाबेस
3. अधिकारी कर्मचारी प्रबंधन प्रणाली
4. प्लान्टेशन मानिटरिंग सिस्टम (PMS)
5. रोपणी प्रबंधन सूचना प्रणाली
6. डिपो पंजीयन प्रबंधन प्रणाली
7. राष्ट्रीय परिवहन अनुज्ञा-पत्र प्रणाली
8. गैर वन-भूमि अनापत्ति प्रमाण पत्र (फारेस्ट आनलाइन एन.ओ.सी)
9. वन मंडल अधिकारी कार्य निष्पादन प्रणाली
10. आजादी का अमृत महोत्सव प्रणाली
11. वन राजस्व संग्रहण प्रणाली

मध्यप्रदेश प्लांट बायोडाइवर्सिटी सर्च इंजन -

सूचना प्रौद्योगिकी शाखा द्वारा उपरोक्त के अतिरिक्त, फायर एटलस, कंटूर मानचित्रों का एटलस फायर एटलस जल स्रोत्रों के मानचित्र का एटलस तथा हिलशेड मानचित्रों का एटलस का भी निर्माण किया गया है।

वन संरक्षण -

लगातार बढ़ती जा रही आबादी और उसकी आवष्यकताओं एवं आकांक्षाओं में होने वाली सतत् बढ़ोत्तरी के कारण प्रदेष के जैविक संसाधनों विषेषकर वनों, वन भूमि एवं वन्य जीवों का संरक्षण लगातार चुनौतीपूर्ण होता जा रहा है। वर्ष 2008 के पश्चात वन अधिकार अधिनियम लागू होने के बाद कृषि हेतु भूमि की बढ़ती भूख के कारण वन क्षेत्रों में अतिक्रमण एक गंभीर समस्या है। कुछ बहुमूल्य प्रजातियों जैसे सागौन, खैर आदि की बाजार में बढ़ती मांग के कारण उनकी अवैध कटाई एवं तस्करी संगठित अपराध का रूप लेने लगी है।

संयुक्त वन प्रबंधन समितियों के सदस्यों की सक्रिय भागीदारी, क्षेत्रीय इकाईयों की प्रतिबद्धता तथा स्थानीय जिला एवं पुलिस प्रषासन के सहयोग से वन एवं वन्यजीवों से संबंधित अपराधों की रोकथाम के लिए निरंतर ईमानदार प्रयास किये जा रहे हैं, जिसके वांछित परिणाम भी प्राप्त हो रहे हैं। वनों की प्रभावी सुरक्षा हेतु क्षेत्रीय कर्मचारियों की गतिशीलता बढ़ाने हेतु पर्याप्त संख्या में वाहन उपलब्ध कराये गये हैं। अतिसंवेदनशील वनक्षेत्रों में बीट व्यवस्था के साथ ही सामूहिक गश्ती हेतु वन चैकियों की स्थापना की गई है। वर्ष 2021 की स्थिति में 329 वन चैकियां कार्यरत हैं। प्रत्येक चैकी में गश्ती हेतु शासकीय अथवा अनुबंधित वाहन उपलब्ध कराये गये हैं।

वन अपराधों पर नियंत्रण एवं त्वरित कार्यवाही हेतु प्रत्येक वन वृत्त में उड़नदस्ता दल कार्यरत हैं। उड़नदस्ता दल में पर्याप्त संख्या में वनकर्मी, शस्त्र एवं वाहन उपलब्ध हैं। ऐसे क्षेत्रों में, जहां संगठित वन अपराधों की संभावना है, विशेष सशस्त्र बल की 3 वाहिनियों, क्रमश: 8 वीं वाहिनी - छिन्दवाड़ा, 15 वीं वाहिनी - इन्दौर तथा 26 वीं वाहिनी - गुना के 221 सषस्त्र अधिकारी एवं कर्मचारी पदस्थ हैं जिन्हें 14 संवेदनषील वनमण्डलों में संलग्न किया गया है। परिक्षेत्र स्तर पर 450, वन चैकी हेतु 10 एवं वृत्त स्तरीय उड़नदस्ता दल हेतु 15 वाहन, कुल 475 वाहन अनुबंधित कर उपलब्ध कराये गये हैं।

वन सुरक्षा प्रबंधन में सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग -

वन सुरक्षा के अनुश्रवण हेतु इंटरनेट आधारित ”वन अपराध प्रबंधन प्रणाली“ (एफ.ओ.एम.एस.) विकसित की गई है। साथ ही समस्त क्षेत्रीय एवं वन्यप्राणी वनमण्डलों को एफ ओ सी आर पंजी के स्थान पर ”वन अपराध प्रबंधन प्रणाली“ (एफ.ओ.एम.एस.) पर ही प्रकरण दर्ज करने की व्यवस्था लागू की गई है।

वन अपराध प्रबंधन प्रणाली -

वन अपराध प्रबंधन प्रणाली के माध्यम से अपराधों के पंजीयन, उनकी जांच, अभिसंधान, वसूली, न्यायालय में चालान इत्यादि कार्यवाही की सतत् समीक्षा की जाती है।

अग्नि घटनाओं की सामयिक जानकारी प्राप्त करने हेतु भारत सरकार के भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान देहरादून द्वारा विकसित ’‘वन अग्नि सचेतन संदेश प्रणाली’’ (फायर एलर्ट मेसेजिंग सिस्टम) विकसित की गई है, जिसके अच्छे परिणाम प्राप्त हो रहे है।

वन अपराध प्रबंधन प्रणाली में दर्ज अग्नि घटनाओं के 6700 प्रकरणों में 22608 हेक्टेयर वन क्षेत्र प्रभावित हुआ है।

मध्यप्रदेश में काष्ठ आधारित उद्योगों को प्रोत्साहन:-

मध्यप्रदेश में काष्ठ आधारित उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिये मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग द्वारा मध्यप्रदेश काष्ठ चिरान (विनियमन) अधिनियम 1984 की धारा-च में संशोधन किया है जो मध्यप्रदेश काष्ठ चिरान (विनियमन) संशोधन अधिनियम 2021 के रूप में मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 14 जनवरी 2022 के रूप में अधिसूचित हुआ है। इस संषोधन के उपरान्त ऐसे उद्योग या प्रसंस्करण संयंत्र, जो घरेलू मूल की लकड़ी के गोल लट्ठों का प्रयोग नहीं करते है या जो 30 से0मी0 व्यास के अधिक के चक्राकार आरे या बेण्ड सॉ या री-सॉ के बिना प्रचालन करते है एवं प्रतिशिद्ध क्षेत्रों से बाहर स्थापित है उन्हे इस अधिनियम के अंतर्गत आरामिल की अनुज्ञप्ति लेने की आवष्यकता नहीं होगी।

ऐसे उद्योग या प्रसस्ंकरण संयंत्र जो चिरी हुई इमारती लकड़ी, बेंत, बांस, नरकट, प्लाईवुड, विनीयर या आयातित लकड़ी, ब्लाक बोर्ड, मीडियम डेनसिटी फाईबर -बोर्ड या इसी प्रकार के काष्ठ आधारित उत्पाद या राज्य में कटाई तथा पारगमन व्यवस्था के अधिकार क्षेत्र में छूट प्राप्त प्रजातियों से प्राप्त गोल लट्ठे या इमारती लकड़ी का उपयोग करते है, के लिए भी अनुज्ञप्ति अपेक्षित नहीं होगी।

उपरोक्त संशोधन के उपरान्त मध्यप्रदेश में काष्ठ आधारित उद्योगों की स्थापना को गति मिलेगी एवं इन उद्योगों की मांग की पूर्ति के लिये वन क्षेत्रों से बाहर वृक्षारोपण गतिविधियों को भी प्रोत्साहन मिलेगा।

उत्पादन -

राज्य में मुख्य रूप से सागौन, साल, बांस, तथा अन्य मिश्रित प्रजातियों के वन पाये जाते हैं कार्य आयोजना के प्रावधानों के अनुसार कूपों से ईमारती लकड़ी, जलाऊ एवं बांस का वनवर्धन के दृष्टिकोण से विदोहन किया जाता है। साथ ही वनों के समीप बसे ग्रामीणों की घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये आवश्यक निस्तार की व्यवस्था की जाती है। उत्पादन शाखा द्वारा लोकवानिकी तथा मालिक मकबूजा के अन्तर्गत कृषकों द्वारा वन विभाग के डिपो में लाई गई काष्ठ के भुगतान की व्यवस्था भी की जाती है ।

राज्य की वर्तमान पुनरीक्षित निस्तार नीति 10 मार्च 2019 से लागू है। इससे पूर्व यह नीति 01 जुलाई 1996 को पुनरीक्षित की गई थी। इस नीति में निस्तार सुविधा की पात्रता वनों की सीमा से 5 कि.मी. की परिधि में बसे परिवारों को ही दी गई है जिन्हें घरेलू उपयोग के लिये बांस छोटी ईमारती लकड़ी (बल्ली) हल, बक्खर बनाने की लकड़ी तथा जलाऊ लकड़ी रियायती दरों पर दी जाती है। इस हेतु राज्य में 1814 निस्तार डिपो संचालित है। इसके साथ-साथ स्वयं के उपयोग के लिये वनों से सिरबोझ द्वारा गिरी पड़ी, मरी, सूखी जलाऊ लकड़ी लाने की सुविधा भी पूर्व अनुसार दी जा रही है राज्य में 24058 बसोड़ परिवार पंजीकृत है बसोड़ परिवारों को राॅयल्टी मुक्त दर पर बांस उपलब्ध कराया जाता है। ऐसे ही बेगा आदिवसासियों तथा अन्य ऐसे समुदायों, जो बांस का सामान बनाकर जीविकोपार्जन करते हैं, को भी निस्तार दरों पर बांस उपलब्ध कराया जाता है। म0प्र0 शासन के पत्र क्रमांक एफ-07-02/ 2006/ 10-3, दिनांक 10 मार्च 2019 द्वारा पान बरेजा परिवारों को निस्तार नीति में सम्मिलित करते हुये निस्तार दर पर बांस प्रदाय करने की स्वीकृति प्रदान की गई है।

वन्यप्राणी प्रबंधन -

प्रदेश में वन्यप्राणियों का संरक्षण एवं प्रबंधन वन्यप्राणी (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के प्रावधानों के अन्तर्गत किया जाता है।

प्रदेश के संरक्षित क्षेत्र -

राज्य शासन द्वारा वन्यप्राणी संरक्षण को उच्च प्राथमिकता दी गई है। मध्यप्रदेश में वन्यजीव संरक्षित क्षेत्रों का क्षेत्रफल 11281.608 वर्ग किलोमीटर है। प्रदेश में 11 राष्ट्रीय उद्यान एवं 24 वन्यप्राणी अभयारण्य हैं। कान्हा, बांधवगढ़, पन्ना, पेंच, सतपुड़ा एवं संजय राष्ट्रीय उद्यानों तथा इनके निकटवर्ती 06 अभयारण्यों को समाहित कर प्रदेश में 06 टाइगर रिज़व्र्स अधिसूचित हैं। इन 06 टाइगर रिज़व्र्स का कोर ज़ोन 4773.638 वर्ग कि.मी. तथा बफर ज़ोन 5400.602 वर्ग कि.मी. है। डिण्डौरी जिले के घुघवा में फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान स्थित है जहाँ 06 करोड़ वर्ष तक पुराने जीवाश्म संरक्षित किये गये हैं। धार जिले में “डायनोसोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, बाग“ स्थापित किया गया है। भोपाल के वन विहार राष्ट्रीय उद्यान को आधुनिक चिड़ियाघर के रूप में मान्यता प्राप्त है। बॉम्‍बे नेचुरल हिस्ट्री सोसायटी के सहयोग से केरवा, भोपाल में गिद्धों के संरक्षण हेतु प्रजनन केन्द्र की स्थापना की गई है। इसके अतिरिक्त मुकुन्दपुर, जिला सतना में व्हाइट टाइगर सफारी एवं चिड़ियाघर स्थापित किया गया है। प्रदेश के रायसेन जिले में प्रदेश का पहला डोम आधारित बटरफ्लाई पार्क बनाया गया है। बाघ, बारासिंघा, मगर, डॉल्फिन, घड़ियाल, तेन्दुआ, गौर एवं काला हिरण प्रदेश को पहचान देने वाली मुख्य वन्यप्राणी प्रजातियां हैं।

वन्यप्राणी संरक्षण:-वन्यप्राणियों के संरक्षण एवं प्रबंध की मौलिक जिम्मेदारी संबंधित क्षेत्रीय इकाईयों एवं क्षेत्रीय वनमण्डलों की है। इनकी सहायता के लिए प्रदेश में निम्न अतिरिक्त व्यवस्थायें की गई है :-

* **वन्यप्राणी अपराध अन्वेषण में सहायता के लिए राज्य में टाइगर स्ट्राइक फोर्स कार्यरत है। इस फोर्स के पांच आंचलिक केन्द्र क्रमशः इन्दौर, सागर, होशंगाबाद, जबलपुर और सतना में स्थित है।**
* **वनों के समीपस्थ बसाहटों में वनों से भटककर आने वाले वन्यप्राणियों को पकड़़ कर सुरक्षित रूप से अन्यत्र छोड़ने के लिये रीजनल वन्यप्राणी रेस्क्यू स्क्वाड्स की संख्या 10 से बढ़ाकर 15 की गई है।**
* **प्रदेश में वन्यप्राणियों के विरूद्ध हुये अपराधों में कारगर अन्वेषण, अपराधियों एवं वन्यप्राणी सामग्री की खोज के लिये 16 प्रशिक्षित डॉग स्क्वाड्स का गठन किया गया है। इससे वन्यप्राणी अपराधों के अन्वेषण में अभूतपूर्व सफलताएं प्राप्त हुई हैं।**
* **म.प्र. वन विभाग के वन्यप्राणी अपराध नियंत्रण के विशेष प्रयासों को और अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर के द्वारा प्रदेश के पांच स्थानों क्रमशः जबलपुर, इन्दौर, होशंगाबाद सतना में विशेष न्यायालयों की स्थापना की गई है। उक्त न्यायालय STSF के द्वारा पंजीकृत अपराध प्रकरणों की सुनवाई करेंगे। प्रत्येक न्यायालय मsa ACJM स्तर के एक न्यायाधीश की नियुक्ति की गई है।, सागर एवं**
* **टाइगर रिजर्व एवं अन्य महत्वपूर्ण संरक्षित क्षेत्रों की परिधि में स्थित क्षेत्रीय वन मण्डलों के बाघ विचरण वाले क्षेत्रों में स्थित 56 परिक्षेत्रों में सुरक्षा तंत्र को सुदृढ़ करने हेतु पेट्रोलिंग चैकी निर्माण तथा वाहन, वायरलेस एवं अन्य उपकरण प्रदाय किये गये हैं।**
* **संरक्षित क्षेत्रों के अंतर्गत वन्य पशुओं के स्वास्थ्य परीक्षण एवं इलाज के लिए 10 पशु चिकित्सकों का पृथक कैडर कार्यरत है।**
* **नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय जबलपुर के अंतर्गत स्कूल आॅफ वाइल्ड लाइफ फाॅरेंसिक एंड हेल्थ वन विभाग की सहायता से संचालित है।**

मानव तथा वन्यप्राणियों के बीच द्वंद्व कम करने के प्रयास :-

**वन्यप्राणियों से जन हानि होने पर राहत राशि का भुगतान :- वन्य प्राणियों द्वारा जन हानि किये जाने पर मृत व्यक्ति के परिवार को राहत राशि उपलब्ध कराना। राहत राशि के भुगतान के लिए आवश्यक पात्रता की शर्तें निम्नानुसार हैं -**

* **जन-हानि (मृत्यु) वन्यप्राणी (सांप, गुहेरा एवं जहरीले जन्तु को छोड़कर) द्वारा हुई हो (यहां वन्य प्राणी से तात्पर्य वन्य प्राणी (संरक्षण) अधिनियम, 1972 में दी गई परिभाषा से है)**
* **आवेदनकर्ता मृत व्यक्ति का उत्तराधिकारी/ परिवार का सदस्य/ रिश्तेदार हो।**

**वर्तमान में म.प्र. लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 के तहत वन्य प्राणियों से जन हानि हेतु राहत राशि के भुगतान की निर्धारित समयावधि आवेदन दिनांक से तीन कार्य दिवस है।**

वन्यप्राणियों से जन घायल होने पर राहत राशि का भुगतान - **वन्य प्राणियों से घायल व्यक्ति को राहत राशि उपलब्ध कराना ।**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| क्र. | वन्यप्राणियों द्वारा की जाने वाली हानि | राहत राशि |
| **1** | **वन्यप्राणियों द्वारा जनहानि होने पर** | **रूपये 8,00,000 (आठ लाख) मात्र एवं इलाज पर हुआ वास्तविक व्यय** |
| **2** | **स्थायी विकलांगता होने पर** | **रूपये 2,00,000 (दो लाख) मात्र एवं इलाज पर हुआ वास्तविक व्यय** |
| **3** | **जनघायल होने पर** | **इलाज पर हुआ वास्तविक व्यय तथा अस्पताल में भर्ती रहने की अवस्था में अतिरिक्त रूप में रूपये 500/- प्रतिदिन (अस्पताल में भर्ती रहने की अवधि हेतु) (क्षतिपूर्ति की अधिकतम सीमा रूपये 50,000/- (पचास हजार) तक होगी)** |

**वर्तमान में म.प्र. लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 के तहत वन्य प्राणियों से जन घायल होने पर राहत राशि के भुगतान की निर्धारित समयावधि आवेदन दिनांक से सात कार्य दिवस है।**

वन्य प्राणियों से पशु-हानि एवं पशुघायल हेतु राहत राशि का भुगतान -

**योजना का स्वरूप और कार्यक्षेत्र -वन्य प्राणियों द्वारा घरेलू निजी पशुओं को मारे जाने पर पशु मालिकों को प्रति मवेशी आर्थिक सहायता राजस्व पुस्तक परिपत्र के प्रावधानों के अनुसार उपलब्ध करवायी जाती है तथा वन्यप्राणियों से पशुघायल होने पर शासन के आदेश क्रमांक/ एफ 15-13/ 2007/ 10-2, दिनांक 29 अप्रैल, 2016 के अनुसार प्रभावित लोगों को वर्तमान में राजस्व पुस्तक परिपत्र के प्रावधानों के अनुसार वन्यप्राणियों द्वारा पशुहानि हेतु देय मुआवजा राशि की 50 प्रतिशत राशि तक क्षतिपूर्ति राशि दिये जाने का प्रावधान है।**

**योजना क्रियान्वयन की प्रक्रिया-सहायता पाने के लिये यह आवश्यक है कि -**

* **निजी पशु मारे जाने/घायल किये जाने पर सूचना समीप के वन अधिकारी को घटना के 48 घंटे के अंदर दी गई हो।**
* **मारे गये मवेशी/ पशु को मारे गये स्थान से नहीं हटाया गया हो।**

**वर्तमान में म.प्र. लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 के तहत वन्य प्राणियों से पशु हानि हेतु राहत राशि के भुगतान की निर्धारित समयावधि आवेदन दिनांक से तीस कार्य दिवस है।**

वन्यप्राणियों से फसल हानि का मुआवजा -

योजना का स्वरूप और कार्यक्षेत्र **- मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 के तहत् वर्तमान में सेवा क्रमांक 4.6 में राजस्व विभाग द्वारा वन्यप्राणियों से किसानों की फसलों को पहुंचाई जाने वाली हानि का मुआवजा 30 कार्य दिवसस में दिये जाने का प्रावधान है। इसके तहत हानि का आंकलन राजस्व विभाग में प्रचलित प्रक्रिया अनुसार राजस्व अधिकारी द्वारा किया जाता है।**

**वन्यप्राणी संरक्षण तथा मानव-वन्यप्राणी द्वंद्व को कम करने के लिए वन्यप्राणी (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के प्रावधानों के अनुसार बाघों के क्रिटिकल रहवास क्षेत्रों से समस्त ग्रामों का पुनस्र्थापन आवश्यक है। शेष संरक्षित क्षेत्रों के चिन्हित ग्रामों का भी पुनस्र्थापन किया जाना प्रावधानित है। इस हेतु रूपये 15.00 लाख प्रति पुनर्वास इकाई की दर से ग्राम के पुनर्वास के लिए राशि का निर्धारण किया जाता है। इसके लिये केन्द्र प्रवर्तित योजना एवं राज्य योजना के अंतर्गत राशि प्राप्त हो रही है। राज्य शासन की नीति के अनुसार पुनस्र्थापन का कार्य ग्रामवासियों की सहमति के उपरांत ही किया जाता है। पर्यटन कैबिनेट के निर्णय अनुसार संरक्षित क्षेत्र के बाहर अंदरूनी वन क्षेत्र में स्थित ग्राम को भी उनकी सहमति प्राप्त होने पर अन्य पुर्नस्थापित किया जा सकता है।**

वन्यप्राणियों की संख्या का आंकलन -

**अखिल भारतीय बाघ आंकलन 2018 के परिणाम 29 जुलाई 2019 को घोषित किये गये जिसके अनुसार मध्यप्रदेश में 526 बाघ आंकलित किये गये हैं और मध्य प्रदेश ने भारत में बाघों की संख्या के अनुसार प्रथम स्थान पर रहते हुए पुनः टाइगर स्टेट का दर्जा प्राप्त कर लिया है। मध्य प्रदेश में बाघो की संख्या भारत के कुल आंकलित बाघों की संख्या 2967 की लगभग 18 प्रतिशत पायी गयी है। इसके पूर्व वर्ष 2014 के आंकलन में मध्यप्रदेश में 308 बाघ आंकलित किये गये थे। विगत वर्षों में किये गये प्रबंधकीय प्रयासों का परिणाम है कि न केवल बाघों की संख्या में वृद्धि हुई है अपितु बाघों की उपस्थिति वाले वन क्षेत्रों की संख्या में भी अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। वर्ष 2014 में प्रदेश के 714 बीटों में बाघ की उपस्थिति के चिन्ह पाये गये थे जबकि वर्ष 2018 में बाघों के चिन्ह 1432 बीटों में मिले हैं।**

**वन विभाग द्वारा प्रदेश में प्रथम बार वर्ष 2016 में भारतीय वन प्रबंधन संस्थान, भोपाल के सहयोग से संकटग्रस्त प्रजातियों के गिद्धों की गणना की गई थी जिसके अंतर्गत प्रदेश में 7 प्रजाति के लगभग 7000 गिद्ध पाये गए थे तथा वर्ष 2018-19 में भी प्रदेशव्यापी गिद्ध गणना कराई गई जिसमें लगभग 8300 गिद्ध पाये गये हैं। इसी के तारतम्य में वर्ष 2020-21 में भी प्रदेशव्यापी गिद्ध गणना संकटग्रस्त गिद्धों के संरक्षण में भविष्य में नींव का पत्थर साबित होगी।**

टाइगर रिजर्व का प्रबंध -

**वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 38ट (4) (पप) के अन्तर्गत प्रत्येक टाइगर रिजर्व में क्रिटिकल टाइगर हैबीटेट (कोर) एवं बफर क्षेत्र अधिसूचित किया जाना अनिवार्य है। क्रिटिकल टाइगर हैबीटेट पूर्णतः वन्यप्राणियों के उपयोग के लिए सुरक्षित है, जबकि बफर क्षेत्र क्रिटिकल टाइगर हैबीटेट के चारों ओर का वह बहुउपयोगी क्षेत्र है जो क्रिटिकल टाइगर हैबीटेट की संनिष्ठता एवं सुरक्षा के लिये आवश्यक है। टाइगर रिजर्व के प्रबंध हेतु बनाये जाने वाले टाइगर कंज़र्वेशन प्लान में कोर एवं बफर क्षेत्र हेतु प्रबंध निर्देशों को सम्मिलित किया जाता है। इसके अतिरिक्त दो संरक्षित क्षेत्रों को जोड़ने वाले कॉरिडोर क्षेत्र के बारे में भी सांकेतिक प्रावधान सम्मिलित किये जाते हैं।**

अन्य अभयारण्यों/ राष्ट्रीय उद्यानों में वन्यप्राणी प्रबंधन -

**उपरोक्त के अतिरिक्त प्रदेश के समस्त राष्ट्रीय उद्यानों एवं अभयारण्यों में 10 वर्षीय प्रबंधन योजना बनाकर वन्यप्राणी संरक्षण संबंधी कार्य किये जाते हैं।**

संरक्षित क्षेत्रों के बाहर वन्यप्राणी प्रबंध -

**संरक्षित क्षेत्रों के बाहर वन्यप्राणी प्रबंधन हेतु राज्य योजना प्रचलित है। इसके अंतर्गत संरक्षित क्षेत्रों के बाहर वन्यप्राणी प्रबंध हेतु क्षेत्रीय वनमण्डलों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। कॉरिडोर क्षेत्रों को सुदृढ़ करने के लिये भी इस योजना के अंतर्गत कार्य किया जाता है।**

वन्यप्राणी संरक्षित क्षेत्रों में पर्यटन -

**पर्यटकों की सुविधा के लिये कान्हा, बांधवगढ़, पन्ना, सतपुड़ा, संजय एंव पेंच टाइगर रिजर्व में ऑनलाइन बुकिंग की व्यवस्था है। पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से दिनांक 01.10.2017 से बफर क्षेत्रों में भी ऑनलाइन बुकिंग की सुविधा प्रारंभ की गई है। राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण द्वारा जारी मार्गदर्शिका के उपबंधों के अधीन टाइगर रिज़र्व में पर्यटन हेतु खुला क्षेत्र 20 प्रतिशत की सीमा तक निर्धारित है एवं उक्त के अनुरूप टाइगर रिज़व्र्स के कोर क्षेत्रों में पर्यटन हेतु पर्यटक वाहन धारण क्षमता निर्धारित की गई है।**

मध्य प्रदेश टाइगर फाउंडेशन सोसाइटी -

**मध्य प्रदेश शासन ने वर्ष 1997 में नवाचार करते हुये मध्य प्रदेश टाइगर फाउंडेशन सोसाइटी की स्थापना मध्य प्रदेश सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के अंतर्गत की थी। यह गैर शासकीय संगठन जन सहयोग एवं अन्य संस्थानों के साथ मिलकर प्रदेश में वन्यप्राणी संरक्षण का कार्य करता है।**

वन शहीद दिवस -

**प्रतिवर्ष 11 सितम्बर को वन शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। वन एवं वन्यप्राणी सुरक्षा कार्य के दौरान आरोपियों के साथ हुई मुठभेड़, वन्यप्राणीयों द्वारा हमले, अग्नि दुर्घटना आदि जैसी विषम परिस्थितियों में अपनी जान गवाने वाले वन विभाग के समस्त व्यक्तियों के बलिदान को राज्य स्तर पर मान्यता देते हुये उनके प्रथम आश्रित को रू. 1,00,000/- एवं प्रशस्ति पत्र से सम्मनित किये जाने का प्रावधान किया गया है।**

कार्य आयोजना -

**प्रदेश के वनों का वैज्ञानिक प्रबंधन कार्य आयोजना के अनुसार किया जाता है। कार्य आयोजना पुनरीक्षण हेतु प्रदेश में 16 क्षेत्रीय वृत्त स्तर पर कार्य आयोजना इकाईयां स्थापित हैं। उन इकाइयों के नियंत्रण हेतु तीन आंचलिक कार्यालय स्थापित किये गये है।**

वन भू-अभिलेख -

संरक्षित एवं आरक्षित वनों का गठन -

**आरक्षित वन गठित करने हेतु भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 4 से 20 तक की लम्बी प्रक्रिया से गुजरना होता है। अतः वनभूमि अधिसूचित करने की प्रक्रिया में किसी क्षेत्र को वर्तमान में वैधानिक संरक्षण देने के लिये सर्वप्रथम भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अन्तर्गत संरक्षित वन अधिसूचित किया जा रहा है। वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत गत एक वर्ष में वनभूमि के व्यपवर्तन की जारी अनुमति के फलस्वरूप प्राप्त गैर वनभूमियों को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा-29 के तहत वर्ष 2019-21 में 48 वनखण्डों का रकबा 2872.490 हेक्टेयर संरक्षित वनभूमि की अधिसूचनाऐं म.प्र. राजपत्र में प्रकाशित की गई हैं।**

**असीमांकित संरक्षित वनों, जिन्हें नारंगी क्षेत्र कहा जाता है, के सर्वेक्षण में उपयुक्त पाये गये क्षेत्रों को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 4 में अधिसूचित किये जाने की कार्यवाही प्रचलित है।**

वन व्यवस्थापन -

**भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा-4 के अन्तर्गत प्रस्तावित आरक्षित वन अधिसूचित किये जाते हैं। प्रस्तावित आरक्षित वनों के वनखण्डों की धारा 5 से 19 तक की विधिक कार्यवाही करने हेतु वन व्यवस्थापन अधिकारियों की नियुक्तियां की जाती हैं। वर्ष 1988 से वन व्यवस्थापन के लिए अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) को वन व्यवस्थापन अधिकारी बनाया गया।**

वन ग्रामों को राजस्व ग्रामों में परिवर्तितन करना -

**मध्य प्रदेश के 29 जिलों में वन विभाग के प्रबंधन एवं नियंत्रण के 925 वनग्रामों में से वीरान, विस्थापित, अभ्यारण्य तथा राष्ट्रीय उद्यानों में स्थित कुल 98 वनग्रामों को छोड़कर शेष 827 वन ग्रामों को राजस्व ग्रामों में परिवर्तित करने की कार्यवाही प्रचलित है।**

**वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के तहत अन्य राज्यों की भाँति प्रदेश के 827 वनग्रामों को राजस्व ग्रामों में परिवर्तित करने बावत् दिनांक 07.03.2019 को अपर मुख्य सचिव (वन) की अध्यक्षता में प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन (विधि विधायी कार्य विभाग) प्रमुख सचिव मध्यप्रदेश शासन (राजस्व विभाग) एवं प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन बल प्रमुख की उपस्थिति में बैठक आयोजित की गई जिसमें वन अधिकार अधिनियम, 2006 के तहत वनग्रामों को राजस्व ग्रामों में परिवर्तित करने हेतु जनजातीय कार्य विभाग, मध्यप्रदेश द्वारा कार्यवाही का निर्णय लिया गया।**

वन अधिकार अधिनियम, 2006 -

**वन अधिकार अधिनियम, 2006 के क्रियान्वयन की कार्यवाही आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा की जा रही है और पात्र लोगों को वितरित अधिकार पत्रों से संबंधित अभिलेखों के संधारण का दायित्व वन विभाग को सौंपा गया है।**

**राष्ट्रीय उद्यानों अभयारण्यों के अन्तर्गत वन ग्रामों एवं राजस्व ग्रामों के विस्थापन उपरान्त पुर्नस्थापित ग्रामों की वनभूमि का स्वरूप राजस्व भूमि में परिवर्तित करने हेतु भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 34 (अ) एवं धारा 27 की अधिसूचनायें मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित की गई है। इसी प्रकार विस्थापित राजस्व ग्रामों की रिक्त राजस्व भूमि का स्वरूप वन भूमि में परिवर्तित करने के सम्बन्ध में भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 29 एवं धारा 4 के तहत अधिसूचनायें मध्यप्रदेश के राजपत्र में प्रकाशित की गई हैं ।**

समन्वय -

**प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख मध्य प्रदेश भोपाल के अधीन प्रदेश के विभागीय कार्यो का संपादन मे समन्वय के कार्य किया जाता है।**

**मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गांरटी अधिनियम 2010 का क्रियन्वयन विभाग द्वारा सफलता पूर्वक किया जा रहा है। योजना का क्रियान्वयन ऑनलाईन होने के परिणामस्वरूप इसका सतत अनुश्रवण प्रभावी रूप से किया जा रहा है।**

&&&&